

केवल सरकारी प्रयोग के लिए
For Official use only

सेवा विनियम
मार्च 1983
SERVICE REGULATIONS
MARCH 1983

दामोदर घाटी निगम
DAMODAR VALLEY CORPORATION

विषय-सूची

			पृष्ठ
खण्ड I.	दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948	...	1-22
खण्ड II.	दामोदर घाटी निगम नियम, 1948	...	23-42
खण्ड III.	दामोदर घाटी निगम (कार्य-संचालन) विनियम, 1951	...	43-48
खण्ड IV.	दामोदर घाटी निगम सेवा (आचरण) विनियम, 1955	...	49-60
खण्ड V.	दामोदर घाटी निगम सेवा विनियम 1948	...	

भाग

I.	अनुप्रयोग की सीमा, सेवाओं का वर्गीकरण	63-69
II.	और भर्ती की विधि	69-74
III.	वेतन एवं भत्ते	74-80
IV.	आवास और फर्नीचर	81-84
V.	यात्रा भत्ता	84-103
VI.	चिकित्सा सेवा	103-114
VII.	छुट्टी, छुट्टी का वेतन और कार्यारंभ काल	114-127
VIII.	आचरण और अनुशासन	128-137
IX.	सेवानिवृत्ति लाभ	137-142
X.	अग्रिम	143-149

परिशिष्ट

	अंशदायी भविष्य निधि नियम (दा.घा.नि.)	150-176
--	--------------------------------------	-----	-----	-----	---------

खण्ड - 1

**दामोदर घाटी निगम
अधिनियम 1948 (1948 का XIV)**

SECTION - 1

**Damodar Valley Corporation
Act, 1948 (XIV of 1948)**

दामोदर घाटी निगम अधिनियम (1948 का XIV)¹

दामोदर घाटी निगम अधिनियम 1948 का अधिनियम सं. XIV बिहार और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में दामोदर घाटी के विकास के लिए एक निगम की स्थापना और उसके विनियम के संबंध से एक अधिनियम।

जबकि बिहार और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में दामोदर घाटी के विकास के लिए एक निगम की स्थापना और विनियम के संबंध में यह लाभकर हैं।

और जबकि भारत सरकार अधिनियम 1935 (26 जी ई ओ 5 ग) की धारा 103 के अनुपालन में कथित क्षेत्रों की प्रान्तीय विधान सभाओं के सभी सदनों द्वारा इस आशय के संकल्प पारित कर दिए गए हैं कि इस अधिनियम से संबंधित कुछ ऐसे मामले जिनकी प्रान्तीय विधान सभा सूची में गणना की जाती है, को अधिराज्य विधान सभा के अधिनियम द्वारा उन क्षेत्रों में विनियमित किया जाना चाहिए।

इसको निम्नप्रकार में अधिनियम किया जाता है :-

भाग - I

परिचय

1. संक्षिप्त शीर्षक, सीमा और आरम्भ :

- (1) इस अधिनियम को दामोदर घाटी निगम अधिनियम 1948 कहा जाए।
- (2) इसकी सीमाएँ बिहार और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों तक होगी।
- (3) यह उस तारीख से प्रवावी होगा जिस तारीख को केन्द्रीय सरकार अपने सरकारी राजपत्र को अधिसूचना द्वारा संबंध में अधिसूचति करे।

2. निर्वचन -- इस अधिनियम के अन्तर्गत जब तक विषय या सन्दर्भ प्रतिकूल न हो :

- (1) 'निगम' का अर्थ दामोदर घाटी निगम ;
- (2) दामोदर घाटी में दामोदर नदी और इसकी सहायक नदियों की घाटी शामिल हैं।

इस अधिनियम नं 27 मार्च 1948 को महा राज्य पाल की स्वीकृति प्राप्त की थी।

- (3) “सदस्य” का अर्थ है निगम का कोई सदस्य जिसमें अध्यक्ष भी शामिल है।
- (4) “सहभागी सरकारी” का अर्थ है केन्द्रीय सरकार, बिहार की प्रान्तीय सरकार और पश्चिम बंगाल की प्रान्तीय सरकार,
- (5) “निर्धारित” का अर्थ है धारा 59 के अन्तर्गत निर्मित नियमों द्वारा निर्धारित।
- (6) “प्रान्तीय सरकार” का अर्थ है सभा स्थिति बिहार सरकार या पश्चिम बंगाल सरकार और “प्रान्तीय सरकार” का अर्थ है बिहार और पश्चिम बंगाल की सरकारें।
- (7) “विनियोगों” का अर्थ है धारा 60 के अन्तर्गत निगम द्वारा बनाए गए विनियम।

भाग - II

निगम की स्थापना

3. समावेशन

- (1) उस तारीख से जिस तारीख को केन्द्रीय सरकार अधिसूचना के जरिए सरकारी राजपत्र में दामोदर घाटी निगम के नाम से एक निगम की स्थापना करने की घोषणा करे।
- (2) कथित निगम चिरस्थायी अनुक्रमण और एक सामान्य सील वाला एक निकाय होगा और इसी नाम से अनुनय-विनय किया जाएगा।

4. निगम का संविधान

- (1) प्रान्तीय सरकारों के साथ परामर्श करने के बाद निगम में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे।
- (2) कोई व्यक्ति निगम का सदस्य नियुक्त किये जाने या इस पद पर बने रहने से निम्न अवस्थाओं में अयोग्य होगा :

क) वह केन्द्रीय या प्रान्तीय विधान सभा का सदस्य है या

ख) यदि वह निगम के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किए गए करार को बनाए रखने में या इस संबंध में किए जा रहे कार्य में कोई हित रखता हो तो किसी निगमित कम्पनी में (निर्देशक के अलावा) उसके एक शेयर धारक के रूप को छोड़ कर, यदि वह शेयर धारक हो तो वह सरकार को उसके द्वारा ऐसी कम्पनी में रखे गए शेयरों के स्वरूप और सीमा के बारे में बताएगा।

(3) निगम का कोई कार्य या कार्रवाई केवल इस कारण से ही अवैध नहीं हो जाएगी कि इसके सदस्यों में से कोई सदस्य नहीं है या किसी सदस्य के चयन में कोई त्रुटि है।

5. सदस्यों की सेवा-शर्तों

(1) छोड़ा हुआ *

(2) सदस्यों का पारिश्रमिक और सेवा के अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि निर्धारित की जाए।

6. अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति :

(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा निगम के सचिव और वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति की जाएगी।

(2) सचिव निगम का मुख्य अधिशासी अधिकारी होगा।

(3) निगम ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है जो उसके कार्यों को दक्षतापूर्वक कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक है।

7. अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा-शर्तें

निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और अन्य सेवा-शर्तें निम्न होगा

क) सचिव और वित्तीय सलाहकार की ऐसी सेवा-शर्तें होंगी जो निर्धारित की जाए ;
और

ख) अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की ऐसी सेवा-शर्तें होंगी जो विनियमों द्वारा निर्धारित की जाए।

8. वित्तीय सलाहकार के कार्य और कर्तव्य

वित्तीय सलाहकार के ऐसे कार्य और कर्तव्य होंगे जो निर्धारित किए गए हैं।

9. सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के सामान्य अनर्हताएं।

ऐसा कोई व्यक्ति निगम का कर्मचारी या अधिकारी नहीं होगा जिसने प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूप से उसके या उसका भागीदार या एजेंट द्वारा निगम की ओर से या किसी नियोजन के अन्तर्गत या अन्यथा उसके एक अधिकारी या कर्मचारी के रूप में या उसके द्वारा किसी करार में हित या शेर रखे हो।

10. सलाहकार समिति का चयन :

धारा 5.9 के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निगम के कार्यों को सहायता पूर्ण कार्य करने में निगम समय-समय पर एक या अधिक सलाहकार समितियों की नियुक्ति

*दामोदर घाटी निगम (नज़ाबत) अधिनियम 1957 (1957) का सुब्बा 59 के अनुसार

कर सकता है और विशेष रूप से उन कार्यों के निष्पादन के लिए जो किसी विशेष स्थानीय क्षेत्र की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के संबंध में पूरे किए जाने हों।

भाग - III

निगम के कार्य और शक्तियां

सामान्य

11. दामोदर घाटी और कार्य क्षेत्र की सीमाएं :
 - (1) केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा दामोदर घाटी की सीमाओं को विनिर्दिष्ट करेगी।
 - (2) निगम अपने सभी या किसी भी कार्य को करेगा और दामोदर घाटी के भीतर अपनी सभी शक्तियों या किसी भी शक्ति का प्रयोग करेगा।
 - (3) केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा और प्रान्तीय सरकारों से परामर्श करने के बाद यह निर्देश दे सकती है कि निगम अन्य ऐसे क्षेत्रों में ऐसे कार्य करेगा। और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसा कि विनियमों में विनिर्दिष्ट है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट किए गए क्षेत्रों को निगम का "कार्य-क्षेत्र" कहा जाएगा।
12. निगम का कार्य : निगम के कार्य निम्न होंगे :
 - क) सिंचाई, जल-आपूर्ति और जल निकास के लिए योजना का प्रोत्साहन और संचालन।
 - ख) हाईड्रोइलेक्ट्रिक और थर्मल दोनों प्रकार की विद्युत ऊर्जा के सृजन, प्रेषण और वितरण के संबंध में योजनाओं का प्रोत्साहन और संचालन।
 - ग) दामोदर नदी और इसकी सहायक नदियों और यदि योजना के संबंध में निगम द्वारा नाले खुदवाए गए तो उसमें वाढ़ नियंत्रण और हुगली नदी में वहाव की स्थितियों में सुधार के लिए योजनाओं का प्रोत्साहन और संचालन।
 - घ) दामोदर नदी और इसकी सहायक नदियों और यदि नाले हो तो उसमें जहाजरानी का प्रोत्साहन और नियंत्रण।
 - ङ) दामोदर घाटी में भू-संरक्षण पर नियंत्रण और वनरोपण को प्रोत्साहन और

च) दामोदर घाटी और इसके कार्य क्षेत्र में जन स्वास्थ्य और कृषि, औद्योगिक, आर्थिक और सामान्य समृद्धि में प्रोत्साहन।

सिंचाई और जल आपूर्ति

13. **सिंचाई और जल आपूर्ति के संबंध में प्रावधान :**

निगम संबंधित प्रान्तीय सरकार के उस अनुमोदन से नालों और जल वितरिकाओं का निर्माण कर सकता है जिसे अकारण रोका नहीं जाएगा और उनका अनुरक्षण और संचालन कर सकता है। बशर्ते कि प्रान्तीय सरकार उचित मुआवजे के भुगतान का नोटिस देने के बाद ऐसे नाले या जल वितरिका का अनुरक्षण और संचालन करे।
14. **सिंचाई के लिए जल आपूर्ति की दरें**
 - (1) निगम प्रान्तीय सरकार के परामर्श के बाद उस सरकार को सिंचाई के लिए पानी की एक मुख्य आपूर्ति की दरें निर्धारित कर सकता है और पानी की अधिकतम ऐसी मात्रा नियत कर सकता है जो ऐसे प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।
 - (2) प्रान्तीय सरकार द्वारा सेतिहरों और अन्य उपभोक्ताओं को जाने वाले जल आपूर्ति की दरें उसी सरकार द्वारा निगम से परामर्श के बाद नियत की जाएगी।
15. **औद्योगिक और घरेलू प्रयोजनों के लिए जल आपूर्ति की दरें :**

निगम औद्योगिक और घरेलू प्रयोगनों के लिए जल की एक मुख्य आपूर्ति और खुदरा आपूर्ति के संबंध में दरों को निर्धारित कर सकता है और इस प्रकार की दरों को वसूल करने की विधि को विनिर्दिष्ट कर सकता है।
16. **उन व्यक्तियों को जल आपूर्ति जिनकी आपूर्ति बन्द कर दी गई है या कम कर दी गई है :**

यदि निगम ने अपनी योजनाओं को संचालित करने की दृष्टि से कृषि, औद्योगिक या घरेलू प्रयोजनों के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को जल आपूर्ति बन्द कर दी है या कम कर दी है जो ऐसा व्यक्ति ऐसे रूकाव या कमी से पहले किसी आदेशात्मक अधिकार से लाभ उठा रहा था तो निगम पहले की शर्तों के अनुसार ही जल आपूर्ति की व्यवस्था करेगा।
17. **निगम के अनुमोदन के बिना बाँध-आदि का निर्माण निषेध :**

अन्यथा निर्धारित किए गए को छोड़कर निगम की सहमति के बिना कोई व्यक्ति जल शोधन के लिए दामोदर घाटी में कोई बाँध को निर्माण, संचालन या अनुरक्षण या स्थापना नहीं करेगा।

विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति और उत्पादन

18. विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति और उत्पादन :

भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 (1910 का IX) या इसके अधीन प्रदान किए गए किसी लाईसेंस के होते हुए

(i) दामोदर घाटी और कार्य क्षेत्र की सीमाएं :

(क) दामोदर घाटी में किसी उपभोक्ता को 30,000 वोल्ट या अधिक के दाब पर उपभोक्ता द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है तो विद्युत ऊर्जा की बिक्री नहीं करेगा।

(ख) 30,000 वोल्ट या अधिक पर दामोदर घाटी में विद्युत ऊर्जा का प्रेषण नहीं करेगा।

(ग) किसी ऐसे प्रतिष्ठान में किसी प्रकार की विद्युत ऊर्जा का उत्पाद नहीं कर सकता जिसमें पुरब से पश्चिम की ओर खींची गई एक ऐसी सीधी रेखा के उत्तर की ओर पड़ने वाली दामोदर घाटी के किसी भाग में 10,000 किलोवाट से अधिक की कुल क्षमता हो जो बाइस डिग्री, चौदहमिनट और सैतालीस सैकेंड अक्षांश और सैतालीस डिग्री एकक्यावन मिनट और बयालीस सैकेंड देशान्तर से होकर गुजरती हो लेकिन इसमें केवल वर्दवान के नगर पालिका क्षेत्र के ऐसे भाग शामिल नहीं है जो ऐसी रेखा के उत्तर की ओर पड़ता हो।

वशर्ते कि उप-खंड (ग) की कोई शर्त किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो इस अधिनियम के आरम्भ होने पर 10,000 किलोवाट से अधिक कुछ क्षमता वाले किसी प्रतिष्ठान में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर रहा था जब इसकी क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई हो।

पुनः यहा उपखंड (ग) की कोई शर्त सिन्दरी उर्लरक फैक्टरी के ऊर्जा स्टेशन प्रतिष्ठान में लागू नहीं होगी जहाँ पर 80,000 किलोवाट कार्य क्षमता हो और ऐसे प्रतिष्ठान की क्षमता 80,000 किलोवाट से अधिक न हो।

(ii) निगम दामोदर घाटी में किसी भी उपभोक्ता को विद्युत की बिक्री कर सकता है लेकिन संबंधित प्रान्तीय सरकार की अनुमति के बिना, 30,000 वोल्ट से कम दाब पर आपूर्ति की मांग करने वाले किसी उपभोक्ता को ऐसी बिक्री नहीं करेगा।

(iii) संबंधित प्रान्तीय सरकार की अनुमति से निगम दामोदर घाटी से बाहर किसी क्षेत्र में अपकी संचारण प्रानाली में विस्तार कर सकता है और ऐसे में विद्युत ऊर्जा की विक्री कर सकता है।

19. वर्तमान लाइसेंस पर प्रभाव :

- (1) जहाँ पर भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 (1910 का IX) के अन्तर्गत प्रदान किया गया कोई लाइसेंस धारा 18 के प्रावधानों के कारण से पूर्ण या आंशिक रूप से अव्यावहारिक हो जाता है वहाँ पर उन प्रावधानों के अनुरूप उस लाइसेंस को समाप्त या संशोधित किया गया माना जाएगा।
- (2) जहाँ पर किसी लाइसेंस को उप-धारा (1) के अन्तर्गत समाप्त माना जाएगा वहाँ पर निगम लाइसेंस धारक से एक वचन प्राप्त करेगा और जहाँ पर उपधारा के अन्तर्गत किसी लाइसेंस को संशोधित किया जाता है वहाँ पर निगम लाइसेंस धारक के विकल्प के आधार पर या तो वचन लेगा या लाइसेंस धारक को उचित मुआवजा देगा।
- (3) निगम और लाइसेंस धारक के बीच हुई सहमति के अनुसार या असहमति होने पर मध्यस्थ निर्णय द्वारा उस क्रय मूल्य या मुआवजे की समाप्ति पर जैसी कि रकम निर्धारित की जाएगी जो उपधारा (2) के अधीन निगम द्वारा भुगतान योग्य है।

20. विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिए प्रभार :

निगम विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के साथ साथ थोक आपूर्ति और खुदरा वितरण के संबंध में प्रभारों की एक सूची नियत करेगा और ऐसे प्रभारों की वसूली की प्रक्रिया का विनिर्दिष्ट करेगा।

परन्तु, निगम विद्युत ऊर्जा की थोक आपूर्ति वाली किसी संविदा में खुदरा दर सूची के साथ ऐसी शर्तें और निबंधन लगा सकता है जिन्हे वह विद्युत ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक और वांछनीय समझे।

विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति और उत्पादन

21. निगम के अन्य कार्यकलाप :

(1) निगम निम्नलिखित के लिए प्रयोग और अनुसंधान के संबंध में प्रयोगशालाओं, प्रयोगात्मक तथा अनुसंधान केन्द्रों तथा फ़ैर्मों की स्थापना, अनुरक्षण और प्रचालन कर सकता है

क) दामोदर घाटी के विकास के लिए अत्यन्त किफायती तरीके से जल, विद्युत ऊर्जा और

ख) हुगली नदी में बहाव की स्थितियों के संबंध में :

अन्य संसाधनों को इस्तेमाल करने के लिए स्थितियों के संबंध में इसके संचालनों के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए

- ग) कलकत्ता के पत्तन मे तौवहन की स्थितियों में सुधार करने, और
- घ) धारा 12 के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अन्य कार्य की करने के लिए।
- (2) निगम भागीदार सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों, शिक्षा और अनुसन्धान सस्थानों या वास्तुविद का कार्य करने वाले किसी व्यक्ति या किसी संविदाकार की सहायता से अपनी योजना, डिजाइन, निर्माण और कार्यसंचालन, एजेन्सियों की स्थापना या प्रवन्ध कर सकता है।

शक्तियां

22. निगम की सामान्य शक्तियां :

- (1) निगम को ऐसा कोई भी कार्य करने की शक्ति होगी जो इस अधिनियम के अन्तर्गत इसके कार्यों को करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या लाभकर हों।
- (2) पूर्ववर्ती प्रावधान की व्यापकता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, इसमें निम्नलिखित शक्ति शामिल होगी :
- क) ऐसी चल या अचल सम्पत्ति को अर्जन करना या उस पर कब्जा करना जैसा आवश्यक हो और ऐसी किसी सम्पत्ति को पट्टे पर देन या अन्तरित करना अन्यथा विक्री करना।
- ख) ऐसे बाँधों, बराजों, जलाशयों, विजली घरों, विजली ढाँचों, विद्युत प्रेषण लाइनों और उप-केन्द्रों, नौवहन कार्यों, सिंचाई, नौचहन और जल निकासी-नालों और ऐसी अन्य कार्यों और ढाँचों का निर्माण करना जिनकी आवश्यकता हो।
- ग) निगम के अधीन किसी पानी के प्रदूषण की रोकथाम करना और ऐसी जल धाराओं में जल प्रवाहित को रोकने के सभी कदम उठाना जो जल आपूर्ति, सिंचाई, लोक स्वास्थ्य या मछलियों के लिए हानिकारक हो।
- घ) निगम के जलाशयों में जल एकत्र करना और इनमें मछली पालना और इस जल से मछली बाहर निकलने को रोकना;
- ङ) बाँधों के कारण हटाई गई जनसंख्या का पुनर्वास करना, जलाशयों के लिए भूमि का अर्जन करना और जल विभाजकों का संरक्षण करना;

- च) निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के बेहतर प्रयोग के लिए सहकारी समितियों और अन्य संगठनों की स्थापना करने में सहायता करना;
- छ) मलेरिया की रोकधाम करने के उपाय करना।

23. सड़कों और खुले स्थानों को बन्द करने की शक्ति :

- (1) निगम संबंधित व्यक्तियों को या सामान्यतया सार्वजनिक रूप से सूचना देने के बाद।:
- क) किसी सड़क या उसके किसी भाग को स्थायी रूप से जनता के प्रयोग के लिए रोक सकता है, उसका इसका सस्ता बदल सकता है, या बंद कर सकता है। या
- ख) किसी खुले स्थान या उसके किसी भाग को जनता के प्रयोग के लिए बाधित कर सकता है या स्थायी रूप से बन्द कर सकता है।
- (2) जब निगम किसी सड़क या खुले स्थान के सार्वजनिक इस्तेमाल को रोकता या उसे स्थायी रूप से बन्द करता है तो निगम ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को उचित मुआवजे का भुगतान करेगा--
- क) जो एक लाइसेंस-धारक को छोड़कर ऐसी सड़क या खुले स्थान या उसके किसी भाग को एक प्रवेश द्वार के रूप में प्रयोग करने का पात्र था, या
- ख) जिसकी अचल सम्पत्ति पर ऐसे खुले स्थान या उसके किसी भाग से हवा और प्रकाश आता हो और जिसे ऐसे किसी मामले में क्षति पहुँची हो क
- (i) जो ऐसी बाध या बाधा या बन्द होने से अनुच्छेद (क) के अन्तर्गत हों
- (ii) जो ऐसे इस्तेमाल के होने से अनुच्छेद (ख) के अन्तर्गत हो जिसके लिए निगम ने ऐसा खुला स्थान या भाग रखा हो।
- (3) उप-खंड (2) के अन्तर्गत किसी व्यक्ति की भुगतान योग्य मुआवजे के निर्धारण करने में निगम किसी ऐसे व्यक्ति के लाभ को भी ध्यान में रखेगा जिनको ऐसी सड़क या खुले स्थान या उसके किसी भाग के लिए निर्माण, प्रावधान या सुधार के लिए उसी समय ऐसी सड़क या खुले स्थान या उसके किसी भाग के संबंध में उसे करने बाधा पहुँचाने के लिए भुगतान किया जाता हो।
- (4) जब उप-खंड (1) के अन्तर्गत किसी सड़क या खुले स्थान या किसी भाग को स्थायी रूप से बन्द किया जाता है तो निगम ऐसे भाग की इस प्रकार से विक्री कर सकता है या पट्टे पर दे सकेगा जैसे कि अब इसके प्रयोग के लिए इसकी कोई आवश्यकता न हों।

24. कुछ अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत शक्तियां :

- (1) अनुसूची के भाग I के कालम एक में विनिर्दिष्ट अधिनियमों में दिए गए किसी प्रावधान के होते हुए भी, नियम किसी भी या सभी कार्यों को कर सकता है और कालम एक की प्रत्येक मद के सामने कालम दो में विनिर्दिष्ट ऐसे अधिनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत दामोदर घाटी में किसी प्रान्तीय सरकार की सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।
- (2) अनुसूची के भाग II के कालम एक में विनिर्दिष्ट अधिनियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी निगम द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी सभी कार्यों या किसी भी कार्य को कर सकता है और कालम एक की प्रत्येक मद के सामने के कालम दो में विनिर्दिष्ट ऐसे अधिनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत दामोदर घाटी में वह यथास्थिति किसी नहर अधिकारी समाहर्ता या वन अधिकारी की सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

आप्लावन से सहयोग और परिवर्जन

25. आप्लावन द्वारा उत्पन्न असुविधाओं को कम करने के लिए अन्य प्राधिकरणों से सहयोग :
सड़कों और संचार सेवा के कारण उत्पन्न होने वाली असुविधाओं को कम करने की दृष्टि से निगम भागीदार सरकारों, रेलवे प्राधिकारियों और स्थानीय प्राधिकारियों और निकायों के साथ सहयोग करेगा और ऐसे आप्लावन द्वारा किसी आवश्यक पुनर्वीस या कार्यान्वयन के संबंध में जनता को मुआवजे का भुगतान करेगा।
26. निगम द्वारा परिभर्जन किए जाने वाला कोयला खानों का आप्लावन :
कोयला और खनिज भंडारों के आप्लावन को रोकने के लिए निगम प्रत्येक प्रयास करेगा और कोयला खान उद्योग के लिए असुविधाओं को कम करने के लिए कोयला खानों और अन्य प्रकार के भंडारण प्रयोजनों के लिए रेत की आपूर्ति को सुनिश्चित करने की दृष्टि से भागीदार सरकारों द्वारा स्थापित कार्या खान उद्योग और निकायों के साथ सहयोग करेगा।

भाग - IV

वित्त, लेखा और लेखापरीक्षा

27. निगम की स्थापना होने तक व्यय :
निगम की स्थापना होने तक केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए सभी व्ययों को केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की गई सम्पत्ति के रूप में माना जाएगा और इसको धारा 30 से 36 तक के प्रावधानों के अनुसार भागीदार सरकारों के बीच में समायोजित किया जाएगा।

28. **निगम में सम्पत्ति का निहित करना :**
निगम को स्थापना से पहले दामोदर घाटी योजना से पहले दामोदर घाटी योजना के प्रयोजनों के लिए अर्जित की गई सम्पूर्ण सम्पत्ति और किए गए कार्यों को निगम में निहित किया जाएगा और इस संबंध में संबंध में सभी प्रकार के आय और व्यय निगम के बहिखानों में किये जाएंगे।
29. **निगम की निधि :**
कोयला और खनिज भंडारों के आप्लावन को रोकने के लिए निगम प्रत्येक प्रयास करेगा और कोयला खान उद्योग के लिए असुविधाओं को कम करने के लिए कोयला खानों और अन्य प्रकार के भंडारण प्रयोजनों के लिए रेत की आपूर्ति को सुनिश्चित करने की दृष्टि से भागीदार सरकारों द्वारा स्थापित कार्या खान उद्योग और निकायों के साथ सहयोग करेगा।
- (1) निगम की एक निजी निधि होगी और इसमें निगम की सभी प्रकार की आय को इसमें रखा जाएगा और निगम द्वारा सभी प्रकार के भुगतान इसी से किए जाएंगे।
- (2) केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए निर्देश को छोड़कर, इस विधि से संबंधित सभी प्रकार की मुद्रा को भारतीय रिजर्व बैंक में या भारतीय रिजर्व बैंक के एजेंट के पास जमा किया जाएगा या इसे ऐसी प्रतिभूतियों में निहित किया जाएगा जैसी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित हों।
30. **निगम के लिए पूंजी प्रदान करने के लिए भागीदार सरकारों की देनदारियां :**
निगम द्वारा शुरु की गई किसी परियोजना को पूरा करने के लिए निगम द्वारा मांगी गई सम्पूर्ण पूंजी, जैसी कि बाद में विनिर्दिष्ट हो, भागीदार सरकारों द्वारा प्रदान की जाएगी।
31. **विनिर्दिष्ट तारीख पर भागीदार सरकार द्वारा भुगतान :**
प्रत्येक भागीदार सरकार निगम द्वारा विनिर्दिष्ट तारीखों पर पूंजी का अपना भाग प्रदान करेगी और यदि कोई सरकार ऐसी तारीखों पर पूंजी का अपना भाग प्रदान करने में असफल रहती है तो निगम संबंधित सरकार के खर्च पर घाटे को पूरा करने के लिए ऋण जारी करेगा।
32. **सिंचाई, विजली और बाढ़ नियंत्रण से भिन्न विषयों पर व्यय :**
सिंचाई, विजली और बाढ़ नियंत्रण से भिन्न इस अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकृत किए गए विषयों के संबंध में ऐसी राशि खर्च करने के संबंध में निगम के पास शक्ति होगी जैसा कि निगम उचित समझे और ऐसी राशि को धारा के अन्तर्गत आवंटन से पहले, निगम की निधि में से भुगतान योग्य सामान्य व्यय के रूप में माना जाएगा।
33. **मुख्य प्रयोजनों पर परियोजना के लिए प्रवारयोग्य का आवंटन :**
किसी परियोजना के लिए प्रभार योग्य कुछ पूंजीगत व्यय को ऐसे निम्नलिखित तीन मुख्य प्रयोजनों के बीच में आवंटित किया जाएगा, यथा सिंचाई, विजली और बाढ़ नियंत्रण।

- (1) अतिरिक्त और सामान्य प्रभास के समानुपाती राक सहित किसी तान उयजना कि लिए ऋण व्यय किए गए व्यय को उसी प्रयोजन के लिए प्रभारित किया जाएगा और
- (2) अतिरिक्त और सामान्य प्रभारों के समानुपाती शेयर के साथ साथ कथिन दो या इससे अधिक प्रयोजनों के लिए सामान्य व्यय को ऐसे प्रत्येक प्रयोजन के लिए ऐसे व्यय में आयजित किया जाएगा जो निगम के अनुमान के अनुसार उस प्रयोजन के मामले में अनुच्छेद (i) के अन्तर्गत निर्धारित किसी राशि को घटा कर उसी प्रयोजन के लिए किसी पृथक संरचना के निर्माण में खर्च किया जाए।

34. सिंचाई के लिए आवंटित पूंजी :

सिंचाई के लिए आवंटित की गई पूंजी की कुल राशि को निम्नप्रकार से प्रत्तीय सरकारों के बीच में बाटा जाएगा। यथा :

- (1) संबंधित सरकार अपने कार्यक्षेत्र में सिंचाई के लिए विशेष रूप से निर्मित कार्यों की पूंजीगत लागत के लिए स्वयं जिम्मेदार होगी और
- (2) विहार और पश्चिम बंगाल दोनों प्रान्तों के लिए सिंचाई के अन्तर्गत पूंजीगत लागत की शेष राशि को प्रान्तीय सरकारों द्वारा कृषि प्रयोजनों के लिए जल के संबंध में उनकी वार्षिक निकासी के अनुपात में बाटा जाएगा।

परन्तु इस खण्ड के अन्तर्गत उस विभाज्य पूंजीगत लागत को उनके बीच अन्तिम रूप से शेयर किया गया हो जो उनसे संबंधित दी गई गारंटी की कुल खरीद के लवंच में उनके पूर्वघोषित इरादों के अनुसार हो और तदनुसार किए गए भुगतान को गारंटी दी गई कुल खरीद के वारे में निर्णय होने के बाद समायोजित किया जाएगा।

35. बिजली के लिए आवंटित पूंजी :

बिजली के लिए आवंटित पूंजी की कुल राशि को तीनों भागीदार सरकारों के बीच समान रूप से बाटा जाएगा।

36. बाढ़ नियंत्रण के लिए आवंटित पूंजी :

बाढ़ नियंत्रण के लिए आवंटित की गई चौदह करोड़ रूपए तक की पूंजी की कुल राशि को केन्द्रीय सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच में समान रूप से बाटा जाएगा और किसी प्रकार की अधिक राशि पश्चिम बंगाल सरकार की देनदारी होगी।

37. लाभ और घाटों का निपटान :

(1) धारा 40 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार सकल लाभ यदि कोई हो, सिचाई बिजली और बाढ़ नियंत्रण, तीनों उद्देश्यों के लिए प्रदान करने योग्य राशि को उस उद्देश्य के लिए प्रदान की गई कुल पूंजीगत लागत में भागीदार सरकारों के द्वारा लगाए गए शेयरों के समानुपात में क्रेडिट किया जाएगा।

(2) यदि किसी प्रकार का निवल घाटा हो तो उसको उप धारा (1) में विनिर्दिष्ट समानुपात में संबंधित सरकारों द्वारा पूरा किया जाएगा।

परन्तु बाढ़ नियंत्रण के संबंध में निवल घाटा पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा और ऐसे में केन्द्रीय सरकार का कोई शेयर नहीं होगा।

38. ब्याज का भुगतान :

केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित की गई दर के अनुसार निगम प्रत्येक भागीदार सरकार द्वारा प्रदान की गई पूंजी की राशि पर ब्याज का भुगतान करेगा। इस प्रकार के ब्याज को निगम का एक प्रकार का ब्याज समझा जाएगा।

39. जोड़े जाने वाले ब्याज प्रभार और अन्य खर्च और पूंजीगत लागत की कमी के लिए ली गई पावतियाँ :

निगम की स्थापना से पन्द्रह वर्ष की किसी अवधि में यदि निगम को घाटा हो जाता है तो ब्याज प्रभारों और अन्य खर्चों को पूंजीगत लागत में जोड़ दिया जाएगा और ऐसी पूंजीगत लागत की कमी के लिए पावती ले ली जाएगी।

40. मूल्य ह्रास और आरक्षी निधियों और अन्य निधियों के संबंध में प्रावधान :

(1) निगम मूल्य ह्रास और आरक्षी निधियों और अन्य निधियों के लिए उन दरों और शर्तों के अनुसार प्रावधान करेगा जैसा कि केन्द्रीय सरकार के परामर्श द्वारा भारत के महालेखा परीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) धारा 37 के प्रयोजन के लिए निवल लाभ को ऐसे प्रविधान होने के बाद निश्चित किया जाएगा।

41. क्षेत्रीय सरकार द्वारा की गई उचित उगाही में निगम का शेयर :

किसी क्षेत्रीय सरकार द्वारा की जानेवाली किसी प्रकार की उगाही की स्थिति में उसका समानुपात वै ही होगा जैसा कि निगम के कार्यों में प्रदान किया जाता है और इसको निगम के पास क्रेडिट कर दिया जाएगा।

42. मुद्रा उधार लेना :

निगम केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से इस अधिनियम के अन्तर्गत अर्पण कार्यों को करने के प्रयोजन के लिए खुले बाजार या अन्य प्रकार से मुद्रा उधार ले सकता है।

43. **केन्द्रीय करों के भुगतान का दायित्व :**

- (1) किसी आय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये गए किसी प्रकार के कर के भुगतान करने के संबंध में किसी कंपनी की भांति ही निगम का दायित्व होता है।
- (2) क्षेत्रीय सरकार निगम द्वारा भुगतान किए गए किसी प्रकार के ऐसे कर की वापसी के लिए हकदार नहीं होगी।

44. **बजट :**

- (1) निगम वित्तीय सलाहकार के परामर्श से उन अनुमानित आय और व्यय एवं राशियों को दर्शाते हुए जिनकी उस वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक तीनों भागीदार सरकारों को आवश्यकता पड़े, प्रत्येक वर्ष के अक्टूबर माह में उस रूप में अगले वित्तीय वर्ष के लिए एक बजट तैयार करेगा जैसा कि निर्धारित किया गया हो।
- (2) प्रांतीय सरकारें निगम द्वारा भुगतान किए गए किसी प्रकार के करों की वापसी के लिए हकदार नहीं होंगी।
- (3) इस बजट को इसके तैयार होने के तुरन्त बाद केन्द्रीय सरकार और प्रांतीय विधान सभाओं के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

45. **वार्षिक रिपोर्ट :**

- (1) निगम प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छः माह के भीतर निम्नलिखित के संबंध में पिछले वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापों के लेखों के संबंध में एक सत्य और विश्वसनीय वार्षिक रिपोर्ट उस रूप में तैयार करेगा जैसा कि निर्धारित किया गया हो

- (i) सिंचाई;
- (ii) जल आपूर्ति;
- (iii) विद्युत ऊर्जा;
- (iv) बाढ़ नियंत्रण;
- (v) नौसंचालन;
- (vi) वनरोपण;
- (vii) भू-संरक्षण;
- (viii) भूमि का उपयोग;
- (ix) विस्थापित जनसंख्या का पुनर्वास;
- (x) स्वच्छता और जनस्वास्थ्य उपाय; और
- (xi) जनता का आर्थिक और सामाजिक कल्याण

- (2) इस वार्षिक रिपोर्ट में पिछले वर्ष के दौरान आय और व्यय के संबंध में सत्य और विश्वसनीय लेखा, तीनों मुख्य उद्देश्यों के लिए आरोग्य निवल राशियों और तीनों

भागीदार सरकारों के बीच पूँजीगत लागत का विवरण और निगम के प्रारम्भ से उत्तरोत्तर योग और अद्यतन वित्तीय परिणामों को दर्शाया जाएगा।

- (3) बजट अनुमानों के आधार पर तीनों भागीदार सरकारों द्वारा किए गए अनन्तिम भुगतानों को जहाँ तक संभव हो वार्षिक रिपोर्ट में किए गए आबंटन के साथ समायोजित किया जाएगा।
- (4) वार्षिक रिपोर्ट की मुद्रित प्रत्येक वर्ष के अक्टूबर माह की 15 तारीख को तीनों भागीदार सरकारों को उपलब्ध कराई जाएगी।
- (5) वार्षिक रिपोर्ट तैयार होने के तुरन्त बाद, केन्द्रीय सरकार और संबंधित प्रान्तीय विधान सभाओं के सामने रखी जाएगी।

46. अन्व वार्षिक वित्तीय सारणियां :

- (1) निगम ऐसे फ़ैर्म में ऐसी अन्य वार्षिक वित्तीय विवरण भी ऐसी तारीख को तैयार करेगा जैसी कि निर्धारित हो।
- (2) प्रत्येक ऐसी वार्षिक वित्तीय विवरण की मुद्रित प्रतियां तीनों भागीदार सरकारों को उस तारीख पर उपलब्ध कराई जाएंगी जो कि निर्धारित की गई हो।

47. लेखा और लेखा-परीक्षा :

भारत के महालेखा परीक्षक के परामर्श से निगम के लेखे का अनुरक्षण किया जाएगा और उस प्रकार से इसकी लेखा-परीक्षा की जाएगी जैसी कि निर्धारित की गई हो।

भाग - V

विविध

48. केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्देश :

- (1) निगम अपने कार्यों के निर्वहन में नीति के प्रश्नों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए अनुदेशों से नियंत्रित होगा।
- (2) यदि केन्द्रीय सरकार और निगम के बीच में नीति के प्रश्न पर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो तो केन्द्रीय सरकार का निर्णय ही अन्तिम होगा।

49. निगम और सरकारों के बीच में विवाद :

- (1) इस अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, निगम और भागीदार सरकारों के बीच में किसी प्रकार के विवाद को इस अधिनियम के अन्तर्गत आनेवाले, इससे मिलते-जुलते

या इससे उत्पन्न होने वाले किसी मामले के संबंध में किसी विवाद को किसी ऐसे मध्यस्थ के पास भेजा जाएगा जिसको भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया गया है।

(2) मध्यस्थ का निर्णय अन्तिम और दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

50. **निगम के लिए भूमि का अनिवार्य अर्जन :**

इस अधिनियम के अधीन निगम द्वारा अपेक्षित किसी भूमि को इसके कार्यों को चलाने के लिए इसे सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता के लिए माना जाएगा और ऐसी भूमि का अर्जन निगम के लिए उस प्रकार किया जाएगा जैसे कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के भाग VII के प्रावधान इसमें लागू हुए हों और निगम कथित अधिनियम की धारा 3 के खंड (च) के अर्थों में एक कम्पनी हो।*

51. **केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण :**

(1) केन्द्रीय सरकार किसी भी ऐसे सदस्य को निगम से हटा सकती है जो इसकी राय में :--

क) कार्य करने से मना करें,

ख) कार्य करने में अक्षम हो गया हो,

ग) लोक हित में निगम के लिए हानिकारक हो और एक सदस्य के रूप में उसने पद का दुरुपयोग किया हो,

घ) अन्यथा एक सदस्य बने रहने के लिए उपयुक्त न हो,

(2) केन्द्रीय सरकार किसी ऐसे सदस्य को निलंबित कर सकती है जिसके विरुद्ध जांच कार्य लंबित पड़ा हो।

(3) तब तक किसी सदस्य को निगम से निकालने के आदेश नहीं किए जाएंगे जब तक कि संबंधित कर्मचारी केन्द्रीय सरकार को अपना स्पष्टीकरण न प्रस्तुत कर दे और जब ऐसा आदेश पारित कर दिया जाता है तो उस निकाले गए सदस्य की सीट खाली हुई मानी जाएगी और इस रिक्ति को भरने के लिए धारा-4 के अन्तर्गत अन्य सदस्य की नियुक्ति की जाएगी।

(4) कोई निकाला गया सदस्य अन्य किसी भी हैसियत से निगम में पुनर्नियोजन का पात्र नहीं होगा।

-
- पश्चिम बंगाल में इसके अनुप्रयोग में धारा 50 को निगम के लिए यदि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का 1) के भाग VII के प्रावधान इसमें लागू हुए हों और कथित अधिनियम की धारा 3 के खंड (च) के अर्थ में निगम एक कम्पनी है शब्दों के स्थान पर फिलहाल के लिए किसी विधि के अधीन राज्य सरकार द्वारा शब्दों का प्रयोग करके डी वी सी (पश्चिम बंगाल संशोधन) अधिनियम 1955 (पश्चिम बंगाल अधिनियम III 1956 का) द्वारा संशोधन कर दिया गया है।

- (5) जिस सदस्य को उप धारा (1) के अन्तर्गत हटाया गया हो उसके साथ लेनदेन न करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार घोषणा करेगी।
- (6) यदि निगम अपने कार्यों को करने या इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो केन्द्रीय सरकार निगम के अध्यक्ष और सदस्यों को हटा सकती है और इनके स्थान अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर सकती है।
52. **निगम के वनों के संबंध में भारतीय वन अधिनियम 1927 के कुछ प्रावधानों का अनुप्रयोग :**
भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का XVI) की धारा 26 के अन्तर्गत किसी आरक्षित वन के संबंध में प्रकाशित सभी अधिनियमों को निगम की स्वामित्व या प्रावधान या नियंत्रण के अन्तर्गत किसी वन के संबंध में निषेध माना जाएगा और ऐसे वनों के संबंध में सभी अपराधी के लिए कथित अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रकार से दंडित किया जाएगा जैसे कि ये किसी आरक्षित वन के मामले में किए गए हों।
53. **दंड :**
जो व्यक्ति इस अधिनियम की धारा 17 और 18 या उनके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों का उल्लंघन करता है उसको कारावास का दंड दिया जाएगा जिसकी अवधि छः माह या जुर्माना के साथ या दोनों साथ साथ दिया जाएगा।
54. **अभियोजन के संबंध में प्रक्रिया :**
इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई न्यायालय किसी अपराध के संबंध में कार्रवाई नहीं करेगा जो उसके द्वारा इस संबंध में प्रधिकृत हो।**
55. **प्रवेश की शक्ति :**
निगम का कोई अधिकारी या कर्मचारी जो निगम द्वारा सामान्यतया या विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया हो किसी भूमि या परिसर में सभी उचित समयों में प्रवेश कर सकता है और ऐसे कार्य कर सकता है जो निगम के कार्यों को करने या किसी प्रकार का सर्वेक्षण या जांच या प्रारम्भिक जांच या शक्तियों का कभी कभार प्रयोग करने या इस अधिनियम के अन्तर्गत निगम द्वारा इसके कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक सदस्य जाए।

** दामोदर घाटी निगम अधिनियम की धारा 54 (1948 का अधिनियम XIV) के अन्तर्गत प्रदान की गई शक्तियों के प्रयोग करने में, दामोदर घाटी निगम ने दामोदर घाटी निगम अधिनियम की धारा 52 के साथ पठित भारतीय वन अधिनियम (1927 का अधिनियम XV) की धारा 26 के अधीन अपराधों के संबंध में सब डिवीजन मजिस्ट्रेट या उस क्षेत्र के क्षेत्राधिकार वाले प्रथम या द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट और राज्य सरकार द्वारा उस की ओर से विशेष रूप से शक्ति दिए गए मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करने के लिए वन अधिकारी को प्राधिकृत किया है। (तारीख 4 फरवरी 1957 की डी वी सी अधिसूचना सं. 6)

56. **निगम के सदस्यों अधिकारियों और कर्मचारियों का सरकारी कर्मचारी होना :**
निगम के सभी सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों को, चाहे उनके केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो, जब वे इस अधिनियम के किन्हे प्रावधानों के अन्तर्गत कार्य कर रहे हो तो उनको भारतीय दंड संहिता (1860 का XIV) की धारा 21 के अर्थ में सरकारी कर्मचारी समझा जाएगा।
57. **अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई से अभिरक्षा :**
- (1) किसी ऐसी कार्रवाई के संबंध में निगम के नियोजन में किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी प्रकार की याचिका, अभियोजन या कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी जो इस अधिनियम के अन्तर्गत विश्वास पर की गई हो या किए जाने का तात्पर्य हो।
 - (2) अधिनियम में अन्यथा दिए गए किन्हीं बातों को छोड़ कर, इस अधिनियम के अन्तर्गत विश्वास से की गई किसी कार्रवाई या की जाने वाली किसी कार्रवाई द्वारा हुई किसी प्रकार की क्षति या होने वाली किसी प्रकार की क्षति के लिए निगम के विरुद्ध किसी प्रकार की याचिका या अन्य कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।
58. **अन्य कानूनों का प्रभाव :**
इस अधिनियम के अलावा किसी खंड में किन्हीं बातों या इस अधिनियम के अलावा किसी खंड के निमित्त किसी लिखत के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रावधान या उसमें बनाए गए नियम लागू होंगे।
59. **नियम बनाने की शक्ति :**
केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित किसी या समस्त मामलों के बारे में राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बनाती है। यथा :
- (1) सदस्यों, सचिव और वित्तीय सलाहकार के वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तें;
 - (2) वित्तीय सलाहकार के कार्य और कर्तव्य;
 - (3) बाँध या अन्य कार्य या ऐसे प्रतिष्ठापन जो निगम की बिना अनुमति के निर्मित किए गए हों;
 - (4) बजट-फ़ैर्म, वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक वित्तीय तालिकाएँ और ऐसे आंकड़े जिनके जरिए वार्षिक वित्तीय तालिकाओं की प्रतियां भागीदार सरकारों को उपलब्ध कराई जाएगी;
 - (5) वह विधि जिससे निगम के लेखे का अनुरक्षण किया जाएगा और उनकी लेखा परीक्षा की जाएगी;

(6) एक सलाहकार समिति का चयन; और

(7) इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए किसी नियम के उल्लंघन के लिए दंड।

60. **विनियम बनाने की शक्ति**

(1) निगम भारत के राजपत्र में अधिसूचना के जरिए और केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से इस अधिनियम के अन्तर्गत अपने कार्यों को करने के लिए विनियमों को बना सकता है।

(2) किसी विशेष मामले में और ऐसे विनियमों में पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता के संबंध में बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले, निगम निम्नलिखित का प्रावधान कर सकता है।

क) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना और पदोन्नति करना;

ख) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की अन्य सेवा-शर्तों का उल्लेख करना;

ग) उस विधि का उल्लेख करना जिसके द्वारा पानी की दरों और विद्युत ऊर्जा के प्रचारों के संबंध में वसूली की जाएगी;

घ) अपने नियंत्रण में जल प्रदूषण की रोकधाम;

ङ) अपने नियंत्रण वाले जल से मछली पकड़ना;

च) अपनी कार्रवाइयों और कार्यों को विनियमित करना;

छ) किसी विनियम के उल्लंघन करने पर दंड को निर्धारित करना;

(3) जहाँ तक संभव हो उप-धारा (1) और (2) के अन्तर्गत बनाए गए सभी विनियमों को प्रान्तीय सरकारों के सरकारी राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाएगा।

अनुसूची
(धारा - 24 देखें)
भाग - I

अधिनियम	कॉलम (I) में उल्लिखित अधिनियमों के प्रावधान	
(1)	(2)	(2)
(1) नहर अधिनियम, (1864 का बंगाल अधिनियम V)	धारा 6	(मार्ग करों की दर निर्धारित करने और उनमें परिवर्तन करने के संबंध में प्रान्तीय सरकार की शक्ति)
-	धारा 8	(करों की वसूली के लिए ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति करने की प्रान्तीय सरकार की शक्ति जो वसूली कर सकें)
(2) भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का XVI)	धारा 35	(विशेष प्रयोजनों के लिए वनों का संरक्ष)
-	धारा 36	(वनों के प्रबन्धक की शक्ति)

भाग - II

अधिनियम	कॉलम (II) में उल्लिखित अधिनियमों के प्रावधान	
(1)	(2)	(2)
(1) बंगाल सिंचाई अधिनियम 1876 (1876 का बंगाल अधिनियम III)	भाग III	(नहरों के अनुरक्षण की शक्ति)
-	भाग IV की धारा 41	(बाधा उत्पन्न करने वाले व्यक्ति को नोटिस देने के संबंध में नहर अधिकारियों की शक्ति)
-	धारा IV की धारा 42	(हटाए जाने वाली उन्तन्न बाधाओं के संबंध में नहर अधिकारियों की शक्ति)
2) बंगाल तटबन्धन अधिनियम 1882 (1882 का बंगाल अधिनियम II)	भाग II	(कलेक्टर की शक्तियों और उसकी प्रक्रिया)
-	भाग III	(जीवन या सम्पत्ति के लिए आसन्न खतरे के मामले में कलेक्टर की शक्तियां)
3) भारतीय वन अधिनियम 1927 1927 का XVI)	धारा 36	(वन प्रबन्ध के संबंध में शक्ति)

खण्ड - II
दामोदर घाटी निगम
नियमावली, 1948

SECTION - II
Damodar Valley Corporation
Rules, 1948

दामोदर घाटी निगम नियमावली, 1948

(निर्माण कार्य खनिज एवं विद्युत मंत्रालय के दिनांक 23 अप्रैल 1948

के अधिसूचना के अनुसार)

सं. डी डब्ल्यू III-ए-4 (7) बाँध : दामोदर घाटी निगम अधिनियम 1948 की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित नियम बनाए :

1. इन नियमों को दामोदर घाटी नियम 1948* कहा जाए।

वेतन और सेवा-शर्तें

1. निगम के अध्यक्ष, सदस्यों, सचिव और वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति ऐसी अवधि के लिए की जाएगी जो पाँच वर्ष से अधिक न हो जैसा कि केन्द्रीय सरकार उचित समझे और वे पुनर्नियोजन के पात्र होंगे।**
2. छोड़ दिया गया †
3. निगम का अध्यक्ष या कोई सदस्य केन्द्रीय सरकार को लिखित रूप में तीन माह का नोटिस देकर अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है।
4. अध्यक्ष, सदस्य, सचिव और वित्तीय सलाहकार वह वेतन आहरित करेंगे जैसा कि केन्द्रीय सरकार प्रत्येक मामले में निर्णय ले। †
5. छोड़ दिया गया। †

* नया नियम भारत सरकार, सिंपाई एवं विद्युत मंत्रालय द्वारा तारीख 8 अप्रैल 1958 के अधिसूचना सं 43(3) डी डब्ल्यू IV/57 में सामिल किया गया। कहा जाए

** जैसा कि भारत सरकार निर्माण कार्य, खनिज और विद्युत मंत्रालय के दि. 5 अगस्त 1948 की अधिसूचना सं. डी डब्ल्यू III ए-4(6) वाध्य 16 द्वारा और सिवाई और विद्युत मंत्रालय के दिनांक 25 जून 1953 की अधिसूचना सं. 44(15)/53 ए डी एम और दिनांक 8 अप्रैल, 1958 की अधिसूचना सं. 43(3) डी डब्ल्यू 4/57 द्वारा संशोधित किया गया है।

† भारत सरकार निर्माण कार्य, खनिज और विद्युत मंत्रालय के दिनांक 5 अगस्त 1948 की अधिसूचना सं. डी डब्ल्यू III-4(6) बाँध/6 के अनुसार

† भारत सरकार, निर्माण कार्य खनिज और विद्युत मंत्रालय के दिनांक 6 जुलाई 1948 की अधिसूचना सं. डी डब्ल्यू III ए-4(6)-बाँध/1 के अनुसार

6. अध्यक्ष, सदस्य, सचिव और वित्तीय सलाहकार उन मॉडल अवकाश शर्तों के अनुसार अवकाश और अवकाश वेतन के हकदार होंगे जो समान वेतन पर संविदा पर लगे हुए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर समय-समय पर लागू होते हैं।
7. अध्यक्ष, सदस्य, सचिव और वित्तीय सलाहकार अधिकारियों की उस श्रेणी के लिए लागू होने वाले मूल नियमों के अनुपूरक नियमों के लिए दिए गए वेतन मान पर निगम की सेवा में की गई यात्रा के लिए उस यात्रा भत्ते के हकदार होंगे जिसके लिए केन्द्रीय सरकार उनको समान स्तर के लिए घोषित करे।§
- 7A. यदि अध्यक्ष, सदस्य, सचिव और वित्तीय सलाहकार सरकारी कर्मचारी नहीं है तो उनकी सेवा की अन्य शर्तें प्रत्येक मामले में वही होंगी जो केन्द्रीय सरकार निर्धारित करे।
8. इन नियमों के 1 से 7 तक के नियमों में अन्य बातों के होते हुए भी, यदि अध्यक्ष, सदस्य, सचिव और वित्तीय सलाहकार पहले से ही सरकारी सेवा में है तो उनके वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति के मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
9. (1) ऐसे अध्यक्ष, सदस्य, सचिव और वित्तीय सलाहकार जो सरकारी सेवा में नहीं है निगम के अंशदायी भविष्य निधि के लाभ के हकदार होंगे जिसके लिए निगम उस राशि के बराबर अंशदान करेगा जितनी कि अंशदाता अंशदान करता है। 31 अगस्त 1957 तक इसकी अधिकतम सीमा $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत होगी और इसके बाद $8\frac{1}{3}$ प्रतिशत होंगी। दामोदर घाटी निगम डी वी सी अधिनियम 1948 की धारा 60 के अन्तर्गत बने हुए अंशदायी भविष्य निधि नियम ऐसे अध्यक्ष सदस्यों, सचिव और वित्तीय सलाहकार के संबंध में भी लागू होंगे जो इस निधि के अंशदाता हैं क्योंकि ये नियम निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के संबंध में लागू होते हैं। इन नियमों की शर्त यह है कि नियम 12 के अन्तर्गत निधि से अग्रिम स्वीकृति के लिए और कथित नियमों के नियम 19 के अन्तर्गत निधि में किसी अंशदाता के क्रेडिट की पड़ी राशि से कटौतियां करने के लिए निर्देश देने के लिए निगम द्वारा प्रयोज्य शक्तियों का केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोग किया जाएगा।

निगम के अंशदायी भविष्य निधि के लाभ ऐसे पुनर्नियोजित कार्मिकों के लिए अनुमेय नहीं होंगे जो पेंशन या अंशदायी भविष्य निधि के रूप में सरकार से किसी प्रकार का सेवानिवृत्ति

§ भारत सरकार, सिवाई एवं विद्युत मंत्रालय के दिनांक मई की अधिसूचना सं. द्वारा शामिल किया गया।

लाभ प्राप्त करते हो। फिर भी, उनको निधि में शामिल होने और इसमें अंशदान करने की अनुमति दी जाती है किन्तु, वे निगम के अंशदान के लिए पात्र नहीं होंगे।*

10. केन्द्रीय सरकार बिना कारण बताए और तीन माह का नोटिस देकर सचिव या वित्तीय सलाहकार की सेवा किसी भी समय समाप्त कर सकती है।
11. सचिव या वित्तीय सलाहकार केन्द्रीय सरकार को लिखित रूप में तीन माह का नोटिस देकर किसी भी समय अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है।

वित्तीय सलाहकार के कार्य और कर्तव्य

12. वित्तीय सलाहकार राजस्व और व्यय से संबंधित सभी मामलों में निगम को सलाह देगा।
13. वित्तीय सलाहकार को निगम की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने का अधिकार होगा किन्तु उसे वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। उसे ऐसे किसी मामले को निगम के पास भेजने का अधिकार होगा जो उसकी राय में निगम की जानकारी में लाना आवश्यक समझा जाए।
14. वित्तीय सलाहकार उस विधि के लिए भी जिम्मेदार होगा जिसमें (i) वार्षिक और अन्य वित्तीय विवरणियां तैयार की जाती हैं (ii) निगम के लेखे का अनुरक्षण किया जाता है और उनको लेखा परीक्षा के लिए उपलब्ध कराया जाता है।**
15. वित्तीय सलाहकार निगम के अनुमोदन से और लिखित रूप में आदेश द्वारा वर आदेश दे सकता है कि कोई ऐसा शक्ति या कर्तव्य जो इन नियमों के अन्तर्गत किन्हीं शर्तों के अनुसार उसको सौंपा जाए या अस पर डाला जाए जैसा कि उसने विनिर्दिष्ट किया हो वह कार्य उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा पूरा किया जाए।

बजट

16. **बजट अनुमान :**
प्रत्येक वर्ष के लिए निगम का बजट अनुमान तैयार किया जाएगा और इसको ऐसी अतिरिक्त सूचना के साथ जैसी की समय समय पर निगम द्वारा मांगी जाए, इन नियमों के अनुबन्ध (1) में निर्धारित किए गए रूप में निगम को प्रस्तुत किया जाएगा।

* भारत सरकार सिंचाई एवं विद्युत मंत्रालय के दिनांक 8 अप्रैल 1958 की अधिसूचना सं. 43(3)DW-IV/57 द्वारा शामिल किया गया।

** भारत सरकार सिंचाई एवं विद्युत मंत्रालय के दिनांक 23 अप्रैल 1948 के पत्र सं। DW-II-A-4(7) बाँध द्वारा संशोधित किया गया।

17. निगम की सामान्य सील लगाकर बजट को असली बजट माना जाएगा।
18. यदि किसी वित्तीय वर्ष के संबंध में व्यय की राशि बजट में प्रदान की गई राशि से अधिक आवश्यक हो तो एक पूरक बजट तैयार किया जाएगा और इसको व्यय की अनुमानिक राशि वशति हुए निगम के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और उसी रूप में असली माना जाएगा जैसे कि वार्षिक बजट होता है।

लेखे

19. निगम की राजस्व पावतियां, ऋण या निगम को देय अग्रिमों के संबंध में निगम द्वारा सभी प्रकार की राशियों को पूर्ण रूप में बैंक में जमा किया जाएगा। निगम से संबंधित किसी प्रकार के भुगतान करने के लिए किसी भी खाते की राशि को प्रयोग में नहीं लाया जाएगा।
20. निगम हर समय लेखे की वहियों का पूर्ण और सही अनुरक्षण करेगा।
21. लेखे के अनुरक्षण और प्रभारों के वर्गीकरण में व्यय करने वाली एजेंसियों की अपेक्षा व्यय द्वारा पूर्ण किया गया उद्देश्य मार्गदर्शी सिद्धान्त होना चाहिए। इस सामान्य आवश्यकता की शर्त पर लेखे का अनुरक्षण निगम के बजट के लिए अनुबन्ध I में निर्धारित शीर्षों के अन्तर्गत किया जाएगा।
22. संवितरण अधिकारियों से लेखे प्राप्त करने के बाद निगम का एक समेकित खाता तैयार किया जाएगा।
23. प्रत्येक माह के लेखे निगम के विभिन्न आहरण अधिकारियों द्वारा माह के अन्त तक तैयार कर लिए जाएंगे और निगम का एक पूरा समेकित खाता तैयार किया जाएगा और ऐसे विस्तृत ज्ञापन के साथ अगले माह के अन्त तक निगम के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे जैसा कि समय-समय पर निगम द्वारा अपेक्षित है।*

* भारत सरकार सिंचाई एवं विद्युत मंत्रालय के दिनांक 9 अप्रैल 1958 के पत्र सं. 43(4)/58 DW-IV द्वारा प्रतिस्थापित।

24. युनिट लागतों को दर्शाते हुए गौण लेखे का अनुरक्षण किया जाएगा और प्रत्येक माह के लेखे के साथ एक ही समय निगम के पास प्रस्तुत किए जाएंगे।
25. प्रत्येक वर्ष के अन्य में छः माह के भीतर ऐसे सहायक लेखे के साथ जैसा कि आवश्यक है सिंचाई, विद्युत और बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के वित्तीय परिणामों को दर्शाते हुए उन नियमों के अनुबन्ध II में निर्धारित फ़ॉर्मों में तैयार किए गए वार्षिक लेखे को निगम के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और लेखे को विधिवार पारित करने के बाद भागीदार सरकारों और लेखा परीक्षा अधिकारी के पास भेज दिया जाएगा।
26. उन अनुदेशों के अनुसार कार्य स्थल की सामग्री सहित भंडारी और औजारों और संयंत्रों (विशेष औजारों और संयंत्र सहित) के संबंध में प्रारम्भिक लेखे का दर अनुरक्षण किया जाएगा जैसा कि समय समय पर निगम द्वारा जारी किया जाता है।
27. भंडारी और औजारों और संयंत्र की एक ऐसे अधिकारी द्वारा प्रत्यक्षजांच की जाएगी जो निगम का परिरक्षक न हो। लेखा परीक्षा अधिकारी को कमी और अधिकता के लिए निगम के आदेशों के साथ जांच के परिणाम के संबंध में बताया जाएगा।

लेखा - परीक्षा

28. निगम के लेखे की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक महा लेखा परीक्षक के निर्देश और उसके नियंत्रण में * उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी। प्रत्येक माह के संबंध में लेखा परीक्षा के परिणामों का एक विवरण निगम के पास प्रस्तुत किया जाएगा।
29. लेखा परीक्षा अधिकारी को निगम के आय और व्यय से संबंधित सभी करार और ऐसे अन्य आदेशों की प्रतियों दी जाएगी जो निगम के ऐसे एक अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित की गई हो जो करार करने या आदेश देने के मामले में सक्षम हो।**
30. लेखा परीक्षा अधिकारी सभी प्रकार के कागजातों बहियों अभिलेखों फ़ाइलों और लेखे की उचित समयों पर जांच करेगा।

* भारत सरकार सिंचाई एवं विद्युत मंत्रालय के तां. 18 दिसम्बर 1952 की अधिसूचना सं. 40(1)52 -प्रशा. द्वारा शामिल किया गया।

** भारत सरकार सिंचाई एवं विद्युत मंत्रालय की तां 7 मार्च 1955 की अधिसूचना सं. 51(2) डी बी सी/54 द्वारा किए गए सशोधन के अनुसार।

31. लेखा परीक्षा अधिकारी निगम द्वारा तैयार किए गए वार्षिक लेखे की सत्यता को प्रमाणित करेगा और इस प्रमाण पत्र को लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ जोड़ेगा । इस प्रकार से अभिप्रमाणित वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिहस्ताक्षर के बाद बाद उसकी तीन अतिरिक्त प्रतियों के साथ इसे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसकी एक प्रति केन्द्रीय सरकार द्वारा रख ली जाएगी । लेखा परीक्षा रिपोर्ट को वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखे के साथ मुद्रित किया जाएगा ।*
32. लेखे की लेखा परीक्षा होने के बाद, लेखा परीक्षा अधिकारी की जानकारी के बिना किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा ।
33. लेखे का अनुरक्षण जिस रूप में किया जाता है उसमें किसी प्रकार के संशोधन करने में पहले लेखा परीक्षा अधिकारी का परामर्श लिया जाएगा ।

* भारत सरकार, सिंचाई एवं विद्युत मंत्रालय की तां.: 18 दिसम्बर 1962 की अधिसूचना सं. 40(1)52-प्रशा. द्वारा शामिल किया गया।

अनुबन्ध - I
दामोदर घाटी निगम

टिप्पणी : निगम ऐसे विस्तृत शीर्ष बना सकता है जो आवश्यक समझे जाए :

19..... के लिए बजट	घटाए -- आय और वसूलियां
भाग - I पूंजीगत लेखे पर व्यय	क) खुशहाली लेवी (धारा 41)
1 विद्युत सृजन, प्रेषण और वितरण	ख) जल-कर
	रु. ग) विविध
क) पन बिजली योजनाएं :
(1) सृजन 	सिंचाई
(2) प्रेषण 	(3) बाढ़ नियंत्रण --
(3) वितरण 	(1) दामोदर नदी की योजना
ख) ताप योजनाएं	(2) हुगली नदी की योजना
(1) सृजन 	(3) नौवहन :-
(2) प्रेषण 	क) दामोदर में योजना
(3) वितरण 	ख) कलकत्ता में निवेश बन्दरगाह....
<i>अतिरिक्त</i> : ऊपरी शीर्ष और सामान्य प्रभार	<i>अतिरिक्त</i> : उपरि शीर्ष और सामान्य प्रभार
घटाएं : विद्युत की बिक्री से आय	घटाएं : आय
(क) उच्च दाब 	बाढ़ नियंत्रण
(ख) निम्न दाब 	
विद्युत 	(4) उपरि शीर्ष और सामान्य प्रभार रु.
	क) सामान्य प्रशासन व्यय
(2) सिंचाई, जल आपूर्ति और जल निकास	(1) निगम व्यय
(1) सिंचाई 	(2) सचिव का कार्यालय
(2) जल आपूर्ति 	(3) वित्तीय सलाहकार
(3) जल-निकास 	का कार्यालय
	(4) कर्मचारी भविष्य निधि
	में अंशदान
<i>अतिरिक्त</i> : उपरी शीर्ष और सामान्य प्रभार	ख) भंडार और कार्यशालाएँ

ग) सामान्य विकास व्यय

पूँजीगत लेखे पर निवल व्यय

	रु.		रु.
(1) वनरोपण	(1) सिंचाई
(2) भूमि संरक्षण	(2) विद्युत
(3) भूमि का प्रयोग	(3) बाढ़ नियंत्रण
(4) विस्थापित जनसंख्याका पुनर्वास भाग II में लिखा गया	भाग II - वर्ष हेतु सरकारों (क) के बीच पूँजीगत व्यय का आबंटन	
(5) कृषि विकास		
(6) औद्योगिक विकास	से अग्रणीत से प्राप्त आंकलित व्यय	
(7) प्रयोगात्मक और अनुसन्धान केन्द्र	भाग I - रु.	
(8) लोक स्वास्थ्य और सफाई		रु.
(9) आर्थिक और समाज कल्याण	सिंचाई
घ) अन्य सामान्य प्रभार		क) केन्द्रीय सरकार	
(1) व्याज		विद्युत
(2) मुल्य ह्रास		बाढ़ नियंत्रण
(3) कर		ii) बाढ़ नियंत्रण के लिए	
(4) लेखा परीक्षा प्रभार		ख) पश्चिम बंगाल	
कुछ उपरि और सामान्य प्रभार	I) विद्युत के लिए	
समानुपाती प्रभारों को घटाए	ii) बाढ़ नियंत्रण के लिए	
(1) सिंचाई	iii) सिंचाई के लिए	
(2) विद्युत	ग) बिहार के लिए	
(3) बाढ़ नियंत्रण	I) विद्युत के लिए	
		ii) सिंचाई के लिए	

भाग II बाढ़ (ख) : 19 के अन्त तक प्रगामी आंकड़े क्र I

भाग II से अग्रणीत

किससे प्राप्त होने है	पिछले वर्ष के अन्त तक आकड़े	वर्ष के दौरान 'बजट'	वर्ष अन्त तक का जोड़	किससे प्राप्त होने है	पिछले वर्ष के अन्त तक आकड़े	वर्ष के दौरान 'बजट'	वर्ष अन्त तक का जोड़
	रु.	रु.	रु.		रु.	रु.	रु.
क) केन्द्री सरकार				क) केन्द्री सरकार			
विद्युत के लिए	विद्युत के लिए
बाढ़ नियंत्रण के लिए	बाढ़ नियंत्रण के लिए
ख) पश्चि बंगल				ख) पश्चि बंगल			
विद्युत के लिए	विद्युत के लिए
सिंचाई के लिए	सिंचाई के लिए
बाढ़ नियंत्रण के लिए	बाढ़ नियंत्रण के लिए
ग) बिहार				ग) बिहार			
विद्युत के लिए	विद्युत के लिए
सिंचाई के लिए	सिंचाई के लिए

भाग II (ग)

भुगतान योग्य शेष राशि

क) केन्द्री सरकार			
विद्युत के लिए
बाढ़ नियंत्रण के लिए
ख) पश्चि बंगल			
विद्युत के लिए
सिंचाई के लिए
बाढ़ नियंत्रण के लिए
ग) बिहार			
विद्युत के लिए
सिंचाई के लिए

भाग III - राजस्व लेखा (जारी)

व्यय	आय
3. बाढ़ नियंत्रण	
	रु.
अनुरक्षण व्यय	...
दामोदर में योजनाएं	...
हुगली में योजनाएं	...
कलकत्ता बन्दरगाह में योजनाएं	...
सामान्य व्यय	...
	रु.
	विविध आय
	भाग IV में अग्रेनीत किए गए निवल व्यय

भाग IV - लाभ और घाटों का निपटान

व्यय	राजस्व
भाग से	भाग से
बाढ़ नियंत्रण पर निवल व्यय	विद्युत से विवल राजस्व
निगम कर	सिंचाई से निवल राजस्व
निम्न को भुगतान योग्य निवल	लाभ वसूली योग्य निवल धारा
क) केन्द्रीय सरकार	बाढ़ नियंत्रण के संबंध में
विद्युत के लिए	क) केन्द्रीय सरकार से
ख) पश्चिम बंगाल	ख) पश्चिम बंगाल से
विद्युत के लिए	...
सिंचाई के लिए	...

भाग V - वजट सारांश

निम्न से अग्रणीत	रु.	तारीख के समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भुगतान योग्य शेष राशि	
		भाग (ग) द्वारा	भाग निवल द्वारा
क) केन्द्रीय सरकार			
विद्युत के लिए
बाढ़ नियंत्रण के लिए
ख) पश्चिम बंगाल सरकार			
विद्युत के लिए
सिंचाई के लिए
बाढ़ नियंत्रण के लिए
ग) विहार सरकार			
विद्युत के लिए
सिंचाई के लिए
	जोड़		

वित्तीय सलाहकार	डी वी सी	अध्यक्ष
		सदस्य
	की सम्मिलित सील	सचिव
लेखा अधिकारी		सदस्य

अनुबन्ध - II
दामोदर घाटी निगम

टिप्पणी : (निगम ऐसे विस्तृत शीर्ष बना सकता है जैसे कि आवश्यक समझे जाए)

1-31 मार्च 19 के अनुसार तुलन पत्र

देनदारियों	रु.	परिसंपत्तियां	रु.
केन्द्रीय सरकार			
विद्युत	सिंचाई
बाढ़ नियंत्रण	विद्युत
पश्चिम बंगाल सरकार		बाढ़ नियंत्रण	
सिंचाई	(राजस्व लेखा)
विद्युत	औजार एव संयंत्र
बाढ़ नियंत्रण	भंडार में सामग्री के लिए
बिहार सरकार		फुटकर देनदार
विद्युत	चालू आपूर्ति
सिंचाई	अन्य देनदार
केन्द्रीय सरकार अग्रिम प्राप्त		अन्य मदें (उल्लेखनीय)
किए गए	बैंक में नकद
राजस्व लेखा		रोकड़ शेष
विद्युत		
सिंचाई		
फुटकर देनदार			
संविदाकारों से प्रतिभूति जमा			
उपभोक्ताओं से जमा		
अन्य देनदार		
मूल्य ह्रास निधि			
नवीकरण और प्रतिस्थापन		
आरक्षी निधि		
अन्य आरक्षी निधिया (उल्लेखनीय)		
कर्मचारी भविष्य निधि)		
अन्य मदें -- (उल्लेखनीय)		

II. 31 मार्च 19 को समाप्त वर्ष के लिए पूंजीगत लेखा

पिछले वर्ष के अन्त तक आकड़े	वर्ष के दौरान 'बजट'	वर्ष के अन्त तक	पिछले वर्ष के अन्त तक आकड़े	वर्ष के दौरान 'बजट'	वर्ष के अन्त तक
रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.
सिंचाई, जल आपूर्ति, जल निकास					
सिंचाई			पश्चिम बंगाल		
बाँध			सरकार		
नाले			विहार सरकार		
जल वितरिकाएं					
जल आपूर्ति					
जल निकास					
जोड़ें : समानुपातिक उपरि और सामान्य प्रभार					
घटाएँ : आय और वसूलियां					
क) जल-कर					
ख) खुशहाली लेवी					
ग) विविध					
जोड़ : तुलन पत्र में अग्रणीत किया गया सिंचाई व्यय			तुलन पत्र में अग्रणीत किया गया जोड़		
ख) विद्युत					
पन बिजली योजनाएं					
सृजन					
प्रेषण					
वितरण			केन्द्रीय सरकार		
ताप योजनाएं					
सृजन			पश्चिम बंगाल सरकार		
प्रेषण			विहार सरकार		
वितरण					

प्रत्येक मुख्य कार्य के व्यय को अलग से दर्शाया जाएगा।

II. 31 मार्च 19 को समाप्त वर्ष के लिए पूंजीगत लेखा (जारी)

पिछले वर्ष के अन्त तक आकड़े	वर्ष के दौरान 'बजट'	वर्ष के अन्त तक	पिछले वर्ष के अन्त तक आकड़े	वर्ष के दौरान 'बजट'	वर्ष के अन्त तक
रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.

जोड़े : समानुपातिक उपरि और
सामान्त प्रभार

घटाएं विद्युत की विक्री से आय

जोड़े : विद्युत व्यय
तुलन पत्र में अग्नेनीत

जोड़े : तुलन पत्र में अग्नेनील

ग) बाढ़ नियंत्रण

दामोदर नदी में योजनाएं

हुगली नदी में योजनाएं

नौवहन

क) दामोदर नदी में योजनाएं

ख) कलकत्ता बन्दरगाह में निवेश

केन्द्री सरकार

जोड़े : समानुपातिक ऊपरी और सामान्य प्रभार

घटाएं: आय

जोड़ : तुलनपत्र में अग्नेनील किया

गया निवल व्यय

प्रत्येक मुख्य कार्य के व्यय को अलग से दर्शाया जाएगा।

III. 31 मार्च 19 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए राजस्य लेखा

व्यय	आय
1. विद्युत	
	रु.
सूजन	विद्युत की विक्री
पन बिजली	औद्योगिक
तान ऊर्जा	कृषि
प्रेषण लाइनें और नगरपालिक	
प्राप्ति स्टेशन	वाणिज्यिक
पन बिजली	घरेलू
ताप-ऊर्जा	विविध
वितरण लाइने और स्टेशन	
पन बिजली	अन्य राजस्व
ताप ऊर्जा	
एम टी वितरण प्राली	
वाणिज्यिक व्यय	
सामान्य व्यय	
मूल्य ह्रास और अन्य आरक्षी निधियां	
पूजी पर व्याज	
मूल्य ह्रास और अन्य आरक्षी निधियां	
पूजी पर व्याज	
तुलन पत्र में विद्युत से अग्नेनीत	
किए गए निवल राजस्व	
2. सिंचाई	
अनुरक्षण व्यय	
वाँध	
नाले	खुशहाली लेवी
जल वितरिकाएं	विविध राजस्व
सामान्य व्यय	

III. 31 मार्च 19 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए राजस्व लेखा (जारी)

व्यय	आय
	रु.
मूल्य ह्रास और अन्य आरक्षी निधियां	रु.
पूंजी पर ब्याज 	
तुलन पत्र से सिंचाई से अग्नेनीत	
किया गया निवल राजस्व 	

3. बाढ़ नियंत्रण

अनुरक्षण व्यय	विविध आय
दामोदर नदी की योजनाएं 	तुलन पत्र मं अग्नेनीत किया गया
हुगली नदी की योजनाएं 	निवल व्यय
कलकत्ता बन्दरगाह की योजनाएं... ..	
सामान्य व्यय 	

IV. 31 मार्च 19 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उपरी शीर्ष और सामान्य व्यय एवं उनके आबंटन को दर्शाने वाली सरणी

व्यय	आबंटन
	रु.
क) सामान्य प्रशासन	रु.
निगम व्यय 	व्यय पूंजी खाता
सचिव का कार्यालय 	सिंचाई
वित्तीय सलाहकार का कार्यालय... ..	विद्युत
कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान ...	बाढ़ नियंत्रण

IV. 31 मार्च 19 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उपरी शीर्ष और सामान्य व्यय एवं उनके आबंटन को दर्शाने वाली सरणी

व्यय		आबंटन	
	रु.		रु.
ख) भंडार और कार्यशाला व्यय			
भंडार		
कर्मशाला	राजस्य लेखा	
		विद्युत
ग) सामान्य विकास व्ययसिंचाई		सिंचाई
वन रोपणवाढ़ नियंत्रण	वाढ़ नियंत्रण
मृदा संरक्षण		
भूमि का प्रयोग		
विस्थापित जनसंख्या			
का पुनर्वास		
कृषि विकास		
औद्योगिक विकास		
प्रयोगात्मक और			
अनुसन्धान स्टेशन		
सार्वजनिक स्वास्थ्य			
और सफाई		
आर्थिक और			
समाज कल्याण		
घ) अन्य सामान्य प्रभार			
व्याज		
मूल्य ह्रास		
कर		
लेखा परीक्षा प्रभार		

खण्ड - III
दामोदर घाटी निगम
(कार्य-संचालन)
विनियम, 1951

SECTION - III
Damodar Valley Corporation
(Conduct of Business)
Regulations, 1951

खण्ड - III

दामोदर घाटी निगम (कार्य-संचालन) विनियम, 1951

(तारीख 27 अक्टूबर 1951 के भारत के राजपत्र भाग-III खण्ड 4 में प्रकाशित तारीख
4 अक्टूबर 1951 की दामोदर घाटी निगम अधिसूचना के अनुसार)

सं. - 1 : दामोदर घाटी अधिनियम की धारा 60 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करके नियम भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है :

1. **संक्षिप्त शीर्षक** - इन विनियमों को दामोदर घाटी निगम (कार्य संचालन) विनियम, 1951 कहा जाए।
2. **परिभाषाएं** क इन विनियमों में जब तक अन्यथा बताया न जाए तब तक
 - क) “सहायक सचिव”, “अवर सचिव”, “उप सचिव”, “संपुक्त सचिव” और “अपर सचिव”**। राजस्व और व्यय से संबंधित किसी मामले पर वित्तीय सलाहकार की सलाह के बिना कोई निर्णय नहीं किया जाएगा*।
 - ख) “अध्यक्ष” का अर्थ है निगम का अध्यक्ष।
 - ग) “वित्तीय सलाहकार” का अर्थ है निगम का वित्तीय सलाहकार।
 - घ) “सचिव” का अर्थ है निगम का सचिव।
3. **कार्य संचालन** क सामान्यतः महीने में एक बार की गई निगम की एक बैठक में, या अध्यक्ष सदस्यों और वित्तीय सलाहकार के बीच संगत दस्तावेज परिचालन करके, या निगम द्वारा समय समय पर निर्धारित की गई पद्धति के अनुसार निगम का कार्य प्रबंध किया जाएगा।

बशर्ते कि निगम के संकल्प द्वारा विनिर्दिष्ट तत्काल प्रकार के मामलों में अध्यक्ष अगली या अनुक्तों बैठक में निगम के पास कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निगम की शक्तियों का प्रयोग करे।

* जैसे कि ता. 20 मई 1951 की डी वी सी अधिसूचना सं. 13 द्वारा संशोधित किया गया।

** जैसा कि ता. 13 मई 1977 की डी वी सी अधिसूचना सं. 104 द्वारा संशोधित किया गया का अर्थ है निगम द्वारा नियुक्त किए गए।

व्यय तथा राजस्व समेत किसी मामले पर अन्तिम निर्णय वित्त सलाहकार के परामर्श के बिना नहीं लिया जायेगा। *

4. *गणपूर्ति* -- निगम की किसी वैफक में कोई भी दो सदस्य गणपूर्ति पूरी करेंगे।
5. *बैठक की नोटिस* -- अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किए गए किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किसी बैठक की नोटिस साञ्चरण तथा बैठक की नोटिस साधारण तथा बैठक होने से कम से कम तीन दिन पहले प्रत्येक सदस्य और वित्तीय सलाहकार को दिया जाएगा।
6. *कार्यसूची का परिचालन* -- निगम की कार्य सूची और बैठक की कार्यवाहियों का अभिलेखा तैयार किया जाना चाहिए और उनका अनुरक्षण या तो सचिव द्वारा, अपर सचिव, संयुक्त सचिव या फिर उप सचिव द्वारा किया जाना चाहिए।

इस कार्य सूची में राजस्व और व्यय से संबंधित सभी मामलों पर वित्तीय सलाहकार के विचार शामिल होंगे। राजस्व और व्यय से संबंधित कोई भी मामला इस कार्य सूची में शामिल नहीं किया जाएगा या वित्तीय सलाहकार की पूर्व सलाह के बिना, कोई मामला निर्णय के लिए परिचालित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक मद पर विस्तार से टिप्पणी देकर इस कार्य सूची को बैठक होने से 24 घंटे पहले सदस्यों और वित्तीय सलाहकार के बीच परिचालित किया जाएगा।

7. *कार्यवृत्त* --
 1. प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त को अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा।
 2. पिछली बैठक का कार्यवृत्त इसकी पुष्टि के लिए निगम की अगली बैठक में रखा जाएगा।
8. *बैठक का सभापति* -- उपस्थित होने पर अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी सदस्य, निगम की बैठक का संचालन करेगा।
9. *बहुमत द्वारा निर्णय* -- निगम का प्रत्येक निर्णय बैठक में उपस्थित सदस्यों के मतों के बहुमत द्वारा लिखा जाएगा।
10. *निगम की गोपनीय कार्यवाहिया* -- निगम की बैठक की कार्यवाहियों को सदस्यों के अध्यक्ष की सहमति के बिना किसी भी व्यक्ति को नहीं बताया जाएगा।

* जैसे कि ता. 20 मई 1951 की डी वी सी अधिसूचना सं. 13 द्वारा संशोधित किया गया।

** जैसा कि ता. 13 मई 1977 की डी वी सी अधिसूचना सं. 104 द्वारा संशोधित किया गया का अर्थ है निगम द्वारा नियुक्त किए गए।

11. *कार्यपालक अधिकारियों की शक्तियां* -- निगम अपने कारोवार और कार्यों के संबंध में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने कार्यों और कारोवार के उचित निष्पादन के लिए कोई भी आवश्यक कार्य को करने के लिए प्राधिकृत या आदेश दे सकता है।

12. *आदेशों का प्रामाणीकरण* --

- 1) निगम के नाम से जारी किए गए आदेशों और अन्य दस्तावेजों को सचिव “सहायक सचिव”, “अपर सचिव”, “उप सचिव”, “संयुक्त सचिव” और “अपर सचिव” या सहायक सचिव के हस्ताक्षरों द्वारा अभिप्रमाणित किया जाएगा।
- 2) निगम की ओर से की गई सभी प्रकार की संविदाओं और प्रत्याभूतियों का सचिव** “सहायक सचिव”, “अपर सचिव”, “उप सचिव”, “संयुक्त सचिव” और “अपर सचिव” के जरिए या किसी अन्य ऐसे अधिकारी के जरिए निगम की ओर से निष्पादन किया जाएगा गैसा कि उस संबंध में किसी विशेष मामले में निगम द्वारा प्राधिकृत किया गया हो।

बशर्ते कि सम्पत्ति की संविदाएं ओर प्रस्ताभूमियां जिनके संबंध में निगम द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निविदायें और प्रस्ताव उस ओर से ऐसे अधिकारी द्वारा निगम की ओर से निष्पादित किए गये हों।*

* जैसे कि ता. 20 मई 1951 की डी वी सी अधिसूचना सं. 13 द्वारा संशोधित किया गया।

** जैसे कि ता. 13 मई 1977 की डी वी सी अधिसूचना सं. 104 द्वारा संशोधित किया गया का अर्थ है निगम द्वारा नियुक्त किए गए।

खण्ड - IV
दामोदर घाटी निगम
सेवा (आचरण) विनियम, 1955

SECTION - IV
Damodar Valley Corporation
Service (Conduct) Regulation, 1955

खण्ड - IV

दामोदर घाटी निगम सेवा (आचरण) विनियम, 1955*

(तारीख 28 जुलाई 1956 के डी वी सी की अधिसूचना सं. 4 के अनुसार)

सं. - 4 : दामोदर घाटी अधिनियम की धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निगम केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से निम्नलिखित विनियम तैयार करता है :-

1. **संक्षिप्त नाम और अनुप्रयोग** -- (1) इन विनियमों को दामोदर घाटी निगम सेवा (आचरण) विनियम, 1955 कहा जाए।

(2) ये विनियम दामोदर घाटी निगम में किसी पद पर नियुक्त हुए सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे जब तक कि अन्यथा इन विनियमों द्वारा या इसके अन्तर्गत कोई प्रावधान न किया जाए परन्तु इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है जो निगम के सचिव या वित्तीय सलाहकार या उस पर लागू हो जो दामोदर घाटी निगम में विदेश-सेवा में हो।
2. **परिभाषाएं** -- जब तक इस सन्दर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो तब तक इन विनियमों में
क) “निगम” का अर्थ है दामोदर घाटी निगम
ख) कर्मचारी का अर्थ है ऐसा कोई व्यक्ति जो निगम में किसी पद पर नियुक्ति किया गया हो चाहे वह नियमित हो या कार्य-प्रभारित स्थापना और कोई दैनिक वेतन कर्मचारी।
ग) किसी कर्मचारी के मामले में ‘परिवार के सदस्यों’ में निम्नलिखित शामिल है
 - (i) ऐसे कर्मचारी के पत्नी, वच्चा या सौतेला वच्चा चाहे उसके साथ रहता हो या नहीं और किसी महिला कर्मचारी के मामले में उसके साथ रहने वाला और उस पर आश्रित पति; और

* केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली 1964 के आधार पर डी वी सी (आवरण) विनियम 1955 का संशोधन विदाराधीन है।

(ii) ऐसा अन्य व्यक्ति जो कर्मचारी या कर्मचारी की पत्नी या पति से रक्त या विवाह से संबंधित हो और वह ऐसे कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हो परन्तु इसमें ऐसी पत्नी या कर्मचारी से कानूनी तौर पर अलग हुए पत्नी या पति या ऐसा वच्चा या सौतला वच्चा शामिल नहीं है जो अब किसी भी तरह उस पर आश्रित नहीं है या कानून द्वारा जिसकी अभिरक्षा से कर्मचारी वंचित हो।

3. सामान्य -- प्रत्येक कर्मचारी हर समय अपनी ड्यूटी के प्रति ईमानदार और निष्ठावान रहेगा।

4. राजनीति और चुनाव में भाग लेना --

- (1) कोई कर्मचारी न तो किसी राजनीतिक दल या ऐसे किसी संगठन का सदस्य होगा जो राजनीति में भाग लेता हो और न किसी राजनीतिक आंदोलन या गतिविधि-में किसी भी प्रकार से सहायता या सहयोग देगा।
- (2) प्रत्येक कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने परिवार के किसी भी सदस्य को किसी ऐसे आन्दोलन या गतिविधि में किसी भी प्रकार से सहायता करने या सहयोग करने से रोके जिससे यह निश्चय किया गया हो कि यह आन्दोलन प्रत्यक्ष रूप से सरकार के प्रति हानिकारक है और जहाँ पर कोई कर्मचारी अपने परिवार के किसी सदस्य को ऐसे आन्दोलन या गतिविधि में सहयोग देने या सहायता पहुँचाने में रोकने में असमर्थ रहता है तो वह उसकी सूचना निगम को देगा।
- (3) यदि कोई इस प्रकार का प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कोई आन्दोलन या गतिविधि इस विनियम के क्षेत्र में है तो निगम का निर्णय अन्तिम होगा।
- (4) कोई भी कर्मचारी किसी विधान सभा या स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव में भाग नहीं लेगा या हस्तक्षेप नहीं करेगा या इस संबंध में अपने प्रभाव का प्रयोग नहीं करेगा।

वशर्ते कि --

- (i) कोई कर्मचारी ऐसे चुनाव में अपना वोट देने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करे किन्तु जहाँ पर वह ऐसा करता है तो वह दिए जाने वाले वोट या दिए गए वोट का कोई रंकेत नहीं देगा।
- (ii) किसी कर्मचारी को केवल इस कारण से इस विनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला नहीं माना जाएगा कि वह अपनी सौपी गई ड्यूटी करने के दौरान या उस समय लागू होने वाले कानून के अन्तर्गत किसी चुनाव के संचालन में कोई सहायता करता है।

(iii) निगम किसी कर्मचारी को किसी स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के लिए एक उम्मीदवार के रूपमें शामिल होने की अनुमति दे सकता है और वह कर्मचारी जिसे ऐसी अनुमति दी गई हो उस विनियम का उल्लंघन करने वाला नहीं माना जाएगा।

स्पष्टीकरण -- किसी कर्मचारी द्वारा निजी रूप से अपने वाहन या अपने घर पर किसी प्रकार के चुनाव चिह्न को दर्शाना इस विनियम के अर्थ में किसी चुनाव के लिए अपने प्रभाव का प्रयोग माना जाएगा।

5. प्रेस या रेडियों के साथ संबंध --

(i) निगम की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी कर्मचारी किसी समाचार पत्र या अन्य आवधिक प्रकाशन का पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से संचालन नहीं करेगा या सम्पादन में भागीदार नहीं होगा।

(ii) कोई कर्मचारी निगम या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति या अपने कर्तव्य के वास्तविक निर्वहन के बगैर किसी रेडियो प्रसारण में भाग नहीं लेगा या किसी समाचार पत्र या आवधिक पत्रिकाओं में छद्म नाम या अपने नाम या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से कोई लेख या पत्र नहीं लिखेगा। परन्तु प्रसारण या ऐसा सहयोग पूर्णतथा साहित्यिक या कलात्मक या विज्ञान से संबंधित होने पर ऐसी स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी।

6. सरकार और/या निगम की आलोचना क कोई कर्मचारी किसी रेडियों प्रसारण या गुमनाम के तौर पर या उसके नाम में या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में प्रकाशित किसी दस्तावेज में या प्रेस को दी गई किसी सूचना या किसी सार्वजनिक अभिव्यक्ति में तथ्य या मत से संबंधित ऐसा कोई बयान नहीं देगा जिससे

(i) केन्द्रीय या राज्य सरकार या निगम की किसी चालू या प्रचलित नीति या कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या

(ii) निगम और केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के बीच के संबंधों में बाधा पहुँचती हो।

परन्तु इस विनियम में एसी कोई बात नहीं है जो किसी कर्मचारी द्वारा उसके सरकारी हैसियत में या उसे सुपुर्द दिए गए कार्यों के उचित निष्पादन में किसी दिए गए वयान या व्यक्त किए गए विचार पर लागू हो।

7. *समिति या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष साक्ष्य --*

- (1) अनुच्छेद (3) के प्रावधानों के अनुसार निगम की पूर्व स्वीकृति वाले मामले की छोड़कर कोई भी कर्मचारी किसी व्यक्ति, समिति या प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली किसी जाँच के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं देगा।
- (2) जहाँ पर अनुच्छेद (1) के अन्तर्गत कोई स्वीकृति दी गई हो वहाँ पर ऐसा साक्ष्य देने वाला कोई भी कर्मचारी केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार या निगम की किसी नीति या कार्रवाई की आलोचना नहीं करेगा।
- (3) इस विनियम का कोई भी प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा
 - (क) सरकार द्वारा, संसद द्वारा या किसी राज्य विधान सभा द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी के सामने किसी जाँच में दिया गया साक्ष्य;
 - (ख) किसी न्यायिक जाँच में दिया गया साक्ष्य; या
 - (ग) नियम द्वारा या निगम के अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा किए गए आदेश से किसी विभागीय जाँच में दिया गया साक्ष्य;

8. *सूचना का अप्राधिकृत रूप से दिया जाना --* निगम के सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार या कर्मचारी को सौंपी गई द्यूटियों के विश्वास के साथ निष्पादन करने के मामलों को छोड़कर, कोई भी कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से किसी ऐसे कर्मचारी या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को किसी सरकारी दस्तावेज या सूचना नहीं देगा जिसे वह ऐसे दस्तावेज या सूचना को देने के लिए प्राधिकृत न हो।

9. *अंशदान --* निगम या ऐसे प्राधिकारी जिसे निगम की ओर से शक्ति प्रदान की गई हो, की पूर्व स्वीकृति वाले मामलों को छोड़कर कोई भी कर्मचारी किसी भी निधि में स्वयं अंशदान नहीं करेगा।

10. *उपहार --*

- (1) इस विनियम में अन्यथा प्रावधान न किया जाए निगम की पूर्व स्वीकृति के बिना, कोई भी कर्मचारी अपनी पत्नी या परिवार के किसी सदस्य को नगण्य मूल्य से अधिक के किसी उपहार को स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा :

वर्षों कि मामले की सभी परिस्थितियों में उचित मूल्य के उपहार संबंधियों और निजी मित्रों से स्वीकार किए जाए या शादी, वसगांठ अन्त्येष्टि और धार्मिक त्योहारों को अवसरों पर भेंट किए जाते हैं। जब ऐसे उपहार देना या लेना मौजूदा धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार हो तो नगण्य मूल्य से भिन्न ऐसे उपहारों को जानकारी निगम को देनी और ऐसे उपहारों का निपटान उस प्रकार से किया जाएगा जैसा कि निगम निर्देश दे।

स्पष्टीकरण -- इस विनियम के प्रयोजन के लिए कोई खुरपी, जाभी या उसी प्रकार की कोई वास्तु किसी कर्मचारी को नीव रखने समय या सार्वजनिक भवन का उद्घाटन करते समय या किसी अन्य समारोह में प्रदान की गई तो उसे उपहार माना जाएगा।

- (2) यदि कोई प्रश्न इस प्रकार का उत्पन्न होता है कि कोई उपहार नगण्य मूल्य का है या नहीं या जहाँ पर किसी कर्मचारी को किसी प्रकार का शक हो जाता है कि उसे प्रदान किया गया उपहार नगण्य मूल्य का है या नहीं तो उस संबंध में ऐसे कर्मचारी द्वारा निगम के पास एक सन्दर्भ प्रस्तुत किया जाएगा और निगम का निर्णय ही अन्तिम होगा।

स्पष्टीकरण - कोई उपहार नगण्य मूल्य का है या नहीं है, यह बात उपहार दाता और उन परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं जिनमें उपहार दिया गया है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो कर्मचारी का न तो मित्र है और न ही संबंधी है और वह ऐसा उपहार प्रदान करता है जो कर्मचारी की मासिक परिलब्धियों के 1/20 वे भाग या 20 रु. (जो भी कम हो) तक का हो तो इसको नगण्य मूल्य माना जाएगा। कर्मचारी की मासिक परिलब्धियों के 1/8 वे भाग या 50 रु. जो भी कम हो या कर्मचारी की ऐसी परिलब्धियों के आधे के बराबर या 200 रु. जो भी कम हो का उपहार कर्मचारी के संबंधियों या निजी मित्रों द्वारा यदि खंड (1) में दर्शाए गए परचुक के अनुसार दिए जाते हैं तो उन्हें नगण्य मूल्य के उपहार ही माना जाएगा।

- (3) इस विनियम में ऐसा कुछ नहीं है जिससे किसी सार्वजनिक निकाय में किसी पोर्ट्रेट आवक्ष प्रतिमा या ऐसी स्टैच्यू से कर्मचारी को वंचित रहना पड़े जो उसे देने के प्रयोजनार्थ न दो।

11. कर्मचारी के सम्मान में जन-सभा --

निगम की पूर्व स्वीकृति के बिना, कोई कर्मचारी अपने सम्मान या निगम के किसी अन्य कर्मचारी के सम्मान में आयोजित किसी मनोरंजन सभा के संवोधन में किसी प्रकार के सम्मानार्थ या उपहार प्रामाण-पत्र को स्वीकार नहीं करेगा।

परन्तु उस विनियम में निम्नलिखित बातें शामिल न हों

- (i) किसी कर्मचारी या व्यक्ति की सेवा निवृत्ति या स्थानान्तरण के अवसर पर उसके सम्मान में आयोजित किया गया कोई विदाई समारोह, कार्यक्रम या
- (ii) सार्वजनिक निकायों या संस्थानों द्वारा आयोजित साधारण और सस्ते मनोरंजन कार्यक्रम।

12. निजी व्यापार या रोजगार --

- (1) निगम की पूर्व अनुमति के बिना कोई कर्मचारी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई कारोबार या किसी प्रकार का रोजगार नहीं करेगा :

परन्तु कोई कर्मचारी ऐसी स्वीकृति के बिना, सामाजिक या धर्मार्थ प्रकृति का या साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकृति का अनियत कार्य कर सकता है कि उससे उस सरकारी ड्यूटी पर बाधा न आती है। किन्तु यदि निगम ऐसे कार्यों को रोकने के लिए निर्देश देता है तो उसे अपने ऐसे कार्य रोकने पड़ेगे।

स्पष्टीकरण क अपनी पत्नी या परिवार के किसी अन्य सदस्य के स्वामित्व या प्रबन्धन के बीमा एजेंसी या कमीशन एजेंसी के कार्य के पक्ष में किसी कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले प्रचार को उस विनियम का उल्लंघन माना जाएगा।

- (2) निगम की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी कर्मचारी किसी बैंक या भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) या फिलहाल में प्रचलित किसी अन्य विधि के अन्तर्गत यंत्रीकृत किसी अन्य कम्पनी के पंजीकरण, प्रोत्साहन या प्रबन्ध में भाग नहीं लेगा।

किन्तु कोई कर्मचारी सहकारी समिति अधिनियम 1912 (1912 का II) या प्रचलन में किसी अन्य विधि के अन्तर्गत पंजीकृत किसी सहकारी समिति या समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 (1860 का XX1) या प्रचलन में किसी इसी प्रकार के कानून के अन्तर्गत पंजीकृत साहित्यिक, वैज्ञानिक या धर्मार्थ समिति के पंजीकरण, प्रोत्साहन या प्रबन्ध में भाग ले सकता है।

13. निवेश, उच्चर देना और उधार लेना --

- (1) कोई कर्मचारी किसी प्रकार का निवेश नहीं करेगा।

- (2) कोई कर्मचारी अपनी पत्नी या परिवार के किसी सदस्य को कोई ऐसा निवेश करने की अनुमति नहीं देगा जिससे उसके सरकारी ड्यूटी करने पर प्रभाव पड़ता है।
स्पष्टीकरण -- किसी विख्याती घटाव-बढ़ाव मूल्य की प्रतिभूतियों की स्वाभाविक खरीद या बिक्री को इस उपबन्ध के अर्थ में निवेशों में सट्टेबाजी होना माना जाएगा।
- (3) यदि यह प्रश्न हो कि अन्य प्रतिभूति या निवेश उपबन्ध (1) या उपबन्ध (2) में दर्शाए गए प्रकार का है तो निगम का निर्णय अन्तिम होगा।
- (4) कोई कर्मचारी निगम की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी व्यक्ति को व्याज पर धन उधार नहीं देगा।
- (5) कोई कर्मचारी किसी बैंक या स्थायी फर्म के साथ साधारण कारोबार के दौरान बचत नहीं करेगा, धन उधार नहीं लेगा या अन्यथा अपने प्राधिकार की स्थानीय सीमाओं में किसी ऐसे व्यक्ति का धन संबंधी आधार नहीं लेगा जिससे उसका सरकारी लेन-देन की संभावना हो और निगम की पूर्व सूचना के बिना अपने परिवार के किसी सदस्य को ऐसे लेन-देन में शामिल होने की अनुमति नहीं देगा।
किन्तु कोई कर्मचारी अपने निजी मित्र या संबंधी से बिना व्याज के थोड़ी राशिका ऋण पूर्णतया अस्थायी प्राप्त कर सकता है या किसी वास्तविक व्यापारी के साथ उधार खाता रख सकता है।
- (6) जब कोई कर्मचारी किसी ऐसे पद पर नियुक्त किया जाता है या पद उस पर उसका स्थानान्तरण हो जाता है जिससे कर्मचारी द्वारा उपबन्ध (4) या उपबन्ध (5) का उल्लंघन होता है तो वह तुरन्त ही परिस्थितियों के संबंध में निगम को सूचना देगा और ऐसे आदेशों के अनुसार कार्य करेगा जैसे कि निगम द्वारा पारित किए जाएं।

14. *दिवालियापन और स्वाभाविक ऋणग्रस्तता --*

कोई कर्मचारी इस प्रकार की व्यवस्था करेगा ताकि वह आदत्त ऋणग्रस्तता और दिवालियापन से बच सके। ऐसा कर्मचारी जो दिवालियापन के लिए किसी कानूनी कार्रवाई का विषय ही बन जाता है उसको पूरे तथ्य तुरन्त ही निगम को बताने होंगे।

15. *चल, अचल और मूल्यवान सम्पत्ति --*

- (1) निर्धारित प्राधिकारी की बिना पूर्व जानकारी के, कोई कर्मचारी किसी अचल सम्पत्ति का पट्टा नहीं करेगा, उसे बन्धक, उसे बन्धक नहीं करेगा, उसकी खरीद, बिक्री नहीं करेगा उसका अर्जन

या निपाटन या उपहार नहीं देगा चाहे यह उसके नाम या परिचय के किसी सदस्य के नाम पर हो।

किन्तु, यदि ऐसा लेन-देन किसी नियमित या विख्यात व्यापारी के माध्यम से किया जाता है तो इसके लिए निर्धारित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।

स्पष्टीकरण -- इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्राधिकारी निम्न होंगे

- (i) सभी ग्रेड I के कर्मचारियों के मामले में निगम
 - (ii) सभी ग्रेड II के कर्मचारियों के मामले में विभागाध्यक्ष और
 - (iii) ग्रेड III के कर्मचारियों के मामले में कार्यालयाध्यक्ष
- (2) जो कर्मचारी एक हजार रुपए के मूल्य से अधिक की किसी चल सम्पत्ति के किसी लेन-देन से संबंधित हो चाहे खरीद हो बिक्री हो या अन्य प्रकार से हो तो वह ऐसे लेन-देन के संबंध में निर्धारित प्राधिकारी को सूचित करेगा।

किन्तु कोई कर्मचारी निर्धारित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी नियमित या विख्यात व्यापारी के जरिए ऐसी सम्पत्ति के लेन-देन में शामिल नहीं होगा।

स्पष्टीकरण -- इस विनियम के प्रयोजन के लिए अन्य बातों के साथ साथ चल सम्पत्ति में निम्नलिखित सम्पत्ति शामिल होगी अर्थात्

- क) जेवरात, बीमा पॉलिसियां, शेयर, प्रतिभूतिया और डिवेचर;
 - ख) ऐसे कर्मचारियों द्वारा लिए गए ऋण चाहे वीमा-कृत हो या न हो;
 - ग) मोटर कार, मोटर माइकिल, घोड़े या सवारी के अन्य साधन; और
 - घ) रैफ्रीजरेटर, रेडियों और रेडियोग्राम।
- (3) प्रत्येक ग्रेड I और ग्रेड II कर्मचारी निगम में प्रथम नियुक्ति के समय और इसके बाद प्रत्येक बारह माह के अन्तराल पर ऐसे फॉर्म में सभी प्रकार की चल सम्पत्ति जो कि उसने अर्जित की हो या उसने पट्टे पर ली हो या बन्धक रखी हो चाहे यह उसके नाम पर हो या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर हो तो किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर हो, की एक विवरणी प्रस्तुत करेगा जैसा कि निगम इस संबंध में निर्धारित करे।

(4) निगम या इसकी ओर से प्रदान की गई शक्तियों वाला कोई प्राधिकारी अपने किसी सामान्य या विशेष आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी सामान्य या विशेष आदेश के जरिए कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य के कब्जे में या उसके द्वारा अर्जित की गई चल या अचल सम्पत्ति के संबंध में पूर्व विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहेगा। यदि ऐसा विवरण निगम या शक्ति प्रदान किए गए प्राधिकारी द्वारा मांगा जाता है तो इसने उन साधनों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए जिनसे इस सम्पत्ति को अर्जित किया गया है।

16. निगम के कर्मचारी के कार्यों और वरिष्ठ का दोष निवारण --

निगम की पूर्व स्वीकृति के बिना, कोई कर्मचारी किसी ऐसे सरकारी कार्य के दोष निवारण के लिए किसी न्यायालय या प्रेस की शरण में नहीं जाएगा जिससे विपरीत आलोचना होती है या जिससे मानहानि होती है।

17. गैर-सरकारी या अन्य बाहरी प्रभावों का प्रचार --

निगम में अपनी सेवा के मामलों के संबंध में अपने हितों की रक्षा के लिए कोई कर्मचारी अपने उच्च प्राधिकारी पर किसी प्रकार का राजनैतिक या बाहरी दबाव डालने का प्रयास नहीं करेगा।

18. द्वि-विवाह --

(1) कोई कर्मचारी ऐसे किसी व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह से संबंधित कोई करार नहीं करेगा/करेगी जिसके एक जीवित पति व पत्नी हो।

(2) ऐसा कर्मचारी किसी व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह से संबंधित करार नहीं करेगा/करेगी जिसे एक जीवित पति या पत्नी हो।

किन्तु यदि निगम बातों से सन्तुष्ट हो जाए तो वह उपबंध (i) वा उपबंध (ii) के सन्दर्भ के अनुसार किसी कर्मचारी को द्वि-विवाह की अनुमति दे सकता है।

क) ऐसा विवाह ऐसे कर्मचारी और अन्य पक्ष को विवाह करने के लिए लागू होने वाली स्वीय विधि के अन्तर्गत अनुमेय हो, और

ख) ऐसा करने के लिए अन्य आधार हो।

19. निर्वचन -- यदि इन विनियमों के निर्वचन के संबंध में किसी प्रकार का प्रश्न उत्पन्न होता है तो ऐसे मामलों को निगम के पास भेजा जाएगा और निगम का निर्णय ही अन्तिम होगा।

* जैसे कि डी बी सी के ता. 6 जून 1969 की अधिसूचना सं. 73 में प्रतिस्थापित किया गया।

20. शक्तियों का प्रत्यायोजन --

निगम अपने सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा यह निर्देश दे सकता है कि इसके द्वारा या विभागाध्यक्ष द्वारा इन विनियमों (इन विनियमों के विनियम 19 के अन्तर्गत शक्तियों को छोड़कर) के अन्तर्गत यदि कोई प्रयोज्य कोई शक्ति हो तो वह इस प्रकार की होगी जैसे कि आदेश में विनिर्दिष्ट हो और वह उस आधिकारी द्वारा भी प्रयोज्य होगी जिसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया हो।

21. निरस्त और व्यावृत्ति --

इन विनियमों के आरम्भ होने से तुरन्त पहले लागू होने वाले ऐसे किसी आदेश को निरस्त किया जाता है जिससे किसी कर्मचारी का आचरण विनियमित किया जाता है।

20. शक्तियों का प्रत्यायोजन --

निगम अपने सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा यह निर्देश दे सकता है कि इसके द्वारा या विभागाध्यक्ष द्वारा इन विनियमों (इन विनियमों के विनियम 19 के अन्तर्गत शक्तियों को छोड़कर) के अन्तर्गत यदि कोई प्रयोज्य कोई शक्ति हो तो वह इस प्रकार की होगी जैसे कि आदेश में विनिर्दिष्ट हो और वह उस आधिकारी द्वारा भी प्रयोज्य होगी जिसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया हो।

21. निरस्त और व्यावृत्ति --

इन विनियमों के आरम्भ होने से तुरन्त पहले लागू होने वाले ऐसे किसी आदेश को निरस्त किया जाता है जिससे किसी कर्मचारी का आचरण विनियमित किया जाता है।

खण्ड - V

दामोदर घाटी निगम

सेवा विनियम

(28 जनवरी 1957 का दामोदर घाटी परियोजना
अधिसूचना सं. 5 के अनुसार)

SECTION - IV

Damodar Valley Corporation

Service Regulations

(Vide Damodar Valley Corporation Notification
No. 5 dated the 28th January, 1957)

दामोदर घाटी निगम विनियम

(28 जनवरी 1957 का दामोदर घाटी परियोजना अधिसूचना सं. 5 के अनुसार)

दामोदर घाटी निगम के कर्मचारियों की सेवा, वेतन, भत्तों, अनुशासन, आवरण और सेवा निवृत्तीय लाभों की अपेक्षाओं और शर्तों के संबंध में विनियम।

सं. - 5 : दामोदर घाटी अधिनियम 1948 (1948 का XIV) की धारा 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग से केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से निगम कर्मचारियों की सेवा, वेतन, भत्तों, अनुशासन, आचरण और सेवा निवृत्तीय लाभों की अपेक्षाओं और शर्तों के संबंध में तदनुसार निम्नलिखित विनियम बनाता है।

I. अनुप्रयोग की सीमा, सेवाओं का वर्गीकरण और भर्ती की विधि

विनियम 1 : (1) उन विनियमों को दामोदर घाटी निगम सेवा विनियम कहा जाए।

(2) उनको 7 जुलाई, 1948 से प्रभावी माना जाएगा परन्तु इन विनियमों से पहले निपटाए गए मामलों पर पुनः विचार नहीं किया जाएगा।

विनियम 2 : इन विनियमों में जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात असंगत न हो तब तक :

- (1) “लेखा अधिकारी” का अर्थ है निगम का मुख्य लेखा अधिकारी या उस समय तक जब तक मुख्य लेखा अधिकारी की नियुक्ति की जाती है।*
- (2) “अध्यक्ष” का अर्थ है निगम का अध्यक्ष
- (3) “अनुपूरक भत्ते” का अर्थ है उन परिस्थितियों में आवश्यक निजी व्यय को पूरा करने के लिए स्वीकृत कोई भत्ता शामिल है किन्तु इसमें न्याय संबंधी व्यय भत्ता या समूह द्वारा मुफ्त देशान्तर या भारत से बाहर किसी स्थान से कोई अनुदान शामिल नहीं है।

* निगम 1 चून 1956 से मुख्य अधिकारी की नियुक्ति की गई है, का वरिष्ठ लेखा अधिकारी

- (4) “निगम” का अर्थ है दामोदर घाटी निगम।
- (5) “दिवस” का अर्थ है, एक कलेंडर दिवस जो कि अर्धरात्रि से आरम्भ होकर अर्धरात्रि तक समाप्त हो : परन्तु मुख्यालय से ऐसी अनुपस्थिति जो चौबीस घंटे से अधिक न हो उसे अनुपस्थिति के आरम्भ से लेकर समाप्ति तक सेवा के सभी प्रयोजनों के लिए एक दिवस के रूप में गणना की जाएगी।
- (6) “कार्मिक निर्देशक” का अर्थ है निगम का कार्मिक निर्देशक।
- (7) “कर्मचारी” का अर्थ है निगम का ऐसा कर्मचारी जो अनियत कर्मचारी या निर्धारित कर्म स्ताना का कोई सदस्य या दामोदर घाटी निगम कोयला खान का ऐसा कोई कर्मचारी न हो जो विनियम 7 में दी गई श्रेणी से संबंधित हो या ऐसा कोई व्यक्ति न हो जिसे आकस्मिक व्यय से भुगतान प्राप्त होता है।‡
- (8) विनियम 60 से 70 को छोड़कर इन विनियमों के प्रयोजनार्थ परिवार का अर्थ है यथास्थिति कर्मचारी की/का ऐसी पत्नी या ऐसी पति जो कर्मचारी के साथ रहता/रहती हो और कर्मचारी पर पूर्णतः निर्भर रहने वाले ऐसे वैध वच्चे वौर सौतेले वच्चे जो कर्मचारी के साथ रहते हो और विनियम 54 से 57 के प्रयोजनों को छोड़ कर इसमें कर्मचारी के ऐसे माता पिता और नावालिग भाई जो कर्मचारी पर पूर्णत आश्रित हो और उसके साथ रहते हों।

- टिप्पणी --
- (1) यदि कर्मचारी की एक से अधिक पत्नियाँ हो तो केवल एक पत्नी को ही “परिवार” के अर्थ में शामिल किया जाएगा।
- (2)* किसी दत्तक वच्चे को एक वैध वच्चे के रूप में माना जाएगा यदि उसे कर्मचारी की स्वीय विधि के अन्तर्गत गोद लिया गया हो और यह अंगीकरण ऐसी विधिवत् मान्यता प्राप्त हो जिससे वास्तविक वच्चे का दर्जा मिलता है।
- (9) “वित्तीय सलाहकारस” का अर्थ है निगम का वित्तीय सलाहकार।

‡ जैसा कि डी वी सी की तां. 5 अप्रैल 1960 की अधिसूचना सं. 19 द्वारा प्रतिस्थापित हो।

* जैसा डी वी सी की तां. 10 अप्रैल 1964 की अधिसूचना सं. 52 द्वारा प्रतिस्थापित हो।

- (10) “विभागाध्यक्ष” का अर्थ है परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी और अन्य ऐसा कोई प्राधिकारी जिसको निगम आदेश द्वारा इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए विभागाध्यक्ष होने के लिए घोषित करें।

टिप्पणी -- वित्तीय सलाहकार के प्रहासकीय नियंत्रण वाले स्टाफ के संबंध यह प्रावधान है कि यह विभागाध्यक्ष की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और इस प्रकार से कार्यरत स्टाफ के किसी सदस्य के संबंध में निगम या निगम के अधीन किसी कर्मचारी के विरुद्ध निगम के परामर्श के बिना कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

- (11) “पुनर्ग्रहणाधिकार” का अर्थ है किसी कर्मचारी द्वारा किसी अवधि या अवधियों की समाप्ति होने पर तुरंत से किसी ऐसे स्थायी नद को स्वाफल रूप से अपनी अनुपस्थिति की समाप्ति पर पुनः ग्रहण करना जिस पर उसकी नियुक्ति हुई हो।

- (12) “सदस्य” का अर्थ है निगम का कोई सदस्य जिसमें अध्यक्ष शामिल नहीं है।

- (13) “स्थानापत्र” रूप में काम करने का अर्थ है कोई कर्मचारी किसी ऐसे पद पर कार्य करता है तब वह किसी ऐसे पद की ड्यूटी करता है जिस पर किसी अन्य व्यक्ति का पुनर्ग्रहणाधिकार हो जिस अधिकार को ऐसे पर मूल नियुक्ति करने की शक्ति हो वही किसी व्यक्ति को ऐसे रिक्त पद पर स्थानापत्र रूप से काम करने के लिए नियुक्त कर सकता है जिस पर किसी अन्य व्यक्ति का पुनर्ग्रहणाधिकार न हो।

- (14) “वेतन” का अर्थ है किसी कर्मचारी द्वारा मासिक रूप से आहरित की जाने वाली राशि -

क) विशेष वेतन उसकी निजी योग्यताओं की दृष्टि से स्वीकृत वेतन को छोड़कर वेतन वह होता है जो उसे मूल रूप से या स्थानापत्र रूप से ऐसे किसी पद के लिए स्वीकृत किया जाता है जिसके लिए वह संवर्ग में अपनी स्थिति के अनुसार पात्र हो जिसमें :

ख) समुद्र पार वेतन, तकनीकी वेतन, विशेष वेतन, निजीवेतन और

ग) कोई ऐसी अन्य नरिलब्धियां जो निगम द्वारा वेतन के रूप में विशेष रूप से वर्गीकृत किया गया हो।

- (15) “निजीवेतन” का अर्थ है किसी कर्मचारी की स्वीकृत अतिरिक्त वेतन जो :

क) वेतन के संशोधन के कारण से भिन्न किसी स्थायी पद के संबंध में मूल पद वेतन की हानि से बचाने या अन्य किसी कारण से ऐसे मूल पद वेतन में

आने वाली किसी प्रकार की कमी को वचाने के लिए प्रदान किया जाता है या

ख) जो अन्य निजी विचार से विशेष परिस्थितियों में प्रदान किया जाता है।

(16) “सचिव” का अर्थ है निगम* का सचिव

(17) “विशेष वेतन” का अर्थ है ऐसा वेतन जो वेतन के अतिरिक्त या किसी पद के लिए परिलब्धियों के अतिरिक्त किसी कर्मचारी को स्वीकृत किया जाता है।

क) ड्यूटी के प्रकार के लिए विशेष रूप से प्रदान किया जाता है; या

ख) किसी कार्य या दायित्व के लिए विशिष्ट अतिरिक्त वेतन जिसमें प्राइवेट प्रैक्टिस के बदले में डाक्टरों को स्वीकृत किया जाने वाला प्रैक्टिसवन्दी भत्ता भी शामिल है।**

(18) “निर्वाह-भत्ता” का अर्थ है किसी ऐसे कर्मचारी को एक मासिक अनुदान जिसे वेतन अथवा छुट्टी का वेतन नहीं मिल रहा है।

(19) “यात्रा-भत्ता” का अर्थ है किसी ऐसे व्यय को पूरा करने के लिए दिया जाने वाला कोई भत्ता जो निगम के हित में व्यय किया गया हो। इसमें वाहनों, मकानों और टेंटों का अनुरक्षण शामिल है।

विनियम 3 -- ये विनियम ऐसे सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं जिनकी सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निगम सक्षम है। ये विनियम एक औपचारिक संविदा निष्पादित करने वाले व्यक्तियों और संविदा के अन्तर्गत नहीं आने वाले किसी मामले में तभी लागू होंगे जब वे संविदा के किसी प्रावधान के साथ असंगत न हों। ऐसे कर्मचारी जिन पर कारखाना अधिनियम 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 और औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम 1953 लागू होते हैं वे इन अधिनियमों और संबंधित स्थायी आदेशों के प्रावधानों के अनुसार इन विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे।

विनियम 4 -- इन विनियमों में से किसी के लागू होने के अर्थ और विस्तार के संबंध में किसी प्रकार के संदेह की स्थिति में निगम का निर्णय ही अन्तिम होगा।

* भारत सरकार सिचाई और विद्युत मंत्रालय के तारीख 8 जून 1959 के पत्र सं. 24/1/ डी वी सी/59 के द्वारा सचिव का पद “महाप्रबन्धक एवं सचिव” के पद में परिवर्तित कर दिया गया है।

** जैसा कि 15 फरवरी 1963 की डी वी सी अधिसूचना सं. 47 द्वारा संशोधित किया गया।

विनियम 5 -- यदि निगम इस बात से सन्तुष्ट हो जाता है कि किसी मामले की विशेष परिस्थितियों में इन विनियमों के किसी प्रावधान में छूट देना अनिवार्य या उचित हो जो वह लिखित रूप के उन विशेष परिस्थितियों का उल्लेख करने के बाद छूट दे सकता है।

विनियम 6 -- कोई ऐसा मामला जिसे इन विनियमों में नहीं दिया गया है इन विनियमों में अपेक्षित प्रावधान बनने तक ऐसे मामलों के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए नियमों और आदेशों के अनुसार इन पर कार्रवाई की जाएगी और एसी प्रकार इनका निपटान जाएगा।

सेवाओं का वर्गीकरण

*विनियम 7 -- निगम के अधीन सेवाओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाएगा।

समूह क 1000/- रु. प्रातमाह वेतनवाले पद या अधिकतम वेतन यदि वह किसी समय मान में है।

समूह ख समूह 'क' से भिन्न वेतन वाले ऐसे पद जिनका वेतन 3101/- रु. प्रतिमाह से अधिक हो या अधिकतम वेतन यदि यह किसी समय-मान में है।

समूह ग ऐसे पद जिनका प्रतिमाह अधिकतम वेतन 310/- रु. से अधिक नहीं है।

बशर्ते कि निगम इस पद के साथ सम्बद्ध वेतन का ध्यान किए बिना पद के प्रकार और ड्यूटियों के अनुसार किसी समूह में पदों के किसी पद या समूह में किसी पद को शामिल करे।

विनियम 8 -- केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा ऐसे स्टाफ को छोड़कर जिसकी नियुक्ति नियत अवधि के लिए की जाती है, श्रेणी I स्टाफ से इस रूप में किसी संविदा के निष्पादन की अपेक्षा की जा सकती है जैसा कि निगम द्वारा निर्धारित किया जाए।

II - भर्ती की विधि

विनियम 9 -- निगम की सेवाओं के लिए भर्ती निम्न प्रकार से की जाएगी :

क) सीधी नियुक्ति, या

ख) निगम की सेवा में पहले से ही कार्यरत व्यक्ति की पदोन्नति या

ग) सरकारों से उधार लेकर

** जैसा कि तारीख 28 जनवरी 1977 की डी वी सी अधिसूचना सं. 102 के अनुसार प्रतिस्थापित।

विनियम 10 --

- (1) श्रेणी के सेवा वाले पदों की नियुक्तियों सेवा
- (2) निगम द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अन्य सेवाओं में पदों के लिए नियुक्तिया यथास्थिति उप विनियम (3) के खंड (I) या खंड (II) के अन्तर्गत गठित चयन बोर्ड की सिफारिश पर निगम द्वारा की जाए।
- (3)** निगम निम्न का गठन करेगा -
 - (i) श्रेणी I के पदों के मामले में किसी चयन बोर्ड में महाप्रबन्धक या उप-महाप्रबन्धक, कार्मिक निदेशक या संयुक्त कार्मिक निदेशक और संबंधित विभागाध्यक्ष या उसके प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

§ बशर्ते कि जहाँ पर 2000/- रु. प्रतिमाह से अधिक के वेतन वाले अधिकतम वेतनमान में पदों को नियुक्ति की जाती है तो चयन बोर्ड में निगम का अध्यक्ष या सदस्य भी शामिल होगा।

पुनः यह प्रावधान किया जाता है ऐसे चयन बोर्ड में जिसका अध्यक्ष या निगम का कोई सदस्य इस बोर्ड का सदस्य है, कार्मिक विभाग का प्रधान समिति के सचिव के रूप से कार्य करता है न कि सदस्य के रूप में और चयन बोर्ड में शामिल होने वाला कार्मिक विभाग का प्रतिनिधि उस पद से ऊँचे पद वाला होगा जिस पद के लिए चयन किया जाता है।

- (ii) श्रेणी II के सभी मामलों में उन पदों को छोड़कर जो प्रयोगात्मक परीक्षा होने पर भरे जाने हैं, चयन बोर्ड में उप-सचिव, निर्देशक या संयुक्त निर्देशक या कार्मिक विभाग का उप निदेशक और संबंधित विभाग का प्रधान या उसके प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

§§टिप्पणी इस खंड के प्रयोजनों के लिए “उप सचिव” वित्तीय सलाहकार, मुख्या लेखा अधिकारी और निगम के सामग्री प्रबन्धक कार्यालयों के समकक्ष ओहदे वाले अधिकारियों को शामिल करता है।

* जैसा कि डी वी सी की तारीख 30 मार्च 1961 की अधिसूचना सं. 28 द्वारा इस्तर्मा किया गया।

** जैसा कि डी वी सी की तारीख 25 मई 1966 की अधिसूचना सं. 65 द्वारा इस्तर्मा किया गया।

§ जैसा कि डी वी सी की तारीख 1 अप्रैल 1976 की अधिसूचना सं. 99 द्वारा इस्तर्मा किया गया।

§§ जैसा कि डी वी सी की तारीख 24 अगस्त 1976 की अधिसूचना सं. 101 द्वारा इस्तर्मा किया गया।

- 4 चयन बोर्ड किसी विशेष नियुक्ति पर सलाह लेने के लिए निगम में से या निगम के बाहर से विशेषज्ञों को सेवाएँ मांग सकता है।

II - भर्ती की सामान्य शर्तें

- विनियम 11 --ऐसा कोई व्यक्ति न तो निगम का कर्मचारी बन सकता और ना ही रह सकता जिसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वयं या एजेंट के रूप में निगम की ओर से किए जाने वाली संविदा में किसी प्रकार का शेर या लाभ का भाग हो। इस संबंध में निगम के अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम माना जाएगा कि क्या किसी व्यक्ति का किसी संविदा में प्रत्यक्ष या परोक्ष हित है।
- विनियम 11(क) ** सक्षम प्राधिकारी निगम की सेवा के लिए नियुक्ति करने के लिए वास्तविक नियुक्ति करने से पहले उम्मीदवार की पहचान और उपयुक्तता के संबंध में सब प्रकार से स्वयं सन्तुष्ट होगा और इस संबंध में ऐसे प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
- विनियम 12 --जब तक अन्यथा किसी व्यक्तिगत संविदा में प्रावधान न किया जाए तब तक स्थानापत्र नियुक्तियों को छोड़कर सभी प्रकार की नियुक्तियाँ ऐसी अवधि के लिए परिवीक्षा पर की जाएगी जैसी कि निगम निर्णय करें और इस अवधि-के दौरान किसी कर्मचारी की सेवाएँ बिना सूचना के समाप्त की जा सकती हैं।
- विनियम 13 --यदि परिवीक्षा की अवधि समय-मान में है और समय-मान से भिन्न परिवीक्षा के स्तर पर नहीं है तो परिवीक्षा की अवधि को केवल वेतन वृद्धि और छुट्टी के लिए सेवा के रूप में माना जाएगा।
- विनियम 14 --किसी पद के लिए उम्मीदवार की पदोन्नति गुण-दोष, सापेक्षिक उपयुक्तता और वरिष्ठता पर आधारित होगी और साधारणतया इस प्रयोजन के लिए गफित की जाने वाली विभागीय पदोन्नति समिति के परामर्श पर विचार करने के बाद की जाएगी, उनके कार्य और तरीके ऐसी समितियों के अनुरूप ही होंगे जो उचित परिवर्तनों सहित केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्यरत हों।
- विनियम 15 -- किसी कर्मचारी का पूरा समय निगम के निपटान पर ही होता है और उसे निगम की सेवा में उस कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किसी भी प्रकार से लगाया जा सकता है जिसके अधीन उसे अतिरिक्त पारिश्रमिक के संबंध में बिना किसी दावे के, तैनात किया जाता है।

** डी वी सी की तारीख 11 मई 1961 की अधिसूचना सं. 29 द्वारा शामिल किया गया।

विनियम 16 --स्थानापत्र की हैसियत वाले मामले को छोड़कर, एक समय में किसी ऐसे पद पर दी या अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती है और ऐसे किसी कर्मचारी को नियुक्त नहीं किया जा सकता है जिस पर किसी कर्मचारी का ग्रहणाधिकार है।

विनियम 17 --स्थायी नियोजन में किसी कर्मचारी की सेवाओं को निगम द्वारा तब समाप्त किया जा सकता है यदि :

क) उसके पद का उन्मूलन हो जाता है या

ख) उसे आगे सेवा के लिए चिकित्सा साक्ष्य पर अयोग्य घोषित किया जाता है या

ग) वह एक माह की अवधि तक सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है या उसे आज्ञाभंग, असंयम या अन्य कदारचा का दोषी पाया जाता है।

परन्तु इस खेड के अधीन किसी कर्मचारी की सेवा समाप्ति से पहले

- (i) ड्यूटी से अनुपस्थिति के मामले में ऐसे कर्मचारी को एक नोटिस दिया जाएगा जो ड्यूटी से अनुपस्थित है। इस नोटिस के प्राप्त होने के एक माह के भीतर उसे सक्षम प्राधिकारी की सन्तुष्टि के लिए अपनी अनुपस्थिति के पर्याप्त कारण देने होंगे। ऐसा न करने पर, कर्मचारी की सेवाएं बिना आगे जांच किए ही समाप्त कर दी जाएगी।
- (ii) आज्ञाभंग, असंयम या अन्य कदारचा का दोषी पाए जाने के मामले में विनियम के खंड (VI) या (VII) के अन्तर्गत दिए जाने वाले दंड से पहले विनियम 98 के उप-विनियम (2) के अन्तर्गत जांच की जाएगी।

उपर्युक्त के अनुसार और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25 च के प्रावधान के अनुसार, जैसा कि औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम 1953 के द्वारा शामिल किया गया, उन कर्मचारियों के मामले में जो अधिनियम की परिभाषा के अनुसार 'कर्मकार' है, निम्नलिखित नोटिस द्वारा या बिना नोटिस के निगम द्वारा किसी कर्मचारी की सेवाएं समाप्त की जाएं :

- (1) नियुक्ति की शर्त समाप्त होने पर बिना पूर्व नोटिस दिए।
- (2) बिना पूर्व नोटिस, दिए यदि आगे सेवा के लिए चिकित्सा जांच में अयोग्य घोषित किया जाता है।

* जैसा कि डी वी सी की तारीख 29 जनवरी 1974 की अधिसूचना सं. 94 द्वारा इस्तंर्मा किया गया हो।

- (3) ऐसे मामलों को छोड़कर जो खंड (1) एवं (2) के अन्तर्गत आते हो, एक वर्ष से कम अवधि-वाली अस्थायी नियुक्तियों के मामले में एक माह के वेतन सहित या इसके बदले में एक माह का वेतन देकर;
- (4) ऐसे मामलों के संबंध में जो उपर्युक्त खंड (1), (2) और (3) के अन्तर्गत नहीं आते उनमें तीन माह का नोटिस या इसके स्थान पर तीन माह का वेतन देकर

परन्तु कोई मामला दी हुई अपेक्षित अवधि से अल्प नोटिस वाला है तो कर्मचारी उस अवधि के बराबर वेतन की राशि का हकदार होगा जिसके द्वारा अपेक्षित अवधि वास्तव में दी जाने वाली नोटिस की अवधि-से कम हो।

विनियम 18 --किसी भी परिस्थिति में ऐसे कर्मचारी का त्याग पत्र उसकी सेवा समाप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना स्वीकार नहीं किया जाएगा जिसके आचरण के विषय में जाँच विचाराधीन हो। इस त्याग पत्र के अनुसार किसी परिवीक्षावाले कर्मचारी सहित किसी कर्मचारी के त्याग पत्र के लिए साधारणतया तीन माह का नोटिस अपेक्षित है बशर्ते कि ऐसे किसी कर्मचारी के मामले में एक माह का नोटिस पर्याप्त होगा जिसके मामले में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1447 और औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1953 लागू होता है और अस्थायी नियुक्तियों के मामले में नोटिस की अवधि एक वर्ष से कम न हो।

यदि कोई कर्मचारी किसी निश्चित तारीख से त्याग पत्र देता है तो सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक के अनुसार उस तारीख से ही उसके त्याग पत्र को स्वीकार कर सकता है और नोटिस की अवधि के शेष भाग के वेतन के बराबर की राशि का भुगतान करने पर बने रहने का आदेश दे सकता है जब तक उसको कार्यमुक्त करने के लिए उपयुक्त में छुट दे सकता है।* कोई कर्मचारी तब तक सेवा करना बन्द नहीं करेगा तब तक उसको और औपचारिक रूप से कार्ययुक्त नहीं कर दिया जाता।

विनियम 19--निगम द्वारा नियोजित किए गए सरकारी कर्मचारियों को इतर विभाग सेवा पर माना जाएगा। उनके छुट्टी और पेंशन अंशदान का भुगतान निगम द्वारा संबंधित सरकार को किया जाएगा। अनुशासनात्मक प्रयोजनों के लिए यदि निगम का यह विचार हो कि कर्मचारी को सेवा से निष्कासन या वर्खास्त किए जाने का दंड दिया जाए तो निगम जांच पूरी करेगा और उस प्रकार की कार्रवाई के लिए उधार दाता

* डी वी सी की तारीख 30 मार्च 1961 की अधिसूचना सं. 28 द्वारा संशोधित किया गया हो।

प्राधिकारी के पास संबंधित को प्रत्यवर्तित कर दिया जाएगा जैसा वह जरूरी समझे। किसी प्रकार का न्यूनतम दंड (निलंघन को छोड़कर) देय में पहले निगम उधार दाता प्राधिकारी के साथ परामर्श करेगा और निलवन की मे उस दंड देने की परिस्थितियों के संबंध में तुरन्त उधार दाता प्राधिकारी को सूचित करेगा। इस शर्त और अन्य किसी ऐसी शर्त के अनुसार जिस पर निगम और संबंधित सरकार के बीच सहमति हो, वे शर्तें इन विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगी।

विनियम 20 --कोई ऐसे व्यक्ति को जिसकी आयु 18 वर्ष पूरी न हुई हो या जिसकी आयु 58* वर्ष से अधिक हो, उसे साधारण निगम की सेवा के लिए नहीं चुना जाएगा। किसी निजी मामले में इस निगम में छूट के संबंध में निगम का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

विनियम 20 : (1) (क) जिस कर्मचारी की एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं या जिसकी एक पति/पत्नी जीवित है वह किसी ऐसी स्थिति में विवाह करता है जिसमें ऐसे विवाह से उसके जीवन काल के दौरान इस विवाह करने के कारणों का अभाव हो तो ऐसी स्थिति में वह कर्मचारी निगम की सेवा के लिए नियुक्ति का पात्र नहीं होगा और

(ख) कोई ऐसी महिला निगम की सेवा में नियुक्ति की पात्र नहीं होगी जिसने अपना विवाह किसी ऐसे पुरुष से की है जिसके साथ ऐसे विवाह के समय कोई जीवित पत्नी है।

परन्तु निगम इस बात से सन्तुष्ट हो कि ऐसा कि लिए विशेष आधार है और वह इस उप-विनियम के पालन करने में किसी व्यक्ति को छूट दे सकता है।

(2) उप-विनियम (1) की शक्ति के अन्तर्गत छूट प्राप्त प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो निगम की सेवा के लिए नियुक्त किया गया हो उसे उस प्रकार की घोषणा करने होगी जैसे कि निगम निर्धारित करे। इस संबंध में वह घोषणा करेगा कि यदि वह उप-विनियम के अन्तर्गत नियुक्ति पाने के अयोग्य है और यदि उसकी घोषणा असत्य पाई जाती है तो उसकी सेवा संबंधी नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।§

* डी वी सी की तारीख 15 दिसम्बर 1961 की अधिसूचना सं. 57 के द्वारा आकड़ा 56 के स्थान पर आकड़ा 58 प्रतिस्थापित करा दिया गया है यह संशोधन 21 जनवरी 1963 से प्रभावी है।

§ डी वी सी की तारीख 11 मई 1961 की अधिसूचना सं. 29 द्वारा शामिल किया गया।

विनियम 21 : * (क) श्रेणी III वाले कर्मचारी के छोड़कर प्रत्येक कर्मचारी उस माह के अन्तिम दिन से सेवा से निवृत्ति होगा जिसमें वह 58 वर्ष की आयु प्राप्त करता है।

(ख) श्रेणी III वाला कर्मचारी उस माह के अन्तिम दिन से सेवा से निवृत्ति होगा जिसमें वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करता है।

टिप्पणी (1) --कर्मचारी द्वारा उसकी नियुक्ति के समय घोषित की गई और यथासंभव पुष्टिकारक दस्तावेजी सक्ष्यों यथा मैट्रिक्युलेशन प्रमाण पत्र या जन्म रजिस्टर से लिए गए उदाहरण की प्रस्तुति पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार की गई जन्मतिथि के संदर्भ में उस तारीख का निर्धारण किया जाएगा जिस तारीख की कर्मचारी अठावन या साठ वर्ष की आयु प्राप्त करेगा।

किसी कर्मचारी द्वारा इस प्रकार से घोषित और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत जन्म की तारीख से सेवा पुस्तिका तैयार होने और परिवीक्षा अवधि पूरी होने या स्थायिवत्ता होने तक इनमें जो भी पहले हो के बाद किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी (2) --जिस कर्मचारी की जन्म की तारीख किसी माह की पहली ही तारीख हो वह उस माह से पहले माह के अन्तिम दिन पर ही यथास्थिति 58 वर्ष या 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवा निवृत्त हो जाएगा।

(ग) खंड (क) और (ख) में दी गई किसी अन्य बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की यह राय हो कि किसी कर्मचारी को लिखित रूप में तीन माह का नोटिस देकर या इसके बदले में तीन माह के वेतन और भत्ते देकर किसी कर्मचारी को 55 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवा निवृत्त किया जाए तो लोक हित में ऐसा करना उचित होगा। 55 वर्ष की आयु पूरी करने पर कोई कर्मचारी नियुक्ति प्राधिकारी को तीन माह का नोटिस देकर स्वेच्छा से भी सेवा निवृत्त हो सकता है।

(घ) खंड (क), (ख) और (ग) में दी गई किसी अन्य बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की यह राय हो कि किसी श्रेणी I के कर्मचारी को लिखित रूप से तीन माह का नोटिस देकर या इसके बदले में तीन माह के वेतन और पत्तों का भुगतान करके उसे 50 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवा से निवृत्त किया जाए तो लोक हित में ऐसा करना उचित होगा। निगम की सेवा में श्रेणी

* जैसा कि डी वी सी की तारीख 7 मई 1976 की अधिसूचना सं. 100 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

** डी वी सी की तारीख 24 फरवरी 1971 की अधिसूचना सं. 88 द्वारा इस्तर्मा किया गया।

I का कोई कर्मचारी 55 वर्ष की आयु पूरी होने पर उपयुक्त प्राधिकारी का तीन माह का नोटिस देकर सेवा निवृत्त हो सकता है परन्तु इस खंड के अन्तर्गत सेवा निवृत्त लेने वाले ऐसे कर्मचारी की अनुमति उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा रोकी जा सकती है जो निलवनाधीन हो। इस खंड के संबंध में दिया जाने वाला तीन माह का नोटिस निगम के कर्मचारी को उसके 50 वर्ष का होने से पहले से इस प्रकार से दिया जाए कि उसकी सेवा निवृत्ति उसके पचास वर्ष की आयु होने पर होगी।**

विनियम 22 --निगम के अधीन सेवा के लिए नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की निम्नलिखित प्रकार से डाक्टरी जांच की जाएगी :

ऐसे मैडिकल बोर्ड द्वारा जिसमें साधारणतया श्रेणी I अधिकारियों के स्तर का एक चिकित्सक, एक शल्य चिकित्सक और एक नेत्रविशेषज्ञ शामिल होगा और वे परस्पर समान स्तर के होंगे।

श्रेणी II और

श्रेणी III के पदों के लिए

निगम में राजगार के लिए सहायक मर्जन ग्रेड I के स्तर के किसी चिकित्सक द्वारा यथास्थिति चिकित्सा बोर्ड या चिकित्सक, की रिपोर्ट उस फेर्म या फेर्मों में प्रस्तुत की जाएगी जैसे कि निगम ने निर्धारित किए हैं।*

विनियम 23 --सभी कर्मचारियों के सेवा संबंधी अभिलेख, छुट्टी लेखा और वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों का अनुरक्षण उस प्रकार और उस फेर्म में किया जायेगा जैसे कि निगम द्वारा निर्धारित किए गए हों।

III-वेतन एवं भत्ते

विनियम 24 --किसी ऐसे मामले को छोड़कर जिसका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, निगम का कोई कर्मचारी अपने पद से संबंधित वेतन एवं भत्ते उस तारीख से आहरित करना आरम्भ करेगा जिस तारीख से वह कार्यभार संभालता है और तब से इन्हें आहरित करना बन्द करेगा जब से वह अपनी ड्यूटी करना बन्द करता है।

* डी वी सी की तारीख 24 श्रवरी 1971 की अधिसूचना सं. 88 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

** डी वी सी की तारीख 2 जनवरी 1960 की अधिसूचना सं. 16 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

विनियम 25*:(1) खंड (2) में दर्शाए गए कर्मचारियों को छोड़ कर, किसी कर्मचारी का प्रारम्भिक वेतन उस पद के समय-मान के न्यूनतम पर नियत किया जाएगा जिस पर उसकी नियोजित किया जाता है। किसी पद पर निगम के अधीन प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस समय-मान के न्यूनतम से अधिक में वेतन के नियतन को स्वीकृति, जिसका अधिकतम 800 रु. से अधिक न हो, सचिव द्वारा की जाए। अन्य मामलों में निगम की स्वीकृति अपेक्षित होगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों सरकार द्वारा प्रशासित पोर्ट ट्रस्ट, रेलवे रक्षा अनुमान आदि से पेंशन पर या अंशदायी भविष्य निधि पर सेवा निवृत्त हुए कर्मचारियों सहित निगम में पुनः नियोजित पेंशन भोगियों के वेतन का विनियमन निम्न प्रकार किया जायेगा : अंशदायी भविष्य निधि पर सेवा निवृत्ति होने वाले कर्मचारियों के साथ साथ उन पेंशनभोगियों के वेतन को निम्नलिखित पद्धति में नियमित किया जाएगा जो निगम द्वारा पुनः नियुक्ति किए गए हों :

(क) पुनर्नियोजन पर आरम्भिक वेतन उस पद के लिए निर्धारित वेतन मान के न्यूनतम स्तर पर नियत किया जाएगा जिस पद पर कोई कर्मचारी पुनर्नियोजित किया जाता है। उन मामलों में जहाँ पर निगम यह महसूस करता है कि निर्धारित वेतन मान के न्यूनतम पर प्रारम्भिक वेतन नियतन करने से अनावश्यक कठिनाई उत्पन्न होने की संभावना हो तो निगम सेवा के प्रत्येक ऐसे वर्ष के लिए एक वेतन वृद्धि की अनुमति देकर ऐसे किसी उच्च वेतनमान पर वेतन नियत कर सकता है जिसमें किसी कर्मचारी ने सेवा निवृत्ति से पहले सेवा की हो और यह पद पुनर्नियोजन वाले पद से निम्न नहीं होना चाहिए।

(ख) उपर्युक्त (क) के अंतर्गत नियत किए गए वेतन के अतिरिक्त, पेंशन भोगी के अलग से स्वीकृत किसी प्रकार की पेंशन को भी आहरित करने की अनुमति दी जाए और उसे ऐसा कोई सेवानिवृत्ति अभिलाभ के रूप में अन्य लाभ भी किया जाए जिसके लिए वह पात्र है अर्थात् भविष्य निधिमें सरकार का अंशदान, उपदान, पेंशन आदि का संराशीकृत मूल्य बशर्ते कि प्रारम्भिक वेतन की कुल राशि और पेंशन की सफल राशि और/या सेवानिवृत्ति के अन्य रूप के समकक्ष पेंशन संबंधी लाभ (सेवा निवृत्ति पूर्व वेतन) या 3000 रु. जो भी कम हो।

* जैना कि डी वी सी की ता. 12 अगस्त 1959 की अधिसूचना सं. 13 के द्वारा सशोधित। यह महोक्ति विनियम 12 अगस्त 1959 से प्रवावी है लेकिन अन्यथा इस सशोधित विनियम के मामलों को छोड़कर पहले में निपटाए गए मामलों पर पुन विचार नहीं किया जाएगा। पहले से पुनर्नियोजित कमलचारियों के संवध में पुनर्नियोजन को अगली अवधि की आरम्भ होने वाली तारीख से यह विनियम लागू होगा यदि पुनर्नियोजन की वर्तमान अवधि बढ़ा दो जाती है।।

** डविनियम 25 के खंड (1) के अन्तिय वक्य को ता. 13 नवम्बर 1961 की डी वी सी की अधिसूचना सं. 35 द्वारा सशोधित किया गया।

टिप्पणी (1) --उन सभी मामलों में, जहाँ पर यह सीमा अधिक हो जाती है, पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति अभिलाभ किसी कर्मचारी द्वारा पूर्ण आहरित किए जाए किन्तु यह सुनिश्चित करने के लिए कि वेतन कुल का जोड़ और पेंशन संबंधी अभिलाभ निर्धारित सीमाओं से अधिक न हो, आवश्यक समायोजन किया जाएगा।

जहाँ पर उपर्युक्त (क) के अंतर्गत किसी न्यूनतम या उच्चतर स्तर पर प्रारम्भिक वेतन नियत कर दिया गया है। वहाँ पर कथित समायोजनों के परिणाम स्वरूप वेतन को न्यूनतम से नीचे रखा जाता है और अनुमेय वेतन वृद्धियों की दरों पर सेवा के प्रत्येक वर्ष के बाद इस प्रकार से वेतन वृद्धि दी जाए जैसे कि वेतन न्यूनतम या उच्चतर जैसा भी मामला हो, स्टेज पर नियत किया गया है।

टिप्पणी (2) --सेवा निवृत्ति से पहले आहरित किए गए अन्तिम वेतन को मुख्य पद वेतन जमा विशेष वेतन, यदि कोई है, बनाने के लिए हिसाब में लिया जाएगा। स्थानापत्र नियुक्ति में आहरित किए गए वेतन को तब हिसाब में लिया जाए यदि कर्मचारी ने सेवा निवृत्ति से पहले कम से कम एक वर्ष तक उस नियुक्ति में स्थानापत्र आधार पर कार्य किया है।

(ग) उन पदों के मामले में निगम की संतुष्टि होने पर कि अपेक्षित योग्यता और अनुभव आले कार्मिक उपलब्ध नहीं है और ऐसे एक स्थान पर सेवा के लिए किसी अधिकारी की पते निम्नलिखित सीमा तक छुट दी जाएगी कि अंतिम आहरण से पेंशन के साथ साथ पुनर्नियोजन पर आरंभिक वेतन अधिक नहीं होगा:

- (i) पुनर्नियोजन पर आरम्भिक वेतन जमा सकल पेंशन/अन्य सेवा निवृत्ति अभिलाभों के समकक्ष पेंशन सेवा निवृत्ति से पहले आहरित किए गए अन्तिम वेतन / 250 रु. से अधिक नहीं होगा।
- (ii) पुनर्नियोजन पर आरम्भिक वेतन का जोड़ जैसा कि उपर्युक्त पैरा (क)* के अन्तर्गत नियत किया गया हो, जमा सकल पेंशन/अन्य सेवा निवृत्ति अभिलाभों के समकक्ष पेंशन 100/- रु. से अधिक नहीं होगी।
- (iii) उपर्युक्त रियायत केवल तभी अनुमेय होगी जहाँ पर कोई कर्मचारी किसी अधिवर्षिता पेंशन पर सेवा निवृत्त होता है।

(घ) ऐसे किसी मामले में जहाँ पर किसी पद का न्यूनतम वेतन जिसमें कोई कर्मचारी पुनर्नियोजित किया जाता है, आहरित किए गए अन्तिम वेतन से अधिक

* डी वी सी की तारीख 10 जुलाई 1961 की अधिसूचना सं. 30 द्वारा संशोधित और यह 12 अगस्त 1951 से प्रवावी है।

होता है तो कर्मचारी को पद पेशन के निर्धारित वेतन के न्यूनतम तथा संयानियुक्ति के अन्य अभिलाभों के समकक्ष पेशन को आहरित करने के अनुमति दी जाए।

(ड) जब तक वार उपर्युक्त दर्शाई गई विधि से किसी पुननियोजित पेशन-भोगी का वेतन नियत कर दिया गया हो तो उसको उस पद के समय-मान से साधारण वेतन वृद्धियों को आहरित करने की अनुमति दी जाएगी जिस पद पर उसको नियुक्त किया जाता है परन्तु वेतन और सकल पेशन अन्य सेवा निवृत्ति अभिलाभों के समकक्ष पेशन किसी की समय 3000/- रु. प्रतिमाह से अधिक न हो।

विनियम 26: विनियम 25 के प्रावधानों के होते हुए, निगम के अंघीन किसी पद पर ग्रहणाधिकार रखने वाले किसी कर्मचारी का प्रारम्भिक वेतन निम्न प्रकार से विनियमित किया जाएगा :

- (i) जब नए पद पर नियुक्ति होने से ड्यूटियां अथवा दायित्व उस पद से अधिक महत्व वाले हो जिस पद कर्मचारी का ग्रहणाधिकार हो तो वह पुराने पद के संबंध में अर्पण कल्पित वेतन से ऊपर वाले अगले समय-मान के स्तर का आरम्भिक वेतन आहरित करेगा।
- (ii) जब नए पद पर नियुक्ति में ऐसे कार्यभार शामिल न हो तो समय-मान के स्तर के संबंध में वह ऐसा आरम्भिक वेतन आहरित करेगा जो उसके उस पद के कल्पित वेतन के समान है जिस पद उसका ग्रहणाधिकार हो, या यदि ऐसा कोई स्तर न हो समावेशित होने अन्तर के समान व्यक्तिगत वेतन को आहरित करेगा किन्तु यदि नए पद के समय-मान का न्यूनतम वेतन से अधिक है तो आरम्भिक वेतन के रूप में वही न्यूनतम वेतन आहरित करेगा।
- (iii) किसी पद पर स्थानापत्र आधार पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया कोई कर्मचारी उस पद का कल्पित वेतन आहरित करेगा। वशर्ते कि वेतन वृद्धि या अन्यथा में परिणाम स्वरूप मूल वेतन में किसी प्रकार की वृद्धि होने पर ऐसे कर्मचारी का वेतन किसी वृद्धि की उस तारीख से पुनः नियत किया जाएगा मानी वह उस तारीख को उस पद स्थानापत्र आधार पर नियुक्ति किया गया हो जहाँ पद उसे ऐसे पुनः नियतन से अभिलाभ होता हो।*

* यह खंड डी वी सी की तारीख 16 नवम्बर 1959 की अधिसूचना सं. 15 द्वारा शामिल किया गया।

विनियम 26*:(क) उस कर्मचारी का आरम्भिक वेतन, निम्न प्रकार विनियमित किया जाएगा जिसका किसी ऐसे पद पर ग्रहणाधिकार नहीं है जिससे उसे किसी दूसरे पद पर स्थानान्तरित, पदोन्नत किया जाता है और जिसका पहले पद का वेतन नए पद के वेतनमान के न्यूनतम से अधिक हो।

- (i) 2 मार्च 1960 से किसी ऐसे कर्मचारी का वेतन विनियम 26(i) और (ii) के अन्तर्गत ग्रहणाधिकार रखने वाले ऐसे व्यक्ति की तरह से ही नियुक्त किया जाएगा जिसने किसी पद पर तीन वर्ष से अधिक की लगातार सेवा की हो परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी इस बात से सन्तुष्ट हो कि वह कर्मचारी किसी ऐसे पद पर स्थायी नियुक्ति के लिए पात्र और उपयुक्त है जिस पद से उसको स्थानान्तरित पदोन्नत किया जाता है विनियम 26(iii) का लाभ ऐसे कर्मचारियों को भी स्वीकार्य होगा।
- (ii) उपर्युक्त खंड (i) के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों से भिन्न कर्मचारियों का नए पद में आरम्भिक वेतन पूर्व पद में आहरित किए गए वेतन के समान स्तर पर नियत किया जाएगा या यदि ऐसी कोई स्तर न हो तो अगली वेतन वृद्धि में समावेशित होने वाले अन्तर के समान वेतन के साथ साथ व्यक्तिगत वेतन के निम्न स्तर पर नियत किया जाएगा और उसी तारीख पर अगली वेतन वृद्धि दी जाएगी जो तारीख पूर्व-पद में होगी परन्तु निम्न शर्तें पूरी होती हों :
 - (1) काफी लम्बी अवधि तक बना रहता है और
 - (2) कर्मचारी उच्च पद पर पदोन्नति होने तक निचले पद पर लगातार कार्य करता रहता हो।
- (iii) उसी वेतन-मान में एक पद से दूसरे पद पर स्थानान्तरित होने पर किसी कर्मचारी का वेतन पूर्व पद में की गई सेवा का लाभ देते हुए अगले पद में नियत किया जाए।
- (iv) उच्च पद में सीधी भर्ती वाले किसी कर्मचारी के मामले में किसी उच्च पद से निम्नस्तर पद पर स्थानान्तरण होने पर निम्न पद में अग्रिम वेतन वृद्धियों के प्रयोजन से अच्चतर पद में सेवा के पूर्ण वर्षों का लाभ देते हुए निम्न पद में वेतन नियत किया जाएगा परन्तु इस प्रकार से नियत किया गया वेतन स्थानान्तरण के समय उच्च पद में आहरण किए गए वेतन से अधिक न हो।

* डो वी सी की तारीख 2 मार्च 1960 की अधिसूचना सं. 18 द्वारा शामिल किया गया और डी वी सी को ता. 20 फरवरी 1963 की अधिसूचना सं. 48 और ता. 3 सितम्बर 1963 की अधिसूचना सं. 49 द्वारा संशोधित किया गया

- (v) यदि कोई कर्मचारी किसी यह पद प्रत्यावर्तित किया जाता आहरित करने की अनुमति दी जाए यदि उच्च पद पर उसकी वृद्धि आहरित करेगा जिस तारीख को से निचले प

विनियम 26*:(ख) विनियम 25, 26 और 26 (क) में दी गई किसी बात के बावजूद, जसा कर्मचारी किसी पद पर मूल, अस्थायी या स्थानापत्र हैसियत से कार्यरत हो और उनकी ऐसे अन्य दूसरे पद पर मूल, अस्थायी, स्थानापत्र आधार पर पदोन्नत के नियुक्त किया जाता है जिसकी ड्यूटियों और दायित्व उसके द्वारा धारित पद से अधिक महत्व वाले हो तो उच्च पद के समय-मान में उसका आरम्भिक वेतन उस स्टेज पर नियत किया जाएगा जहाँ पद उस समय निचले पद में उसके द्वारा वास्तव में आहरित किए गए वेतन में एक वेतन वृद्धि देकर अगली ऊपरी स्टेज पर काल्पनिक रूप से उसका वेतन बनता है।

किन्तु इस विनियम के प्रावधान वहाँ पर लागू नहीं होंगे जहाँ पर कोई कर्मचारी मूल, अस्थायी या स्थानापत्र हैसियत से श्रेणी I पद पर कार्यरत हो और उसको किसी ऐसे उच्च पद पर मूल, अस्थायी या स्थापन आधार पर पदोन्नत या नियुक्त किया जाता है जो श्रेणी I का पद भी हो।

पुनः यह प्रावधान किया जाता है कि विनियम 26(III) के प्रावधान किसी ऐसे मामले में लागू नहीं होंगे जहाँ पर आरम्भिक वेतन इस विनियम के अन्तर्गत नियत किया जाता है।

यह भी प्रावधान किया जाता है कि जहाँ पर कोई कर्मचारी उच्च पद पर अपनी पदोन्नति या नियुक्ति से तुरन्त पहले निचले पद के समय-मान का अधिकतम वेतन आहरितकर रहा है वहाँ पर उच्च पद के समय-मान में उसका आरम्भिक वेतन निचले पद के अधिकतम से ऊपर अगले समय-मान वाली स्टेज पर नियत किया जाएगा।

विनियम 27\$: किसी समय मान में वेतन वृद्धियां उस समय-मान में निर्धारित अवधि के संबंध में अनुमोदित सेवा के जरिए, अर्जित की जाएगी। वेतन-रहित छुट्टी को छोड़कर किसी पद में सेवा और सभी प्रकार की प्राधिकृत छुट्टी को उस पद में लागू समय-मान में वृद्धि के लिए हिसाब में लिया जाएगा जिस पर संबंधित व्यक्ति

* डो वी सी की ता. 2 सितम्बर 1964 की अधिसूचना संख्या 54 द्वारा शामिल किया गया और 29 अप्रैल 1963 से प्रभावी हुआ।

§ यह परन्तुक डी वी सी की ता. 2 जनवरी 1960 की अधिसूचना सं. 17 द्वारा शामिल किया गया।

का ग्रहणाधिकार हो निगम यह निर्देश दे कि उन मामलों में असाधारण छुट्टी को वेतन वृद्धि के लिए शामिल किया जाएगा जहाँ पर यह छुट्टी बीमारी या कोई वेतन वृद्धि स्वभाविक तौर पर साधारणतया तब तक आहरित की जाएगी जब तक कि इसे रोका न जाए। सक्षम अधिकारी द्वारा कोई वेतन वृद्धि तब रोकी जाएगी जब किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य और उसका आचरण सन्तोषजनक नहीं पाया गया हों।

- विनियम 28: जब किसी वेतन वृद्धि को रोकने का आदेश दे दिया जाय तो आदेश में उस अवधि का उल्लेख किया जाएगा जिस अवधि तक इस वेतन वृद्धि को रोका जाना है और इस स्थगन से भविष्य की वेतन-वृद्धियों पर भी प्रभाव पड़ेगा।
- विनियम 29: जहाँ पर किसी समय-मान में कोई दक्षता-रोधक निर्धारित की जाती है वहाँ पर किसी कर्मचारी को नियम की अथवा ऐसे अन्य अधिकारियों जैसे कि इस संबंधमें निगम द्वारा प्राधिकृत किया जाए की स्वीकृति के बिना इस दक्षता-रोधक से आगे प्रथम वेतन वृद्धि नहीं दी जाएगी।
- विनियम 30: मार्च माह के *वेतन और भत्तों को छोड़कर जो कि अप्रैल माह की पहली तारीख को भुगतान के लिए देय होते हैं किसी माह के लिए वेतन और नियत भत्ते उस हि के अन्तिम कार्य दिवस पर भुगतान के लिए देय होंगे जिस माह से संबंधित हैं।
- टिप्पणी 1: मार्च माह को छोड़कर जहाँ पर किसी माह का अन्तिम कार्य दिवस 'बैंक-अवकाश दिवस' हो तो संवितरण उससे पूर्व दिन पर किया जाए और यदि अप्रैल माह का प्रथम कार्य दिवस 'बैंक-अवकाश दिवस' हो तो संवितरण अगले कार्य दिवस को नियत तारीख पर किया जाए।
- टिप्पणी 2: उन क्षेत्रीय स्थापनाओं में जहाँ पर भुगतान भिन्न-भिन्न समय पर किए जाने हैं और उस प्रयोजन के लिए विशेषरूप से नियत दिनों पर भुगतान किए जाने हैं वहाँ पर मार्च के माह को छोड़कर, देय वेतन पूर्व कार्य दिवस को संवितरित किया जाए।

प्रतिपूरक भत्ता :

- विनियम 31: ऐसी सामान्य शर्त के अनुसार प्रतिपूरक भत्ते की राशि को इस प्रकार से विनियमित किया जाना चाहिए कि भत्ता प्राप्तकर्ता के लिए लाभ का एक स्रोत न हो और निगम ऐसे भत्ते अपने किसी भी कर्मचारी को स्वीकृत करे।

* जैसा कि डी वी सी की ता. 16 मार्च 1978 की अधिसूचना सं. 105 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

IV- आवास और फर्नीचर

विनियम 32 --निगम अपने कर्मचारियों को ऐसा निवासीय आवास और फर्नीचर प्रदान करे जो इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध हो।

\$स्पष्टीकरण -- निगम द्वारा अपने स्वामित्व वाले, पट्टेवाले या अधिग्रहण किसी सकाल या उसके किसी भाग का अधिभोग करने के लिए किसी कर्मचारी को आवास प्रदान करने संबंधी विनियम 32 से 36 के प्रयोजन के लिए किसी आवास को किराए को आवास सामझा जाएगा और इस अधिभोग के लिए कर्मचारी निगम को शुल्क का भुगतान करेगा और ऐसे आवास के अधियोग के लिए भुगतान किए जाने वाले शुल्क को लाइसेंस फ़ैस कहा जाएगा।

विनियम 33 --आवास और फर्नीचर का मापदंड ऐसा होगा जैसा कि अधिमोक्ता के वेतन के लिए उचित हो।

विनियम 34* --1 फ़रवरी 1969 से वसूली योग्य लाइसेंस फ़ैस साधारणतथा मकान की मानक लाइसेंस फ़ैस या आवंटिती की मासिक परिलब्धियों का 10%, जो भी कम हो, के साथ-साथ नगर और अन्य कर, यदि कोई है, होगी और यह निगम को भुगतान किया जाएगा। यह फ़ैस मकान या सम्पत्ति कर के प्रकार की नहीं होगी।

परन्तु मंहगाई वेतन को लाइसेंस फ़ैस की वसूली के प्रयोजनों के लिए दामेदर घाटी निगम सेवा विनियमों के विनियम 34 के अन्तर्गत टिप्पणी में दी गई परिमापा के अनुसार परिलब्धियों का भाग माना जाएगा किन्तु 31 जनवरी 1969 को निगम द्वारा प्रदान किए गए क्वार्टरों का अधिग्रहण करने वाले व्यक्तियों के मामले में मंहगाई वेतन के केवल आधे को संबंधित ऐसे कर्मचारी के लिए 'परिलब्धियों' का भाग माना जाएगा जो

- (i) किसी उच्च पद पर पदोन्नति प्राप्त करता है या
- (ii) जिसे भिन्न श्रेणी का क्वार्टर आवंटित किया जाता है और जो इसको अधिग्रहण करता है।

पुनः यह प्रावधान किया गया है कि पूर्ण मंहगाई वेतन सहित 220/- रु. प्रतिमाह से कम मासिक परिलब्धियाँ आहरित करने वाले कर्मचारियों के संबंध में लाइसेंस फ़ैस की वसूली मानक लाइसेंस फ़ैस या परिलब्धियों का 7½%, जो भी कम हो, के आधार पर की जाएगी।

\$ डो वी सी की ता. 25 जुलाई 1970 की अधिसूचना सं. 80 द्वारा शामिल किया गया ।

* सं. (1) को डी पी सी सी की तारीख 11-12-1970 की अधिनुचना सं. 85 द्वारा शामिल किया गया।

यह भी प्रावधान किया गया है कि पूर्ण महगाई वेतन या अधिक सहित 220/- रु. प्रतिमाह की मासिक परिलब्धियों आहरित करने वाले कर्मचारियों के संबंध में लाइसेंस फ़ीस की कटौती के बाद निवल 'परिलब्धियां' 202.55 रु. से कम नहीं होंगी।

(1क) 9 दिसम्बर 1957 से उन कर्मचारियों के संबंध में वसूल की जाने वाली लाइसेंस फ़ीस समय-मान पर निगम द्वारा नियत की जाएगी जिनको निर्माण कार्य पर या अस्थायी क्वार्टरों में कार्य स्थलों या टैटो, झोपड़ियों, शैडों, शयनशालाओं वरको और ऐसे ही अन्य स्थानों पर ऐसे स्थायी या अस्थायी क्वार्टरों के आवास प्रदान किए गए हैं जिनके अन्य व्यक्ति भी भागीदार हों।

§(1ख) निगम के स्वामित्व में, किराए पर लिए गए/पट्टे पर लिए गए क्वार्टरों/मकानों के अधिभोग के लिए लाइसेंस फ़ीस की वर्तमान दरें 1 जून 1997 से या संशोधित वेतन मान के साथ विकल्प लेने की तारीख से नीचे निर्धारित किए गए ढंग से विनियमित की जाएंगी :

- क) 10% से 7% तक
- ख) 7½% से 5% तक
- ग) 5% से 4% तक
- घ) 2½% से 1½% तक

(2) किसी निवास की मानक लाइसेंस फ़ीस निम्न प्रकार से परिकलित की जाएगी

(क) निगम द्वारा पट्टा किए गए किसी निवास के मामले में पट्टा कर्ता को भुगतान की गई राशि के साथ साथ विशेष मरम्मत की लागत ही मानक लाइसेंस फ़ीस होगी और रखरखाव पट्टाकर्ता से वसूली योग्य नहीं होगी।

(ख) निगम के स्वामित्व वाले किसी निवास के मामले में मानक लाइसेंस फ़ीस उस निवास के अर्जन करने या निर्माण करने की पूंजीगत लागत का 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की होगी। लाइसेंस फ़ीस को निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए निगम के स्वामित्व वाले किसी निवास की पूंजीगत लागत में सफाई, जल आपूर्ति और स्थल की लागत या कीमत (इसके निर्माण के व्यय सहित) शामिल नहीं होगी जब तक कि अन्यथा निगम द्वारा निर्देश न दिया जाए।

* जैसा कि डो वी सी की तारीख 27 सितम्बर 1967 को अधिसूचना सं. 69 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

** जैसा कि डो वी सी की तारीख 25 जुलाई 1970 को अधिसूचना सं. 80 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

§ जैसा कि डो वी सी की तारीख 5 सितम्बर 1974 को अधिसूचना सं. 95 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

(ग) दोनों ही मामलों में मानक लाइसेंस फ़ीस की किसी फ़लेडर माह के लिए मानक के रूप ही व्यक्त किया जाएगा और यह वार्षिक लाइसेंस फ़ीस के 1½ भाग के बराबर होगी, जैसी कि ऊपर परिकलित की गई है।

(घ) अपर्युक्त खंड (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी निगम

- (1) निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने पर लाइसेंस फ़ीस के निर्धारण के प्रयोजन से उपर्युक्त उप-खंडों (क), (ख) और (ग) के प्रावधानों के अन्तर्गत परिकलित की गई मानक लाइसेंस फ़ीस के अनुसार निवासों की एक संख्या का समूह बना सकता है चाहे यह किसी विशेष क्षेत्र में हो या किसी विशेष श्रेणी या श्रेणियों का हो :
 - (i) निर्धारण का आधार एक समान हो; और
 - (ii) किसी कर्मचारी से ली गई राशि उसकी परिलब्धियों के प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;
- (2) सामान्य या विशेष आदेश द्वारा परिलब्धियों के प्रतिशत से अधिक कोई लाइसेंस फ़ीस किसी कर्मचारी से ली जाने वाली अधिकतम मानक लाइसेंस फ़ीस की शर्त के अनुसार होगी।
 - (i) जिसे उस स्टेशन पर ड्यूटी के कारण रहने की अपेक्षा नहीं की जाती या अनुमति नहीं दी जाती जहाँ पर उसको निवास प्रदान किया गया है; या
 - (ii) जिसको उसके अनुरोध पर ऐसा आवास प्रदान किया जाता है जो उस आवास से अच्छी प्रकार का है जो कर्मचारी द्वारा धारित पद के स्तर के लिए उचित है, या
 - (iii) जो निवास करने की महंगाई के कारण स्वीकृत किया गया प्रतिपूरक भत्ता ले रहा है।
 - (iv) जिसको आवास उपभाड़ा करने की अनुमति दी जाती है या जो उसको आबंटित किए गए निवास को बिना अनुमति के उप-भाड़े पर देता है।
- (3) किसी ऐसे आबंटिती से मानक लाइसेंस फ़ीस\$ की दो गुनी एक दंड लाइसेंस फ़ीस वसूल करना जो उसको आबंटित किए गए निवास की किसी शर्त का उल्लंघन करता है।

टिप्पणी -- इस विनियम के प्रयोजन के लिए 'परिलब्धियों' का अर्थ है;

\$ जैसा कि डी वी सी की तारीख 25 जुलाई 1970 को अधिसूचना सं. 80 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

- (i) वेतन
- (ii) यात्रा भत्ते से मित्र प्रतिपूरक भत्ता
- (iii) असाधारण पेंशन को छोड़कर, पेंशन या बर्मा सरकार से प्राप्त पेंशन या यथासंशोधित कर्मकार प्रतिकार अधिनियम 1923 के अन्तर्गत प्राप्त प्रतिपूरक
- (iv) किसी निलंबनाधीन कर्मचारी के मामले में निर्वाह-अनुदान परन्तु ऐसे कर्मचारी को निलंबन की अवधि के लिए वेतन आहरण करने की अनुमति देने पर निवहि-अनुदान के आधार पर वसूल की गई लाइसेंस फीस और अन्ततः आहरण की गई परिलब्धियों के आधार पर देय लाइसेंस फीस के अन्तर को उस कर्मचारी से वसूल किया जाएगा।
- (v) अन्य किसी प्रकार का भुगतान जिसको निगम द्वारा कर्मचारी के मासिक वेतन और भत्तों के अतिरिक्त नियम किया जाता है।

विनियम 35 --यदि किसी निवास के साथ फेर्नोचर भी प्रदान किया जाता है तो लाइसेंस फीस की वसूली निम्न प्रकार से की जाएगी।

- (क) लाइसेंस फीस की गणना टिकाऊ और गैर-टिकाऊ वस्तुओं के संबंध में अलग अलग की जाएगी।
- (ख) लाइसेंस फीस को मासिक रूप से ही लाइसेंस फीस के रूप में बताया जाएगा और यह निम्नलिखित भुगतान के लिए वार्षिक रूप से अपेक्षित राशि का 1/12 वा भाग होगा।
 - (i) ब्याज;
 - (ii) अवमूल्यन और मरम्मत;

विनियम 36 --किसी कर्मचारी से आवास और फेर्नोचर के लिए लाइसेंस फीस\$ के साथ बिजली और पानी की आपूर्ति के लिए ऐसे प्रभारों की भी वसूली की जाए जैसे कि निगम द्वारा निर्णय लिया जाए।

V-यात्रा भत्ता

विनियम 37 --यात्रा भत्ते को इस प्रकार से विनियमित किया जाता चाहिए कि यह प्राप्तकर्ता के लाभ का साधन ही न बन जाए।

\$ जैसा कि डो वी सी की तारीख 25 जुलाई 1970 को अधिसूचना सं. 80 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

विनियम 38 --इन विनियमों में जब तक कोई

प्रतिकूल न

- (i) दिन का अर्थ है आधी रात से आरम्भ होकर कोई ऐसा कलेन्डर दिन जो आधी रात पर ही समाप्त हो किन्तु मुख्यालय से ऐसी अनुपस्थिति की एक दिन के रूप में परिकलित किया जाएगा जिसकी अवधि 24 घटों से अधिक न हो।
- (ii) दैनिक भत्ते का अर्थ है कोई ऐसा भत्ता जो ड्यूटी पर मुख्यालय से अनुपस्थिति के प्रत्येक दिन के लिए प्रदान किया जाता है। मुख्यालय से उसकी अनुपस्थिति के संबंध में किसी कर्मचारी द्वारा खर्च किए साधारण अतिरिक्त प्रवारी की पूर्ति के लिए यह भत्ता प्रदान किया जाता है।
- (iii) मुख्यालय का अर्थ है, किसी कर्मचारी की ड्यूटी करने का सामान्य स्थान या ऐसा कोई अन्य स्थान जो कि निगम द्वारा या अपनी ओर से निगम द्वारा शक्ति प्रदान किए गए किसी प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाए।*
- (iv) मील भत्ते का अर्थ है तय की गई दूरी पर परिकलित किया गया कोई भत्ता।
- (v) सार्वजनिक सवारी का अर्थ है, रेल गाड़ी, स्टीमर या अन्य कोई ऐसी सवारी जो यात्रियों की सवारी के लिए नियमित रूप से चलती है।
- (vi) दौर का अर्थ है मुख्यालय से ड्यूटी के लिए कोई ऐसी अनुपस्थिति जो किसी कर्मचारी की ड्यूटी के क्षेत्र से परे उचित स्वीकृति सहित है।
- (vii) स्थानान्तरण का अर्थ है किसी कर्मचारी का मुख्यालय परिवर्तन।

विनियम 39 --यात्रा भत्ते की गणना करने के प्रयोजन से कर्मचारियों को तारीख 22 जुलाई 1963 से निम्न प्रकार की चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है;

- (i) प्रथम श्रेणी में से सभी कर्मचारी शामिल हैं जो प्रतिमाह वास्तव में रु. अधिक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं।
- (ii) द्वितीय श्रेणी में वे सभी कर्मचारी शामिल हैं जो प्रतिमाह 220/- रु. या अधिक किन्तु रु. तक वेतन ले रहे हैं।
- (iii) तृतीय श्रेणी में वे सभी कर्मचारी शामिल हैं जिसका अधिकतम वेतन 220/- रु. प्रतिमाह से अधिक से अधिक हो।

* जैसा कि डी वी सी की तारीख 30 मार्च 1961 को अधिसूचना सं. 28 द्वारा संशोधित किया गया।

(iv) चतुर्थ श्रेणी में वे सभी कर्मचारी शामिल हैं जिसका अधिकतम वेतन मान प्रतिमाह 110/- रु. या अधिक नहीं है।

परन्तु 1 सितम्बर 1961 से पहले लागू होने वाले पुराने वेतन मान में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के मामले में 22 जुलाई 1963 से पहले लागू होने वाले निम्नलिखित वर्गकरण लागू होंगे :

- (i) 750/- रु. प्रतिमाह से अधिक वास्तविक वेतन पाने वाले सभी कर्मचारी प्रथम श्रेणी में शामिल हैं।
- (ii) 200/- रु. प्रतिमाह से ऊपर किन्तु 750/- रु. प्रतिमाह का वास्तविक वेतन पाने वाले सभी कर्मचारी द्वितीय श्रेणी में शामिल हैं।
- (iii) 60/- रु. प्रतिमाह से ऊपर 200/- रु. प्रतिमाह तक वास्तविक वेतन पाने वाले सभी कर्मचारी तृतीय श्रेणी में शामिल हैं।
- (iv) 60/- रु. प्रतिमाह तक वास्तविक वेतन पाने वाले सभी कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी में शामिल हैं।

टिप्पणी 1: यदि पेंशन पुनर्नियोजन की अवधि के दौरान स्थगन में रखी जाती है तो पुनर्नियोजित पेंशन भोगी की श्रेणी समय समय पर वास्तव में प्राप्त किए गए वेतन के अनुसार निर्धारित की जाएगी। जहाँ पर पेंशन वेतन के अतिरिक्त आहरित की जाती है, वहाँ पर पुनर्नियोजित पेंशन भोगी को वेतन के साथ साथ पेंशन आहरण करने के मामले में इस विनियम के वेतन के साथ साथ पेंशन के बराबर हो लेकिन शर्त यह है कि यदि पद पर वेतन की नियत दर हो या समय-मान वेतन पर होने से पद पर अधिकतम वेतन हो तो ऐसे पद के वेतन में होने वाली वृद्धि को छोड़ दिया जाएगा जो ऐसे वेतन के साथ साथ पेंशन की कुल रकम से अधिक है।

हिसाब में शामिल की जाने वाली पेंशन की राशि मूल रूप से स्वीकृत राशि होनी अर्थात् संराशीकरण, यदि कोई है, इससे पहले और उससे मृत्यु-सेवा निवृत्ति उपदान, यदि कोई हो, उसके समकक्ष पेंशन संबंधी राशि शामिल होगी। परन्तु ऐसे किसी पुनर्नियोजित पेंशन भोगी द्वारा आहरित की गई पेंशन जो बर्मा या पाकिस्तान का एक पेंशन भोगी हो इस विनियम* के प्रयोजन के लिए वास्तविक वेतन के भाग के रूप में होगी।

* जैसा कि डो वी सी की तारीख 19 सितम्बर 1964 को अधिक सूचना सं. 56 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

विनियम 40: लिखित रूप के कारण बताने पर निगम किसी कर्मचारी को उसकी पात्रता वाली श्रेणी से ऊपर वाली श्रेणी में यात्रा करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

विनियम 41: एक पद से दूसरे पद पर आने-जाने वाला कोई कर्मचारी दोनो पदों से निम्न श्रेणी का हकदार होगा।

दौरे पर यात्रा भत्ता

विनियम 42 :

विनियम 43 : किसी कर्मचारी का दैनिक भत्ता नीचे निर्धारित की गई दरों पर स्वीकार्य होगा।

कर्मचारी के श्रेणी	साधारण क्षेत्र	दैनिक भत्ते के वेतनमान	
		विशेष क्षेत्र दिल्ली, शिमला एवं मद्रास, बम्बई एवं कलकत्ता	
प्रथमा			
(i) 1000/-रु. वेतन तक	9.40 रु.	13.10 रु.	16.25 रु.
(ii) 1000/-रु. से अधिक	पहले 1000/- रु. वेतन के लिए 9.40 रु. के साथ साथ प्रत्येक अतिरिक्त 500/- रु. या उसका कोई भाग किन्तु अधिकतम 15.70 रु.	पहले 1000/- रु. के लिए 13.10/- रु. साथ साथ प्रत्येक अतिरिक्त 250/- रु. या उसका कोई भाग किन्तु अधिकतम 15.70 रु. वेतन के प्रत्येक 12.50 के लिए 33 पैसे या उसका कोई भाग किन्तु न्यूनतम 5.30 रु. और अधिकतम 10.70 रु.	पहले 1000/- रु. के लिए 16.25 रु. के साथ साथ प्रत्येक अतिरिक्त 250/- रु. के लिए पैसे या उसका कोई भाग किन्तु अधिकतम 18.75 रु. प्रत्येक 12.50 रु. के लिए 50 पैसे या उसका कोई भाग किन्तु न्यूनतम 8.00 रु. और अधिकतम 13.30 रु.
द्वितीय	वेतन के प्रत्येक 12.50 रु. के लिए 25 पैसे या उसका कोई भाग किन्तु अधिकतम 8.00 रु.	वेतन के प्रत्येक 12.50 के लिए 33 पैसे या उसका कोई भाग किन्तु न्यूनतम 5.30 रु. और अधिकतम 10.70 रु.	वेतन के प्रत्येक 12.50 के लिए 50 पैसे या उसका कोई भाग किन्तु न्यूनतम 8.00 रु. और अधिकतम 13.30 रु.
तृतीय	वेतन के प्रत्येक 12.50 के लिए 25 पैसे या उसका कोई भाग किन्तु न्यूनतम 2.00 रु.	वेतन के प्रत्येक 12.50 के लिए 33 पैसे या उसका कोई भाग किन्तु न्यूनतम 2.70 रु.	वेतन के प्रत्येक 12.50 के लिए 50 पैसे या उसका कोई भाग किन्तु न्यूनतम 3.30 रु.
चतुर्थ	2.00 रु.	2.70 रु.	3.33 रु.

* जैसा कि डो वी सी की तारीख 19 सितम्बर 1964 को अधिक सूचना सं. 56 द्वारा प्रतिस्थापित ता. 8-11-62 से प्रभावी होने वाली विनियम से प्रतिस्थापित किया गया

टिप्पणी : यदि किसी कर्मचारी को दौरे के दौरान निगम या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्वायत्त औद्योगिक या वाणिज्यिक उपक्रम या निगम या किसी कानूनी विकाय या किसी ऐसे स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क भोजन एवं आवास की अनुमति दी जाती है। जिसमें सरकार ने निधियों निवेश की है या सरकार का उसमें कोई अन्य हित है तो सरकारी कर्मचारी केवल उस संबंधित स्टेशन पर स्वीकार्य दैनिक भत्ते का एक-चौथाई भाग ही आहरण करेगा। यदि ऐसे कर्मचारी को निःशुल्क भोजन एवं आवास की अनुमति प्रदान की जाती है तो वह स्वीकार्य दर का आधा दैनिक भत्ता आहरण करेगा। यदि किसी कर्मचारी से उसके दौरे के दौरान किसी सर्किट हाउस डाक-बंगला/निरोक्षण बंगला, विभाग-गृह आदि में उसके ठहरने के संबंधमें अनिवार्य प्रभारों के भुगतान के लिए कहा जाता है तो उसको निःशुल्क आवास प्राप्त किया गया नहीं माना जाएगा और उसके लिए* उसके दैनिक भत्ते से कोई कटौती नहीं की जाएगी।

विनियम 44 : किसी ऐसे दिन के लिए दैनिक भत्ता आहरण नहीं किया जाए जिस पर कोई कर्मचारी अपने मुख्यालय से आठ किलोमीटर की परिधि से अधिक के किसी स्थान पर न पहुँचे और उसी स्थान से अपने मुख्यालय में वापस आ जाए।

विनियम 45 : दौरे पर ठहरने के दौरान या दौरे के दौरान किसी अवकाश दिवस के लिए तो दैनिक भत्ता आहरण किया जाए किन्तु आकस्मिक अवकाश के दौरान नहीं।

विनियम 46 :

(क) किसी एक ही स्थान पर लगातार 10 दिन से अधिक के लिए दैनिक भत्ता का आहरण नहीं किया जाए परन्तु निगम इस विनियम के लागू होने से उन अवस्थाओं में ऐसी सामान्य या निजी छुट प्रनाद कर सकता है जैसी कि वह उचित समझे और इस बात से सन्तुष्ट हो (i) कि काफी लम्बा विराम निगम के हित में आवश्यक है और (ii) ऐसा विराम कैम्प सज्जा के अनुरक्षण के लिए अनिवार्य हो जाता है या कैम्प सज्जा का अनुरक्षण नहीं किए जाने पर 10 दिन से अधिक तक विराम करने वाले कर्मचारी के मामले में अतिरिक्त व्यय प्रभारित किया जाएगा।

* (ख) दौरे पर किसी स्थान पर 10 दिन से अधिक तक प्रत्येक लगातार विराम के लिए दैनिक भत्ते की दरें निम्न होगी :

- (i) प्रथम 10 दिन के लिए, पूरा दैनिक भत्ता
- (ii) अगले 20 दिन के लिए तीन-चौथाई दैनिक भत्ता और
- (iii) उसके बाद आधा दैनिक भत्ता

* डो वी सी की तारीख 3 दिसम्बर 1952 की अधिसूचना सं. 11, तारीख 19 मार्च 1959 की सं. 12 तथा तारीख 24 अक्टूबर 1961 की सं. 24 अक्टूबर 1961 की सं. 34 द्वारा संशोधित किया गया।

- (ग) उपर्युक्त खंड (क) की शर्त (i) और (ii) को पूरा करने पर यदि निभर, कार्य खंड (क) का पालन करने में छूट देने के लिए प्राधिकृत करे तो कार्यलयाध्यक्ष ऐसी छूट दे सकता है जैसा कि वह सही समझे।

परन्तु 30 दिन से अधिक के संबंध में ऐसी छूट स्वीकृत नहीं की जाएगी।

टिप्पणी 1 : दौरे के दौरान किसी प्रकार के विराम को उपर्युक्त (क) के प्रयोजन के लिए तब तक लगातार सेवा समझा जब तक कि विराम स्थल से पाँच मील की दूरी तक अनुपस्थिति की अवधि तीन रात तक की न हो गई हो।

टिप्पणी 2 : विराम की अवधि की गणना करने में किसी ऐसे दिन को अलग निकाल दिया जाएगा जिस अिद कोई कर्मचारी विराम के स्थान से पाँच मील की दूरी तक यात्रा करता है या विराम है। ऐसे दिन के संबंध में कर्मचारी दैनिक भत्ता आहरण कर सकता है या यदि स्वीकार्य* हो तो इसे मील भत्ते में परिवर्तित कर सकता है।

विनियम 47 : (क) दैनिक भत्ते को मील भत्ते में परिवर्तित किया जाए यदि कोई कर्मचारी

(i) किसी सार्वजनिक वाहन द्वारा यात्रा करता है या

(ii) 32 किलोमीटर\$ से अधिक की यात्रा करता है किन्तु यदि कोई लगातार यात्रा एक दिन से अधिक हो जाता है तो ऐसा परिवर्तन सभी ऐसे दिनों के किया जाए न कि इनमें से किसी दिन के किसी भाग के लिए।

(ख) जब किसी यात्रा को किसी सार्वजनिक वाहन द्वारा की गई यात्रा के साथ मिला दिया जाता है तो मील भत्ता सड़क द्वारा की गई ऐसी यात्रा के संबंध में आहरण किया जाए किन्तु शर्त यह है कि जब तक सड़क द्वारा यात्रा 32 किलोमीटर से अधिक न हो तब तक मील भत्ते को दैनिक भत्ते से सीमित किया जाए।

***विनियम 48 :* बाह्य स्टेशन पर दौरे के दौरान विराम के लिए दैनिक भत्ते की गणना उस अवधि के आधार पर की जाएगी जो बाह्य स्टेशन पर यात्रा आरम्भ होने से आरम्भ होती है और वापसी यात्रा समाप्त होने या अगली यात्रा आरम्भ होने पर समाप्त होती है। दैनिक भत्ते की दरें निम्नप्रकार से परिकलित की जाएगी :

(i) छः घंटे तक विराम कुछ नहीं

(ii) छः घंटे से अधिक किन्तु 12 घंटे तक दैनिक भत्ते का आधा का विराम

** जैसा कि डो वी सी की ता. 22-9-70 की अधिसूचना सं. 83 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। यह विनियम 6 मई 1968 से प्रवावी है।

\$ जैसा डी वी सी की ना. 19 सितम्बर 1964 की अधिसूचना सं. 56 द्वारा संशोधित किया गया और इसे 8-11-1962 से प्रवारी किया गया।

* जैसा कि डी वी सी की ता. 24-10-61 की अधिसूचना सं. 34 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

- (iii) बारह घंटों से अधिक पूरा दैनिक भत्ता किन्तु चौबिस घंटे तक का विराम।
- (iv) चौबिस घंटे से अधिक प्रत्येक 24 घंटे का विराम के लिए एक दैनिक भत्ता किसी विराम के अन्य में चौबीस घंटे के किसी भाग के लिए दैनिक भत्ता उसी प्रकार परिकल्पित किया जाएगा जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने अपने तारीख 8 सितम्बर 1967 के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ-1(3) ई-iv(बी)/67 के जरिए अपने एस् आर. 76 क में वह व्याख्या दी है कि तारीख 1 अक्टूबर 1967 से किसी वाह्य स्टेशन पर दैनिक भत्ते को विराम की अवधि के साथ जोड़ा जाएगा।
2. दामोदर घाटी निगम के यात्रा भत्ता नियम भारत सरकार के नियमों पर आधारित हैं। अतः निगम ने उक्त व्याख्या को अपनाने और डी वी सी एस आर के विनियम 48 के वर्तमान प्रावधान में भारत की केन्द्रीय सरकार की तरह से संशोधन करने का निर्णय लिया। केन्द्रीय सरकार का औपचारित अनुमोदन लंबित होने से तारीख 6 मई 1968 से प्रभावी होने वाले डी वी सी एम आर-48 की व्याख्या किए गए थे।
3. जैसा कि पहले ही बताया गया था, भारत सरकार का कार्यक्रम ज्ञापन 1 अक्टूबर 1067 से लागू किया गया जिसको दामोदर घाटी निगम में अपना लिया गया और फिर 6 मई 1968 से प्रभावी कर दिया गया। इस प्रावधान का किसी कर्मचारी पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

विनियम 49: किसी सार्वजनिक सड़क द्वारा की जाने वाली यात्रा के लिए वाहन द्वारा की गई यात्रा को छोड़कर भत्ता में संशोधन होने तक निम्नलिखित दरों* पर स्वीकार्य होगा :

प्रथम श्रेणी के कर्मचारी	—	32 पैसे प्रति किलोमीटर
द्वितीय श्रेणी कर्मचारी	—	24 पैसे प्रति किलोमीटर
तृतीय श्रेणी कर्मचारी	—	10 पैसे प्रति किलोमीटर
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	—	6 पैसे प्रति किलोमीटर

* मील भत्ते की दरें डी वी सी की तारीख 14 सितम्बर 1964 की अधिसूचना सं. 56 द्वारा संशोधित की गईं जो कि 8-11-62 से प्रभावी हैं।

टिप्पणी 1 : सड़क द्वारा की जाने वाली यात्रा में मसुद्र द्वारा या स्टीम लाभ में की जाने वाली नदी की यात्रा या स्टीमर को छोड़कर, किसी जलयान और नहर द्वारा की जाने वाली यात्रा शामिल है।

टिप्पणी 2 : जब किसी ऐसे वाहन द्वारा दो या अधिक कर्मचारी यात्रा रते हैं जो उनमें से किसी एक का निजी हो तो उस वाहन का स्वामी उस प्रकार यात्रा करते भत्ता आहरण कर सकता है जैसे कि उसने अकेले यात्रा की है और अन्य कर्मचारी उन दरों पर दैनिक भर्ता या मील भत्ता आहरण कर सकते हैं जो न्यूनतम दरें उन पर लागू होती हैं।

II. सार्वजनिक सवारियों द्वारा यात्राओं के संबंध में मील भत्ता निम्न प्रकार से स्वीकार्य होगा।

क. रेल द्वारा

**1) निगम के कर्मचारी रेल द्वारा यात्रा करते समय निम्नलिखित श्रेणियों के हकदार होंगे :

क) साधारण श्रेणी --

प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी -- प्रथम श्रेणी

तृतीय श्रेणी के कर्मचारी -- जहाँ तक रेल की द्वितीय श्रेणी उपलब्ध हो वहाँ तक द्वितीय श्रेणी शेष दूरी के लिए तृतीय श्रेणी

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी - तृतीय श्रेणी

टिप्पणी : तृतीय श्रेणी के कर्मचारी सीटों के आरक्षण और शयन शायिक के हकदार होंगे, जहाँ पर ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हों।

ख) वातानुकूलित सीट --

(i) नीचे दर्शाए गए मामले को छोड़कर वातानुकूलित डिब्बों में केवल दौरे पर की जाने वाली यात्रा प्रतिबंधित की जाएगी और किसी भी मामले में रियायत कर्मचारी के परिवारों को नहीं दी जाएगी।

(ii) 2250/- रु. प्रतिमाह और इससे अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी दौरे के संबंध में वातानुकूलित डिब्बे में यात्रा कर सकता है और इस जन के लिए एकल सीट या बर्थ ले सकता है। प्रथम श्रेणी वाले 1600/- रु. और इससे अधिक किन्तु 2250/- रु. प्रतिमाह से कम वेतन पाने वाले, कर्मचारी की एक सीट या बर्थ लेकर वातानुकूलित श्रेणी में निगम के खर्चे पर ही दौरे वाली यात्रा कर सकते हैं किन्तु, ऐसी यात्रा के लिए उनसे एक नया पैसा प्रति किलोमीटर की वसूली की जाएगी।

** रेल पंजीकरण सं. द्वारा 11क मद के खंड (क) और (ख) को डी वी सी की तारीख 31-8-1960, 25-1-1963 की अधिसूचना सं. तथा सं. 22 द्वारा सं 45 संशोधित कर दिया गया है।

टिप्पणी -- वातानुकूलित श्रेणी में डी-लक्स रेलगाड़ियों का वातानुकूलित प्रथम श्रेणी का डिब्बा भी शामिल है।

- (iii) डी-लक्स रेलगाड़ियों के अतिरिक्त प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने के लिए हकदार कर्मचारी निगम के खर्चे पर डी-लक्स रेलगाड़ियों में तृतीय श्रेणी की वातानुकूलित रेलगाड़ियों में यात्रा कर सकते हैं।
- (iv) तृतीय श्रेणी वाले कर्मचारी निगम के खर्चे पर डी-लक्स वातानुकूलित रेलगाड़ियों में तृतीय श्रेणी द्वारा यात्रा करने के हकदार होंगे।
- (v) डी-लक्स रेलगाड़ियों में प्रथम श्रेणी की वातानुकूलित श्रेणी सहित वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा करने के इच्छुक उपर्युक्त (iii) और (iv) में दर्शाए गए कर्मचारियों से मित्र कर्मचारी अपकी हकदारी वाली श्रेणी और वातानुकूलित श्रेणी के किये गए के अन्तर का भुगतान करेंगे।
- (vi) उप-खंड (vii) के प्रावधानों के अनुसार चतुर्थ श्रेणी वाले ऐसे कर्मचारी जो अन्य रेलगाड़ियों द्वारा तृतीय श्रेणी में यात्रा करने के हकदार हों वे निगम के खर्चे पर डी-लक्स रेलगाड़ियों की तृतीय श्रेणी की वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा करने के पात्र नहीं होंगे।
- (vii) विशेष मामलों में जमादार या चपरासी की श्रेणी के व्यक्तिगत स्टाफ को उप डी-लक्स रेलगाड़ियों की तृतीय श्रेणी वातानुकूलित श्रेणी में निगम के खर्चे पर यात्रा करने वाले अधिकारियों द्वारा प्राधिकृत किया जाए जिनमें वे अधिकारी स्वयं यात्रा करते हैं वशर्ते कि साधारण तृतीय श्रेणी उस रेलगाड़ी में उपलब्ध न हो। ऐसी यात्राओं के संबंध में किए जाने वाले दावों को केवल तभी स्वीकार किया जाएगा जब संबंधित अधिकारी यह प्रमाण पत्र दे कि उसी रेलगाड़ी में उसके व्यक्तिगत स्टाफ द्वारा की जाने वाली यात्रा निगम के हित में आवश्यक थी।

- 2) दौरे से संबंधित आकस्मिक व्यय के साथ साथ ऐसी रेल यात्राओं के लिए मील भत्ते को नीचे बताए गए अनुसार परिकलित किया जाएगा जो उस रेल डिब्बे की श्रेणी का एकल भाड़ा होगा जिसके एक निगम का कर्मचारी हकदार है।
- (i) प्रथम श्रेणी के किसी कर्मचारी के लिए : प्रत्येक 10 किलोमिटर या यदि यह दूरी किलोमिटर से अधिक है तो उसके किसी भाग के लिए 35 पैसे।
 - (ii) द्वितीय श्रेणी के किसी कर्मचारी के लिए : प्रत्येक 10 किलोमिटर या यदि यह दूरी 5 किलोमिटर से अधिक है तो उसके किसी भाग के लिए 24 पैसे।
 - (iii) तृतीय श्रेणी वाले किसी कर्मचारी के लिए : प्रत्येक 10 किलोमिटर या यदि यह दूरी 5 किलोमिटर से अधिक है तो उसके किसी भाग के लिए 13 पैसे।
 - (iv) चतुर्थ श्रेणी के किसी कर्मचारी के लिए : पैसेंजर रेलगाड़ी द्वारा तृतीय श्रेणी के किराए का आधा।

** किन्तु रेलयात्रा के प्रत्येक चौबीस घंटे या उसके किसी भाग के लिए, विनियम 43 में साधारण क्षेत्रों के लिए दी गई दरों पर आकस्मिक व्ययों को दैनिक भत्ते से प्रतिबंधित किया जाएगा।

- टिप्पणी --
- (1) यदि अग्रवर्ती और वापसी यात्राएं उसी दिन नहीं की जाए तो उन्हें अलग अलग की गई यात्राएं माना जाएगी।
 - (2) रेल यात्रा में शामिल की गई अवधि को अनुसूचित रेलवे समय के सदर्थ से परिकलित किया जाएगा और इसमें किसी मध्य वही स्टेशन पर विराम की ऐसी अवधि भी शामिल है जो संयोजन रेलगाड़ी (कनेक्टिंग ट्रेन) को पकड़ने के संबंध में हो।

किन्तु --

- (क) जब रेल-पटरी के टूटने जैसी विशेष परिस्थितियों के कारण में रेलगाड़ी का रास्ता बदला जाता है तो रेल यात्रा द्वारा वास्तव में व्यतीत अवधि/दूरी की आकस्मिक व्ययों के लिए भत्ते की गणना करने के प्रयोजन से हिसाब में लिया जाएगा और

§ आकस्मिक व्यय की दरें ता. 19-9-64 की डी वी सी की अधिसूचना सं. 56 द्वारा संशोधित की गईं और ये दरें 8-11-1962 से प्रवावी हैं।

**जैसा कि डी पी सी की तां. 2 फरवरी 1972 की अधिसूचना सं. 92 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

- (ख) विलंब से चलनेवाली रेलगाड़ी के मामले में यदि रेलगाड़ी घंटे से भी अधिक विलंब से चल रही हो तो वास्तव में व्यतीत की गई अवधि को लेखे में खिचा जाएगा।
- (3) घटी हुई दरों पर वापसी की टिकटों हमेशा तभी खरीदी जाए जब की जाने वाली वापसी की यात्रा की वही संभावित अवधि हो जिसके लिए ऐसी वापसी यात्रा टिकटें खरीदी जाती हैं जो खरीदी जाए तो वापसी यात्रा टिकट की वास्तविक लागत के साथ साथ अग्रवर्ती और वापसी यात्राओं के आकस्मिक व्यय से संबंधित सामान्य स्वीकार्य भत्ता ही अग्रवर्ती और वापसी यात्राओं से संबंधित मील भत्ता होगा।
- (4) यदि कोई कर्मचारी प्रथम या द्वितीय श्रेणी की रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करने का हकदार है और वह तृतीय श्रेणी में यात्रा करता है और रात्रि यात्राओं के दौरान तृतीय श्रेणी के यात्रियों के लिए रेलवे द्वारा उपलब्ध कराए गए शयन स्थान के लिए अतिरिक्ति प्रभारों का भुगतान करता है तो नियंत्रण अधिकारी उस कर्मचारी को शयन सीट के लिए प्रभारों सहित वास्तव में प्रयुक्त सीट के किराए की अनुमति देगा बशर्ते कि यह उस श्रेणी के किराए से अधिक न हो जिसमें कर्मचारी यात्रा* करने के हकदार हो

ख. सड़क द्वारा

स्थानान्तरण के मामले को छोड़कर, किराए पर चलने वाली टैक्सी, मोटर, ओमनीवस या मोटर लॉरी में एकल सीट लेकर निगम के कर्मचारी के लिए रोड मील भत्ते की निम्नलिखित दरें \$ स्वीकार्य होंगी :

प्रथम श्रेणी वाले कर्मचारी	--	10 पैसे प्रति किलोमीटर
द्वितीय श्रेणी वाले कर्मचारी	--	8 पैसे प्रति किलोमीटर
तृतीय श्रेणी वाले कर्मचारी	--	6 पैसे प्रति किलोमीटर
चतुर्थ श्रेणी वाले कर्मचारी	--	4 पैसे प्रति किलोमीटर

टिप्पणी -- जब कभी रेल-व-सड़क सेवाएं उपलब्ध हों ओण रेलवे प्राधिकरणों द्वारा चलाई जाती हों तो ड्यूटी या स्थानान्तरण पर रोड द्वारा यात्राएं रेलवे-व-सड़क सेवा के भाग को चलाने वाले प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए रेल-व-सड़क टिकटों द्वारा की जानी चाहिए और यात्रा के सड़क वाले भाग के लिए मील भत्ते की गणना रेल द्वारा की जाने वाली यात्रा की तरह से की जाएगी। स्थानान्तरण होने पर, निजी सामान के परिवहन की लागत को यात्रा के सड़क वाले भाग के लिए विनियम (ग) के अधीन विनियमित किया जाएगा।

* यह खंड डी वी सी ता. 16 नवम्बर 1959 की अधिसूचना सं. 15 द्वारा शामिल किया ।

\$ सड़क मील भत्ते की दरें डी वी सी की तां 19 सितम्बर 1964 की अधिसूचना सं. 56 द्वारा संशोधित की गई और या दरें 8 नवम्बर 1962 से प्रवावी है।

ग. वायुयान द्वारा

- (1) वायुयान द्वारा यात्रा करने के लिए निगम द्वारा प्राधिकृत प्रथम श्रेणी का कोई कर्मचारी भारत में दौरे पर यात्रा करने पर दो स्तानों के बीच के एक मानक वायुयान के किराए के साथ साथ इसी मानक वायुयान किराए के पाँचवे भाग के बराबर के मील भत्ते का हकदार होता है किन्तु, इसको प्रत्येक यात्रा के लिए अधिकतम 10/- रु.* से सीमित किया जाता है। 1800/- रु.** और इससे अधिक वेतन पाने वाला कोई कर्मचारी अपने इच्छानुसार वायुयान से यात्रा कर सकता है। दौरे पर वायुयान द्वारा यात्रा करने के लिए प्राधिकृत प्रथम श्रेणी से निचली श्रेणी वाला कोई कर्मचारी यात्रा के लिए एक मानक वायुयान-किराया के साथ साथ रेल द्वारा किसी यात्रा के संबंध के आकस्मिक व्ययों के लिए भत्ता या यथास्थिति रेल या समुद्र द्वारा जुड़े हुए स्टेशनों के बीच यात्रा के मामले में मेय स्टीमर, और रोड द्वारा जुड़े हुए स्टेशनों के बीच किसी यात्रा के मामले में सड़क द्वारा उस मील भत्ते का आधा, जिसके लिए वह उस समय हकदार होता यदि वह सड़क द्वारा यात्रा करता अथवा मानक वायुयान के किराए का पाँचवा भाग जो कि प्रत्येक यात्रा के लिए अधिकतम 10/-* रु. से सीमित होगा, इनमें से जो भी कम हो :

परन्तु वायुयान द्वारा की जाने वाली यात्रा के अन्त में किसी कर्मचारी ने रेल, सड़क या स्टीमर द्वारा जुड़ी हुई कोई यात्रा की है तो वह ऐसी यात्रा के लिए विनियम 47 के खंड (ख) में दी गई शर्तों के अनुसार स्वीकार्य मील भत्ते को आहरित कर सकता है;

पुनः यह प्रावधान किया जाना है कि भूतल परिवहन के संबंध में किसी इस प्रकार के मील भत्ते का आहरण न किया जाए जो वायुयान की यात्रा का कोई भाग हो और जिसको वायुयान की यात्रा के संबंध में भुगतान किए गए किराए में शामिल किया जाता है।

टिप्पणी : (i) यदि घटी दरों पर वापसी की टिकटें उपलब्ध हों तो ये तभी खरीदी जाए जब यह संभावना हो कि कोई अधिकारी उसी अवधि के दौरान, वापसी यात्रा करेगा जिस अवधि के लिए ये टिकटें उपलब्ध हैं। किन्तु, जब ऐसी वापसी टिकटें उपलब्ध हो तो वापसी टिकट की वास्तविक कीमत जमा प्रत्येक मार्ग की एक यात्रा के लिए उपर्युक्त खंड (i) के अन्तर्गत परिकल्पित आकस्मिक खर्ची वाला कोई भत्ता ही भत्ता ही मील भत्ता होगा।

* जैसा कि डी वी सी तारीख 6-6-69 तथा 10 जुलाई 1969 के क्रमशः अभिसूचना सं. 72 तथा 75 द्वारा संशोधित किया गया।

** जैसा कि डी वी सी के तारीख 29 मई 1968 के अधिसूचना सं. 71 द्वारा संशोधित किया गया।

- (ii) 'मानक वायुयान-किराए' का अर्थ है वास्तविक एकल यात्रा वायुयान किराया जो उस सेवा के लिए भुगतान योग्य है जिसके द्वारा यात्रा की जाती है।
- (iii) वायुयान के पारगमन की बुकिंग के संबंध में हुआ सम्पूर्ण खर्चा संबंधित कर्मचारी द्वारा ही वहन किया जाना चाहिए और इसे निगम से नहीं लिया जाता चाहिए। यह निर्णय उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें वायुयान की यात्रा के संबंध में केवल वास्तविक खर्चों को आहरण करने की अनुमति दी गई हो।**
- (2) यदि किसी कर्मचारी को वायुयान द्वारा करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया जाता है किन्तु वह दौरे पर वायुयान से यात्रा कर लेता है तो वह उतना मील भत्ता आहरण कर सकता है जितना कि उसके द्वारा रेल, सड़क या स्टीमर द्वारा यात्रा करने या उपर्युक्त खंड (1) के अन्तर्गत परिकल्पित करने पर बनता हों, इनमें से जो भी कम हो।
- (3) निगम के खर्चे पर भारत के भीतर वायुयान द्वारा यात्रा करने के लिए प्राधिकृत प्रथम श्रेणी के कर्मचारी 25 सितम्बर 1968 से केवल मितव्ययी (पर्यटक) श्रेणी द्वारा यात्रा करने के हकदार होंगे जहाँ पर उपलब्ध सीट की श्रेणी प्रथम श्रेणी और मितव्ययी (पर्यटक) श्रेणी है।

****विनियम 50* : मील भत्ते की गणना करने के प्रयोजन के लिए दो स्तानों के बीच में की गई यात्रा दो या अधिक लघुतम और सबसे सस्ते और व्यवहारिक मार्ग को लिया जाता है किन्तु, यदि रेल मार्ग से की गई यात्रा और इन मार्गों द्वारा लिए गए समय और खर्चों में अधिक अन्तर नहीं है तो वास्तव में प्रायुक्त मार्ग पर ही मील भत्ता परिकल्पित किया जाना चाहिए।

टिप्पणी 1 : लघुतम मार्ग वह होता है जिसके द्वारा कोई यात्री अपनी यात्रा के साधारण प्रकार द्वारा अपने गन्तव्य स्थान पर शीघ्रता से पहुँच जाता है यदि मार्ग दो हो तो निगम यह निर्णय करेगा कि दोनों में से लघुतम किसे माना जाए।

** जैसा कि डी वी सी ता. 19 सितम्बर 1966 के अभिसूचना सं. 56 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।।

* डी वी सी के ता 30 अगस्त 1969 के अभिसूचना सं. 76 द्वारा संशोधित किया गया।

*** जैसा कि डी वी सी तारीख 19 मई 1960 और 17 जुलाई 1965 के अभिसूचना क्रमांक सं. 20 और सं. 59 द्वारा संशोधित किया गया।।

टिप्पणी 2 : यदि कोई कर्मचारी किसी ऐसे मार्ग से यात्रा करते हैं जो लघुत्तम नहीं है किन्तु लघुत्तम से सस्ता है तो मील भत्ता वास्तव में प्रयुक्त के मामले में ही परिकल्पित किया जाना चाहिए।

टिप्पणी 3 : यात्रा का साधारण माध्यम रेल होने से रेल द्वारा जुड़े स्थानों के बीच में की गई यात्रा के संबंध में सड़क मील भत्ते को निम्न प्रकार विनियमित से किया जाएगा।

- (i) रेल से जुड़े दो स्थानों के बीच में जब सार्वजनिक सवारी में एक सीट लेकर यात्रा की जाती है तो सार्वजनिक सवारी में एक सीट के लिए भुगतान किया गया किराये के साथ साथ रेल द्वारा यात्रा के लिए स्वीकार्य आकस्मिक खर्च या विनियम 49-II(ख) में निर्धारित सड़क मील भत्ते की निचली दर किन्तु रेल मील भत्ते से सीमित ही मील भत्ता स्वीकार्य होगा।
- (ii) जब अन्य प्रकार से यात्रा की जाती है तो विनियम 49-I में निर्धारित किन्तु रेल मील भत्ते से सीमित सड़क मील भत्ते की उच्चतर दरें स्वीकार्य होंगी।

विनियम 51 : (1) निगम किसी सामान्य या विशेष आदेश के जरिए और ऐसी शर्तों के अनुसार जो वह उपयुक्त समझे, किसी कर्मचारी या कर्मचारियों की श्रेणी को मुख्यालय से किसी प्रकार की अनुपस्थिति के संबंध में उस समय दैनिक भत्ते के स्थान पर मील भत्ता आहरण करने की अनुमति दे सकता है जब यह विचार किया गया हो कि कर्मचारी की ड्यूटी के स्वरूप के अनुसार उसके यात्रा खर्चों को पूरा करने के लिए दैनिक भत्ता पर्याप्त नहीं है।

(2) इस विनियम के अन्तर्गत निगम अपनी शक्तियां कार्यालाध्यक्ष या नियंत्रण अधिकारियों को प्रत्यायोजित कर सकता है।

विनियम 52 : निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई सवारी से की गई यात्रा के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा। यदि वाह्य स्टेशन पर ऐसी यात्रा के कारण छः घंटे से अधिक का विराम हो तो दैनिक भत्ते का आहरण किया जा सकता है।

किन्तु, यदि निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी सवारी द्वारा अपने मुख्यालय के क्षेत्र से 8 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक किसी कर्मचारी द्वारा यात्रा की जाती है तो वह विनियम में दी गई दरों के अनुसार दैनिक भत्ता आहरण करने का हकदार होगा किन्तु शर्त यह है कि एक माह में ऐसी यात्राओं के लिए दिन तक पूरा दैनिक भत्ता या दिन तक आधा दैनिक भत्ता स्वीकार्य होगा।

§§ विनियम के उप विनियम (2) कि डी वी सी तारीख 8 जून 1961 के अभिसूचना सं. 36 द्वारा सामिल किया गया।

* जैसा कि डी वी सी के तारीख 8 सितम्बर 1970 के अधिसूचना सं. 81 द्वारा संशोधित किया गया।

पुनः यह प्रावधान किया जाता है कि दामोदर घाटी निगम द्वारा स्थापित न किए गए किसी नगर-क्षेत्र में स्थित किसी ऐस कर्मचारी के मामले में जो अपने मुख्यालय से कि.मी. की परिधि से बाहर किसी निर्माण कार्य पर सीधा ही और लगातार कार्यरत है और वह निर्माण भत्ता प्राप्त करता है, तो उपर्युक्त उल्लिखित शर्तों के अनुसार, दैनिक भत्ते की हकदारी के लिए यह यात्रा उसके मुख्यालय से 16 कि.मी. की सीमा से परे या संबंधित उप-प्रभाग या प्रभाग के क्षेत्राधिकार से परे, जो भी कम हो, होनी चाहिए।

** जब किसी कर्मचारी का किसी यात्रा के किसी भाग के लिए या यात्रा के केवल एक भाग (अर्थात् मुख्यालय से जाने के लिए या मुख्यालय में वापसी के लिए) के लिए मुफ्त सवारी प्रदान की जाती है और वह उसी दिन अपने मुख्यालय में लौट आता है तो नियमानुसार स्वीकार्य दैनिक भत्ते को निम्न प्रकार से परिकल्पित किया जाएगा।

यदि मुख्यालय में अनुपस्थिति बारह घंटे से अधिक नहीं है तो — आधा दैनिक भत्ता। यदि मुख्यालय से अनुपस्थिति 12 घंटे से अधिक है तो — पूरा दैनिक भत्ता।

वह अपने विकल्प के अनुसार आधा दैनिक भत्ते का बदले में ऐसी यात्रा के किसी के लिए स्वीकार्य मील भत्ते का भी आहरण कर सकता है जिसके लिए मुक्त सवारी उपलब्ध न कराई गई हो परन्तु यात्रा की गई दूरी 32 कि.मि. से अधिक हो।§

नियत यात्रा भत्ता

विनियम 53 : ऐसे कर्मचारियों के मामले में जिन्हें ड्यूटियों में बहुत अधिक यात्रा करने पड़ती है, उनको निगम द्वारा सही ठहराई जाने वाली शर्तों के अनुसार, उनकी ड्यूटी के क्षेत्र के भीतर सभी प्रकार के अन्य दैनिक भत्ते के स्थान पर एक नियत भत्ता प्रदान कि।

** जैसा कि डी वी सी ता. 31-8-1960 के अभिसूचना सं. 22 द्वारा संशोधित किया गया।।

* जैसा डी वी सी के तारीख 10 सितम्बर 1970 के अधिसूचना सं. 82 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया या अधिसूचना से है।

*** जैसा कि नवम्बर को प्रस्ताव से डी वी सी तारीख 19-9-64 के अभिसूचना सं. 56 द्वारा संशोधित किया गया।।

स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ता

विनियम 54 : निगम के हित में स्थानान्तरण होने पर निम्नलिखित यात्रा भत्ता स्वीकार्य होगा

टिप्पणी -- कर्मचारी के स्वयं के अनुरोध पर किसी स्थानान्तरण को निगम के हित में स्थानान्तरण नहीं समझा जब तक कि स्थानान्तरण करने वाला प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न देता हो।

*क) स्वयं के संबंध में

(i) रेल द्वारा यात्राएं : उस श्रेणी के एकल किराये के साथ साथ आधे माह के वेतन की दर से एक मुख्य राशि जिसमें कोई कर्मचारी सीट पाने का हकदार हो किन्तु अधिकतम 200.00 रु. \$\$ के साथ साथ विनियम 49-II क (2) में दौरे पर यात्राओं के लिए निर्धारित आकस्मिक खर्चों की राशि का दो गुना।

(ii) सड़क द्वारा यात्राएं : आधे माह के वेतन की दर पर एक-मुश्त राशि किन्तु अधिकतम 200.00 रु. के साथ साथ विनियम 49-I के अन्तर्गत दौरे पर यात्राओं के संबंध में स्वीकार्य सड़क मील भत्ता।

टिप्पणी 1 : जब किसी कर्मचारी का पुराना और तथा मुख्यालय रेल से जुड़ा न हो और कोई कर्मचारी अपने स्थानान्तरण पर सड़क से यात्राएं करने के लिए निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई सवारी द्वारा मुफ्त परिगमन की सुविधा प्राप्त करता हो तो यह आधे माह के बराबर की एक मुश्त राशि का हकदार होगा किन्तु यह राशि अधिकतम 200.00 रु. होगी और इसमें आधा मील भत्ता जोड़े जाएगा।

टिप्पणी 2 : जहाँ पर ऐसे कर्मचारी के निजी नौकरों या संबंधियों जिनके लिए वह इन विनियमों के अन्तर्गत यात्रा भत्ता आहरण करने का हकदार नहीं है) को निगम के वाहन में मुफ्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है वहाँ पर आकस्मिक खर्चों में से उतनी राशि कम कर दी जाएगी जितनी कि वह तब खर्च करता यदि वह ऐसे नौकरों या संबंधियों पर दो स्थानों के बीच साधारण यात्रा करने पर खर्च करता। यदि आकस्मिक खर्चों की राशि वसूल की जाने वाली राशि से कम है तो अधिक राशि को तब नकद वसूल किया जाएगा यदि यह राशि निजी सामान के ले जाने के संबंध में प्रतिपूर्तियोग्य राशि से समायोजित न किया जा सकता है।

* डी वी सी के ता 26 मार्च 1965 के अधिसूचना सं. 58 द्वारा संशोधित और 8 नवम्बर 1962 से प्रभावी।

\$\$ जसौ कि डी वी सी तारीख 10 सितम्बर 1970 के अधिसूचना सं. 82 द्वारा प्रतिस्थापित और 1 अप्रैल 1970 से प्रभावी।

- टिप्पणी 3 :* यदि कोई निजी सामान निगम के वाहन में मुक्त परिवहन किया जाता है तो निगम के वाहन द्वारा परिवहन किये गए भार को खंड (ग) के अन्तर्गत अनुमत अधिकतम मात्रा से घटाया जाना चाहिए। यदि निगम के वाहन द्वारा ले जाया जाने वाला भार खंड (ग) के अन्तर्गत अनुमत अधिकतम मात्रा से अधिक है तो अधिक भार के लिए कर्मचारी से उस दर पर वसूली की जाए जो दर तब लागू होती जब वह इस मात्रा को किसी प्राइवेट वाहन से ले जाने के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करता।
- टिप्पणी 4 :* जहाँ पर पुराना और नया दोनों मुख्यालय रेल द्वारा जुड़े हों और जब कोई कर्मचारी स्थानान्तरण होने पर किसी सड़क की यात्रा के लिए निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी सवारी द्वारा मुफ्त परिगमन का लाभ प्राप्त करता है तो वह आधे माह के वेतन के बराबर एक-मुफ्त राशि पाने का हकदार होगा किन्तु यह राशि अधिकतम 200.00 रु. \$\$ होगी और इसमें आकस्मिक खर्चों के भत्ते को सीमित करके मील भत्ते की वह आधी राशि जोड़ी जाएगी जो उसे तब स्वीकार्य होती जब वह रेल द्वारा यात्रा करता।
- टिप्पणी 5 :* यदि ऐसे कर्मचारी के निजी नौकर या संबंधियों (जिनके लिए वह विनियम के अन्तर्गत, यात्रा भत्ता आहरण करने का हकदार नहीं है) को मुफ्त में निगम का वाहन उपलब्ध कराया जाता है तो आकस्मिक खर्चों के भत्ते में से वह रेल का किराया घटाया जाना चाहिए जो उसके निजी नौकर या संबंधी तब रेल की उस श्रेणी पर खर्च करते जिसके वह कर्मचारी हकदार था। यदि ऐसे रेल किरायों से आकस्मिक खर्च-भत्ता कम है और इसको निजी सामान ले जाने के संबंध में प्रतिपूर्ति योग्य राशि से समायोजित नहीं किया जा सकता हो तो इस राशि को नकद रूप में वसूल किया जाना चाहिए।
- टिप्पणी 6 :* यदि कोई किसी सामान उस मुफ्त भत्ते से अधिक है जो तब अनुमेय होता जब कर्मचारी रेल द्वारा यात्रा करता और इस सामान को निगम के वाहन में मुफ्त ले जाया जाता है तो खंड (ग) के अन्तर्गत अनुमत अधिकतम भार में से अतिरिक्त सामान के भार को कम कर दिया जाएगा। यदि खंड (ग) के अन्तर्गत अनुमत अधिकतम भार निगम द्वारा ले जाए जाने वाले भार से अधिक है तो अधिक भार के लिए कर्मचारी से उस दर पर वसूली की जाएगी जो दर वह तब देता जब वह इस (अधिक) सामान को रेल द्वारा ले जाता।
- टिप्पणी 7 :* कर्मचारी के परिवार के सदस्यों और निजी सामान के संबंध में किए गए दावों पर खंड (ख) और (ग) के अन्तर्गत तब प्रभाव नहीं पड़ेगा जब उसे अविहित परिगमन करने की अनुमति दी जाती है किन्तु कर्मचारी द्वारा ले जाए जाने वाला कुछ सामान खंड (ग) के अन्तर्गत अनुमेय किलोग्रामों की कुल मात्रा से अधिक नहीं होगा।

\$\$ जसै कि डी वी सी तारीख 10 सितम्बर 1970 के अभिसूचना सं. 82 द्वारा प्रतिस्थापित और 1 अप्रैल 1970 से प्रभावी।

टिप्पणी 8 : यदि नियम के वाहन को किसी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों की सवारी और उसके निजी सामान के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो खंड (ख) और (ग) के अन्तर्गत किसी प्रकार का अतिरिक्त भत्ता और मील भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

(ख) कर्मचारी के साथ यात्रा करने वाले परिवार के सदस्य :-

- (i) रेल द्वारा यात्रा करने के लिए : परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए उस श्रेणी का वास्तविक किराया जिसके लिए कर्मचारी स्वयं हकदार हो।
- (ii) सड़क द्वारा यात्रा करने के लिए : यदि उसके परिवार के दो सदस्य उसके साथ साथ यात्रा करते हों तो उस दर पर एक भील भत्ता जिसके लिए कर्मचारी स्वयं के लिए साधारणतया हकदार हो और उसके साथ दो से अधिक सदस्य यात्रा कर रहे हो तो स दर का दोगुना। यह विनियम 50 में दी गई शर्तों के अनुसार अनुमेय होगा।

(ग) निजी सामान के परिवहन के लिए :

- (i) निम्नलिखित सीमा तक मालगाड़ी द्वारा निजी सामान के परिवहन की वास्तविक लागत :*

कर्मचारी की श्रेणी	यदि परिवार साथ नहीं है	यदि परिवार साथ है
	किलोग्राम	किलोग्राम
प्रथम	1500	2240
द्वितीय	750	1120
तृतीय	450	560
चतुर्थ	115	190

टिप्पणी 1 -- यदि निजी सामान मालगाड़ी से भिन्न किसी रेलगाड़ी में ले जाया जाता है तो मालगाड़ी द्वारा अधिकतम राशि की सीमा तक वास्तविक कीमत की अनुमति दी जाए।

टिप्पणी 2 – जो कर्मचारी रेल द्वारा जुड़े स्टेशनों के बीच सड़क द्वारा अपने सामान को ले जाता है वह उस राशि की सीमा तक वास्तविक खर्चों का आहरण कर सकता है जो उसको तब अनुमेय होता यदि वह उतना सामान अपने साथ लेकर यात्री गाड़ी द्वारा यात्रा करता किन्तु यह राशि उस राशि से अधिक नहीं होगी जो उसे तब स्वीकार्य होती यदि वह मालगाड़ी द्वारा अधिकतम सामान साथ लेकर यात्रा करता।

* विनियम 54 (सी) के उपखंड (1) में दी गई सारनी को दा या नि अञ्चिूचना सं. 56 दिनांक 19 सितंबर 1964 द्वारा पुनरीखत किया गया जो 8.11.62 से प्रवावी हुआ।

- (iii) सड़क द्वारा यात्राओं के लिए -- एक आना प्रति मौड़ प्रति मील की दर पर मील भत्ता।
- (iv) यदि कर्मचारी किसी ऐसे पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए यात्रा कर रहा हो जिसमें किसी सवारी द्वारा जाना दक्षता की दृष्टि से लाभदायक हो और तय की गई दूरी किलोमीटर से अधिक हो, तो उसके अपने जोखिम पर रेल, स्टीमर या उसके अपने जोखिम पर किसी अन्य सवारी द्वारा परिवहन का वास्तविक खर्च निम्नलिखित माप के अनुसार आहरण किया जाए :

कर्मचारी के श्रेणी	अनुमत माप
प्रथम और द्वितीय तृतीय	मोटरकार या मोटर साइकिल मोटर साइकिल या साधारण साइकिल

विनियम 55 : निजी सामान के परिवहन के खर्चे के संबंध में दावों के साथ इस आशय का एक प्रमाण पत्र लगाया जाना चाहिए कि किए गए व्यय की वास्तविक राशि दावा की गई राशि से कम नहीं थी।

विनियम 56 : किसी कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य को उस स्थिति में कर्मचारी के साथ ही यात्रा करने वाला माना जाएगा जब वह कर्मचारी के बाद में उसके स्थानान्तरण की तारीख से छः माह के भीतर या कर्मचारी द्वारा यात्रा करने के लिए प्रस्थान की तारीख से एक साथ के भीतर यात्रा करता है। किसी कर्मचारी के ऐसे बच्चे जो उसके स्थानान्तरण के समय शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हो और नए स्टेशन पर उसके साथ अवकाश विताने के लिए बाद में आ जाते हैं तो स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ते के प्रयोजन से उनके परिवार के सदस्यों के रूप में माना जाए और उनको सामान्य यात्रा भत्ते की अनुमति दी जाए किन्तु यात्रा भत्ते की अन्य शर्तें पूरी की जानी चाहिए।*

विनियम 57 : यदि कर्मचारी के स्थानान्तरण पर उसका परिवार नए मुख्यालय से भिन्न किसी अन्य स्टेशन तक यात्रा करता है तो उन शर्तों के अनुसार परिवार के लिए यात्रा भत्ता आहरण किया जाए कि यह यात्रा उस भत्ते से अधिक न हो जो तब स्वीकार्य होता यदि उसका परिवार नए मुख्यालय तक यात्रा करता।

टिप्पणी -- विनियम 56 और 57 के प्रयोजन के लिए किसी कर्मचारी का ग्रेड उसके स्थानान्तरण की तारीख को दिए गए तथ्यों के सन्दर्भ से निर्धारित किया जाएगा

** जैसा कि डी वी सी तारिख 16 नवम्बर 1959 के अभिसूचना सं. 15 द्वारा संशोधित किया गया।।

जब कि स्वीकार्य किरायों की संख्या उस यात्रा की तारीख को दिए गए तथ्यों के अनुसार निर्धारित की जाएगी जिसके संबंध में यात्रा भत्ते का दावा किया जाता है किन्तु स्थानान्तरण की तारीख के बाद, परिवार के सदस्यों की संख्या में वृद्धि के संबंध में किसी प्रकार का यात्रा भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।*

§§विनियम 57: क) किसी कर्मचारी के लिए दिए जाने वाले यात्रा भत्ते या दैनिक भत्ते पर तब विचार नहीं किया जाएगा यदि इनके लिए उनके देय होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर दावा नहीं किया जाता।

अल्प यात्राओं और प्रथम नियुक्ति पर यात्राओं के संबंध में यात्रा भत्ता

विनियम 58: अपने मुख्यालय से पाँच मील के दायरे में अपनी ड्यूटी पर यात्रा करने वाला कोई कर्मचारी उस वास्तविक राशि की वसूली का हकदार होगा जो उसने सार्वजनिक सवान्तियों वा किराए प्रभारों के लिए खर्च की है।

विनियम 59: जब तक अन्यथा किसी विशेष मामले में बताया न जाए, तब तक प्रथम नियुक्ति होने पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

चिकित्सा सेवा

विनियम 60: इन विनियमों में जब तक कोई वाते विषय द्वारा सन्दर्भ में असगत न हो तब तक:

क) “प्राधिकृत चिकित्सा परिचय” का अर्थ है निगम द्वारा नियुक्त या घोषित किया गया कोई चिकित्सा अधिकारी।

**कक) विनियम 60 से 70 के प्रयोजद के लिए “परिवार” का अर्थ है यथास्थिति किसी कर्मचारी का पति या पत्नी और माता-पिता, वैध बच्चे और कर्मचारी के ऐसे सौतेले बच्चे जो किसी कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित हों।

टिप्पणी :--(1) “बच्चों” के अर्थ में कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे भी शामिल है।

§§ डी वी सी तारीख 29 मई 1968 के अधिसूचना सं. 71 द्वारा शामिल किया गया।।

* यह टिप्पणी डी वी सी के तारीख 16 नवम्बर 1959 के अधिसूचना सं. 15 द्वारा शामिल की गई हो।

** यह खंड डी वी सी के तारीख 10 अप्रैल 1960 अधिसूचना सं. 52 के जरिए शामिल किया गया है।

- (2) जहाँ पर किसी कर्मचारी की एक पत्नी से अधिक पत्नियां हो वहाँ पर सभी पत्नियों को “परिवार”** के अर्थ में शामिल किया जाएगा।
- (ख) “अस्पताल” का अर्थ है ऐसा कोई अस्पताल जो सरकार या निगम या किसी स्थानीय प्राधिकरण अर्थात् नगर पालिका या जिला परिषद द्वारा अनुरक्षित किया जाता हो और ऐसा अन्य कोई अस्पताल या डिस्पेसरी जो उसके कर्मचारियों के इलाज के प्रयोजन के लिए निगम द्वारा मान्यता प्राप्त हो।
- (ग) “रोगी” का अर्थ है कोई कर्मचारी और उसके परिवार का कोई ऐसा सदस्य जो बीमार हो।
- (घ) “चिकित्सा परिचर्या” का अर्थ है किसी अस्पताल में या प्राधिकृत चिकित्सा परिचर के परामर्श-कक्ष में या यदि कोई रोगी ऐसा हो जिसे बीमार होने की स्थिति में उसे निवास स्थान पर ही सेवा की आवश्यकता हो तो रोगी के निवास-स्थान पर दी जाने वाली चिकित्सा सेवा। इसमें निदान के प्रयोजन के लिए रोगात्मक विकिरणात्मक, जीवाणु संबंधी जाँच या ऐसी अन्य विधियां शामिल है जो सरकार/स्थानीय-निधि दामोदर घाटी निगम द्वारा मान्यता प्राप्त समीपस्थ अस्पताल या की प्रयोगशाला में उपलब्ध हो और जिसे प्राधिकृत चिकित्सा परिचर्य द्वारा आवश्यक समझा गया हो, तथा इसमें ऐसा परामर्श शामिल है जो इस प्रकार मान्यता प्राप्त किसी अस्पताल से संबद्ध किसी विशेषज्ञ के साथ किया गया हो या प्राधिकृत चिकित्सा परिचर के रूप में ऐसे अन्य सरकारी चिकित्सा अधिकारी ने ऐसी सीमा तक और ऐसी पद्धति में इसे प्रमाणित किया हो जो प्राधिकृत चिकित्सा परिचर के साथ परामर्श से विशेषज्ञ या अन्य चिकित्सा अधिकारी नियत करे।§§
- (ङ) “चिकित्सा उपचार” का अर्थ है उस अस्पताल में उपलब्ध सभी डाक्टरों और शल्य सुविधाओं का प्रयोग जिसमें किसी कर्मचारी का उपचार किया जाता है या किसी अस्पताल से बाहर ऐसे उपचार के मामले में जैसा कि प्राधिकृत चिकित्सा परिचर द्वारा निर्धारित हो और इसमें निम्नलिखित बातें शामिल हो :
- (i) ऐसी चिकित्सा संबंधी, जीवाणु संबंधी, विकिरण संबंधी या अन्य विधियों का प्रयोग जैसी कि प्राधिकृत चिकित्सा परिचर द्वारा आवश्यक समझी जाए।
- (ii) ऐसी दवाइयों, टीका-द्रव्य या अन्य चिकित्सीय द्रव्य जो साधारणतया अस्पताल में उपलब्ध हों।

** इस खंड को डी वी सी के तारिख 10 अप्रैल 1960 के अधिसूचना सं. 52 द्वारा शामिल किया गया।।

§§ जैसा कि डी वी सी के तारीख 12 जनवरी 1961 के अधिसूचना सं. 26 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

- (iii) ऐसी दवाइयां, टीका-द्रव्य, सीरा या अन्य चिकित्सा संबंधी-द्रव्यों को आपूर्ति जो अस्पताल में उपलब्ध न हो और जिनके लिए रोगी को ठीक होने या उसकी स्थिति में गंभीर विकृति होने से बचाव के लिए प्राधिकृत चिकित्सा परिचर लिखित रूप में आवश्यकता को प्रमाणित करें।
- (iv) ऐसा स्थान जो अस्पताल में साधारणतया उपलब्ध कराया जाता है और उसकी हैसियत के अनुकूल हो अस्पताल के अन्दर अस्पताल में सामान्य या मुक्त वार्डों में ऐसा स्थान जो ऐसे कर्मचारी के लिए उपयुक्त माना जाता है जिसका अधिकतम वेतन-मान 60/-रु. या इससे कम हो।
- (v) ऐसी परिचर्या जो अस्पताल द्वारा रोगियों को साधारणतया उपलब्ध कराई जाती है।
- (vi) विशेषज्ञ का परामर्श : खंड (घ) §§ में वर्णित

टिप्पणी 1 : किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल में किसी बाह्य रोगी के रूप में उपचार इन विनियमों के प्रयोजन के लिए “अस्पताल-उपचार” होता है।

टिप्पणी 2 : यदि कर्मचारी की हैसियत के अनुकूल आवास उपलब्ध नहीं तो कर्मचारी अगली उपलब्ध श्रेणी का हकदार होगा परन्तु अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाए कि रोगी के दाखिले के समय उपर्युक्त श्रेणी का आवास उपलब्ध नहीं था और जब तक उपयुक्त श्रेणी का, उपलब्ध नहीं हो जाता तब तक कर्मचारी के स्वास्थ्य के खतरे को देखते हुए, कर्मचारी के दाखिले में विलम्ब नहीं किया जा सकता था।

टिप्पणी 3 : यदि किसी अस्पताल में उपचार के दौरान किसी प्रकार की विशेष चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता हो तो कोई कर्मचारी या उसके परिवार का कोई सदस्य ऐसी विशेष चिकित्सा सुविधा का हकदार होगा जैसी कि बीमारी के स्वरूप को ध्यान में रखकर कर्मचारी को ठीक होने और रोगी की स्थिति में गंभीर विकृति को बचाने के लिए आवश्यक समझा जाए। इस प्रयोजन के लिए अस्पताल के मामले में निम्नलिखित फ़ॉर्म में अस्पताल में इस चिकित्सा प्रवारी से ऐसा एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए, जिसे अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया हो।

§§ जैसा कि डी वी सी के तारीख 12 जनवरी 1961 के अधिसूचना सं. 26 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

प्रमाण-पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ किमें कार्यरत श्री
.....को बीमारी के
उपचार के लिएअस्पताल में रखा गया और विशेष परिचारी सेवाओं
के संबंध में संलग्न बिलों और रसीदों के अनुसाररु. का खर्चा हुआ
था जो कि रोगी को ठीक होने और उसकी स्थिति में गंभीर विकृति से बचाव के लिए आवश्यक
था।

अस्पताल में मामले के प्रबारी
चिकित्साधिकारी के हस्ताक्षर
तारीख.....

प्रतिहस्ताक्षर
चिकित्सा अधीक्षक,
अस्पताल.....

ऐसे विशेष परिचर्या के संबंध में ऐसी घनराशि तक प्रतिपूर्ति की जाएगी जो इस अवधि के
लिए संबंधित कर्मचारी के वेतन के प्रतिशत से अधिक हो जिसके लिए विशेष परिचर्या
आवश्यक थी।

*टिप्पणी 4 : कर्मचारियों के निम्नलिखित मामलों को छोड़कर अस्पताल में भुगतान किसये गए
खुराक प्रभार वापसी योग्य नहीं होते :

- क) तपेदिक को छोड़कर, किसी बीमारी से पीड़ित और संशोधित वेतन मान
में महगाँई वेतन सहित दो सौ सत्तर रूपएप्रतिमाह की सीमा तक वेतन
आहरण करने वाले कर्मचारी और संशोधित वेतन मान का विकल्प देने
वाले ऐसे कर्मचारी जो प्रतिमाह महगाँई वेतन सहित चार सौ दस रूपए
तक वेतन आहरण करते हों, और
- ख) संशोधित वेतन-मान में महगाँई वेतन सहित चार सौ नव्वे तक की सीमा
तक वेतन आहरण करने वाले तपेदिक से पीड़ित कर्मचारी जब तक निगम
द्वारा कोई विशेष आदेश न दिया जाए तब तक अस्पताल प्रभार के बीस
प्रतिशत को खुराक प्रभार के रूप में मानना चाहिए।

* जैसा कि डी वी सी के तारीख 9-11-71 के अधिसूचना सं. 91 द्वारा संशोधित और 1.2.69 से प्रवावी किया गया ।

जब तक अन्यथा निगम द्वारा कोई विशेष आदेश न दिया जाए, तब तक अस्पताल प्रभागों के 20 प्रतिशत को खुराक प्रभागों के रूप में मानना चाहिए और उन मामलों में आवास के लिए 20 प्रतिशत जहाँ पर अस्पताल द्वारा निर्धारित फ्लैट-दर में (i) खुराक (ii) आवास (iii) साधारण परिचर्या और (iv) साधारण चिकित्सा और शल्य सेवाएं शामिल हो। जहाँ पर अस्पताल द्वारा निर्धारित फ्लैट-दर में (i) खुराक (ii) आवास (iii) साधारण परिचर्या शामिल है वहाँ पर फ्लैट प्रभागों के 50 प्रतिशत को खुराक प्रवारी के रूप में रखा जाएगा।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

विषय : दामोदर घाटी निगम सेवा विनियमों के विनियम के निम्नलिखित टिप्पणी में संशोधन

दामोदर घाटी निगम सेवा विनियमों के विनियम 60 की टिप्पणी 4 को निम्न प्रकार से पढ़ा जाता है :

*टिप्पणी 4 : निम्नलिखित कर्मचारियों के मामले को छोड़कर अस्पताल में भुगतान किए गए खुराक प्रभार वापसी योग्य नहीं होते --

- क) तपेदिक से भिन्न बीमारियों से पीड़ित और 1 सितम्बर 1961 से प्रवावी संशोधित वेतन मान का विकल्प लेने वाले या विकल्प न लेने वाले संबंधित कर्मचारियों के मामले में 180/- रु. प्रतिमाह या 130/- रु. प्रतिमाह तक वेतन आहरण करने वाले कर्मचारी।
- ख) क्षयरोग की बीमारियों से पीड़ित और 1 सितम्बर 1961 से प्रवावी संशोधन वेतन मान का विकल्प लेने वाले या विकल्प न लेने वाले ऐसे संबंधित कर्मचारी जो प्रतिमाह 380/- रु. या 300/- रु. तक की सीमा तक वेतन आहरण कर रहे हैं।

जब तक अन्यथा निगम द्वारा कोई विशेष आदेश न दिया जाए, तब तक अस्पताल प्रवारी के प्रतिशत की खुराक प्रभागों के रूप में मानना चाहिए और उन मामलों में आवास के लिए प्रतिशत जहाँ पर अस्पताल द्वारा निर्धारित फ्लैट-दर में (i) खुराक (ii) आवास (iii) साधारण परिचर्या और (iv) साधारण चिकित्सा और शल्य सेवाएं शामिल हो। जहाँ पर अस्पताल द्वारा निर्धारित फ्लैट-दर में (i) खुराक (ii) आवास (iii) साधारण परिचर्या शामिल है वहाँ पर फ्लैट प्रभागों के 50 प्रतिशत को खुराक प्रभागों के रूप में रखा जाएगा।

§§ जैसा कि डी वी सी के तारीख 12 सितम्बर 1962 के अधिसूचना सं. 43 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

उपर्युक्त उल्लिखित 180/- रु. प्रतिमाह और 380/- रु. प्रतिमाह की वेतन-सीमाओं को उस माह की पहली तारीख से प्रभावी मानना चाहिए जिसमें वेतन के रूप में संशोधित वेतन आहरण किया जाता है।*

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के तारीख 18 जनवारी 1969 का ज्ञा.सं. एफ-1(34) ई-11(बी)/68 द्वारा स्वीकृत और उसी तारीख से दामोदर घाटी निगम द्वारा अपनाए गए वेतन के रूप में महगाई वेतन की राशि को हिसाब में लेते हुए उपर्युक्त टिप्पणी 4(क), (ख) वाली 180/- रु. प्र. मा. या 130/- रु. प्र.मा. और 380/- रु. प्र. मा. या 300/- रु. प्र. मा. की सीमाए क्रमश 270/- रु.प्र. मा. और 200/- रु. प्र. मा. और 490/- रु. प्र. मा. और 410/- प्र. मा रहेंगी। \$\$

****टिप्पणी 5 :** किसी कर्मचारी द्वारा किसी रोगी को डाक्टरी जांच आदि के प्रयोजन से उपचार के स्थान या एक आस्पताल से दूसरे अस्पताल तक ले जाने के लिए प्रयुक्त किसी एम्बुलेंस के संबंध में खर्च किए गए प्रभार तब वापसी योग्य होते हैं यदि एम्बुलेंस सरकारी/दामोदर घाटी निगम या स्थानीय निधि या उस अस्पताल का हो जिसमें रोगी को भर्ती किया जाता है जैसे रेड क्रॉस सीसाइटी इसके लिए प्राधिकृत चिकित्सा परिचर से इस आशय का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है कि कर्मचारी को या उसके परिवार को उपचार या परापर्श था। यदि प्रत्येक ओर से तय की गई दूरी 5 मील से अधिक है तो यात्री दौरे की दरों पर मील भत्ता (बिना दैनिक भत्ते के) भुगतान योग्य होगा। यह भत्ता किसी परिचर को उस समय स्वीकार्य होगा जब प्राधिकृत चिकित्सा परिचर ने यह प्रमाणित किया हो कि रोगी के साथ परिचर का रहना अत्यन्त आवश्यक था।

टिप्पणी 6 : रक्त संचार के संबंध में प्रभार भी वापसी योग्य होते हैं परन्तु रक्त किसी प्राइवेट कैमिस्ट या प्राइवेट-दाता से भुगतान करके लिया गया हो और प्राधिकृत चिकित्सा परिचर यह प्रमाणित करे कि रक्त किसी सरकारी संस्थान या अन्य मान्यता प्राप्त संगठन में उपलब्ध नहीं था और भुगतान किया गया मूल्य उचित था।

*****विनियम 60क)** जब किसी कर्मचारी का पति या पत्नी केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या रक्षा या रेलवे सेवा में या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा आंशिक या पूर्णतया वित्त घोषित निगमित निकायों में या किसी ऐसे स्थानीय निकाय या

* जैसा कि डी वी सी के तारीख 12 सितम्बर 1962 के अधिसूचना सं. 43 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

** जैसा कि डी वी सी के तारीख 12 जनवारी 1961 के अधिसूचना सं. 26 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

\$\$ जैसा कि डी वी सी के ता. 9.11.71 के अधिसूचना सं. 91 द्वारा संशोधित और 1.2.69 से प्रभाव किया गया।

*** डी वी सी के ता. 10 अप्रैल 1964 के अधिसूचना सं. 52 द्वारा शामिल किया गया।

निजी संगठन में कार्यरत हो जो अपने कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करता तो तो यह यथास्थिति पति वा पत्नी, इन विनियमों के अन्तर्गत या तो स्वीकार्य चिकित्सा सुविधा या ऐसी सुविधाएं लेने का हकदार होगा/होगी जो उसे उसके नियोक्ता द्वारा प्रदान की गई हो।

- विनियम 60(ख)* (1) जहाँ पर पति और पत्नी दोनों ही कर्मचारी हों वहाँ वे अपने पद के अनुसार इस विनियमों के अन्तर्गत दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने के हकदार होंगे।
- (2) खंड (1) के प्रयोजनों के लिए पति और पत्नी अपने-अपने प्रहासनिक प्राधिकारियों की इस आय की एक संयुक्त घोषणा प्रस्तुत करेंगे कि उनमें से कौन कर्मचारी अपने और अपने पात्र आभितों के संबंध में चिकित्सा परिचर और उपचार के संबंध में होने वाले चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए दावों को प्राथमिकता देगा और ऐसी घोषणाएं दो प्रतियों में प्रस्तुत की जाएगी और उनकी एक प्रति उनके संबंधित कार्यालयों में प्रत्येक के संबंधित लेखा अधिकारी के पास प्रेषित की जाएगी। संयुक्त घोषणा तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि पति और पत्नी दोनों द्वारा उसे लिखित रूप में संशोधित नहीं कर लिया जाता।

विनियम 61: कोई कर्मचारी चिकित्सा परिचर्या या उपचार या दोनों के लिए हकदार होगा और अनुरूप इनके संबंध में इस विनियमों के लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

टिप्पणी 1: अस्पताल और अन्य प्रभारों के संबंध में भुगतान प्रथमतः कर्मचारी द्वारा किया जाता चाहिए और किए गए दावों की वापसी इन विनियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य सीमा तक निगम द्वारा की जाएगी।

टिप्पणी 2: विशेषज्ञ या सिविल सर्जन के पद के समान के अन्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा प्रभारित परामर्श शुल्क को प्रतिपूर्ति के संबंध में प्रथम परामर्श के लिए 16/- रु. और उसी इलाज के अगले परामर्श के लिए 10/- रु. की अनुमति दी जाए।

विनियम 62: ऐसे उपचार के लिए वह उतनी राशि की प्रतिपूर्ति लेने का हकदार होगा जितनी कि वह तब प्राप्त करता जब उसका उपचार किसी अस्पताल में किया जाता। यदि प्राधिकृत चिकित्सा परिचर की राय हो और वह इसे प्रमाणित करे कि कर्मचारी

* डी वी सी के तारीख 10 अप्रैल 1964 के अधिसूचना सं. 52 द्वारा शामिल किया गया।

को ऐसे किसी अस्पताल में उपचार नहीं किया जा सकता ऐसा अस्पताल नहीं है या दूरस्थ है या बीमारी गंभीर है या किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल में स्थान नहीं है तो ऐसा कर्मचारी अपने निवास स्थान पर उपचार कराने का हकदार होगा जिसका अधिकतम वेतन मान 60/- रु. प्रतिमाह से अधिक हो।

टिप्पणी : निगम के चिकित्सा अधिकारियों द्वारा निवास पर किए गए उपचार के मामले में परिचर्या के लिए किसी प्रकार के प्रभारों की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

विनियम 63 : इन विनियमों के अनुसार कोई कर्मचारी निम्नलिखित सीमा तक अपने परिवार के संबंध में प्रसूती पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति सहित चिकित्सा परियर या उपचार या दोनों के लिए भी हकदार होगा।

क) किसी ऐसे कर्मचारी के परिवार के मामले में जिसका अधिकतम वेतन मान 60/- रु. प्रतिमाह से अधिक हो, चिकित्सा या उपचार या दोनों किसी अस्पताल या प्राधिकृत चिकित्सा परिचर के प्रबंध से उसके द्वारा अनुरक्षित किसी परामर्श कक्ष में ही स्वीकार्य होगा। ऐसे गंभीर मामलों में जहाँ पर प्राधिकृत चिकित्सा परिचर लिखित रूप में यह प्रमाणित करता है कि किसी रोगी को अस्पताल तक ले जाना उसके जीवन के लिए खतरनाक या हानिकारक है तो परिवार का कोई सदस्य अपने निवास पर ही उपचार कराने का हकदार होगा और ऐसे उपचार के संबंध में प्रतिपूर्ति की धनराशि विनियम के प्रावधानों 62 के अन्तर्गत आएगी।

किसी कर्मचारी की पत्नी या किसी महिला कर्मचारी के प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर उपचार पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति जैसे किसी अन्य बीमारी के लिए स्वीकार्य होती है परन्तु ऐसा उपचार किसी अस्पताल या प्राधिकृत चिकित्सा के कक्ष में किया गया हो।

ख) अन्य कर्मचारियों के परिवारों के मामले में यह चिकित्सा सेवा किसी अस्पताल या प्राधिकृत चिकित्सा परिचर के परामर्श कक्ष में ही स्वीकार्य होगी या किसी ऐसी बीमारी के मामले में जिसमें कोई प्राधिकृत चिकित्सा परिचर यह प्रमाणित करता है कि प्रसव होने वाले रोगी का उपचार उसके निवास पर करना अनिवार्य है वहाँ पर प्राधिकृत चिकित्सा परिचर के परामर्श घर पर लेना स्वीकार्य होगा किन्तु प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर उपचार सहित उपचार केवल अस्पताल में ही होना चाहिए।*

* जैसा कि डी वी सी के तारीख 5 सितम्बर 1964 के अधिसूचना सं. 55 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

- ग) महिला कर्मचारियों और कर्मचारियों के परिवारों के मामले में कर्मचारी के निवास पर प्रसव के खर्चों की प्रतिपूर्ति स्वीकार्य होंगी परन्तु प्रसूति सरकार पर स्थानीय निकायों द्वारा अनुरक्षित बाल कल्याण और प्रसूति केन्द्रों के स्टाफ द्वारा की जाती है। ऐसे मामलों में ऐसे केन्द्रों की अनुसूचित दरों के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रसूति के समय उत्पन्न हुई जटिलताओं की स्थिति में जब तक प्राधिकृत चिकित्सा परिचर लिखित रूप में यह प्रमाणित न करे कि मामले की समीपता के कारण रोगी को अस्पताल ले जाना सुरक्षित नहीं है तब तक रोगी को समीपस्थ सरकारी/मान्यता प्राप्त अस्पताल में तुरन्त नहीं लेना जाना चाहिए।**

विनियम 64 : उपचार और चिकित्सा सेवा के संबंध में दावों पर प्राधिकृत चिकित्सा परिचर द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

विनियम 65 : जिस कर्मचारी का वेतन 870/- रु. \$\$ से अधिक नहीं है उसे अपने और अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए उन शर्तों के अनुसार चिकित्सा सेवा या उपचार पर होने वाले आरम्भिक खर्चों की पूर्ति के लिए एक अग्रिम की स्वीकृति दी जाए जैसी कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को लागू होने वाले उसी प्रकार के आदेशों के अनुसार निगम द्वारा निर्धारित हो।

**विनियम 66 :* यदि कोई कर्मचारी आपनी ड्यूटी या अवकाश या ऐसे किसी स्टेशन से गुजरते समय बीमार हो जाता है जहाँ पर निगम द्वारा किसी प्रकार की चिकित्सा सुविधा प्रदान न की जाती हो तो केवल आपातकालीन मामलों में प्राधिकृत चिकित्सा परिचर से भिन्न किसी चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा कराने की अनुमति दी जाएगी। इसी प्रकार की रियायतें ऐसे विशेष मामलों में दी जाएंगी जिसमें कर्मचारी का निवास दूर रहने और ऐसी बीमारी की गंभीरता के कारण निगम द्वारा दी गई चिकित्सा सुविधाएँ प्राप्त करना संभव न हो जिसके तत्काल ही चिकित्सा परिचर्या और उपचार आवश्यक हो। ऐसे उपचार के खर्चों की प्रतिपूर्ति इस विनियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य सीमा से भिन्न सीमा तक सीमित की जाएगी और इसकी अनुमति प्राधिकृत चिकित्सा परिचर से एक प्रमाणपत्र के प्रस्तुत करने पर ही दी जाएगी।

विनियम 67 : यदि कोई कर्मचारी किसी ऐसे स्टेशन पर बीमार हो जाता है जो कि किसी प्राधिकृत चिकित्सा परिचर का मुख्यालय नहीं है तो

** डी वी सी के तारीख 12 सितम्बर 1961 के अधिसूचना सं. 26 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

\$\$ डी वी सी के तारीख 30 मार्च 1962 के अधिसूचना सं. 39 द्वारा 600/- रु. के लिए 750/- रु. का आंकड़ा रखा गया हो।

यह है। यह आंकड़ा वी सी के तारीख 28-10-89 के का. शा. संह. जी वी ए-8/1 मैडएडी वी-55-89/4250 द्वारा ।

* जैसा कि डी वी सी के ता. 9 मई 1960 के अधिसूचना सं. 20 द्वारा प्रतिस्थापित।

- क) वह प्राधिकृत चिकित्सा परिचर के मुख्यालय तक आने-जाने के संबंध में यात्रा भत्ती का हकदार होगा, या
- ख) यदि वह यात्रा करने योग्य नहीं है तो प्राधिकृत चिकित्सा परिचर को उस स्टेशन तक का आने-जाने का यात्रा भत्ता स्वीकृत किया जाए जिस स्थान पर रोगी ठहरा हुआ है।

अन्य मामलों में यात्रा भत्ता आवेदन के साथ प्राधिकृत चिकित्सा परिचर से पुष्टि के लिए उस आशय का प्रमाण पत्र संलान किया जाना चाहिए कि चिकित्सा सेवा आवश्यक थी और (ख) के मामलों में यह प्रमाण पत्र इस प्रकार से दिया जाएगा कि रोगी यात्रा करने योग्य नहीं था इस लिए यात्रा भत्ता विराम के विना किसी भत्ते के ही यात्रा पर दौरे की तरह से परिकलित किया जाएगा।

विनियम 68(1): यदि प्राधिकृत चिकित्सा परिचर की राय यह हो कि किसी कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य का मामला इतना गंभीर है या विशेष प्रकार का है जिसके लिए उससे भिन्न किसी प्रकार की चिकित्सा सेवा की आवश्यकता है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अनुमोदन से निम्नलिखित कार्य करेगा (इसे बदले ही प्राप्त किया जाएगा अन्यथा विलंब से रोगी के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है):

- क) विनियम 60 के खंड (घ) में दिए गए निकटतम विशेषज्ञ या अन्य चिकित्सा अधिकारी के पास परामर्श के लिए रोगी को भेजेगा, या
- ख) यदि रोगी यात्रा करने के अयोग्य है तो किसी विशेषज्ञ या अन्य चिकित्सा अधिकारी को उसे देखने के लिए बुलाएगा।

अन्य मामले में यात्रा भत्ते का दावा प्राधिकृत चिकित्सा से इस आशय का प्रमाणपत्र लेकर इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाएगा जैसे कि दौरे पर विना विराम के किसी भत्ते के लिये दावा प्रस्तुत किया जाता है। यह प्रमाण पत्र इस प्रकार से होगा (i) विशेषज्ञ या अन्य चिकित्सा अधिकारी से चिकित्सा सेवा आवश्यक थी या (ii) रोगी यात्रा करने के लिए अयोग्य था और विशेषज्ञ या अन्य चिकित्सा अधिकारी को बुलाना आवश्यक था क्योंकि यह मामला उपर्युक्त खंड (क) या (ख) के अन्तर्गत आता है। किन्तु कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य को उस श्रेणी का वास्तविक एकल किराया स्वीकृत किया जाएगा जिसके लिए कर्मचारी स्वयं के लिए हकदार है या कोई अन्य निवली श्रेणी जिसके द्वारा रोगी वास्तव में यात्रा करता है।

(2) यदि प्राधिकृत चिकित्सा परिवर की यह राय हो कि रोगी के पास कोई परिचर न रहने से असुरक्षा होगी और किसी परिचर की आवश्यकता पड़े और ऐसा परिचर यदि निगम का कर्मचारी है तो उसकी यात्रा को दौरे पर यात्रा

माना जाएगा और वह आने जाने के लिए दौरे पर यात्रा की तरह से यात्रा भत्ता आहरण करने का हकदार होगा और यदि वह निगम का कर्मचारी नहीं है तो वास्तविक खर्चा ही आहरण करेगा। यात्रा भत्ता दावे के साथ पुष्टि के लिए चिकित्सा नरिचर से उस आशय का एक प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए कि रोगी की सुरक्षा के लिए एक परिचर साथ रहना आवश्यक था।

टिप्पणी : किसी रोगी को न तो किसी प्राइवेट विशेषज्ञ, व्यवसायी या चिकित्सालय के पास नहीं भेजा जाना चाहिए और न ही साधारणतथा जिले से बाहर किसी विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी के पास भेजा जाना चाहिए। यदि विशेष मामलों में प्राधिकृत चिकित्सा परिचर का यह विचार हो कि जिले में ही उचित-सुविधाओं के अभाव में जिले से बाहर किसी विशेषज्ञ का परामर्श आवश्यक है तो मामले को इस आशय से मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास परामर्श के लिए भेजा जाना चाहिए कि क्या रोगी को जिले से बाहर के विशेषज्ञ के पास परामर्श के लिए भेजा जाना चाहिए। यदि ऐसा है तो कहाँ और किसके पास। ऐसे आपातकालीन मामलों को छोड़कर, जहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी यह विचार करता है कि रोगी को राज्य के अन्दर ही किसी विशेषज्ञ के पास परामर्श के लिए भेजने से काफी समय का नष्ट होगा और रोगी की स्थिति में लगातार विकृति पैदा होती जा रही है वहाँ पर रोगी को राज्य से बाहर विशेषज्ञ के परामर्श के लिए नहीं भेजा जाना चाहिए।

विनियम 69 : (i) किसी मानसिक रोग चिकित्सालय में उपचार (ii) पूर्णतथा दंत उपचार वशर्ते कि यह कोई बड़ा उपचार न हो यथा हन्वस्थि बीमारी का उपचार, पूरे दाँत निकलवाना, संक्रमित दाँतों की शल्य चिकित्सा आदि (iii) रोगनिरोध और असंक्रमीकरण प्रयोजनो से टीकाकरण, संचारण और इंजेक्शन लगाना वशर्ते कि निगम के खर्चे पर प्राधिकृत छुट्टी या अन्तरराष्ट्रीय यात्रा करने से पहले किसी प्रकार का स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए इनकी आवश्यकता न हो (iv) चशमों के प्रवन्ध या चश्मा लगवाने के लिए नेत्र ज्योति परीक्षण इन विनियमों के अन्तर्गत ऐसे रोगों का उपचार नहीं आता जो रोगी के असंयमी आचरण या आदत्त के कारण हो।

टिप्पणी 1 : मानसिक रोगों का उपचार इन विनियमों के अन्तर्गत तभी स्वीकार्य होता है जब यह सुविधा सरकारी या अन्य मान्यता प्राप्त सामान्य अस्पतालों में उपलब्ध होती है।

** टिप्पणी 2 :* (i) हैजा (ii) टाइफाइड बुखार (टैव) (iii) फ्लैग (iv) रोहिणी (डिप्थेरिया) (iv) कुकुरखासी और (vi) टैटनस जैसी संक्रमक बीमारियों के मामले में किसी सरकारी या मान्यताप्राप्त अस्पताल में रोगनिरोधी और असंक्रमीकरण प्रयोजनों से किसी कर्मचारी द्वारा स्वयं के लिए या अपने परिवार के किसी सदस्य के मामले में खर्च

* विनियम 69 के अन्तर्गत टिप्पणी 2 और 3 को डी वी सी के तारीख 12 सितम्बर 1961 के अधिसूचना सं. 26 द्वारा शामिल किया गया।

किए गए प्रभारों की प्रतिपूर्ति के लिए किसी प्राधिकृत चिकित्सा परिचर से इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अनुमति दी जानी चाहिए कि ऐसे उपचार के लिए नगर पालिकाओं जिला परिषदों आदि जैसे स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती है।

टिप्पणी 3 : किसी कर्मचारी के प्राधिकृत चिकित्सा परिचर की सिफारिश से चश्मों के लिए प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार सरकारी या मान्यता प्राप्त अस्पताल में अपनी नेत्र ज्योति परीक्षा कराने के लिए अनुमति प्रदान की जाए। ऐसी सेवाओं के लिए विशेषज्ञ को भुगतान किए गए शुल्क की प्रतिपूर्ति विनियम 61 की टिप्पणी 2 में निर्धारित दरों के अनुसार तब की जाएगी यदि चिकित्सा बिल पर प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत नियंत्रण अधिकारी यह प्रमाणित कर देता है कि संबंधित कर्मचारी ने गत 3 वर्षों के भीतर इस रियायत का लाभ नहीं उठाया है। इस रियायत में निगम के खर्चों पर चश्मों लगवाना शामिल नहीं है। कर्मचारियों के परिवार उपर्युक्त रियायत के हकदार नहीं है।

विनियम 70 : इन विनियमों के अन्तर्गत विशेष रूप से उल्लेख न किए गए मामलों में भारत सरकार चिकित्सा परिचर नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित लाभ जो कि निगम के कर्मचारियों और उनके परिवारों पर लागू होते हैं, इस प्रकार उपलब्ध कराया जाना चाहिए जैसे कि वे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी है।

VII – छुट्टी, छुट्टी का वेतन और कार्यारंभ काल

विनियम 71 -- उन स्थायी सरकारी कर्मचारियों के छुट्टी और छुट्टी का वेतन संबंधित सरकार के नियमों द्वारा विनियमित किया जाएगा जिनकी सेवाएं निगम में उधार ली गई हों। जब तक अन्यथा किसी संविदा में विशेष रूप से प्रावधान न किया जाए जब तक निगम के अन्य सभी कर्मचारियों की छुट्टी और छुट्टी का वेतन इन विनियमों द्वारा नियंत्रित होगा।

विनियम 72 -- छुट्टी लेने के लिए किसी अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता और इसे कार्य की अत्यावश्यकता के समय छुट्टी स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी छुट्टी में अर्जित छुट्टी, अर्धवेतन छुट्टी, परिवर्तित छुट्टी, अर्जनशोध्य छुट्टी, असाधारण छुट्टी, विशेष अयोग्यता छुट्टी और प्रसूति छुट्टी शामिल है। अन्य किसी प्रकार की छुट्टी की स्वीकृति के लिए निगम की विशेष स्वीकृति आवश्यक है।

विनियम 73 --(1)§ किसी कर्मचारी को स्वीकार्य अर्जित अवकाश ड्यूटी पर खर्च की गई अवधि बारहवां भाग होता है : बशर्ते कि वह अपनी छुट्टी तब समाप्त कर देगा जब ऐसी अर्जित छुट्टी 180 दिन से अधिक हो जाती है।

* विनियम 69 के अन्तर्गत टिप्पणी 2 और 3 को डी वी सी के तारीख 12 सितम्बर 1961 के अधिसूचना सं. 26 द्वारा शामिल किया गया।

§ जैसा कि डी वी सी के तारीख 7 मई 1976 के अधिसूचना सं. 100 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

- (2) किसी कर्मचारी को एक समय में स्वीकृत की जाने वाली अधिकतम अर्जित छुट्टी 120 दिन तक की होगी किन्तु 120 दिन से अधिक किन्तु 180 दिन तक की अर्जित छुट्टी श्रेणी 1 के कर्मचारी की तब स्वीकृत की जाए यदि इस प्रकार से स्वीकृत की गई छुट्टी भारत से बाहर बर्मा, सीलोन, दमण, द्वीव, गोवा, नेपाल और पाकिस्तान से वित्ताई जाती है पुनः यह प्रावधान दिया जाता है कि यदि स्वीकृत की गई छुट्टी 120 दिन से अधिक की है और यह भारत में ही वित्ताई जाती है तो यह सम्पूर्ण छुट्टी 120 दिन से अधिक तक नहीं वित्ताई जाएगी।

टिप्पणी -- अर्जित छुट्टी के परिफलन में आधे दिन से कम के अंश को छोड़ देना चाहिए और आधे या अधिक दिन को पूरा दिन माना जाना चाहिए।

*विनियम 73A --क)** निगम के स्वामित्व वाले किसी स्कूल में कार्यरत अध्यापकों और अन्य स्टाफ को किसी ऐसे वर्ष में उनके द्वारा की गई ड्यूटी के संबंध में अर्जित छुट्टी स्वीकार्य नहीं होती जिसमें वे स्वयं पूरी छुट्टी का लाभ उठाते हैं।

ख) किसी ऐसे वर्ष के संबंध में किसी ऐसे कर्मचारी को स्वीकार्य अर्जित छुट्टी जिसमें उसकी पूरी छुट्टी का लाइ लेने के लिए रोका गया हो, 30 दिन की अवधि का ऐसा समानुपात होता है जैसे कि छुट्टी न लिए गए दिनों की संख्या पूरी छुट्टी हो। यदि किसी वर्ष में कोई कर्मचारी इस छुट्टी का लाभ नहीं उठाता है तो विनियम 73 के अनुसार उसे उस वर्ष के संबंध में अर्जित छुट्टी स्वीकार्य होगी।

ग) चाहे अन्य छुट्टी के साथ साथ या उसके अनुसरण में अर्जित छुट्टी ली गई हो या नहीं ली गई हो, इन विनियमों के अन्तर्गत किसी प्रकार की छुट्टी साथ साथ या लगातार ही लेनी चाहिए परन्तु, विनियम 73 के खंड (2) में बताई गई सीमा से छुट्टी की पूरी अवधि और इसे जोड़ कर ली गई अर्जित छुट्टी की अवधि अधिक नहीं होनी चाहिए।

परन्तु, संयोजन में शामिल की गई छुट्टी, अर्जित छुट्टी और परिवर्तित छुट्टी की कुल अवधि 180 दिन से अधिक की नहीं होगी।

*विनियम 73 --ख)*** जब तक छुट्टी के बदले नकद भुगतान के संबंध में किसी व्यक्ति के मामले में अन्यथा उल्लेख न किया जाए तब तक ऐसे कार्य प्रभारित और दैनिक वेतन भोगी

* डी वी सी के तारीख 31 अगस्त 1960 के अधिसूचना सं. 22 द्वारा शामिल किया गया।

§ जैसा कि डी वी सी के तारीख 17 मई 1978 के अधिसूचना सं. 107 द्वारा शामिल किया गया। (1-10-1977 से प्रभावी)

कर्मचारियों सहित निगम के ऐसे प्रत्येक नियमित कर्मचारियों को परिशिष्ट - iii § में दर्शाई गई योजना के अनुसार अर्जित छुट्टी स्वीकृत की जाए। जो वेतन के समय-मान में ही किन्तु उनमें परीवीक्षा, प्रशिक्षणार्थी और प्रशिक्षु शामिल नहीं है।

विनियम 74 --अर्ध-वेतन-छुट्टी किसी कर्मचारी को स्वीकार्य अर्ध-वेतन छुट्टी सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 20 दिन की होती है। देय अर्ध वेतन छुट्टी चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर या निजी कार्यों के लिए स्वीकृत की जाए किन्तु ऐसी छुट्टी किसी ऐसे व्यक्ति को तब तक स्वीकृत नहीं की जाएगी जो स्थायी नियुक्ति में नहीं है परन्तु छुट्टी स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त हो कि वह कर्मचारी इस छुट्टी की समाप्त होने पर अपनी ड्यूटी पर वापस आ जाएगा।

विनियम 75 --परिवर्तित छुट्टी : देय अर्ध-वेतन छुट्टी की आधी राशि तक की परिवर्तित छुट्टी निम्नलिखित शर्तों के अनुसार चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर स्वीकृत की जाए:

- (i) जब परिवर्तित छुट्टी स्वीकृत की जाती है तो ऐसी छुट्टी की दोगुनी राशि देय अर्ध-वेतन छुट्टी के सामने डेविट की जाएगी।
- (ii) संयोजन में ली गई अर्जित छुट्टी और परिवर्तित छुट्टी की कुल अवधि 240 दिन से अधिक की नहीं होगी।

किन्तु इस विनियम के अन्तर्गत तब तक किसी प्रकार की परिवर्तित छुट्टी स्वीकृत न की जाए जब तक कि छुट्टी स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी इस बात से आश्वसित न हो जाए कि छुट्टी की समाप्ति पर कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर वापस लौट आएगा।

विनियम 76 --अर्जनशोध्य छुट्टी : एक समय में 30 दिन तक और सम्पूर्ण सेवा के दौरान 90 दिन तक की अर्जनशोध्य छुट्टी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकृत की जाए किन्तु स्थायी सेवा में किसी कर्मचारी के मामले में सम्पूर्ण सेवा के दौरान ऐसी छुट्टी 360 दिन की अवधि तक स्वीकृत की जाए जिसमें से एक साथ 90 दिन तक और अन्यथा चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर 180 दिन की छुट्टी स्वीकृत की जाए। अर्जनशोध्य छुट्टी के उस अर्ध-वेतन छुट्टी के बाबत डेविट किया जाए जो कर्मचारी बाद में अर्जित करेगा।

अर्जनशोध्य छुट्टी केवल तब स्वीकृत की जाए यदि छुट्टी स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी इस बात से सन्तुष्ट हो जाता है कि वह कर्मचारी छुट्टी समाप्त होने पर अपनी ड्यूटी पर वापस लौट आएगा और इसके बाद अर्ध वेतन छुट्टी की राशि के बराबर को छुट्टी अर्जित कर लेगा।

§विनियम 77 -- असाधारण छुट्टी : विशेष परिस्थितियों में किसी कर्मचारी को बिना वेतन के असाधारण छुट्टी तब स्वीकृत की जाए जब :

- (i) किसी प्रकार की अन्य छुट्टी स्वीकार्य न हो, या
- (ii) अन्य किसी प्रकार की छुट्टी स्वीकार्य तो हो किन्तु संबंधित कर्मचारी लिखित रूप में असाधारण छुट्टी के लिए आवेदन करता है।

स्थायी नियुक्ति में किसी कर्मचारी के मामले को छोड़कर एक वार में असाधारण छुट्टी की अवधि निम्न से अधिक नहीं होगी :

- (i) तीन माह
- (ii) ऐसे मामलों में छः माह जहाँ पर कर्मचारी ने देय और इन विनियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य छुट्टी की समाप्ति की तारीख को लगातार तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो (खंड (1) के अन्तर्गत तीन माह की असाधारण छुट्टी सहित और उसके आवेदन के साथ पुष्टि के लिए चिकित्सा प्रमाण-पत्र संलग्न है जैसा कि इन विनियमों के अन्तर्गत अपेक्षित है)

(iii) अठारह माह जहाँ पर कर्मचारी निम्नलिखित बीमारी का उपचार करा रहा हो :

- क) किसी मान्यता प्राप्त आरोग्य आश्रम में फुस्फुसीय क्षयरोग, या
- ख) किसी ऐसे योग्य क्षयरोग विशेषज्ञ या सिविल सर्जन द्वारा शरीर के किसी अन्य भाग के यक्ष्मा जैसे कि निगम के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया हो या
- ग) किसी मान्यता प्राप्त कुष्ठ रोग संस्थान या सिविल सर्जन या निगम के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सुझाव के अनुसार किसी कुष्ठ रोग विशेषज्ञ द्वारा कुष्ठ रोग का उपचार

टिप्पणी 1 --फुसफुसीय क्षयरोग से पीड़ित किसी ऐसे कर्मचारी को भी अठारह माह तक की असाधारण छुट्टी की सुविधा स्वीकार्य होगी जो निगम के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार किसी क्षयरोग विशेषज्ञ से अपने निवास पर ही उपचार करता है और विशेषज्ञ से उस आशय का प्रमाण पत्र लेकर प्रस्तुत करता है कि वह उसके उपचाराधीन है और सिफारिश की गई छुट्टी के समाप्त होने पर उसके ठीक होने की पूरी-पूरी सभावना है।

टिप्पणी 2 --इस विनियम के अन्तर्गत अठारह माह तक की असाधारण छुट्टी की सुविधा केवल उन कर्मचारियों को ही स्वीकार्य होगी जिन्होंने निगम में लगातार एक वर्ष से अधिक की अवधि की सेवा की है।

\$(iii)क) पूरी सेवा के दौरान परिवर्तित होने वाली अधिकतम 180 दिन तक की अर्ध-वेतन छुट्टी की वहाँ अनुमति दी जाएगी जहाँ पर ऐसी छुट्टी अध्ययन के किसी अनुमोदित पाठ्यक्रम के लिए प्रयोग की जाती है अर्थात् जहाँ पर छुट्टी स्वीकृति करने वाले प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जाए कि यह पाठ्यक्रम निगम के हित में है।

(iv) जहाँ पर अधियोजन अध्ययन के लिए छुट्टी आवश्यक हो और निगम द्वारा उसके हित में प्रमाणित किया जाता हो वहाँ पर यह छुट्टी चौबीस माह की होगी किन्तु किसी कर्मचारी ने इन विनियमों के अन्तर्गत देय और स्वीकार्य किसी प्रकार की छुट्टी की समाप्ति की तारीख को तीन वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली हो।

(खंड (i) के अन्तर्गत तीन माह की असाधारण छुट्टी सहित)

विनियम 78 --विशेष अयोग्यता छुट्टी

- (1) निगम द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार, किसी ऐसे कर्मचारी को विशेष अयोग्यता छुट्टी स्वीकृत की जाए जो घायल होने से अपनी सरकारी ड्यूटी करने में अयोग्य हो।
- (2) यदि अपंगता के बारे में उसके होने के तीन माह के भीतर स्वतःज्ञात न हो और इसके बारे में आपंगता प्राप्त व्यक्ति ने तत्परता से सूचित न किया हो तो ऐसी छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी। किन्तु यदि निगम अपंगता के कारणों से सन्तुष्ट हो जाता है तो वह उन मामलों में छुट्टी की स्वीकृति दे सकता है जिनमें ऐसी अपंगता के उसके होने के अधिक से अधिक तीन माह के बाद स्वतः ज्ञात हो गया।
- (3) स्वीकृत की गई छुट्टी की अवधि इस प्रकार की होगी जैसी कि यह चिकित्सा परिषद द्वारा आवश्यक समझी जाने पर प्रमाणित की जाए। चिकित्सा परिषद के प्रमाण-पत्र के बिना इसे बढ़ाया नहीं जाएगा और किसी भी मामले में यह छुट्टी 24 माह से अधिक नहीं होगी।
- (4) ऐसी छुट्टी को किसी भी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ मिलाया जा सकता है।
- (5) ऐसी छुट्टी एक बार से अधिक तक स्वीकृत की जा सकती है यदि अपंगता बाद की तारीख की उन्हीं परिस्थितियों में अधिक हो जाती है या पुनः हो जाती है किन्तु किसी एक अपंगता के लिए यह स्वीकृति 24 माह से अधिक तक के लिए नहीं दी जा सकती।

§ जैसा कि डी वी सी के तारीख 7 मई 1976 के अधिसूचना सं. 100 द्वारा शामिल किया गया

- (6) इस प्रकार की छुट्टी को अर्जित छुट्टी के लिए ड्यूटी के रूप में नहीं गिना जाएगा। इस विनियम के उप-खंड
- (7) के अन्तर्गत स्वीकृत अर्जित छुट्टी की अवधि के आधे भाग को छोड़कर इस छुट्टी को छुट्टी के खाते में से डेबिट नहीं किया जाएगा। इस विनियम (5) के खंड के अन्तर्गत स्वीकृत ऐसी छुट्टी की किसी अवधि सहित ऐसी छुट्टी के दौरान छुट्टी का वेतन प्रथम 120 दिन के औसत वेतन के बराबर होगा। शेष अवधि के लिए छुट्टी का वेतन औसत वेतन के आधे या कर्मचारी के विकल्प पर किसी ऐसी अवधि के औसत वेतन के बराबर होगा जो कि अर्जित छुट्टी की उस अवधि से अधिक नहीं होगी जो अन्यथा उसको विनियम 73 के अन्तर्गत उसको स्वीकार्य हो।
- (8) जिस कर्मचारी पर कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 लागू होता है उसके मामले में इस विनियम के अन्तर्गत भुगतान योग्य छुट्टी के वेतन को कथित अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान योग्य प्रतिकर की राशि में से घटा दिया जाएगा।

विनियम 79 --निगम विनियम 78 के प्रावधानों के अनुप्रयोग में ऐसे व्यक्ति के संबंध में वृद्धि कर सकता है जो दुर्घटना के कारण या अपनी सरकारी ड्यूटी करते-करते घायल होने से अपंग हो जाता है या किसी प्रकार की ऐसी ड्यूटी करते हुए बीमार हो जाता है जिससे उसके बीमार होने का प्रभाव पड़ता है या उसके द्वारा घटित सिविल पद की अपेक्षा साधारण जोखिम से अधिक खतरा हो जाता है। इस रियायत की पुनः निम्न शर्तें होंगी

- (i) यदि यह अपंगता बीमारी के कारण हुई है तो इसके लिए किसी प्रकार की ड्यूटी करने के कारण हुई अपंगता के लिए चिकित्सा परिषद द्वारा प्रमाणित किया जाए।
- (ii) यदि किसी कर्मचारी में सेना बल से भिन्न किसी सेवा के दौरान इस प्रकार की अपंगता हो जाती है तो निगम की राय से उन न्यायसंगत विशेष परिस्थितियों का उल्लेख किया जाना चाहिए जिनके अन्तर्गत छुट्टी के इस प्रकार की स्वीकृति दी जाए और
- (iii) चिकित्सा बोर्ड द्वारा सिफारिश की गई अनुपस्थिति की अवधि इस विनियम में बताई गई छुट्टी के अन्तर्गत आने वाली छुट्टी का एक भाग और अन्य छुट्टी का एक भाग होगी और औसत वेतन पर मंजूर की गई विशेष अपंगता छुट्टी की अवधि 120 दिन से कम होगी।

विनियम 80 --*प्रसूति छुट्टी -- सभी मामलों में इस छुट्टी के आरम्भ होने की तारीख से 90 दिन की अवधि के लिए ऐसी किसी महिला कर्मचारी को पूरे वेतन सहित प्रसूति छुट्टी स्वीकृत की जाए। ऐसी छुट्टी को छुट्टी के खाते में से डेबिट नहीं किया जाएगा। प्रसूति छुट्टी के अधिकतम 60 दिन तक बिना चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए परिवर्तित छुट्टी सहित किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है।

टिप्पणी -- इस विनियम के अन्तर्गत आने वाली प्रसूति छुट्टी गर्भपात सहित गभस्त्राव के मामलों में भी स्वीकृत की जा सकती है किन्तु शर्त यह है कि ऐसी छुट्टी छः सप्ताह गर्भस्त्राव से अधिक की न हो और इसके लिए किए गए आवेदन के साथ प्राधिकृत चिकित्सा परिचर से एक प्रमाण-पत्र द्वारा पुष्टि होनी चाहिए।

***विनियम 80क)* विनियम 80 में दिए गए किन्हीं प्रावधानों के साथ-साथ प्रसूति प्रसुविध अधिनियम 1961 के प्रावधान ऐसी किसी स्थापना में नियुक्त किसी महिला कर्मचारी पर लागू होंगे जिस पर यह अधिनियम लागू होता है।

विनियम 81 --छुट्टी का वेतन : (1) छुट्टी पर रहने वाला कोई कर्मचारी उस माह के तुरन्त बाद से पूर्ण दस माह के दौरान अर्जित औसत मासिक वेतन के या उस मुख्य-पद-वेतन के बराबर जिसके लिए कर्मचारी हकदार हो, इनमें से जो भी अधिक हो, छुट्टी के वेतन का हकदार होगा जिस माह से छुट्टी आरम्भ होती है।

किन्तु जहाँ पर कोई कर्मचारी किसी ऐसे पद से अर्जित छुट्टी पर जाता है जिसका अधिकतम वेतन 110/- रु. से अधिक नहीं है तो छुट्टी पर जाने से तुरन्त पहले आहरित किए गए वेतन के बराबर का छुट्टी के वेतन का हकदार होगा।

(2) अर्ध-वेतन-छुट्टी या अर्जनशोध्य छुट्टी पर रहने वाला कोई कर्मचारी उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट राशि के आधे के बराबर के छुट्टी के वेतन का हकदार होगा।§

* जैसा कि डी वी सी के तारीख 7-8-1978 के अधिसूचना सं. 108 द्वारा संशोधित।

** डी वी सी के तारीख 24 फरवरी 1966 के अधिसूचना सं. 63 द्वारा शामिल किया।

§§ जैसा कि डी वी सी के ता. 7 मई 1976 के अधिसूचना सं. 100 द्वारा संशोधित।

- (3) परिवर्तित छुट्टी पर रहने वाला कोई कर्मचारी उप-विनियम के अन्तर्गत स्वीकार्य राशि के बराबर के छुट्टी के वेतन का हकदार होगा।
- (4) शसाधारण-छुट्टी पर रहने वाला कोई कर्मचारी किसी प्रकार के छुट्टी के वेतन का हकदार नहीं होगा।

स्पष्टीकरण :

- (i) जब तक अन्यथा प्रावधान न किया जाए तब तक 'मूल-पद-वेतन' का अर्थ है उस स्थायी पद का वेतन जिस पर कर्मचारी कार्यरत है या स्थायी रूप से ग्रहणाधिकार है या तब ग्रहणाधिकार होता यदि वह निलयित न होता। इससे वेतन के किसी उच्चतर वेतन मान के ग्रहणाधिकार में किया गया वेतन शामिल है।
- (ii) छुट्टी पर जाते समय पद पर लगातार 3 वर्ष तक स्थानापत्र आधार नर काम करने वाले किसी स्थायी कर्मचारी के वेतन को छुट्टी के वेतन के प्रयोजन से मूल-पद-वेतन के रूप में माना जाएगा। किन्तु ऐसे स्थायी कर्मचारियों के संबंध में छुट्टी के वेतन का अगले दस माह के औसत वेतन के आधार पर परिकलित किया जाएगा जिसको अन्य पदों पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया हो और उन्होंने उस पदों पर 3 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।
- (iii) उन कर्मचारियों के संबंध में अस्थायी पदों के वेतन को छुट्टी के वेतन के प्रयोजन के लिए मूल पद वेतन के रूप में मानना चाहिए जिन्होंने उन पदों पर 3 वर्ष से अधिक की सेवा की हो। किन्तु ऐसे स्थायी कर्मचारियों के संबंध में छुट्टी के वेतन को अगले दस माह के औसत वेतन के आधार पर परिकलित किया जाएगा जिनको अन्य पदों पर अस्थायी रूप से नियुक्ति किया गया है और उन्होंने उप पदों 3 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है।
- (iv) इसी प्रकार से, उन कर्मचारियों के संबंध में अस्थायी पदों के वेतन को छुट्टी के वेतन के प्रयोजन के लिए मूल पद वेतन के रूप में ही मानना चाहिए जिनको किसी निचले पद पर मूल रूप से नियुक्ति किया गया है। किन्तु, उच्चतर पदों में अस्थायी नियोजन की अवधि 3 वर्ष से अधिक की होती और यह अवाधित * होता है।

विनियम 82 --प्रत्येक कर्मचारी के छुट्टी के खाते का अनुरक्षण उस फ़ैर्म में दिया जाएगा जैसा कि निगम द्वारा निर्धारित किया जाए।

* जैसा कि डी वी सी के तारीख 6 फरवरी 1967 के अधिसूचना सं. 68 द्वारा प्रतिस्थापित यह 8 मार्च 1965 से प्रवावी है।

विनियम 83 -- इन विनियमों के अन्तर्गत किसी प्रकार की छुट्टी को किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ मिलाकर या उसके साथ साथ स्वीकृत किया जाए।

**विनियम 84 -- (1)*अधिवर्षिता या अन्य प्रकार से निगम में उसकी सेवा समाप्ति की तारीख के बाद किसी कर्मचारी को किसी प्रकार की छुट्टी की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

(2) उपर्युक्त खंड (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित मामलों में उसको सेवा समाप्ति की तारीख के बाद भी छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है :

क) निगम की सेवा की अत्यावश्यकता के कारण यदि किसी कर्मचारी को पर्याप्त समय के अन्दर आवेदित पूरी छुट्टी या उसके किसी भाग को और सेवा निवृत्ति में पहले देय किसी प्रकार की छुट्टी को लेने की अनुमति न दी गई हो तो उसको सेवा समाप्ति की तारीख के बाद सेवा समाप्ति की कथित तारीख को उतने दिनों की अर्जित छुट्टी के बराबर की राशि लेने की अनुमति दी जाए जितने दिनों की छुट्टी उसको देय हो किन्तु उसकी अधिकतम सीमा विनियम 73 के खंड (2) में निर्धारित 120 दिन या 180 दिन तक की होगी। जहाँ तक सेवा निवृत्ति से पहले और सेवा समाप्ति की तारीख के बीच में स्वीकृत की जाने चाली छुट्टी सहित इस प्रकार से स्वीकृत की गई छुट्टी की अवधि से अधिक नहीं होगी। सेवा निवृत्ति से पहले किसी कर्मचारी द्वारा आवेदन किसी ऐसी अर्थ/वेतन छुट्टी को अर्जित छुट्टी में परिवर्तित की जाए जिसको निगम की सेवा की अत्यावश्यकता के कारण अस्वीकृत कर दिया गया हो। उसको उस सीमा तक परिवर्तित किया जाए जो सेवा निवृत्ति की तारीख से पहले और सेवा निवृत्ति की तारीख को देय हो।

किन्तु शर्त यह है कि --

क) निलंबताधीन रहने वाला प्रत्येक कर्मचारी सेवा समाप्ति की तारीख से यथास्थिति 120 दिन या 180 दिन, पहले बहाल हो जाता हो और सेवा निवृत्ति से पहले निलंबित रहने के कारण उसको छुट्टी के लिए आवेदन करने से रोका गया हो। उसे ऐसी छुट्टी का लाभ लेने की अनुमति दी जाएगी चूंकि उसको अधिकतम यथास्थिति 120 दिन या 180 दिन की छुट्टी लेने के लिए रोका गया था। इस छुट्टी में से बहाली की तारीख और सेवा समाप्ति की तारीख के बीच की अवधि को घटाया जाएगा।

** जैसा कि डी वी सी के तारीख 15 सितम्बर 1958 के अधिसूचना सं. 10 द्वारा संशोधित किया गया। यह संशोधित विनियम 28 जनवरी 1957 से प्रभावी है।

* जैसा कि डी वी सी के तारीख 18 दिसम्बर 1970 के अधिसूचना सं. 86 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

\$\$ डी वी सी के तारीख 31 अगस्त 1960 के अधिसूचना सं. 22 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया

\$ डी वी सी के तारीख 18 दिसम्बर 1970 के अधिसूचना सं. 86 द्वारा शामिल किया गया।

ख) जो कर्मचारी निलंबन के समय अधिवर्षिता की आयु पूरी करने पर सेवा निवृत्त हो गया हो और निलंबित होने के कारण सेवा निवृत्ति से पहले छुट्टी लेने से रोका गया हो उसे भी इस प्रकार से अधिकतम यथास्थिति 120 दिन या 180 दिन, की अर्जित छुट्टी लेने की अनुमति दी जाएगी जैसा कि विनियम 73 के उप-विनियम (2) में निर्धारित किया गया है और जिसे सक्षम प्राधिकारी की राय में इस प्रकार से अस्वीकृत किया गया था जैसे कि वह पूर्णतया दोषमुक्त रहा था और उसका निलंबन पूर्णतया असंगत था।

पुनः यह प्रावधान किया गया है कि सेवा समाप्ति की तारीख के बाद निगम की सेवा के हितों में जिस कर्मचारी की सेवा में विस्तार किया गया हो उसको निम्न प्रकार से अर्जित छुट्टी स्वीकृत की जाए :

- (i) सेवा विस्तार की अवधि के दौरान इस प्रकार की अवधि के संबंध में देय किसी प्रकार की अर्जित छुट्टी और सेवा विस्तार के लिए आवश्यक वह अर्जित छुट्टी जो उसे परन्तुक के अन्तर्गत तब स्वीकृत की जाती यदि सेवा समाप्ति की तारीख को सेवा निवृत्ति होता :
- (ii) सेवा विस्तार की अवधि की समाप्ति के बाद --
 - क) वह अर्जित छुट्टी सेवा विस्तार की अवधि के दौरान ली गई ऐसी छुट्टी की राशि से घटायी जाती है जो उसे पूर्व परन्तुक के अन्तर्गत तब स्वीकृत की जाती यदि यह अधिवर्षिता की तारीख को सेवा निवृत्ति होता और
 - ख) सेवा विस्तार की अवधि के दौरान कोई ऐसी अर्जित छुट्टी जो सेवा विस्तार के दौरान पर्याप्त समय में उसकी ड्यूटियों की अन्तिम समाप्ति से पहले औपचारिक रूप से आवेदित और निगम की सेवा की अत्यावश्यकता के कारण अस्वीकृत की गई छुट्टी और
- (iii) विनियम 73 के उप-विनियम (2) के संदर्भ से सेवा विस्तार में देय अर्जित छुट्टी की राशि के निर्धारण में पूर्व परन्तुक के अन्तर्गत स्वीकार्य किसी प्रकार की अर्जित छुट्टी को हिसाब में लिया जाएगा।

पुनः यह प्रावधान किया जाता है कि अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्ति के तारीख से परे या सेवा में रहने के लिए किसी कर्मचारी के मामले में अनुमत तारीख को इस निगम के अन्तर्गत किसी कर्मचारी के संबंध में सेवा विस्तार नहीं माना जाएगा।

क) उप-विनियम (1) में दी गई किसी बात के होते हुए, विनियम 21 के खंड (ग) के अन्तर्गत या उपर्युक्त खंड के अन्तर्गत दिए जाने वाले नोटिस या वेतन या भत्ते के स्थान पर किसी कर्मचारी को ऐसी देय और स्वीकार्य छुट्टी स्वीकृत की जाए जो कि उसकी 58 वर्ष या 60 वर्ष की आयु पूरी होने वाली तारीख से परे की अवधि की न हो, वशर्ते के उसके मामले में यथास्थिति खंड क) या खंड ख) लागू होता हो और यह छुट्टी विनियम 21 के अन्तर्गत कथित निगम के अन्तर्गत किए जाने वाले नोटिस की समाप्ति की उस तारीख परे की है जिस तारीख को कर्मचारी सेवा निवृत्त होता है।

**स्पष्टीकरण :* इस विनियम के प्रयोजन के लिए किसी कर्मचारी की छुट्टी को केवल तब ही अस्वीकृत किया जाएगा यदि उसकी अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्ति की तारीख या उसकी अन्तिम रूप से ड्यूटी समाप्त होने से पहले आवेदित की गई छुट्टी की निगम की सेवा की अत्वावश्यकता के कारण स्वीकृति प्राधिकारी ने लिखित रूप में यह सुनिश्चित किया है कि उपर्युक्त कारणों से छुट्टी स्वीकृत नहीं की जा सकी थी।

ख) निम्नलिखित टिप्पणी में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार नियमित स्थापना में कार्यरत किसी अस्थायी कर्मचारी या एक वर्ष से अधिक तक के लिए किसी संविदा पर नियुक्ति किसी कर्मचारी को देय अर्जित छुट्टी स्वीकृत की जाए :

क) अपने नियोजन की शर्त पूरी करने पर या

ख) छँटनी, पदों के उन्मूलन या बीमारी के कारणों से आगे सेवा के लिए अनुपयुक्त होने या प्रशासकीय सुविधाओं के आधारों जैसे अनुशासनात्मक कार्रवाई आरम्भ करने जैसे कारणों से सेवा समाप्ति होने पर

* डी वी सी के तारीख 18 दिसम्बर 1970 के अधिसूचना सं. 86 द्वारा शामिल किया गया।

ग) बीमारी के कारण अपने पद से इस्तीफा देने पर या उसके नियंत्रण से बाहर अन्य कारण या

घ) उपर्युक्त (ग) से दर्शाए गए कारणों से भिन्न कारणों से इस्तीफा

किन्तु इस विनियम के अन्तर्गत स्वीकार्य छुट्टी (क), (ख) और (ग) के मामलों में उस अर्जित छुट्टी से अधिक नहीं होगी जिसको एक साथ लिया जा सकता हो और (घ) के मामलों में जिसके आधे को एक साथ लिया जा सके।

टिप्पणी :-

(i) टर्मिनल छुट्टी ऐसे कर्मचारी को स्वीकार्य नहीं होगी जिसे सेवा से बर्खास्त या निकाल दिया गया हैं।

(ii) ऐसा पुनर्नियोजन पेंशन भोगी टर्मिनल छुट्टी की अवधि के दौरान अपनी पेंशन आहरण करने का हकदार नहीं होगा जिसके पेंशन को पुनर्नियोजन की अवधि के दौरान स्थगित रखी गयी है।

(iii) जहाँ छूटनी या पद उन्मूलन के कारण से सेवा समाप्त की जाती है और नोटिस अवधि की समाप्ति के पहले संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त कर दिया जाता है वहाँ पर ऐसे नोटिस या उसकी शेष अवधि स्वीकृत छुट्टी के साथ साथ जुड़ेगी।

टर्मिनल छुट्टी स्वीकृत करने के प्रयोजन के लिए कर्मचारी के नियोजन के अन्त में स्वीकृत छुट्टी की अवधि को पूरा करने के लिए संबंधित कर्मचारी द्वारा धारित पद अवधि में विस्तार करना आवश्यक नहीं हैं।

ग) ** यदि कोई कर्मचारी सेवा काल के दौरान मर जाता है तो उसके परिवार को उतना छुट्टी के वेतन बराबर की राशि का भुगतान किया जायगा जितना उस कर्मचारी को तब देय और स्वीकार्य होता यदि वह मरने से पहले अर्जित छुट्टी पर चला जाता किन्तु, यह अधिकतम 120 दिन के छुट्टी के वेतन से अधिक नहीं होगा और इसमें से मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान के बराबर पेंशन की राशि घटा दी जाएगी।

विनियम 85 -- चिकित्सा आधार पर छुट्टी के लिए सभी प्रकार के आवेदनों के साथ किसी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी का एक चिकित्सा प्रमाणपत्र संलान होना चाहिए।

विनियम 86 -- ऐसा कर्मचारी चिकित्सा आरोग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना अपना कार्यभार नहीं संभालेगा जिसे चिकित्सा छुट्टी स्वीकृत की गई है।

** जैसा कि डी वी सी के तारीख 7 मई 1976 के अधिसूचना सं. 100 के द्वारा शामिल किया गया।

- विनियम 87* -- आकस्मिक बीमारी या किसी आपातकालीन मामले को छोड़कर छुट्टी के लिए किसी प्रकार का आवेदन पत्र उस तारीख से एक माह पूर्व स्वीकृति प्राधिकारी के पास प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिस तारीख से छुट्टी लेनी हो।
- विनियम 88* -- *जो कर्मचारी बिना छुट्टी लिए हो अनुपस्थित रहता है वह ऐसी अनुपस्थिति के दौरान किसी प्रकार के वेतन का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि बाद में छुट्टी को विधिवत रूप से स्वीकृत नहीं कर दिया जाता।
- विनियम 89* -- श्रेणी I की सेवा वॉ सदस्यों के मामले में सभी प्रकार की देय और स्वीकार्य छुट्टी निगम द्वारा या उसकी ओर से प्राधिकृत किए गए किसी प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की जाएगी और अन्य कर्मचारियों के मामले में छुट्टी कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत की जाएगी। श्रेणी I के स्टाफ के लिए छुट्टी केवल तब ही स्वीकृत की जाएगी जब इसकी स्वीकार्यता के संबन्ध में लेखा अधिकारी प्रमाणित कर दें। अन्य स्टाफ के मामले में छुट्टी स्वीकृति प्राधिकारी की छुट्टी खाते से इसकी स्वकार्यता** होने के संबन्ध में स्वयं ही सन्तुष्ट होना पड़ेगा।
- विनियम 90* -- छुट्टी को अधिसूचित छुट्टी के साथ दिलाया जा सकता है वशर्ते कि इसमें ऐसी छुट्टियों की अवधि के लिए स्थानापत्र व्यवस्था शामिल न हो।
- विनियम 91* -- श्रेणी II और III के स्टाफ का छुट्टी का वेतन उस कार्यालयाध्यक्ष द्वारा आहरण एवं संवितरण किया जाएगा जो किसी भी प्रकार के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा। छुट्टी का वेतन या तो कर्मचारी के स्वयं के खर्चे पर मनीआर्डर (घनादेश) द्वारा भेजा जाएगा या फिर उसके द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित लिखित प्राधिकार के जरिए उसके एजेन्ट को रसीद भी प्रस्तुत करने चाहिए और उसके जीवित होने के संबन्ध में किसी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाए। जब भुगतान मनीआर्डर द्वारा किया जाता है तो मनीआर्डर पावती की रसीद को सावधानी पूर्वक देखा जाना चाहिए कि यह वास्तविक आदाता की रसीद है और इसे वेतन चिट्ठे में चिपकाया जाना चाहिए।
- विनियम 92* -- श्रेणी I के कर्मचारी अपना छुट्टी का वेतन उसी प्रकार से आहरण करेंगे जैसे कि वे अपना ड्यूटी का वेतन आहरण करते हैं जो कि या तो सीधे ही या फिर अपने स्थानीय बैंकों के जरिए किया जाएगा। यदि श्रेणी I वाला कोई कर्मचारी भुगतान के स्थान पर स्वयं उपस्थित नहीं होता है तो छुट्टी के वेतन के साथ एक जीवित रहने का प्रमाण पत्र पुष्टि के लिए संलग्न किया जाना चाहिए।

** जैसा कि डी वी सी के तारीख 29 जनवरी 1974 के अधिसूचना सं. 94 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

** जैसा कि डी वी सी के तारीख 30 मार्च 1961 के अधिसूचना सं. 28 के द्वारा संशोधित किया गया।

विनियम 93 -- सेवा निवृत्ति होना वाला कोई कर्मचारी निगम का पूर्व अनुमति वा बिना कहाँ पर भी रोजगार नहीं प्राप्त करेगा। ऐसी छुट्टी के दौरान, रोजगार प्राप्त करने के लिए अनुमति दिए गए किसी कर्मचारी के छुट्टी के वेतन को उस राशि में सोमित किया जाएगा जो उसे तब स्वीकार्य होती यदि यह अर्ध औसत वेतन पर छुट्टी पर होता।

विनियम 94 -- कार्यारंभकेवल किसी कर्मचारी को उस नये पद पर कार्यारंभ करने के लिए कार्यारंभ समय अनुमेय होगा जो निगम के अधीन किसी दूसरे पद में कार्य करते हुए उसे नियुक्ति किया गया हो या छुट्टी से लौटने पर नए पद पर कार्यारंभ किया गया हो। लघुत्तम मार्ग से यात्रा करने के लिए गए समय और रविवारों को छोड़कर साधारणतया कार्यारंभकाल 6 दिन तक स्वीकार्य होगा। जहाँ पर स्थानान्तरण से स्थान परिवर्तित नहीं होता वहाँ पर केवल एक दिन का ही कार्यारंभकाल स्वीकार्य होगा। इस प्रयोजन के लिए कोई अवकाश दिवस भी एक दिन गिना जाता है।

कार्यारंभकाल पर किसी कर्मचारी को तब ड्यूटी पर माना जाएगा और उसे तब भुगतान किया जाएगा।

क) जब ड्यूटी के दौरान किसी नए पद पर स्थानान्तरित किया जाता है। और पुराने या नए पद के वेतन और भत्ते में से जो भी कम हो उनका भी भुगतान किया जाएगा

ख) जब असाधारण छुट्टी को छोड़कर छुट्टी से वापस आता है तो उसे उस छुट्टी के वेतन का भुगतान किया जाएगा जो कि उसके छुट्टी पर जाते समय अन्य में आहरण किया हो।

यदि कोई कर्मचारी अपने पुराने पद पर कार्याभार सौंपने के बाद एक पद से दूसरे पद पर जाते समय छुट्टी लेता हो तो उस अवधि को उसकी छुट्टी में शामिल किया जाएगा लेकिन चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर ली गई छुट्टी की अवधि को कार्यारंभ काल माना जाएगा।

यदि कोई कर्मचारी 4 माह तक की अर्जित छुट्टी पर रहने के दौरान किसी नए पद पर नियुक्त हो जाता है तो वह अपने पुराने स्टेशन या नियुक्ति आदेश प्राप्त होने वाले स्थान, जो भी कम हो, से कार्यारंभ के लिए हकदार होगा।

निगम विशेष परिस्थितियों में इस विनियम के अन्तर्गत स्वीकार्य कार्यारंभकाल के अतिरिक्त की कार्यारंभकाल में वृद्धि कर सकता है या अधिक समय दे सकता किन्तु, किसी भी मामले में उसकी अवधि 30 दिन (रविवार और अवकाश सहित) से अधिक नहीं होगी जैसा कि निगम उचित समझे।

VIII- आचरण और अनुशासन

विनियम 95 --क) नियुक्ति प्राधिकारी या उसके स्थान पर निगम द्वारा शक्ति प्रदान किया गया कोई अन्य प्राधिकारी किसी कर्मचारी को तब निलंबनाधीन रख सकता है जब उसके आचरण के संबंध में कोई जांच आरम्भ की जाती है या लवित हो या जब किसी आपराधिक मामले में उसके विरुद्ध की गई शिकायत पर जांच चल रही हो या जांच की जानी है। किन्तु, यदि निलंबन आदेश नियुक्ति प्राधिकारी से नीचे के किसी प्राधिकारी द्वारा किया जाता है तो ऐसा प्राधिकारी उन परिस्थितियों की सूचना तुरन्त नियुक्ति प्राधिकारी को देगा जिनके मामले में 48 घंटे से अधिक तक की अवधि तक अभिरक्षा में रखा गया हो उसे इस विनियम के अन्तर्गत नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निलंबित माना जाएगा। आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी द्वारा या उसके अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय निलंबन आदेश निरस्त किया जा सकता है।

*ख) कोई निलंबित कर्मचारी निम्नलिखित भुगतान प्राप्त करने का हकदार होगा।

- (1) छुट्टी के वेतन के बराबर की किसी ऐसी राशि का एक निर्वाह भत्ता जो कोई कर्मचारी तब आहरण करता यदि वह आधे-औसत-वेतन पर छुट्टी पर होता। इसके अतिरिक्त ऐसे छुट्टी के वेतन पर स्वीकार्य महंगाई भत्ता।

किन्तु यदि निलंबन की अवधि बारह माह से अधिक की हो जाती है तो निलंबन प्राधिकारी बारह माह के लिए बाद की अगली अवधि के निर्वाह भत्ते में निम्नप्रकार से परिवर्तन कर सकता है :

- (i) यदि उक्त प्राधिकारी की राय में लिखित रूप से दर्ज किए जाने वाले ऐसे कारणों से निलंबन की अवधि में वृद्धि की गई हो। जिसके लिए कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं हो तो निर्वाह भत्ते की राशि में इतनी वृद्धि की जाए कि वह प्रथम बारह माह की अवधि के दौरान स्वीकार्य निर्वाह भत्ते के 50 प्रतिशत से अधिक न हो।
- (ii) यदि उक्त प्राधिकारी की राय में लिखित रूप में दर्ज किए जानेवाले ऐसे कारणों से निलंबन की अवधि में वृद्धि की गई हो जिसके लिए कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार न हो तो निर्वाह भत्ते की राशि ऐसी उपयुक्त राशि से कम होगी जो

* डी वी सी के तारीख 30 अगस्त 1962 के अधिसूचना सं. 42 द्वारा प्रतिस्थापित।

प्रथम बारह माह की अवधि के दौरान स्वीकार्य निर्वाह भत्ते के 50 प्रतिशत से अधिक न होगी।

(iii) जहाँ पर महंगाई भत्ता स्वीकार्य हो वहाँ पर इसकी दर उपर्युक्त उप खंड (1) और (2) के अन्तर्गत स्वीकार्य निर्वाह भत्ते की राशि में यथास्थिति वृद्धि या ह्रास पर आधारित होगी।

(2) अन्य अनुपूरक भत्ते, यदि किसी प्रकार के हैं, जो कर्मचारी निलंबन की तारीख को प्राप्त कर रहा हो।

किन्तु कर्मचारी तब तक इन प्रतिपूरक भत्तों का हकदार नहीं होगा जब तक कि उक्त प्राधिकारी उस बात से संतुष्ट न हो जाए कि कर्मचारी बराबर उनको उस मद पर खर्च करता है जिसके लिए इन्हे स्वीकृत किया जा रहा है।

उपर्युक्त मदों (1) और (2) में बताया गया किसी प्रकार का भुगतान किसी कर्मचारी को एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने तक नहीं किया जाएगा और निलंबन प्राधिकारी को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि कर्मचारी किसी अन्य रोजगार, कारोबार, व्यवसाय या धन्ये में नहीं लगा है।

ग) निलंबनाधीन कर्मचारी को किसी प्रकार की छुट्टी प्रदान नहीं की जाएगी।

विनियम 96 -- उचित और पर्याप्त कारणों से निगम के किसी कर्मचारी को निम्नलिखित प्रकार की शास्ति दी जाए :

- (i) निन्दा;
- (ii) वेतन वृद्धियां या पदोन्नति रोकना;
- (iii) लापरवाही करने या आदेश का उल्लंघन करने के कारण किसी प्रकार की धन-संबंधी पूरी हानि वेतन से या उसके किसी भाग की वसूली;
- (iv) किसी समय-मान में निचली श्रेणी या निचले समय-मान या निचली स्टेज पर वापस करना;
- (v) स्थायी नियुक्ति वाले कर्मचारियों की अनिवार्य सेवा निवृत्ति;
- (vi) निगम की सेवा से निकासी ऐसी जो कि भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्यता नहीं होगी;
- (vii) निगम की सेवा से ऐसी वसूली जो भविष्य के रोजगार के लिए साधारणतया अयोग्यता होगी;

स्पष्टीकरण -- इस विनियम के अर्थ में निम्नलिखित को कोई शास्ति नहीं माना जाएगा --

- (i) सेवा या पद या कर्मचारी की नियुक्ति की शर्तों को नियंत्रित करने वाले नियमों या आदेशों के अनुसार, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल होने से किसी कर्मचारी की वेतन वृद्धि रोकना।
- (ii) दक्षता रोध पार करने के लिए उसकी अयोग्यता के कारण किसी समय-मान में किसी कर्मचारी की दक्षता-रोधक पार करने को रोकना;
- (iii) किसी वास्तविक या स्थानापत्र हसियत से कार्वरत कर्मचारी की सेवा श्रेणी या उस पद पर पदोन्नति के मामले पर विचार करने बाद पदोन्नति न करना जिसके लिए वह पात्र है।
- (iv) किसी उच्चतर सेवा, श्रेणी या पद से उस आधार पर किसी निचली सेवा, श्रेणी या पद पर प्रत्यावर्तित करना कि जाँच के बाद उसे ऐसी सेवा श्रेणी या पद के लिए अयोग्य पाया गया या उसके आचरण से भिन्न किसी अन्य प्रहासकीय कारणों से
- (v) परिवीक्षा संबंधी नियमों और आदेशों के अन्तर्गत कर्मचारी की नियुक्ति की शर्तों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि के दौरान या अन्त में किसी अन्य सेवा, श्रेणी या पद पर परिवीक्षा नियुक्ति होने पर किसी कर्मचारी को उसकी स्थायी सेवा, श्रेणी या पद पर प्रत्यावर्तन करना
- (vi) ऐसे सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का प्रतिस्थापन जिसकी सेवाएँ ऐसे किसी प्राधिकारी के निपटान पर केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार से उधार ली गई हो जिसने उसकी सेवाएँ उधार दी थी।
- (vii) अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति से संबंधित प्रावधानों के अनुसार किसी स्थायी कर्मचारी की अनिवार्य सेवा निवृत्ति
- (viii) सेवा समाप्ति --
 - क) परिवीक्षा संबंधी नियमों ओर आदेशों के अन्तर्गत कर्मचारी की नियुक्ति की शर्तों के अनुसार, परिवीक्षा की अवधि के दौरान या परिवीक्षा अवधि के अन्त में किसी कर्मचारी की सेवा समाप्ति, या

ख) संविदा से भिन्न किसी अस्थायी नियुक्ति पर तैनात करने के लिए किसी कर्मचारी की सेवा समाप्ति, उस अवधि की समाप्ति पर जिसके लिए उसे नियुक्ति किया गया था, या

ग) किसी अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार, नियुक्ति किसी कर्मचारी की सेवा समाप्ति।

विनियम 97 -- (1) विनियम 96 में विनिर्दिष्ट किसी दंड को निगम किसी कर्मचारी पर लागू कर सकता है।

(2) ऐसी शर्तों के अनुसार जैसी कि उचित समझी जाए निगम अपने किसी भी कर्मचारी पर विनियम 96 में विनिर्दिष्ट किसी भी प्रकार के दंड को लगाने के लिए अपने अधिकारियों को प्राधिकृत कर सकता है।

विनियम 98 -- (1) विनियम 96 के खंड (i) से (ii) में विनिर्दिष्ट किसी प्रकार के दंड देने संबंधी कोई आदेश निम्नलिखित को छोड़कर नहीं दिया --

क) जहाँ पर कर्मचारी ने अपने विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के लिए लिखित रूप में सूचित कर दिया हो और जिस दोष के लिए कार्रवाई की जानी है उसके लिए कर्मचारी को अपना प्रतिवेदन करने का अवसर दे दिया गया है।

ख) ऐसे प्रतिवेदन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा दंड देने संबंधी विचार किया जा चुका है।

किन्तु, यदि कोई मामला ऐसा है जिसमें कर्मचारी ने खंड (क) और (ख) के अन्तर्गत कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया हो और उस पर विचार किया जाना हो तो सक्षम प्राधिकारी कर्मचारी की उस वेतन वृद्धि को रोकने का प्रस्ताव करता है जिससे ऐसे कर्मचारी को देय पेंशन की राशि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या तीन वर्ष की अवधि तक वेतन वृद्धि रोकने का प्रस्ताव करता है या ऐसा दंडादेश पारित* करने से पहले उप विनियम (2) में दी गई विधि से किसी जाँच अवधि तक संचायी वेतन की वेतन वृद्धि रोकने का प्रस्ताव करता है।

(2) विनियम 96 के खंड (iv) से (vii) तक में विनिर्दिष्ट किसी प्रकार के दंड को निगम के किसी कर्मचारी पर लागू करने संबंधी कोई आदेश ऐसे मामलों को छोड़कर नहीं पारित किया जाएगा जहाँ पर आगे दी गई विधि से कोई जाँच पूरी न कर ली जाए।

* डी वी सी के तारीख 12 दिसम्बर 1969 के अधिसूचना सं. 79 द्वारा शामिल किया गया।

क) अनुशासन प्राधिकारी उस अभिकथन के आधार पर निश्चित आरोप (चार्ज) तैयार करेगा जिनके अनुसार जांच किए जाने का प्रस्ताव है। उन आरोपों के साथ साथ अभिकथनों का ऐसा एक चित्रण कर्मचारी को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा जिन पर ये आधारित है और कर्मचारी से अपने वचाव के संबंध में लिखित रूप में ऐसे समय के भीतर जवाब देने को कहा जाएगा जो अनुशासन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए उससे यह भी कहा जाएगा कि क्या उसकी व्यक्तिगत रूप से अपनी बात करने की कोई इच्छा है।

स्पष्टीकरण -- किसी कर्मचारी पर आरोप लगाने के संबंध में 'अनुशासन प्राधिकारी' का अर्थ है दंड देने के लिए इन विनियमों के अन्तर्गत आने वाला कोई सक्षम प्राधिकारी।

(ख) कर्मचारी को अपने वचाव के लिए ऐसे सरकारी अभिलेखों की जांच करने और उनका सारांश लेने की अनुमति दी जाएगी जिसका वह उल्लेख करें किन्तु, यदि ऐसे अभिलेख उससे संबंधित नहीं हैं और उनकी जांच करना निगम के विरुद्ध है तो अनुशासन प्राधिकारी इसी अनुमति को लिखित रूप में अस्वीकार कर सकता है।

(ग) वचाव के लिखित बयान की प्राप्ति होने पर या यदि विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसा बयान प्राप्त नहीं होता है तो अनुशासन प्राधिकारी उन आरोपों के संबंध में स्वयं पूछताछ कर सकता है जिनको स्वीकार न किया गया हो और यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझता है तो वह उस प्रयोजन के लिए एक जांच बोर्ड या जांच अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है।

(घ) अनुशासन प्राधिकारी लगाए गए आरोपों के पक्ष में मामले की जांच करने वाले प्राधिकारी (जिसको बाद में जांच प्राधिकारी कहा गया है) के सामने प्रस्तुत करने के लिए किसी व्यक्ति को नामित कर सकता है कर्मचारी अनुशासन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी अन्य कर्मचारी की सहायता से अपने मामले को प्रस्तुत कर सकता है। किन्तु वह इस प्रयोजन के लिए तब तक किसी कानूनी व्यवसायी की सहायता नहीं ले सकता जब तक व्यवसायी न हो या जब तक अनुशासन प्राधिकारी अनुमति देने के लिए परिस्थितियों को समझ न ले।

(ङ) जाँच प्राधिकारी जाँच के दौरान ऐसे दस्तावेजी माध्य पर विचार करेगा और ऐसे मौखिक साक्ष्य एकत्र करेगा जो आरोपों से संबद्ध हो या उनमें कुछ तथ्य हों। कर्मचारी को आरोपी के समर्थन में जांच किए गए साक्ष्यों की प्रति जांच करने और स्वयं साक्ष्य प्रस्तुत करने का हक होगा। आरोपों के पक्ष में मामले को प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति का कर्मचारी और उसके वचाव में जांच किए गए

गवाह से जिरह करने का हक होगा। यदि जांच प्राधिकारी इस आधार पर ही किसी गवाह की जांच करने से मना करता है कि उसका साक्ष्य सम्बन्ध।

- (च) जांच समाप्त होने पर ऐसी जांच रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें प्रत्येक आरोपो से संबंधित उसके निष्कर्षों के साथ साथ उससे संबंधित कारणों को दर्ज करेगा।

यदि ऐसे प्राधिकारी की राय में मूल रूप से लगाए गए आरोपों से निकाले गए निष्कर्ष भिन्न है तो वह ऐसे आरोपों के संबंध में निष्कर्ष रिकार्ड करेगा। किन्तु ऐसे आरोपों के संबंध में निष्कर्षों को तब तक रिकार्ड नहीं किया जाएगा जब तक कि कर्मचारी इनकी स्वीकार न कर ले या जब तक उसको इन आरोपों के विरुद्ध अपने बचाव में अवसर नहीं दिया जाता।

- (छ) जांच के रिकार्ड में निम्नलिखित बातें शामिल होंगी :

- (i) कर्मचारी के विरुद्ध लगाए गए आरोप और उपर्युक्त खंड (क) के अन्तर्गत
- (ii) उसको बताए गए आरोपों की सारणी;
- (iii) अपने बचाव में कर्मचारी का लिखित वयान यदि कोई है;
- (iv) जांच के दौरान लिए गए मौखिक साक्ष्य;
- (v) अनुशासन प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेश, यदि कोई हो, और जांच के संबंध में जांच प्राधिकारी और
- (vi) प्रत्येक आरोप पर निष्कर्ष संबंधी एक रिपोर्ट और उसके कारण

- (ज) यदि अनुशासन अधिकारी कोई जांच प्राधिकारी नहीं है तो वह जांच के रिकार्ड पर विचार करेगा और वह प्रत्येक आरोप पर अपना निष्कर्ष देगा।

- (झ) यदि आरोपों पर निष्कर्ष निकालने के बाद, अनुशासन प्राधिकारी की यह राय हो कि विनियम 96 के खंड (iv) से (vii) के खंडों में विनिर्दिष्ट किसी प्रकार का दंड किया जाना चाहिए तो वह।

- (क) जांच प्राधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति कर्मचारी को प्रदान करेगा और जहाँ पर अनुशासन प्राधिकारी, जांच प्राधिकारी न हो वहाँ पर जांच प्राधिकारी के निष्कार्पो सहित असहमति, यदि कोई हो, के संबंध में संक्षिप्त कारणों सहित इसका वयान; और
- (ख) कर्मचारी के संबंध में की जाने वाली कारवाई को बताते हुए, और विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसा प्रतिवेदन जैसा कि वह प्रस्तावित कारवाई के विरुद्ध देना चाहता है, देने का आदेश देते हुए एक नोटिस देगा।

विनियम 99 : विनियम 98 में दी गई किसी बात के होते हुए --

- (i) जहाँ पर किसी कर्मचारी को उसके ऐसे आचरण के आधार पर दंड दिया जाता है जिससे उस पर लगाया गया आपराधिक आरोप सिद्ध हो गया है। या
- (ii) जहाँ पर लिखित रूप में कारणों के लिए अनुशासन प्राधिकारी इस बात से सन्तुष्ट हो गया हो कि कथित विनियम में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करना पूर्णतथा व्यवहार्य नहीं है; या
- (iii) जहाँ पर निगम इस बात से सन्तुष्ट हो कि सुरक्षा की दृष्टि से ऐसी प्रक्रिया का पालन करना व्यावहारिक नहीं है तो अनुशासन प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार करेगा और उस संबंध में ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा कि उचित समझा जाए।

विनियम 100 -- जब किसी कर्मचारी को सेत्ता; से बर्खास्त, कर दिया गया हो, निकाल दिया गया हो या नित्ववित्त कर दिया गया हो तो कर्मचारी को भत्तो सहित पूर्ण वेतन और निर्वाह भत्ता, यदि कोई है, के बीच के अन्तर को आहरण करने की अनुमति दी जाएगी वशर्ते कि मक्षम प्राधिकारी कर्मचारी की पुनः बहाली या निलंबन आदेशों को समाप्त करने के लिए इसलिए आदेश पारित करता है कि उसका निलंबन आदेश पूर्णतया असंगत था। ऐसे मामले में अनुपस्थिति की अवधि को उस प्रकार माना जाएगा जैसे कि व्यतीत की गई अवधि सभी प्रयोजनों के लिए ड्यूटी पर व्ययित की गई हो। अन्य मामले में, कर्मचारी को ऐसे वेतन और भत्तो का समानुपात दिया जाएगा जैसा कि मक्षम प्राधिकारी निर्देश दे।

विनियम 101 -- सेवा से वर्कस्त किए गए या मुअन्तल किए गए कर्मचारी के वेतन और भत्ते की उसके वर्कस्त या मुअन्तल किए जाने की तारीख से वद किया जाएगा। किसी कर्मचारी को इन विनियमों के अन्तर्गत तब छुट्टी प्रदान नहीं की जाएगी जब सक्षम प्राधिकारी उसे निगम* की सेवा से वर्कस्त मुअन्तल या अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्ति करने का दंड देने का निर्णय ले।

विनियम 102 -- (1) विनियम 96 में दर्शाए गए दंडों में से किसी एक को लगाए जाने के संबंध में पारित किए गए आदेश के विरुद्ध निम्ननुसार अपील प्रस्तुत की जाए :

- क) यदि ऐसा आदेश उसके अधीनस्त किसी कार्यालयाध्यक्ष ने पारित किया हो;
- झ) यदि ऐसा आदेश किसी विभागाध्यक्ष ने पारित किया हो तो सचिव को और
- ग) यदि ऐसा आदेश सचिव ने पारित किया हो तो निगम को

(1क) उप-विनियम (1)** के अन्तर्गत किसी अपीलीय प्राधिकरण द्वारा किसी अपील के संबंध में पारित किए गए आदेश के विरुद्ध कोई दूसरी अपील नहीं की जाएगी।

(2) निम्नलिखित आदेशों के विरुद्ध अपील की जाएगी :

- क) निलंबन आदेश
- ख) दक्षता रोध पार करने में अयोग्यता के आधार पर किसी समय-मान के किसी कर्मचारी की दक्षता रोध रोकने संबंधी आदेश
- (ग) किसी दंड के मामले को छोड़कर, किसी उच्चतर सेवा श्रेणी या पद पर स्थानापन्न आधार पर कार्यरत किसी कर्मचारी को निचली सेवा श्रेणी या पद पर प्रत्यावर्तित करने संबंधी आदेश
- घ) किसी कर्मचारी की पुनः बहाली होने पर निलंबन की अवधि के लिए भुगतान किए जाने वाला वेतन और भत्तों को निर्धारण करने संबंधी आदेश चहे यह अवधि किसी प्रयोजन के लिए हो, ड्यूटी की अवधि समझी जाए या नहीं।

* जैसा कि डी वी सी के तारीख 2 जनवारी 1960 के अधिसूचना सं. 17 द्वारा संशोधित।

** जैसा कि डी वी सी के तारीख 26 अगस्त 1962 के अधिसूचना सं. 38 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

विनियम 103 -- कार्यकर्ता को सूचित किए जाने की तारीख से माह के भीतर किसी आदेश के विरुद्ध अपील की जाएगी और उस अपील में सभी तथ्यात्मक बायन और तर्क दिए जाएंगे और उसमें निरादर पूर्ण अनुचित भाषा नहीं होगी और यह अपील अपने में पूर्ण होंगी। ऐसी प्रत्येक अपील उस कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी जिससे अपीलकर्ता संबंधित और उस प्राधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी जिसके आदेश से अपील की गई हो।

विनियम 104 -- अगले उच्चतर प्राधिकारी की कोई अपील अग्रेपित करते समय अग्रेषण प्राधिकारी राय प्रकट करेगा।

विनियम 105 -- अपीलीय प्राधिकारी निम्न पर विचार करेगा --

- क) क्या उन तथ्यों को निश्चित कर लिया गया है जिन पर आदेश आधारित हो;
- ख) क्या कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार वाले तथ्यों को निश्चित किया गया;
- ग) क्या दंड अधिक, उचित या अनुचित है और ऐसा आदेश पारित किया जाता है जो न्यायसंगत या अनुचित हो।

विनियम 106 -- किसी अपील को तब रोक लिया जाए यदि --

- क) यह अपील उस तारीख से एक माह में भीतर प्रस्तुत न की गई हो जिस तारीख को अपीलकर्ता को सूचित किया गया हो;
- ख) इस अपील में पूर्व अपील की पुनरावृत्ति हो और इसमें ऐसे कोई नए तथ्य या परिस्थितियों का उल्लेख न किया गया हो जिन के आधार पर मामले के संबंध में पुनर्विचार किया जाना हो।
- ग) इसमें असभ्य या अनुचित भाषा का प्रयोग हो या यह उचित माध्यम से प्रस्तुत न की गई हो। किन्तु अपील को रोके जाने वाले प्रत्येक मामले में अपीलकर्ता को इसके तथ्य और कारणों के संबंध में सूचित किया जाएगा।

विनियम 107 -- पिछले प्रावधानों में दी गई किसी बात के होने हुए भी, निगम अपने निर्णय या अन्य कारण से किसी ऐसे मामले का रिकार्ड मांग सकता है जिसमें विनियम 97 के अनुसार ऐसे प्राधिकारी को प्रदत्त शक्तियों के प्रत्यायोजन द्वारा निगम के अधीनस्थ प्राधिकारी ने ऐसा आदेश पारित किया हो और निगम ऐसे आदेश की (क) पुष्टि या उसे ठीक कर सकता है या (ख) उस मामले में पुनः जाँच करने का आदेश दे

सकता है या (ग) ऐसे आदेश द्वारा दिए गए दंड में कमी या वृद्धि कर सकता है या (घ) कोई ऐसा आदेश दे सकता है जैसा कि वह उचित समझे।

किन्तु, दंड को बढ़ाए जाने संबंधी कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित कर्मचारी को इस दंड को बढ़ाए जाने के विरुद्ध प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दे दिया जाता।

IX-सेवानिवृत्ति लाभ

**विनियम 108* -- जब तक किसी निजी मामले में विशेष रूप से प्रावधान न किया जाए तब तक निगम में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत किसी सरकारी कर्मचारी को छोड़कर निगम का प्रत्येक कर्मचारी यथास्थिति अंशदायी भविष्य निधि (डी वी सी) या कर्मचारी भविष्य निधि (डी वी सी) या सामान्य भविष्य निधि योजना में इन भविष्य निधि नियमों के अनुसार अंशदान करेगा जैसा कि उक्त कर्मचारियों पर लागू होता है।

प्रतिमाह 1000/- रु. तक वेतन पाने वाला निगम में अस्थायी रूप से कार्यरत और अंशदायी भविष्य निधि (डी वी सी) या कर्मचारी भविष्य निधि (डी वी सी) में अंशदान करने वाला प्रत्येक कर्मचारी 16 सितम्बर 1972 से प्रभावी होने वाले और कर्मचारी पर लागू होने वाले उपदान भुगतान अधिनियम 1972 (1972 का 39) के प्रावधानों के अनुसार उपदान का हकदार होगा;

\$\$*विनियम 108* -- क) (1) इस विनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी स्थायी पद पर निगम की सेवा में मूल रूप से नियुक्त और 15 अगस्त 41959 को या इसके बाद सेवानिवृत्त होने वाला निगम का प्रत्येक कर्मचारी अपनी सेवा निवृत्ति की तारीख को लागू होने वाली भारत सरकार की पेंशन नियमावली के अन्तर्गत पेंशन-सह उपदान का हकदार होगा।

\$ किन्तु 1000/- रु. प्रतिमाह के वेतन पर नियुक्त निगम का ऐसा कोई कर्मचारी उस शर्त पर उपदान भुगतान अधिनियम 1972 (1972 का 39) के प्रावधानों के अनुसार उपदान का हकदार होगा कि उसने न तो भारत सरकार की पेंशन नियमावली के अन्तर्गत उपदान प्राप्त किया है और न ही वह भारत सरकार की पेंशन नियमावली के अन्तर्गत भुगतान योग्य उपदान का हकदार होगा।

* जैसा कि डी वी सी के तारीख 22 नवम्बर 1966 के अधिसूचना सं. 66 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

** जैसा कि डी वी सी के तारीख 7 फरवरी 1977 के अधिसूचना सं. 103 द्वारा शामिल किया गया।

\$\$ जैसा कि डी वी सी के तारीख 18 जनवरी 1964 के अधिसूचना सं. 51 द्वारा शामिल किया गया।

\$ जैसा कि डी वी सी के तारीख 21 मई 1980 के अधिसूचना सं. 110 द्वारा शामिल किया गया।

- (2) 18 जनवरी 1964 को किसी मूल हैसियत से निगम में किसी स्थायी पद पर तैनात कोई कर्मचारी और विनियम 108 की शर्तों के अनुसार यथास्थिति\$ अंशदायी भविष्य निधि (डी वी सी) या कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान करने वाला कर्मचारी से उक्त तारीख से तीन माह के भीतर यह पूछा जाएगा कि या तो वह इस प्रकार से अंशदान करने के लिए लिखित रूप में विकल्प ले अथवा पेंशन-सह-उपदान योजना के अन्तर्गत आने के संबंध में बताएं।
- (3) 18 जनवरी 1964 से पहले या बाद में भर्ती होने वाला ऐसा प्रत्येक कर्मचारी जो किसी स्थायी पद पर मूल नियुक्ति पर तैनात न हो किन्तु यथास्थिति अंशदायी भविष्य निधि (डी वी सी) या कर्मचारी भविष्य निधि (डी वी सी) में अंशदान कर रहा हो या उससे अंशदान करने के लिए कहा जाता है तो बाद की तारीख को किसी स्थायी पद पर नियुक्ति होने पर उस कर्मचारी को यह अनुमति दी जाएगी कि वह किसी स्थायी पद\$\$ में नियुक्ति की तारीख के आदेश की सूचना मिलने की तारीख से तीन माह के भीतर विनियम 108 के अनुसार या तो वह लिखित रूप में देकर ऐसे अंशदान को चालू रखेगा या फिर पेंशन-सह-उपदान योजना के अन्तर्गत आ जाएगा।
- (4) *यदि किसी कर्मचारी से खंड (2) या खंड (3) के प्रावधानों के अनुसार अपना विकल्प लेने के लिए कहा जाता है और वह तीन माह की निश्चित अवधि के भीतर ऐसा नहीं करता है तो उसे पेंशन-सह-उपदान योजना के अन्तर्गत आने वाला कर्मचारी मान लिया जाएगा। किन्तु अंशदायी भविष्य निधि या कर्मचारी भविष्य निधि को चालू रखने वाले कर्मचारी को भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से च माह में भीतर पेंशन-सह-उपदान योजना के लिए अपना विकल्प देने के संबंध में एक अवसर दिया जाएगा।

किन्तु, अपेक्षित विकल्प लेने से पहले ही सेवा निवृत्त होने वाला कोई कर्मचारी तब तक पेंशन-सह-उपदान योजना में शामिल नहीं होगा जब तक कि स्थायी पद पर नियुक्ति के संबंध में सूचना संबंधी आदेश के जारी होने की तारीख से तीन माह के भीतर वह उक्त योजना के लिए अपना विकल्प नहीं दे देता।\$\$

\$\$ जैसा कि डी वी सी के तारीख 22 नवम्बर 1966 के अधिसूचना सं. 22 द्वारा संशोधित।

\$ जैसा कि डी वी सी के तारीख 15 जनवरी 1966 के अधिसूचना सं. 62 द्वारा संशोधित।

* जैसा कि डी वी सी के तारीख 12 अगस्त 1980 के अधिसूचना सं. 111 द्वारा संशोधित।

- (5) किसी स्थायी पद पर निगम में अस्थायी, स्थानापन्न या संविदा के आधार पर किसी कर्मचारी की किसी प्रकार की बाधारहित सेवा को सेवा की उस अवधि के बावजूद नियमित स्थापना में कर्मचारी की सेवा आरम्भ होने की तारीख से पेंशन योग्य माना जाएगा जिसमें कर्मचारी को यथास्थिति अंशदायी भविष्य निधि (डी वी सी) या कर्मचारी भविष्य निधि (डी वी सी), में अंशदान करता है और इस सेवा को पेंशन के लिए हिसाब में लिया जाएगा।
- (6) यदि कोई कर्मचारी पेंशन-सह-उपदान योजना का विकल्प लेता है तो यथास्थिति अंशदायी भविष्य निधि (डी वी सी) या कर्मचारी भविष्य निधि (डी वी सी) में उसके क्रेडिट में उपलब्ध राशि के ब्याज सहित निगम के अंशदान की राशि को निगम के पास वापस भेज दिया जाएगा और उसकी निधि में क्रेडिट कर दिया जाएगा और यथास्थिति अंशदायी भविष्य निधि (डी वी सी) या कर्मचारी भविष्य निधि में कर्मचारी के निजी अंशदान की राशि को उक्त निधि से लिए गए अग्रिम, यदि कोई है\$, से समायोजित करने के बाद, इस राशि पर लगने वाले ब्याज सहित उस सामान्य भविष्य निधि के रूप में जाने वाले अंशदान के रूप में अनुरक्षित किया जाएगा जो कि इस प्रयोजन के लिए निगम द्वारा आरम्भ किया जाता है।
- * (6क) अंशदायी भविष्य निधि में निगम के अंशदान के क्रेडिट से संबंधित सीमा को छोड़कर अंशदायी भविष्य निधि नियमावली (डी वी सी) के प्रावधान सामान्य भविष्य निधि में किए जाने वाले अंशदान पर उसी प्रकार से लागू होंगे जैसे कि ये अंशदायी भविष्य निधि में कर्मचारी अंशदान के संबंध में लागू होते हैं।
- 7) 18 जनवरी 1964 से पहले किसी स्थायी पद पर नियुक्ति होने पर सेवा करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि (डी वी सी) के अन्तर्गत अंशदायी भविष्य निधि (डी वी सी) \$ के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ के साथ यथास्थिति सेवा निवृत्त या सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी को उसके स्थायी नियुक्ति आरम्भ होने के आदेश की तारीख से पेंशन-सह-उपदान योजना का लाभ दिया जाएगा। इसी के साथ उसको उसकी निधि में निगम द्वारा दिए गए अंशदान पर ब्याज भी दिया जाएगा। यदि इस अंशदान का भुगतान पहले ही कर दिया गया हो तो इसे उक्त योजना के अन्तर्गत स्वीकार्य मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति अभिलाभ से समायोजित किया जाएगा\$\$ और यदि फिर भी कोई अतिशेष राशि हो तो से नकद रूप में निगम का वापस दिया जाएगा।

\$ जैसा कि डी वी सी के तारीख 22 नवम्बर 1966 के अधिसूचना सं. 66 द्वारा संशोधित।

\$\$ जैसा कि डी वी सी के तारीख 15 जनवरी 1966 के अधिसूचना सं. 62 द्वारा संशोधित।

* जैसा कि डी वी सी के तारीख 30 अक्टूबर 1965 के अधिसूचना सं. 61 द्वारा शामिल किया गया

- 8) यदि कोई कर्मचारी किसी स्थायी पद पर नियुक्ति न हुआ हो किन्तु विनियम 108 के अन्तर्गत यथास्थिति भविष्य निधि (डी वी सी) में अंशदान करते हुए मर जाता है और उसे बाद की तारीख में किसी स्थायी पद पर भूतलक्षी प्रभाव से नियुक्त किया जाता है और यदि इस संबंध में नामित व्यक्ति या नामित व्यक्तियों द्वारा विशेष रूप से अनुरोध किया जाता है और इनको उनकी अनुपस्थिति में अंशदाता द्वारा विशेष रूप से वैधता के साथ नामित किया जाता है, जैसा कि परिवार के सभी सदस्यों द्वारा यथास्थिति 1962 के अंशदायी भविष्य निधि (डी वी सी) द्वारा परिभाषित किया जाता है तो निगम अपने विवेक से कर्मचारी के परिवार के यथास्थिति नामित व्यक्ति या नामित व्यक्तियों को कर्मचारी भविष्य निधि (डी वी सी) के अन्तर्गत अंशदायी भविष्य निधि (डी वी सी) के अन्तर्गत मिलने वाले लाभों के स्थान पर पेंशन-सह-उपदान योजना एवं परिवार पेंशन योजना की स्वीकृति दे सकता है। यदि परिवार के भविष्य निधि (डी वी सी)** या कर्मचारी भविष्य निधि (डी वी सी) में उसकी क्रेडिट की राशि का अंशदायी भविष्य निधि नियम (डी वी सी) या कर्मचारी भविष्य निधि निगम (डी वी सी) 1962* के प्रावधानों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।
- *9) यदि निगम का कोई कर्मचारी अपनी ड्यूटी के दौरान लगी चोट के कारण मर जाता है या मारा जाता है और वह किसी स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त हो और उसने विनियम 108 के अन्तर्गत अंशदायी भविष्य निधि (डी वी सी) या कर्मचारी भविष्य निधि (डी वी सी) के मिलने वाले लाभों को अपना लिया हो और उसका परिवार यह अनुभव करता है कि मृत कर्मचारी द्वारा अपनाया गया विकल्प उत्तरजीवितों के लिए लाभप्रद नहीं था तो निगम प्रत्येक मामले के ग्रण-दोषों पर विचार करने के बाद उसके परिवार को अंशदान भविष्य निधि (डी वी सी) के अन्तर्गत मिलने वाले लाभों के स्थान पर पेंशन-सह-उपदान योजना और परिवार पेंशन योजना का विकल्प लेने का अवसर प्रदान करेगा बशर्ते कि नामित व्यक्ति या नामित व्यक्तियों द्वारा विशेष रूप से अनुरोध किया गया हो और इनको उनकी अनुपस्थिति में अंशदाता द्वारा विशेष रूप से वैधता के साथ नामित किया गया हो, जैसा कि परिवार के सभी सदस्यों द्वारा यथास्थिति 1962 के अंशदायी भविष्य निधि (डी वी सी) या कर्मचारी भविष्य निधि (डी वी सी) द्वारा परिभाषित किया जाता है।

§ जैसा कि डी वी सी के तारीख 22 नवम्बर 1966 के अधिसूचना सं. 66 द्वारा संशोधित।

§§ डी वी सी के तारीख 15 जनवरी 1966 के अधिसूचना सं. 62 द्वारा शामिल किया गया और यह 1 जनवरी 1964 से प्रवावी हुआ।

* जैसा कि डी वी सी के तारीख 30 अक्टूबर 1965 के अधिसूचना सं. 61 द्वारा शामिल किया गया

यदि परिवार के सभी सदस्य ऐसा अनुरोध करने के लिए सहमत नहीं होते हैं तो यथास्थिति अंशदायी भविष्य निधि (डी वी सी) या कर्मचारी भविष्य निधि (डी वी सी) में उसकी क्रेडिट की राशि का अंशदायी भविष्य निधि नियम (डी वी सी) या कर्मचारी भविष्य निधि नियम (डी वी सी) 1962 के प्रावधानों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

§*विनियम 108ख*): पूर्व प्रावधानों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, भारत सरकार के केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण) नियमों समय-समय पर संशोधित नियमों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को स्वीकार्य लाभ उसी तरह से स्वीकार्य होंगे जैसे ये लाभ दामोदर घाटी निगम की समरूप श्रेणियों के कर्मचारियों को स्वीकार्य होते हैं।

व्याख्यात्मक ज्ञापन §

कर्मकार प्रतिकर अधिनियम की परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों से मित्र, दामोदर घाटी निगम के कर्मचारी ड्यूटी पर रहते हुए दुर्घटना के कारण से हुई मृत्यु या चोट के कारण सेवा बाहर होने के लिए किसी प्रकार के मुआवजे के हकदार नहीं होंगे।

केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली उन सभी केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों को ऐसे प्रदान करती है जो 1-04-1937 को या इसके बाद से केन्द्रीय सरकार की सेवा में आए हों।

डी वी सी समान्यतया नए नियम बनाकर या वर्तमान नियमों में समय-समय पर ऐसे संशोधन करके केन्द्रीय सरकार के नियमों और विनियमों की उपनाता है जैसे कि प्रक्रिया डी वी सी अधिनियम में निर्धारित हो।

नियम के कर्मचारियों के भिन्न भिन्न वर्गों से यह प्रतिवेदन किया जाता रहा है कि उनके मामले में केन्द्रीय सिविल सेवा असाधारण पेंशन नियमावली को चालू किया जाए।

डी वी सी ने सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद यह महसूस किया कि उसके कर्मचारियों को भी ऐसे लाभ दिए जाने चाहिए जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिए जाते हैं और तारीख 6-11-70 को निगम की बैठक में ऐसा संकाय पारित किया गया जिसमें के कर्मचारियों के मामले में भारत सरकार की केन्द्रीय सिविल सेवाओं को अपनाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

* जैसा कि डी वी सी के तारीख 22 नवम्बर 1971 के अधिसूचना सं. 89 द्वारा शामिल किया गया।

भारत सरकार की उपर्युक्त नियमावली के प्रावधानों को डी वी सी सेवा विनियम में शामिल करके निगम द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन प्राप्त होने पर इसे तो. 6-11-70 से प्रवावी करने का विचार है।

यह पुष्टि की जाती है कि उपर्युक्त प्रावधानों को भुतलक्षी प्रभाव से लागू करने पर किसी कर्मचारी पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

- \$108ग) (1) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की तरह से स्वीकार्य अंशदायी परिवार पेंशन योजना के लाभ डी वी सी के उन अस्थायी और स्थायीवत् कर्मचारियों को स्वीकार्य होंगे जिन्होंने डी वी सी की नियमित स्तापना में लगातार एक वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली हो और जो सामान्य भविष्य निधि योजना के सदस्य हैं।
- (2) नियमित स्तापनदा में प्रत्येक अस्थायी कर्मचारी चाहे वह 1 जनवरी 1969 से पहले या बाद में भर्ती हुआ हो और चाहे वह किसी स्थायी नियुक्ति में भी न हो किन्तु वह या तो यथास्थिति अंशदायी भविष्य निधि (डी वी सी) या कर्मचारी भविष्य निधि (डी वी सी), में अंशदान कर रहा हो या उसको इनमें अंशदान करने के लिए कहा गया हो, निगम की सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के छः माह के भीतर या दामोदर निगम सेवा नियमावली 1977 (32 वां संशोधन) के प्रवावी होने की तारीख से छः माह के भीतर, इनमें से जो भी अवधि बाद में आती हो, में सामान्य भविष्य निधि योजना में बने रहने या इसके अन्तर्गत आने के लिए लिखित रूप में विकल्प लेने की अनुमति दी जाएगी।

किन्तु 1 जनवरी 1969 को या इसके बाद भर्ती हुए किसी ऐसे अस्थायी कर्मचारी की मृत्यु होने पर जिसने एक वर्ष से अधिक की लगातार सेवा पूरी कर ली हो और उसने विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपना विकल्प न दिया हो तो निगम के विवेक से उसके मामले के गुण-दोषों के आधार पर मृतक कर्मचारी के परिवार को परिवार पेंशन स्वीकृत की जाए।

\$ जैसा कि डी वी सी के तारीख 7 फरवरी 1977 के अधिसूचना सं. 103 द्वारा शामिल किया गया।

X- अग्रिम

विनियम 109 -- कर्मचारियों को अग्रिम देने के लिए प्रत्येक वर्ष में प्रस्तुत की जाने वाली राशि को अलग रखा जाना चाहिए और यह किसी भी स्थिति में अग्रिम से अधिक नहीं होनी चाहिए निगम अपने कर्मचारियों को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अग्रिम प्रदान कर सकता है।

ब्याज लगने वाले अग्रिम -- वाहन खरीदने के लिए अग्रिम

यदि निगम की सेवा के हित में अग्रिम देना आवश्यक समझा जाए तो निगम किसी कर्मचारी को निम्नलिखित शर्तों पर मोटर कार या मोटर साइकिल की खरीद के लिए अग्रिम स्वीकृत कर सकता है :

- * (1) (क) मोटर कार की खरीद के लिए किसी कर्मचारी की स्थायी नियुक्ति के मामले में अग्रिम की अधिकतम राशि **20,000/- रु. या कर्मचारी के बीस माह का वेतन या मोटर कार का प्रत्याशित मूल्य इनमें से जो भी कम होगा, और मोटर साइकिल या स्कूटर या आटो-साइकिल की खरीद के लिए अग्रिम की अधिकतम राशि* 3,500/- रु. या कर्मचारी का 10 माह का वेतन या वाहन का प्रत्याशित मूल्य इनमें से जो भी कम होगा। यदि लिए गए अग्रिम से वाहन का प्रत्याहित मूल्य कम हो तो अतिशेष राशि को तुरन्त लौटा दिया जाएगा।
- (ख) यदि कोई कर्मचारी किसी स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्ति नहीं है तो मोटर कार या मोटर साइकिल या ऑटो-साइकिल की खरीद के लिए दिए जाने वाले आवेदन पत्र के साथ किसी ऐसे कर्मचारी की जमानत का बॉन्ड संलग्न किया जाना चाहिए जो उस कर्मचारी के पद से ऊँचे पदवाला हो जो कर्मचारी इस अग्रिम की स्वीकृति के लिए आवेदन करता है।
- * (ii) सभी कर्मचारियों के मामले में मोटर कार खरीदने के संबंध में लिए गए अग्रिम की अधिकतम सौ मासिक किस्तों में और मोटर साइकिल या स्कूटर या ऑटो साइकिल खरीदने के संबंध में लिए गए अग्रिम की वसूली अधिकतम सत्तर मासिक किस्तों में की

* डी वी सी के तारीख 24-07-61 के अधिसूचना सं. 32 द्वारा संशोधित। पुनः डी वी सी के तारीख 16-10-61 के अधिसूचना सं 78 द्वारा प्रतिस्थापित।

** जैसा कि डी वी सी के तारीख 29-06-62 के अधिसूचना सं. 113 द्वारा संशोधित किया गया।

जाएगी। अग्रिम की कटौती इसके आहरण करने के बाद से वेतन अथवा छुट्टी वेतन के प्रथम बार जारी होने से की जाएगी। कर्मचारी अपने विकल्प के अनुसार इससे कम किस्तों में भी अग्रिम की राशि को लौटा सकता है। प्रत्येक माह के अन्तिम दिन पर शेष वचे अतिशेषों पर परिकलित किया गया और निगम द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया गया साधारण ब्याज मूल अग्रिम की वसूली होने पर एक या अधिक किस्तों में वसूल किया जाएगा। इस ब्याज की वसूली होने पर एक या अधिक किस्तों में वसूल किया जाएगा। इस ब्याज की वसूली उस माह के बाद से आरम्भ की जाएगी जिनमें मूल अग्रिम की वसूली पूरी हुई है। यदि कर्मचारी 479 अन्तिम रूप से निगम की सेवा छोड़ रहा हो तो कर्मचारी को कार्यमुक्त करने से पहले शेष वचे अग्रिम की राशि को एक मुश्त राशि में ब याज सहित वसूल कर लिया जाएगा।

- (iii) किसी ऐसे अग्रिम की सहायता से खरीदी गई मोटर कार या मोटर साइकिल की बिक्री करने के लिए निगम की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है जिनकी वापसी ब्याज सहित पूर्णतया न हुई हो।
- (iv) ब्याज सहित अग्रिम को पूर्णतया वापिस करने से पहले मोटर कार या मोटर साइकिल के सभी मामलों में वही कार्रवाई की जानी चाहिए, जो शेष राशि की वापसी के संबंध में आवश्यक हो।
- (v) अग्रिम आहरण करने के एक माह के भीतर मोटर कार या मोटर साइकिल तुरन्त खरीद कर भुगतान किया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर अग्रिम की राशि देय ब्याज सहित तुरन्त लौटाई जानी चाहिए। यह शर्त अग्रिम स्वीकृति पत्र में दर्शाई जानी चाहिए। जब तक लेखा अधिकारी यह प्रमाणित न कर दे कि अग्रिम भुगतान के वर्ष के लिए निधि उपलब्ध हो तब तक कोई स्वीकृति जारी नहीं की जाएगी। स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा उस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए कि अधिकारी अग्रिम को ब्याज सहित लौटाने तक निगम की सेवा में बना रहेगा। यह प्रमाण पत्र स्वीकृति के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

* जैसा कि डी वी सी के तारीख 29-06-62 के अधिसूचना सं. 113 द्वारा संशोधित किया गया।

विनियम 110 -- अग्रिम आहरण करते समय कर्मचारी एक अनुबन्ध करेगा और खरीद पूरी करने पर यह अग्रिम के संबंध में प्रतिभूति के रूप में निगम के पास मोटर कार या मोटर साइकिल की आडमान करते हुए एक गिरवी बॉण्ड भरेगा अनुबन्ध और गिरवी बॉण्ड ऐसे फ़ॉर्म में किया जाएगा जैसा कि निगम द्वारा निर्धारित किया जाए। मोटर कार या मोटर साइकिल का मूल्य गिरवी बॉण्ड के साथ संलग्न विनिर्देशन की अनुसूची में दर्ज किया जाना चाहिए।

विनियम 111 -- जब कोई अग्रिम आहरण किया जाता है तो स्वीकृति प्राधिकारी लेखा अधिकारी को इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि विनियम 110 के अन्तर्गत अपेक्षित अनुबन्ध पर अग्रिम आहरण करने वाले कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए हैं और इसकी जांच की गई और सही पाया गया। स्वीकृति प्राधिकारी को यह देख लेना चाहिए कि अग्रिम आहरण करने की तारीख से माह के भीतर वाहन खरीद लिया जाना चाहिए और अन्तिम रिकार्ड से पहले प्रत्येक बन्धक बॉण्ड लेखा अधिकारी के पास जांच किए जाने के लिए प्रस्तुत कर देना चाहिए।

विनियम 112 -- बंधक बॉण्ड निगम के सचिव के पास सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना चाहिए। जब अग्रिम पूर्णतया लौटा गया हो तो इस बॉण्ड को विधिवत् निरस्त करके लेखा अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र लेकर वापस कर दिया जाना चाहिए कि व्याज सहित अग्रिम पूर्णतया लौटा दिया गया है।

**विनियम 113* -- 1) मोटर कार या मोटर साइकिल के संबंध में आग, चोरी या दुर्घटना का पूरा बीमा कराया जाना चाहिए।

ऐसा बीमा वाहन खरीदने की तारीख से प्रभावी होगा।

2) विनियम 111 में निर्धारित प्रमाण पत्र की प्राप्ति होने पर, लेखा अधिकारी अग्रिम आहरण करने वाले कर्मचारी से मोटर बीमा कम्पनी के लिए एक निर्धारित फ़ॉर्म में पत्र प्राप्त करेगा जिसके द्वारा मोटर कार या मोटर साइकिल का बीमा कराया गया हो ताकि वे यह अधिसूचित कर सकें कि निगम की गई बीमा पालिसी चाहता है। वह स्वयं ही इस पत्र को बीमा कम्पनी के पास भेज देगा और उसकी पावती प्राप्त कर लेगा। यदि बीमा वार्षिक आधार पर किया जाता है तो प्रक्रिया की तब तक प्रत्येक वर्ष में पुररावृत्ति की जाएगी जब तक कि अग्रिम निगम को पूर्णतया नहीं लौटा दिया जाता।

* जैसा कि डी वी सी के तारीख 31 अगस्त 1960 के अधिसूचना सं. 113 द्वारा संशोधित किया गया।

- 3) इन आदेशों का उल्लंघन करने पर कर्मचारी को अग्रिम सम्पूर्ण राशि ब्याज सहित वापस करनी होगी। किसी अवधि के दौरान वाहन के संबंध में बीमाकृत राशि उस अवधि के आरंभ में लगाए गए ब्याज सहित शेष अग्रिम की राशि से कम नहीं होनी चाहिए, और जब तक देय राशि पूर्णतथा वापस न हो जाए, तब तक बीमा का नवीकरण कराया जाना चाहिए।

विनियम 114 -- यदि विभागाध्यक्ष इस बात से सन्तुष्ट हो जाता है कि किसी स्थायी कर्मचारी द्वारा वाहन की खरीद किए जाने से वह अधिक दक्षता के साथ अपनी ड्यूटी कर सकता है तो वह निम्नलिखित शर्तों और अन्य ऐसी शर्तों के अनुसार 410.00 रु.\$ की राशि आहरण करने वाले कर्मचारी को भी साइकिल खरीदने के लिए स्वीकृति और ऐसी अग्रिम राशि प्रदान कर सकता है जैसी कि निगम उचित समझे --

- (i) प्रदान के जाने वाली अग्रिम की राशि 200.00 रु. या विक्री कर सहित साइकिल के प्रत्याशित मूल्य, जो भी कम हो**, तक की होनी चाहिए। यदि वास्तविक मूल्य लिए गए अग्रिम से कम है तो अधिशेष राशि निगम के पास तुरन्त लौटाई जानी चाहिए।
- (ii) जब तक लेखा अधिकारी यह प्रमाणित न कर दे कि अग्रिम के भुगतान के वर्ष में निधियाँ उपलब्ध है और स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता कि कर्मचारी की सेवा तब तक नियमित होने की संभावना है जब तक अग्रिम की राशि ब्याज सहित वापसी होती है तब तक किसी प्रकार की स्वीकृति जारी नहीं की जाएगी।
- (iii) अग्रिम आहरण* करने के बाद, जारी होने वाले प्रथम वेतन या छुट्टी के वेतन से आरम्भ होने वाले मासिक वेतन या छुट्टी के वेतन से कटौती करके 25 मासिक किस्तों में अग्रिम की वसूली की जानी चाहिए। मूल अग्रिम की वसूली होने के बाद, प्रत्येक माह के अन्तिम दिन की शेष राशि पर 4^{1/2} प्रतिशत, या जैसा समय समय पर निगम निर्धारित करे, की दर से साधारण ब्याज की वसूली की जाएगी। यदि कर्मचारी अन्तिम रूप से निगम की सेवा छोड़ रहा हो तो कर्मचारी के कार्य मूफ्त होने से पहले अग्रिम की एक मुख्य राशि वसूली कर ली जाएगी।

\$ जैसा कि छुट्टी के तारीख 3 अक्टूबर 1970 के अधिसूचना सं. 84 द्वारा संशोधित।

\$\$ जैसा कि छुट्टी के तारीख 3 सितम्बर 1964 के अधिसूचना सं. 53 द्वारा संशोधित। यह अधिसूचना 21 जनवरी 1964 से प्रलाभी हुई

* जैसा कि छुट्टी के तारीख 3 सितम्बर 1964 के अधिसूचना सं. 53 द्वारा संशोधित। यह अधिसूचना 21 जनवरी 1964 से प्रलाभी हुई

- (iv) इस विनियम के अन्तर्गत अग्रिम लेने वाले कर्मचारी द्वारा अग्रिम आहरण करने के एक माह के भीतर वाहन खरीदने संबंधी पूर्ण ब्यौरों का प्रमाण पत्र और वास्तव में भुगतान की गई राशि की नकद रसीद विभागाध्यक्ष के पास प्रस्तुत कर देनी चाहिए।
- (v) साइकिल खरीदने के लिए दुसरा या उसके बाद का अग्रिम पहले अग्रिम की तारीख से तीन वर्ष का समाप्ति होने तक, तब तक नहीं प्रदान किया जाएगा जब तक संबंधित कर्मचारी द्वारा इस आशय का सन्तोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता, है कि पहले अग्रिम की सहायता से खरीदी गई साइकिल गुम हो गई है या सेवा देने योग्य रह गई है। बाद के मामले में स्वीकृति प्राधिकारी लेखा-परीक्षा को उसकी स्वीकृति की जानकारी देते समय उस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि कर्मचारी के कब्जे में यथास्थिति पहले से ही रखी गई साइकिल गुम हो गई है या सेवा देने योग्य नहीं रह गई है।

टिप्पणी -- निगम या विभागाध्यक्ष अग्रिमों की प्रतिभूति या वसूली सुनिश्चित करके आवश्यक समझी जाने वाली उपर्युक्त शर्तों और निगम द्वारा निर्धारित की गई अन्य शर्तों के अनुसार किसी अस्थायी को भी इसी प्रकार के अग्रिमों* की स्वीकृति प्रदान कर सकता है।

स्थानान्तरण या दौरे पर अग्रिम (ब्याज रहित)

विनियम 115 -- एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर स्थानान्तरित होने वाले कर्मचारी को एक माह का वेतन और अनुमानित यात्रा भत्तों के अग्रिम स्वीकृत किए जाएं। वेतन के अग्रिम की वसूली ऐसी तीन किस्तों में की जाएगी जो वेतन या अग्रिम के आहरण के बाद प्रथम माह के छुट्टी वेतन बिल से आरम्भ होगी। यात्रा भत्ता बिल से यात्रा भत्ते के अग्रिम की वसूली एक मुश्त राशि में की जाएगी और यह बिल नए स्टेशन पर कार्यभार ग्रहण करने के एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि स्थानान्तरण होने के तीन माह के भीतर, कोई यात्रा भत्ता बिल प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो वेतन के एक तिहाई की दर से अग्रिम की वसूली की जाएगी।

§ विनियम 116 -- दौरे पर प्रस्थान करते समय, किसी कर्मचारी को इतनी अग्रिम की राशि स्वीकृत की जाए जो वास्तविक यात्रा खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो। ऐसा अग्रिम

* जैसा कि डी वी सी के तारीख 30 मार्च 1961 के अधिसूचना सं. 28 द्वारा संशोधित।

§ जैसा कि डी वी सी के तारीख 8 जनवरी 1975 के अधिसूचना सं. 97 द्वारा संशोधित।

कार्यालयाध्यक्ष या अन्य ऐसे अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाए जिसको शक्ति प्रत्यायोजित की जाए। दौरा पूरा करने पर अग्रिम को समायोजित किया जाए और विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, दूसरा अग्रिम तब तक स्वीकृत न किया जाए जब तक कि पूर्व अग्रिम को पूर्णतथा हिसाब में न ले लिया जाए, और इसको समायोजित न कर लिया जाए।

विशेष अग्रिम

विनियम 117 -- जिन प्रयोजनों का ऊपर उल्लेख नहीं किया गया है उनके लिए ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर जहाँ निगम लगाना उचित समझे प्रत्येक मामले की उपयुक्तता के आधार असाधारण परिस्थितियों में निगम द्वारा विशेष अग्रिम संस्वीकृत किए जा सकते हैं बशर्ते कि उन पर $5\frac{3}{4}$ प्रतिशत अथवा समय समय पर निगम द्वारा यथा निर्णीत किसी अन्य वार्षिक दर पर साधारण ब्याज वसूल किया जाए और पूरा अग्रिम 18 माह की अवधि के भीतर या कर्मचारी की संविदा अवधि, जो भी कम हो, के भीतर वसूल कर लिया जाए।

गृह निर्माण के लिए अग्रिम (ब्याज वाला)

**विनियम 118(1)* -- इस विनियम की व्यवस्था के अनुसार स्थाई पद पर आदारित कर्मचारी गृह निर्माण अग्रिम के लिए केंद्र सरकार कर्मचारियों पर लागू गृह निर्माण के समरूप अग्रिम अनुदान का दरकार होगा।

**किन्तु निगम किसी कर्मचारी द्वारा लिए जाने वाले गृह निर्माण अग्रिम के संबंध में किए जाने वाले किसी बन्धक विलेख पर लगने वाली ड्यूटी और पंजीकरण प्रभारों के संबंध में खर्चों को स्वयं वहन करना पड़ेगा।

* डी वी सी के तारीख 30 जून 1969 के अधिसूचना सं. 77 द्वारा शामिल किया गया जो कि 1 अप्रैल 1967 से प्रलाभी हुई

** डी वी सी के तारीख 31 सितम्बर 1972 के अधिसूचना सं. 93 द्वारा शामिल किया गया जो कि 1 जून 1970 से प्रलाभी हुई

****व्याख्यात्मक ज्ञापन :**

- (1) 15 फेब्रवरी 1971 को एक त्रिपक्षीय निपटारा में हुए एक समझौते के अनुसरण में निगम ने यह अनुमोदन किया कि कर्मचारियों के गृह निर्माण अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में बंधक विलेख पर हुए स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण प्रभारों के कारण खर्चों को निगम द्वारा वहन किया जाएगा और यह 1 जून 1970 से प्रभावी होगा।
- (2) इस विनियम के अन्तर्गत अग्रिमों की स्वीकृति इस प्रयोजन के लिए निधियों की उपलब्धता की शर्त के अनुसार की जाएगी और प्रत्येक वर्ष में एक राशि उस वर्ष में प्रयोग किए जाने के लिए अलग से रखी जाएगी और अग्रिम की राशि इस प्रकार से निश्चित की गई राशि में किसी भी स्थिति में अधिक नहीं होगी।
- (3) उप-विनियम (1) में बताए गए नियमों में दी गई किसी बात हुए भी, इस विनियम के अन्तर्गत स्वीकृत किए गए अग्रिमों पर उन दरों पर ब्याज जैसी कि निगम द्वारा समय समय पर निर्धारित की गई हो और ये दरें से कम नहीं होगी जिन ब्याज दरों पर निगम इन उधार की निधियों पर ब्याज का भुगतान करता है।
- (4) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट नियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, गृह निर्माण अग्रिम का लाभ उन कार्य-निर्माण प्रभारित कर्मचारियों तक पहुँचाया जाएगा जिनको नियमित स्थापना पर रखा गया है और कार्य-निर्माण प्रभारित स्थापना के अन्तर्गत लगातार न्यूनतम 10 वर्ष तक रखा गया हो।

* जैसा कि डी वी सी के तारीख 12 जनवरी 1971 के अधिसूचना सं. 109 द्वारा शामिल किया गया।

** जैसा कि डी वी सी के तारीख 31 अक्टूबर 1972 के अधिसूचना सं. 93 द्वारा शामिल किया गया जो कि 1 जून 1970 से प्रभावी हुई।

परिशिष्ट - II
विनियम, 108 के अनुसार
अंशदायी भविष्य निधि नियमावली (डी वी सी)

1. इन नियमों को अंशदायी भविष्य नियमावली (डी वी सी) कहा जाए।
2. (1) किसी विषय या सन्दर्भ में जब तक कोई बात प्रतिकूल न हो तब तक
 - (i) 'मेखा अधिकारी' का अर्थ है निगम का मुख्य लेखा अधिकारी।*
 - (ii) 'परिलब्धियों' का अर्थ है, दामोदर घाटी निगम सेवा विनियमों में परिभाषित वेतन, छुट्टी का वेतन या निर्वाह अनुदान और इसमें वेतन के लिए उपर्युक्त मंहगाई वेतन, छुट्टी का वेतन या निर्वाह अनुदान शामिल है। इसमें निगमसेवा के संबन्ध में वेतन के रूप से प्राप्त किया गया परितोषिक भी शामिल होगा।

टिप्पणी 27 मार्च 1954 को निगम की सेवा में रहने वाले व्यक्तियों और उसके बाद अपनी नियुक्ति की तारीख से कार्यभार ग्रहण करने वाले व्यक्तियों के मामले में उस मंहगाई वेतन को शामिल किया जाएगा जिसे पहली जून 1953 से लागू माना गया हो।

(iii) परिवार का अर्थ है :

क) पुरुष अभिदाता के मामले में किसी अभिदाता की पत्नी या पत्नियों और बच्चे और विधवा या विधवाएँ और अंशदाता के मृत पुत्र के बच्चे।

किन्तु यदि अभिदाता यह प्रमाणित करे कि उसकी पत्नी कानूनी तौर पर उससे अलग है अथवा उस सम्प्रदाय की रूढ़िजन्म विधि के अधीन उसकी पत्नी अनुरक्षण प्राप्त करने की हकदार नहीं है जिसे वह संबंधित हो तो इन नियमों से संबंधित मामलों में उसे अंशदाता के परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा। वशर्ते कि अभिदाता ने लेखा अधिकारी को लिखित रूप में सूचित नहीं किया हो कि उसे ऐसा ही समझा जाता रहे।

* जैसा कि डी वी सी के तारीख 11 मार्च 1966 के अधिसूचना सं. 64 द्वारा संशोधित किया गया।

** विचाराधीन सी पी एफ नियमावली (भारत) 1962 के आधार पर सी पी एन नियमावली (डी वी सी) का संशोधन।

(ख) महिला अभिदाता के मामले में अभिदाता का पति और बच्चे और अभिदाता मृत पुत्र की विधवा या विधवाएं और बच्चे।

किन्तु यदि अभिदाता में लेखा अधिकारी को लिखित रूप में अपने पति को अपने परिवार से अलग करने के संबंध अपनी इच्छा व्यक्त की हो तो इन नियमों में संबंधित मामलों में पति की अभिदाता के परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा वशर्ते बाद में अंशदाता ने निश्चित रूप में औपचारिक रूप से उसे परिवार में शामिल नहीं किया हो।

टिप्पणी 1 -- 'बच्चों' का अर्थ है वैध बच्चे।

टिप्पणी 2 -- यदि लेखा अधिकारी या लेखा अधिकारी को कोई संदेह हो तो निगम का विधि सलाहकार इस बात से संतुष्ट हो कि अंशदाता की वैयक्तिक विधि के अधीन स्वभाविक बच्चे की हैसियत देने के लिए दत्तक-ग्रहण विधिपूर्वक मान्यता प्राप्त है तो केवल इसी मामले में एक दत्तक बच्चे को वच्चा समझा जाए।

(iv) 'निधि' § का अर्थ है अंशदायी भविष्य निधि (डी वी सी) और

(v) 'वर्ष' का अर्थ है वित्तीय वर्ष

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किसी अन्य अभिव्यक्ति को भविष्य निधि अधिनियम (1925 का XIX) में या उसमें दिए गए अर्थ में प्रयुक्त किए गए निगम छुट्टी नियमावली में परिभाषित किया गया है।

3. निधि की व्यवस्था एवं प्रबन्ध -- निधि का प्रशासन निगम के पास होगा और उसका रूपों में अनुरक्षण किया जाएगा।
4. (1) ये नियम के प्रत्येक ऐसे कर्मचारी पर लागू होंगे जो विनियम 108* के अन्तर्गत निगम की अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान करता है।
(2) यदि किसी ऐसे कर्मचारी को निधि का लाभ दिया जाता है जो पहले नियम के किसी अन्य अंशदायी या गैर-अंशदायी भविष्य निधि अभिदाता था तो ऐसी अंशदायी भविष्य निधि में यथास्थिति उसके अंशदान और निगम के अंशदान की राशि या ऐसी गैर-अंशदायी भविष्य निधि में उसके अंशदान, राशि को उसके ब्याज सहित निधि में उसके क्रेडिट में अन्तर्लित कर दी जाएगी।

* जैसा कि डी वी सी के तारीख 21 मई 1958 के अधिसूचना सं. 9 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया और डी वी सी के तारीख 11 मार्च 1966 के अधिसूचना सं. 64 द्वारा पुनः अंकित किया गया।

** जैसा कि डी वी सी के तारीख 11 मार्च 1966 के अधिसूचना सं. 64 द्वारा संशोधित किया गया

****नामांकन** -- (1) कोई अभिदाता निधि में शामिल होते समय उसकी मृत्यु होने की स्थिति में उसकी निधि की क्रेडिट में ऐसी राशि को प्राप्त करने का अधिकार देते हुए जो भुगतान योग्य हो या भुगतान योग्य किन्तु भुगतान न किया गया हो, को एक या अधिक व्यक्तियों का नामांकन भरकर लेखा अधिकारी के पास प्रस्तुत करेगा।

किन्तु, यदि नामांकन भरते समय अभिदाता का परिवार है तो नामांकन उसके परिवार के सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में नहीं होगा।

पुनः यह प्रावधान किया जाता है कि ऐसी किसी अन्य भविष्य निधि के संबंध में अभिदाता द्वारा भरे गए नामांकन को इस नियम के अन्तर्गत विधिवत् भरे गए नामांकन की तरह तब तक माना जाएगा जब तक वह इस नियम के अनुसार नामांकन नहीं भर देता जिसमें वह इस निधि में शामिल होने से पहले, अंशदान कर रहा था और उस निधि की राशि को उसकी इस निधि की क्रेडिट में अन्तरिक्षत कर दिया गया हो।

- (2) यदि कोई अभिदाता उप-नियम (1) के अन्तर्गत एक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित करता है तो उसे प्रत्येक व्यक्ति के भाग को उस विधि से बताना होगा जिसमें ऐसी सम्पूर्ण राशि आ जाए जो किसी भी समय उसकी निधि के क्रेडिट में विद्यमान है।
- (3) प्रत्येक नामांकन ऐसे एक फ़ॉर्म में होगा जो मामले की परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हो और प्रथम अनुसूची में निर्धारित किया गया है।
- (4) कोई भी अभिदाता लेखा अधिकारी को लिखित रूप में सूचना देकर नामांकन को निरस्त कर सकता है।

किन्तु अभिदाता को इस निरस्तीकरण के साथ उप-नियम (1) से (3) के प्रावधानों के अनुसार भरा गया नया नामांकन भेजना होगा।

- (5) कोई अभिदाता निम्नलिखित को नामांकन में भर सकता है--

क) किसी ऐसे विनिर्दिष्ट नामित व्यक्ति के संबंध में जो अभिदाता से पहले ही मर जाता है और उसको दिए गए अधिकार ऐसे अन्य व्यक्ति को सौंप दिए जाते हो जैसा कि नामांकन में विनिर्दिष्ट किया गया है।

§ जैसा कि डी वी सी के तारीख 11 मार्च 1966 के अधिसूचना सं. 64 द्वारा संशोधित किया गया

* डी वी सी के तारीख 11 मार्च 1966 के अधिसूचना सं. 64 द्वारा संशोधित किया गया

** जैसा कि डी वी सी के तारीख 6 अगस्त 1960 के अधिसूचना सं. 21 द्वारा संशोधित किया गया

ख) यह नामांकन उसमें बताई गई आकस्मिकता के होने की यह स्थिति में अवैध हो जाएगा, किन्तु यदि नामांकन भरते समय अभिदाता का परिवार नहीं हो तो उसको ऐसा नामांकन भरता होगा जो बाद में परिवार होने पर अवैध हो जाए।

- (6) किसी ऐसे नामित व्यक्ति की मृत्यु के तुरन्त बाद जिसके संबंध में उपनियम (5) के खंड (क) के अन्तर्गत दिए गए नामांकन में कोई विशेष प्रावधान न किया गया हो या किसी ऐसी घटना के होने पर जिसके कारण से उप-नियम (5) के खंड (ख) या उसके किसी परन्तुक के अनुसार नामांकन अवैध हो गया हो, अभिदाता लिखित रूप में लेखा अधिकारी के पास इस नामांकन को निरस्त करते हुए इस नियम के अनुसार भरा गया नया नामांकन प्रस्तुत करेगा।
- (7) किसी अभिदाता द्वारा किया गया प्रत्येक नामांकन और वैध होने की सीमा तक निरस्वीकरण के संबंध में दिया गया प्रत्येक नोटिस उस तारीख से लागू होगा जिस तारीख को यह लेखा अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाता है।

टिप्पणी -- इस नियम के अन्तर्गत, जब तक अन्यथा विक्रय के अनुसार आवश्यकता न पड़े व्यक्ति या व्यक्तियों में कोई कम्पनी या संस्था या व्यक्तियों का निकाय शामिल होगा जिसको चाहे सम्मिलित किया गया हो या नहीं।

- 6) अभिदाता का खाता : प्रत्येक अंशदाता के नाम से एक खाता खोला जाएगा जिसमें निम्नलिखित को दर्शाया जाएगा**
- (i) अभिदाता के अंशदान
(ii) निगम द्वारा नियम 10 के अन्तर्गत किया गया अंशदान
(iii) इस अंशदान पर नियम 11 के अन्तर्गत दिया गया ब्याज
(iv) योगदान नियम 11 के अन्तर्गत दिया गया ब्याज
(v) निधि* से निकाला गया अग्रिम और अन्तिम निकासी
- 7) *अंशदान की शर्तें और दरें* — (1) निलंबन की अवधि को छोड़कर प्रत्येक अभिदाता ड्यूटी या विदेशी सेवा के दौरान भविष्य निधि में मासिक अंशदान करेगा।

* डी वी सी के तारीख 11 मार्च 1966 के अधिसूचना सं. 64 द्वारा संशोधित किया गया

** जैसा कि डी वी सी के तारीख 11 मार्च 1966 के अधिसूचना सं. 64 द्वारा संशोधित किया गया

किन्तु निलंबन की अवधि समाप्त होने पर एवं बहाली होने पर किसी अभिदाता को उस अवधि में अनुमेय राशि को या तो एक मुश्त राशि में या इसको किस्तों में अंशदान करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

- (2) कोई अभिदाता अपने विकल्प के अनुसार औसत वेतन पर अवकाश या अर्जित अवकाश जो यथास्थिति एक माह या दिन से कम अवधि को छोड़कर किसी प्रकार के अवकाश के दौरान भविष्य निधि में अंशदान नहीं भी कर सकता है।
- (3) अवकाश के दौरान अंशदान न करने के लिए अभिदाता को निम्नलिखित विधि से अपने विकल्प की सूचना देनी पड़ेगी :

- क) यदि वह ऐसा अधिकारी है जो अवकाश पर जाने के बाद अपने प्रथम वेतन आहरण में अंशदान के परिणामस्वरूप कोई कटौती न करते हुए अपना वेतन बिल आहरण करता/करती हो।
- ख) यदि वह कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जो अवकाश पर जाने से पहले अपने कार्यालयाध्यक्ष को लिखित में सूचित करके अपने वेतन बिल आहरण करता/करती है।

उपर्युक्त के संबंध में समय में समय से सूचना न दिए जाने की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि उसने विकल्प चुन लिया है।

इस उप-नियम के अन्तर्गत सूचित किया गया अभिदाता का विकल्प अन्तिम होगा।

- (4) जिस अभिदाता नियम के अन्तर्गत अंशदान और उसके व्याज की राशि का आहरण कर लिया हो वह ड्यूटी पर वापस लौटने तक ऐसे आहरण के बाद निधि में अंशदान नहीं करेगा।

अंशदान की दर-- (1) अंशदान की राशि निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वयं अभिदाता द्वारा निर्धारित की जाएगी :

- क) इसे पूरे रूपों में व्यक्त किया जाएगा।
- ख) यह राशि अंशदाता की परिलब्धियों के दायरे में आने वाली कोई ऐसी राशि होगी जो कि परिलब्धियों की 8½ प्रतिशत से कम नहीं होगी।*

* जैसा कि डी वी सी के तारीख 17 अप्रैल 1958 के अधिसूचना सं. 8 द्वारा पठित तारीख 16 नवम्बर 1959 के अधिसूचना सं.

15 द्वारा प्रतिस्थापित। इस संशोधन को 1 सितम्बर 1957 से प्रभावी माना जाएगा।

** डी वी सी के तारीख 11 मार्च 1966 के अधिसूचना सं. 64 द्वारा संशोधित किया गया।

\$\$ जैसा कि डी वी सी के तारीख 11 मार्च 1966 के अधिसूचना सं. 64 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) उप-नियम (1) के प्रयोजनों के लिए किसी अंशदाता की परिलब्धिया निम्न होगी :

क) ऐसे अभिदाता के मामले में जो पूर्व वर्ष की मार्च को निगम की सेवा में था, वे परिलब्धियां होगी जिनके लिए वह उस तारीख को हकदार था किन्तु :

(i) यदि अभिदाता उक्त तारीख को भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति या उक्त तारीख को छुट्टी पर था और आगे भी छुट्टी बढ़ाता है और ऐसी छुट्टी के दौरान अंशदान करने के लिए चुना जाता है तो वह ऐसी परिलब्धियों का हकदार होगा जिनके लिए वह तब हकदार होता जब वह भारत में ही ड्यूटी पर रहता।

(ii) यदि अभिदाता उक्त तारीख को छुट्टी पर था और उसको छुट्टी के दौरान अंशदान न करने के लिए चुना जाता है या उक्त तारीख को वह निलंबित था तो वह ऐसी परिलब्धियों का हकदार होगा। जिनके लिए वह छुट्टी से लौटने के पहले दिन पर हकदार था।

(iii) यदि अभिदाता उक्त तारीख के तुरन्त बाद किसी दिन प्रथम बाद में निधि में शामिल हुआ हो तो वह ऐसी परिलब्धियों का हकदार होगा जिनके लिए वह ऐसी बाद की तारीख को हकदार था।

ख) किसी ऐसे अभिदाता के मामले में जो पूर्व वर्ष के तारीख 31 मार्च को निगम की सेवा में नहीं था, वे परिलब्धिया होगी जिनके लिए वह सेवा आरम्भ करने के प्रथम दिन हकदार था या यदि वह अपनी सेवा की अगली तारीख से प्रथम बार निधि में शामिल हुआ हो तो उसकी परिलब्धियो वे होगी जिनके लिए वह बाद की ऐसी तारीख पर हकदार था।

किन्तु यदि किसी अंशदाता की परिलब्धियां अनियत प्रकार की हों तो उनका परिकलन उस प्रकार किया जाएगा जैसे कि निगम निर्देश दें।

(3) अंशदाता निम्नलिखित विधि से प्रत्येक वर्ष में मासिक अंशदान की राशि के नियतन के संबंध में सूचना देगा :

क) यदि वह पूर्व वर्ष के 31 मार्च को ड्यूटी पर था तो ऐसी कटौती द्वारा जो वह उस माह के वेतन बिल से इस संबंध में कटौती कराता है।

- ख) यदि वह पूर्व वर्ष के 31 मार्च की छुट्टी पर था और ऐसी छुट्टी के दौरान अंशदान न करने के लिए चुना गया था या उस तारीख पर निलंबित था तो ऐसी कटौती द्वारा जो वह ड्यूटी पर लौटने के बाद पहले वेतन-बिल से कटौती कराता है।
- ग) यदि वह वर्ष के दौरान प्रथम बार निगम की सेवा में भर्ती हुआ हो तो उस कटौती द्वारा जो वह प्रथम माह के अपने वेतन-बिल से इस संबंध में कटौती कराता है।
- घ) यदि वह पूर्व वर्ष की 31 मार्च की अवकाश पर था और अपनी छुट्टी आगे बढ़ा लेता है और ऐसी छुट्टी के दौरान अंशदान करने के लिए चुन लिया जाता है तो उस कटौती द्वारा जो वह उस माह के वेतन बिल से इस संबंध में कटौती कराता है।
- ङ) यदि उसकी परिलब्धियां उप-नियम (2) के परन्तुक में बताए गए अनुसार है तो उस विधि से कटौती के जरिए जैसा कि निगम निर्देश दे।
- च) यदि वह पूर्व वर्ष के 31 मार्च को विदेश सेवा में था या तो चालू वर्ष में अप्रैल के माह के लिए अंशदान के द्वारा निधि में उसके द्वारा क्रेडिट की गई राशि के जरिए।
- (4) इस प्रकार से नियम किए गए अंशदान की राशि वर्ष के दौरान दो बार घटाई और बढ़ाई जा सकती है।

किन्तु जब यह राशि इस प्रकार से कम की जाती है तो ऐसी राशि उप-नियम (1) में निर्धारित की गई न्यूनतम राशि से कम नहीं होगी।

पुनः यह प्रावधान किया जाता है कि यदि कोई अंशदाता किसी माह के किसी भाग में ड्यूटी पर हो और उस माह के शेष भाग में अवकाश पर हो और छुट्टी के दौरान उसे अंशदान न करने के लिए चुना जाता है तो भुगतान योग्य अंशदान की राशि माह में ड्यूटी पर बिताए गए दिनों की संख्या के समानुपात से पूर्ण रूपों में होगी।

(8क) भारत में बाहर विदेश सेवा के लिए प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण -- जब किसी अभिदाता को विदेश सेवा के लिए स्थानान्तरित किया जाता है या भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है तो वह निधि में उन्हीं नियमों के अनुसार ही रहेगा मानों कि उसकी प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित न किया गया हो या भेजा न गया हो।

* डी वी सी के तारीख 11 मार्च 1966 के अधिसूचना सं. 64 द्वारा प्रतिस्थापित

§ डी वी सी के तारीख 11 मार्च 1966 के अधिसूचना सं. 64 द्वारा शामिल किया गया

** जैसा कि डी वी सी के तारीख 6 जनवरी 1975 के अधिसूचना सं. 96 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया

9.(1) अंशदान की वसूली -- अंशदान और अग्रिम के मूल एवं ब्याज की वसूली यथास्थिति मासिक वेतन बिल या छुट्टी वेतन बिल या छुट्टी वेतन बिल, से की जाएगी। इस वसूली की पुष्टि दूसरी अनुसूची में दिए गए निर्धारित फॉर्म में एक अनुसूची के जरिए की जाएगी।

§§ (2) जब परिलब्धियां किसी अन्य स्रोत से आहरित की जाती हैं तो अभिदाता अपनी मासिक देनदारियों को लेखा अधिकारी के पास प्रेषित करेगा।

किन्तु, सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणवाले किसी निकाय में प्रतिनियुक्ति वाले किसी अभिदाता के मामले में अंशदान ऐसे निकाय द्वारा ही लिया जाएगा और इसे लेखा अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा।

10. निगम द्वारा अंशदान — (1) प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च से निगम** प्रत्येक अभिदाता के लेखे में एक प्रकार का अंशदान करेगा किन्तु यदि कोई अभिदाता इस अवधि के दौरान सेवा छोड़ देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो यथास्थिति सेवा छोड़ने या मृत्यु होने के पूर्व की समाप्ति की अवधि तक ही अंशदान किया जाएगा।

किन्तु, किसी सेवानिवृत्त अंशदाता को ऐसा अंशदान तब तक भुगतान योग्य नहीं होगा बशर्ते कि उसके विनियम 25 के अनुसार पुनः नियम किए गए वेतन पर निगम के अधीन एक वर्ष से अधिक लगातार सेवा पूरी की हो; और यदि अभिदाता उस तारीख से विधि में अंशदान कर रहा हो तो वेतन नियत किए जाने की तारीख से ऐसा अंशदान भुगतान योग्य होगा।

पुनः यह प्रावधान किया जाता है कि प्रथम प्रस्तुत में दर्शाई गई श्रेणी के अभिदाता से भिन्न किसी अंशदाता को किसी प्रकार का अंशदान भुगतान-योग्य नहीं होगा बशर्ते के उसने निगम के अधीन लगातार दो वर्ष की सेवा पूरी की है।

§ स्पष्टीकरण -- इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी का अर्थ बर्मा और पाकिस्तान से उन सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों सहित सेवानिवृत्ति निगम के कर्मचारी और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों के सेवानिवृत्त कर्मचारी।

§ जैसा कि डी वी सी के तारीख 11 मार्च 1966 के अधिसूचना सं. 64 द्वारा संशोधित

* जैसा कि क्रमशः डी वी सी के 6 जनवरी 1961 के अधिसूचना सं. 24 और जून 1965 के अधिसूचना सं. 60 द्वारा प्रतिस्थापित और संशोधित और शंशोक्ति प्रतिस्थापित और संशोधित नियम 12 अगस्त 1959 से प्रभावी हुए

** जैसा कि डी वी सी के तारीख 6 अगस्त 1960 के अधिसूचना सं. 21 द्वारा संशोधित किया गया

§(2) यथास्थिति वर्ष या अवधि के संबंध में निगम अभिदाता द्वारा आहरित की गई परिलब्धियों का 8¹/₃% तक ही अंशदान करेगा।

किन्तु, यदि चूक होने से या अन्य किसी कारण से अंशदान की गई राशि नियम 8 के उप-नियम (1) और (2) के अन्तर्गत अंशदाता द्वारा भुगतान योग्य न्यूनतम अंशदान से कम है और अंशदान की राशि इस पर लगने वाले ब्याज सहित यदि निगम द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अभिदाता द्वारा भुगतान नहीं की जाती है तो निगम द्वारा भुगतान योग्य अंशदान तब तक अभिदाता द्वारा वास्तव में भुगतान की जाने वाली राशि या निगम द्वारा भुगतान योग्य साधारण राशि के बराबर होगी जब तक कि निगम किसी विशेष मामले में अन्यथा निर्देश दे।

- (3) जब कोई अभिदाता अपनी छुट्टी के दौरान अंशदान करने का विकल्प लेता है तो इस नियम के प्रयोजनों के लिए उसको छुट्टी के वेतन को ड्यूटी पर आहरित परिलब्धियां माना जाएगा) *।
- (4) भुगतान योग्य अंशदान की राशि को निकटतम पूर्ण रूप में पूरा किया जाएगा (पचास पैसे और इससे अधिक पैसे को अगले रूप में गिना जाएगा।
- (5) जब कोई अभिदाता अपनी निलंबन की अवधि के संबंध में अपने अंशदान की बकाया राशि के संबंध में भुगतान करने का विकल्प चुनता है तो परिलब्धियों या उसकी बहाती पर उस अवधि के लिए उसे भुगतान लिए जाने वाली परिलब्धियों को इस नियम के प्रयोजनों के लिए ड्यूटी के दौरान आहरित की गई परिलब्धियां माना जाएगा।*
- (6) विदेश सेवा की अवधि के संबंध में भुगतान योग्य प्रकार के अंशदान की राशि अभिदाता से निगम द्वारा वसूली योग्य रहेगी बशर्ते कि इसे विदेशी नियोंक्ता से वसूल नहीं की गई हो।*

11. *ब्याज* -- (1) नियम अभिदाता के खाते के क्रेडिट पर उस दर से ब्याज का भुगतान करेगा जैसा कि निगम द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाए।

(2) ब्याज निम्नलिखित ढंग से प्रत्येक वर्ष की मार्च से क्रेडिट किया जाएगा।

- (i) पूर्व वर्ष के 31 मार्च को अभिदाता के क्रेडिट की राशि में से चालू वर्ष के दौरान निकाली गई राशि कम करके बारह माह के लिए ब्याज

§ जैसा कि डी वी सी के तारीख 22 फरवरी 1962 के अधिसूचना सं. 27 द्वारा प्रतिस्थापित

* डी वी सी के तारीख 11 मार्च 1966 के अधिसूचना सं. 64 द्वारा शामिल किया गया

- (ii) चालू वर्ष के दौरान निकाली गई राशियों पर निकाली के माह के पूर्व माह के अन्तिम दिन तक चालू वर्ष के 1 अप्रैल से ब्याज मिलेगा।
- (iii) पूर्व वर्ष की 31 मार्च के बाद अंशदाता के लेख में क्रेडिट की गई राशियों पर चालू वर्ष के 31 मार्च तक जमा करने की तारीख से ब्याज मिलेगा।
- (iv) ब्याज की सकल राशि को निकटतम पूरे रूपए में पूर्णांकित किया जाएगा (पचास पैसे और अधिक को अगले रूपए के रूप में गिना जाएगा)

किन्तु जब किसी अभिदाता के नाम क्रेडिट की राशि भुगतान योग्य हो जाती है तो इस पर लगने वाले ब्याज को इस नियम के अन्तर्गत यथास्थिति केवल चालू वर्ष के आरम्भ की अवधि से या जमा करने की तारीख से उस तारीख तक क्रेडिट किया जाएगा जिस तारीख को अभिदाता के क्रेडिट की राशि भुगतान योग्य हो जाए।

- (3) इस नियम के प्रयोजन के लिए परिलब्धियों से वसूलियों के मामले में जमा करने की तारीख को उस माह का प्रथम दिन माना जाएगा जिसमें उनकी वसूली की गई हो और अभिदाता प्रेषित की गई राशियों के मामले में इसी पावती के माह का प्रथम दिन तब माना जाएगा यदि इनको उस माह की पाँचवी तारीख से पहले लेखा अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाता है या यदि ये उस माह की पाँचवी तारीख को या इसके बाद प्राप्त किया जाता है तो अगले माह की प्रथम तारीख माना जाएगा।

किन्तु, जहाँ पर अभिदाता के वेतन एवं भत्तों या छुट्टी का वेतन को आहरण करने और निधि में उसके अंशदान होने में बिलंब हुआ हो तो ऐसे अंशदानों पर उस माह से नियमानुसार ब्याज भुगतान योग्य होगा जिस माह से ऐसे वेतन एवं भत्ते या छुट्टी की वेतन देय हो चाहे इनको वास्तव में किसी भी माह में आहरित किया गया हो।

पुनः यह प्रावधान किया जाता है कि नियम 9 के उप-नियम (2) के परन्तुक के अनुसार प्रेषित की गई किसी राशि के जमा करने की तारीख उस माह की पहली तारीख तक मानी जाएगी यदि यह उस माह** की पन्द्रह तारीख से पहले लेखा अधिकारी द्वारा प्राप्त कर ली जाती है।

* जैसा कि डी वी सी के तारीख 11 मार्च 1966 के अधिसूचना सं. 64 द्वारा संशोधित किया गया

** जैसा कि डी वी सी के तारीख 11 मार्च 1966 के अधिसूचना सं. 64 द्वारा संशोधित किया गया

- (4) निगम 20 के अन्तर्गत भुगतान की जाने वाली किसी राशि के अतिरिक्त उस पूर्व माह के अन्त तक या उस माह के बाद से छठे माह के अन्त तक जिसमें ऐसी राशि भुगतान योग्य हो गई हो, इनमें से जो भी अवधि कम हो, तक का उस पर लगने वाला ब्याज उस व्यक्ति को भुगतान योग्य हो जाएगा जिसको यह राशि भुगतान की जाती है।

किन्तु, जिस तारीख को लेखा अधिकारी ने उस व्यक्ति या उसके को एजेन्ट, भुगतान के संबंध में सूचित किया हो उस तारीख के बाद से किसी प्रकार के ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा क्योंकि उस तारीख को वह भुगतान करने के लिए तैयार होता है या यदि वह बैंक के जरिए भुगतान करता है तो उस तारीख से ब्याज नहीं दिया जाएगा जिस तारीख को बैंक को डक में डाला जाता है।

§टिप्पणी : छः माह से अधिक और एक वर्ष तक की अवधि के लिए निधि अधिशेषों पर ब्याज का भुगतान मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा तब प्राधिकृत किया जाना चाहिए जब वह स्वयं इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि भुगतान में विलंब होना अभिदाता के नियंत्रण से परे था। ऐसे प्रत्येक मामले के प्रहासनिक संबंधी विलंब की जाच की जाए और किसी प्रकार की आवश्यकता पड़े तो कारवाई की जाए।

12. निधि से अग्रिम -- विभागाध्यक्ष के स्वनिर्णय के अनुसार, अभिदाता की क्रेडिट की राशि का आधा व तीन माह के वेतन के बराबर, इनमें से जो भी कम हो, पूरे रूपों में अभिदाता को अस्थायी अग्रिम के रूप में स्वीकृत किया जाएगा और जहाँ पर अभिदाता किसी विभाग का अध्यक्ष हो वहाँ पर अग्रिम इस शर्त पर निगम द्वारा स्वीकृत किया जाए कि कोई अग्रिम तब तक स्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक स्वीकृत प्राधिकारी इस बात से सन्तुष्ट न हो जाए कि आवेदक की आर्थिक परिस्थितियाँ ऐसी स्वीकृति के लिए न्यासंगत है और लिया गया अग्रिम उसी प्रयोजन या प्रयोजनों के लिए खर्च किया जाएगा जिसके लिए इस लिया गया है।

*(13) अग्रिमों के लिए निम्नलिखित कारण सही और पर्याप्त माने गए हैं

- क) अभिदाता की बीमारी या अयोग्यता या जहाँ पर आवश्यक हो स्वयं या वास्तव में अभिदाता पर आश्रित व्यक्ति के संबंध में यात्रा व्यय के भुगतान के लिए :
- ख) अभिदाता या वास्तव में उस पर आश्रित किसी व्यक्ति के यात्रा व्यय सहित निम्नलिखित मामलों में जहाँ आवश्यक हो उच्च शिक्षा पर होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए :
- (i) भारत से बाहर हाई स्कूल स्तर से उपर की अकादमिक, तकनीकी, व्यावसायिक या पेशेवर शिक्षा के लिए और

* जैसा कि डी वी सी के तारीख 11 मार्च 1966 के अधिसूचना सं. 64 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया

§ जैसा कि डी वी सी के तारीख 6 जनवरी 1975 के अधिसूचना सं. 96 द्वारा शामिल किया गया

(ii) हाई स्कूल स्तर से ऊपर भारत में मेडिकल, इंजीनियरिंग या अन्य तकनीकी या विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए बशर्ते यह अध्ययन पाठ्यक्रम तीन वर्ष से कम अवधि का न हो।

(ग) ऐसे अनिवार्य खर्चों का भुगतान करने के लिए जो अंशदाता को रूढ़िजन्य प्रथा के संबंध में पूरे करने है जैसे कि उसकी स्वयं या उसके बच्चों या वास्तव में उस पर आश्रित व्यक्ति की शादी आदि।

किन्तु, वास्तव में आश्रित वाली शर्त अंशदाता के किसी पुत्र या पुत्री के मामले में लागू होगी।

पुनः यह प्रावधान किया जाता है कि ऐसे किसी अग्रिम के मामले में वास्तव में आश्रित से संबंधित शर्त लागू नहीं होगी जो किसी अभिदाता के माता पिता के अन्त्येष्टि व्यय के लिए अपेक्षित हो।

(घ) निगम में किसी अन्य स्रोत से समान उद्देश्य के लिए अनुमत्य किसी अग्रिम के साथ साथ ऐसे मामले में अग्रिम दिए जाते है जिसमें किसी अभिदाता द्वारा प्रारंभ की गई ऐसी विधि सम्मत कारवाहियों की लागत को पूरा किया जाना हो जो किए गए किसी कार्य या सरकारी कार्य के निर्वहन में उसके द्वारा किए जाने वाले किसी कार्य के लिए उसके विरुद्ध लगाए गए किसी अभिकथन के संबंध में उसकी स्थिति को न्याय संगत सिद्ध करने के लिए हो।

किन्तु इस उप-खंड के अन्तर्गत ऐसे किसी अभिदाता को अग्रिम स्वीकार्य नहीं होगा जिसने किसी न्यायालय में ऐसे किसी मामले में निधि सम्मत कारवाहियां आरंभ की हो जो उसके सरकारी कार्य से संबंधित न हो या सेवा की शर्त के मामले में निगम के विरुद्ध हो या उस पर शास्ति अधिरोपित किया गया हो।

(ङ) अपने बचाव के खर्च को पूरा करने के लिए यदि अभिदाता पर निगम द्वारा किसी न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता है या जहाँ पर कोई अभिदाता अपने ऊपर लगे कदारचा के संबंध में अपने बचाव के लिए किसी वकील की सहायता लेता है।

(च) जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान करने के लिए।

टिप्पणी -- मोटे तौर पर उपर्युक्त बताए गए उद्देश्यों तक ही अग्रिम सीमित नहीं है वल्कि इसे ऐसे अन्य कारण से संबंधित विशेष मामलों में निगम द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है जो कम महत्वपूर्ण न हो।

*14क) विशेष कारणों को छोड़कर कोई अग्रिम नियम 12 के अन्तर्गत आहरण की सीमा से अधिक किसी अंशदाता को स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी : इस नियम के प्रयोजन के लिए वेतन में महंगाई भत्ता शामिल नहीं होता।

ख) विशेष मामलों को छोड़कर कोई अग्रिम तब तक स्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक पहले अग्रिम की अन्तिम किस्त ब्याज सहित वापस न हो गई हो।

ग) स्वीकृति प्राधिकारी अग्रिम स्वीकृति के कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड करेगा।

किन्तु यदि कोई कारण गोपनीय प्रकार का है तो इसकी सूचना लेखा अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से या गोपनीय रूप से दी जाए।

15.(1) कोई अग्रिम किसी अभिदाता से ऐसी समान मासिक किस्तों की संख्या में वसूल किया जाएगा जैसा कि स्वीकृति प्राधिकारी निर्देश दे किन्तु ऐसी संख्या तब तक बारह से कम और चौबीस से अधिक नहीं होगी जब तक कि अभिदाता ऐसा विकल्प न दे दें। ऐसे विशेष मामलों में जहाँ पर नियम 14(क) के अन्तर्गत अभिदाता के तीन माह के वेतन से अग्रिम की राशि अधिक हो जाती है वहाँ पर स्वीकृति प्राधिकारी ऐसी किस्तों की संख्या चौबीस से अधिक नियत कर सकता है किन्तु किसी भी स्थिति में किस्तें छत्तीस से अधिक नहीं होगी। कोई अभिदाता अपने विकल्प से निर्धारित की गई किस्तों से कम किस्तों में भी अग्रिम की वापसी कर सकता है। प्रत्येक किस्त ऐसे पूर्ण रूप में होगी जैसे कि ऐसी किस्तों को नियत करने के लिए मांगे गए अग्रिम की राशि की किस्तों को बढ़ाया या घटाया जा सके।

* (2) अग्रिम की* वसूली नियम 9 में बताई गई विधि से की जाएगी और छुट्टी वेतन या किसी पूर्ण माह के लिए निर्वाह अनुदान को छोड़कर, उस माह से अग्रिम की वसूली आरम्भ होगी जिसमें परिलब्धिया आहरित की जाती है यदि कोई अंशदाता एक माह या 30 दिन तक अवकाश या औसत वेतन यथास्थिति अवकाश पर हो या निर्वाह अनुदान ले रहा हो तो अग्रिम की वसूली बिना अभिदाता की सहमति से नहीं की जाएगी। अभिदाता को प्रदान किए गए वेतन के अग्रिम की वसूली के दौरान अभिदाता के लिखित अनुरोध पर अग्रिम की वसूली को स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा स्थगित किया जा सकता है।

* डी वी सी के तारीख 11 मार्च 1966 के अधिसूचना सं. 64 द्वारा शामिल किया गया

* डी वी सी के तारीख 15 मई 1962 के अधिसूचना सं. 40 द्वारा संशोधित किया गया

(3) (क) यदि किसी अभिदाता को एक से अधिक अग्रिम दिए गए हों तो वसूली के प्रयोजन से प्रत्येक अग्रिम को अलग-अलग माना जाएगा।

(4) (क) अग्रिम के मूल की पूरी वापसी होने के बाद प्रत्येक माह या आहरण और मूल की पूर्ण वसूली के बीच की अवधि के दौरान के किसी माह के किसी भाग के लिए मूल के 1/5 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

(ख) सामान्यतया मूल अग्रिम की वसूली होने के बाद के माह से ही एक किस्त में ब्याज की वसूली की जाएगी किन्तु यदि खंड (क) में बताई गई अवधि बीस माह से अधिक है और यदि अंशदाता ऐसा चाहता है तो ब्याज की वसूली दो मासिक समान किस्तों में की जाएगी। वसूली का तरीका वही होगा जैसा कि उप-नियम (2) में बताया गया हो। भुगतान की राशि को नियम 10 के उप-नियम (4) में दिए गए प्रकार से निकटतम रूप में की जाएगी।

(5) यदि किसी अभिदाता को कोई स्वीकृत किया जा चुका हो और यह उसने आहरण कर लिया हो और बाद में इसकी वापसी पूर्ण होने से पहले ही इसकी अनुमति नहीं दी जाती है तो आहरण किया गया पूरा या उसका कोई भाग नियम 11 के अन्तर्गत निर्धारित किए गए ब्याज सहित तुरन्त ही अंशदाता द्वारा लौटाया जाएगा या ऐसा न करने पर, लेखा अधिकारी द्वारा यह आदेश दिया जाए कि इस अग्रिम की वसूली अंशदाता की परिलब्धियों से किस्तों के जरिए की जाए या फिर ऐसे अग्रिम को स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी जैसा भी आदेश दे।

(6) इस नियम के अन्तर्गत की गई वसूलियों को उसी प्रकार से क्रेडिट किया जाएगा जैसे कि उनको निधि में अंशदाता के लेखे में क्रेडिट किया जाता है।

16. इन नियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, यदि स्वीकृति प्राधिकारी इस बात से सन्तुष्ट हो जाता है कि नियम 12 के अन्तर्गत निधि से अग्रिम के रूप में आहरित की गई राशि उस प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए प्रयोग में ले ली गई है जिसके लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी तो उक्त राशि नियम 11 के अन्तर्गत निर्धारित किए गए ब्याज सहित अंशदाता द्वारा तुरन्त निधि में लौटा दी जाएगी या ऐसा न करने पर इसकी एक-मुश्त वसूली का आदेश दिया जाएगा या फिर ऐसी मासिक किस्तों में स्वीकृति प्राधिकारी इसकी वसूली का आदेश देगा जैसा कि वह उचित समझे चाहे अभिदाता अवकाश पर ही क्यों न हो।

टिप्पणी : इस नियम में प्रयुक्त परिलब्धियों में निर्वाह अनुदान शामिल नहीं है।

*16क) निधि से आहरण : (1) बीस वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद (सेवा की खंडित अवधियों यदि कोई हो, सहित) या सेवा निवृत्ति या अधिवर्षिता की तारीख से पहले दस वर्ष के भीतर, जो भी पहले हो, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किसी अंशदाता के अंशदान और उसके ब्याज सहित निधि की राशि में से निगम या उसकी ओर से प्रदान की गई शक्तिवाले किसी प्राधिकारी द्वारा आहरण की राशि स्वीकृत की जा सकती है :

ख) उच्च शिक्षा का खर्च पूरा करने के लिए और जहाँ आवश्यक हो निम्नलिखित मामले में अंशदाता पर वास्तव में आश्रित बच्चे के यात्रा व्यय सहित :

(i) हाई-स्कूल स्तर से ऊपर भारत से बाहर अकादमिक, तकनीकी, व्यावसायिक या पेशेवर शिक्षा के लिए और

(ii) हाई-स्कूल स्तर से उपर भारत से बाहर किसी चिकित्सा, इंजीनियरिंग या अन्य विशेष तकनीकी पाठ्यक्रम के लिए बशर्ते कि यह अध्ययन पाठ्यक्रम तीन वर्ष से कम अवधि का न हो।

ख) अभिदाता के पुत्र या पुत्री की शादी के संबंध में होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए और यदि उसकी कोई पुत्री नहीं है तो ऐसी स्त्रीलिंग संबंधी जो उस पर आश्रित हो।

ग) बीमारी के संबंध में होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए और जहाँ पर आवश्यक हो वहाँ पर अभिदाता या उस पद पर वास्तव में आश्रित व्यक्ति के लिए यात्रा व्यय को पूरा करने सहित

घ) अपने निवास के लिए उचित मकान बनाने या प्राप्त करने के लिए जिसमें आवेदन की तारीख से तुरन्त पहले किन्तु उस तारीख के बारह माह के अन्दर किए गए ऋण की शेष राशि या स्थल की कीमत अदायगी करने के लिए पुननिर्माण या किसी अंशदाता द्वारा पहले से स्वामित्व या अर्जित मकान में परिवर्तन या बढ़ोतरी करने के लिए।

* जैसा कि डी वी सी के तारीख 11 मार्च 1966 के अधिसूचना सं. 64 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया

- ड) निधि से आहरण के लिए आवेदन प्राप्ति की तारीख से पहले किन्तु उस तारीख से बारह माह के भीतर किसी गृह-स्थल की खरीद करने या इस प्रयोजन के संबंध में लिए गए ऋण की शेष राशि का भुगतान करने के लिए।
- च) खंड (च) के अन्तर्गत आहरण की गई राशि का प्रयोग करके खरीदे गए स्थान पर एक घर का निर्माण करने के लिए।

टिप्पणी 1: जिस अंशदाता ने गृह निर्माण प्रयोजन के लिए अग्रिमों के अनुदान के संबंध में भारत सरकार के निर्माण आवास एवं आपूर्ति मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत किसी अग्रिम का स्वयं लाभ उठा लिया है या जिसे किसी अन्य सरकारी स्रोत से इस संबंध में किसी प्रकार की सहायता प्रदान की गई है, वह इन नियमों में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उप-खंड (घ), (च) और (छ) के अन्तर्गत अन्तिम आहरण के अनुदान के लिए पात्र होगा। उसे उक्त योजना के अन्तर्गत लिए गए ऋण का भी भुगतान करना पड़ेगा बशर्ते कि यह ऋण नियम 16ख के उप-नियम (1) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट सीमा के अनुसार हो।

टिप्पणी 2 : निधि से वास्तविक आहरण उस संबंधित लेखा अधिकारी से किसी प्राधिकारी की प्राप्ति पर ही किया जाएगा जो स्वीकृति प्राधिकारी की औपचारिक स्वीकृति जारी होने पर इसके भुगतान की व्यवस्था करेगा।

*16ख) आहरण की शर्त : (1) निधि में अंशदाता की क्रेडिट की राशि से नियम 16क में विनिर्दिष्ट एक या अधिक प्रयोजनों के लिए किसी मसय अंशदाता द्वारा आहरित की गई कोई राशि साधारणतया निधि में अंशदाता की क्रेडिट में अंशदाता की क्रेडिट में अंशदान और उस पर लगने वाले ब्याज की कुछ राशि के आधे या छः माह का वेतन इसमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। किन्तु स्वीकृति प्राधिकारी (i) आहरण के उद्देश्य (ii) अभिदाता की हैसियत और (iii) निधि में अभिदाता के क्रेडिट में अंशदान और इस पर बनने वाले ब्याज का पूरा ध्यान रखते हुए निधि में अभिदाता के अंशदान और उसके ब्याज की राशि का तीन-चौथाई तक की सीमा तक की अधिक राशि के आहरण करने की भी स्वीकृति प्रदान कर सकता है।

किन्तु, यदि किसी अभिदाता ने नियम 16क) की टिप्पणी 1 में दी गई योजना के अन्तर्गत स्वयं किसी अग्रिम का लाभ उठा लिया हो या उसे अन्य किसी सरकारी स्रोत से इस संबंध में किसी प्रकार की सहायता की अनुमति दी जा चुकी हो तो उक्त योजना के अन्तर्गत लिए गए अग्रिम की

* डी वी सी के तारीख 11 मार्च 1966 के अधिसूचना सं. 64 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया

राशि सहित उस उप-नियम के अन्तर्गत आहरण की गई राशि या किसी अन्य सरकारी स्रोत से ली गई सहायता की राशि 75,000/- रु. पाँच वर्ष के वेतन का जोड़ इनमें से जो भी कम हो, से अधिक की नहीं होगी।

(2) जिस अभिदाता को नियम 16क के अन्तर्गत निधि से राशि निकालने की अनुमति दी गई हो उसे उस प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट उचित समय के भीतर स्वीकृति प्राधिकारी को इस बात से सन्तुष्ट करना पड़ेगा कि राशि उस प्रयोजन पर प्रयोग में लाई जा चुकी है जिस प्रयोजन के लिए उसका आहरण किया गया था और यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तो आहरित की गई राशि तुरन्त उस पर नियम 11 के अन्तर्गत बनने वाले ब्याज सहित एक मशत राशि में अभिदाता को वापस करनी पड़ेगी क्योंकि उसने यह राशि उस प्रयोजन पर खर्च कर ली है जिसके लिए पहले से आवेदन में उल्लेख नहीं किया गया था। ऐसा न कर सकने की स्थिति में एक मुशत या ऐसी मासिक किस्तों में वसूली करने का आदेश दिया जाएगा जैसा कि निगम द्वारा वह निर्णय ले।

*16ग) किसी अग्रिम के आहरण में परिवर्तन : जिस अभिदाता ने नियम 16क के उप-नियम (1) के उप-खंड (क), (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए कोई अग्रिम आहरण किया हो या भविष्य में कोई अग्रिम आहरण करना हो वह नियम 16क और 16ख में दी गई शर्तों को पूरी करते हुए अपनी इच्छानुसार स्वीकृति प्राधिकारी को अपने लेखा प्राधिकारी के माध्यम से लिखित अनुरोध करके इस विशेष राशि को अन्तिम आहरण में परिवर्तन कर सकता है।

*17. वे परिस्थितियां जिनमें संचित राशियां भुगतान योग्य हो जाती हैं : (1) जब कोई अभिदाता सेवा छोड़ता है तो निधि में उसकी क्रेडिट की राशि नियम 19 के अन्तर्गत होने वाली किसी प्रकार की कटौती की शर्त पर उसे भुगतान योग्य हो जाती है।

किन्तु यदि किसी अभिदाता को सेवा से वर्कास्त किया गया हो और बाद में वह सेवा में बहाल हो जाता है तो यदि उसे भुगतान की गई राशि को निगम द्वारा वापस मांगा जाता है तो वह उसे नियम 11 में दिए गए ब्याज की दर और उप नियम (2) के खंड (ख) के परन्तुक में बताई गई विधि से इस नियम के अनुसार निधि में जमा कर देगा। इस प्रकार से वापस की गई राशि को निधि में उसके लेखे में क्रेडिट की जाएगी। इस राशि का एक भाग नियम में दी गई विधि से अभिदाता का अंशदान और उस पर बनने वाला ब्याज माना जाएगा और दूसरा भाग निगम द्वारा योगदान और इस पर बनने वाला ब्याज माना जाएगा।

* डी वी सी के तारीख 11 मार्च 1966 के अधिसूचना सं. 64 द्वारा शामिल किया गया

* डी वी सी के तारीख 15 मई 1962 के अधिसूचना सं. 40 द्वारा संशोधित किया गया

स्पष्टीकरण I: जिस अभिदाता का टर्मिनल अवकाश स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाता है उसे अनिवार्य सेवा निवृत्ति या सेवा अवधि विस्तार की समाप्ति की तारीख से सेवा छोड़ देने वाला अंशदाता माना जाएगा।

स्पष्टीकरण II: ऐसे अभिदाता से भिन्न अभिदाता को सेवा छोड़ने वाला अभिदाता नहीं माना जाएगा जिसको संविदा पर नियुक्ति किया जाता है या जो तब सेवा से निवृत्त हो गया हो जब उसे निगम के अन्य विभाग (जिसमें वह भविष्य निधि नियमावली के अन्य नियमों द्वारा नियंत्रित होता है) में नए पद पर सेवा में बिना व्यवधान के स्थानान्तरित किया जाता है और पूर्व पद पर बिना किसी प्रकार का संबंध रखे। ऐसे मामले में यदि निगम के दूसरे विभाग में नया पद है तो उसके अंशदान और निगम के योगदान को उस पर बनने वाले ब्याज सहित उस निधि की नियमावली के अनुसार अंशदाता के लेखे में अन्तर्लित कर दिया जाएगा।

टिप्पणी : सेवा में व्यवधान के बिना निगम के दूसरे विभाग में नियुक्ति देने की दृष्टि से सेवा से त्यागपत्र के मामले को शामिल करके और निगम की उचित अनुमति लेकर ही स्थानान्तरण किए जाने चाहिए। यदि कहीं पर सेवा से व्यवधान आ गया हो तो भिन्न स्टेशन पर स्थानान्तरण पर कार्यभार ग्रहण की अनुमत अवधि से इस व्यवधान को सीमित किया जाएगा।

इस नियम के प्रावधान तुरन्त नियोजन द्वारा अपनाए गए काट-छाँट के मामलों में भी लागू होंगे।

(2) जब कोई अभिदाता --

क) सेवा निवृत्ति से पहले छुट्टी पर हो या यदि वह छुट्टी पर रहने के छुट्टी के साथ सेवानिवृत्ति से पहले किसी छुट्टी-विभाग में नियोजित हो या

ख) छुट्टी के दौरान सेवा निवृत्ति होने की अनुमति लेता हो या सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा उसे आगे सेवा करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है तो उसके द्वारा लेखा अधिकारी को आवेदन किए जाने पर निधि में उसकी क्रेडिट की राशि और उस पर बनने वाले ब्याज की राशि अभिदाता को भुगतान योग्य हो जाएगी।

किन्तु, यदि अभिदाता को निगम द्वारा अपनी ड्यूटी पर वापस लौटने के लिए कहा जाता है और वह अपनी ड्यूटी पर वापस लौट आता है तो उसे निधि से किया गया भुगतान पूर्ण

रूप से या आंशिक रूप से नियम 11 में निर्दिष्ट किए गए ब्याज की दर सहित वापस करनी पड़ेगी चाहे यह आंशिक रूप से नकद रूप में हो या आंशिक रूप से प्रतिभूतियों के रूप में हो और चाहे यह राशि निगम द्वारा या इसकी और से शक्ति प्रदान किए गए किसी प्राधिकारी के आदेश द्वारा वापस करने के लिए कहा जाए।

18. जब किसी ऐसे अभिदाता की मृत्यु उसके क्रेडिट में जमा राशि के भुगतान भोग्य देने से पहले हो या भुगतान किए जाने से पहले ही ऐसी राशि भुगतानयोग्य हो बशर्ते कि ऐसा भुगतान नियम 19 के अन्तर्गत बताई गई कटौती के अनुसार किया जाए।

(i) यदि अभिदाता की मृत्यु होती है किन्तु उसका परिवार है तो

क) यदि अभिदाता द्वारा अपने परिवार के जीवित सदस्य या सदस्यों के पक्ष में नियम 5 के प्रावधानों के अनुसार नामांकन किया गया हो तो उसकी क्रेडिट की राशि या उसका कोई भाग नामांकन में विनिर्दिष्ट समानुपात में नामित व्यक्ति या नामित व्यक्तियों को भुगतान योग्य हो जाएगा।

ख) यदि अभिदाता के परिवार के जीवित सदस्य या सदस्यों के पक्ष में इस प्रकार का कोई नामांकन न हो या ऐसा नामांकन निधि की क्रेडिट की राशि के किसी भाग से संबंधित हो तो पूरी राशि या उसका कोई ऐसा भाग जिससे नामांकन संबंधित न हो, यथास्थिति, उसके परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में किसी नामांकन के अभिप्राय के बावजूद उसके निधि की राशि उसके परिवार के सदस्यों को बराबर भागों में भुगतान योग्य हो जाएगी।

किन्तु, निम्नलिखित सदस्यों को कोई शेयर भुगतान योग्य नहीं होगा :

- (1) विधिक वयस्कता में आ जाना वाले पुत्र
- (2) विधिक वयस्कता में आ जाने वाले किसी मृतक के पुत्र
- (3) ऐसी विवाहित पुत्रियां जिनके पति जीवित है
- (4) मृतक की ऐसी विवाहित पुत्रियां जिनके पति जीवित है।

खंड (1), (2), (3) और (4) में विनिर्दिष्ट सदस्यों से भिन्न परिवार का यदि कोई सदस्य है। किन्तु यह भी कि किसी मृतक पुत्र की विधवा अथवा विधवाएं और वच्चा या बच्चे अपने शेयर का

केवल वह भाग प्राप्त करेगा जो उसका पुत्र तब प्राप्त करता यदि वह अभिदाता का उत्तरजीवी होता और यदि उसे प्रथम परन्तुक के खंड (1) के प्रावधानों से छूट प्राप्त होती।

टिप्पणी : भविष्य निधि अधिनियम 1925 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत ही किसी अभिदाता के परिवार के किसी सदस्य को इन नियमों के अन्तर्गत भुगतान योग्य कोई राशि प्रदान की जाती है।

(ii) जब अभिदाता का कोई परिवार न हो --

यदि उसके द्वारा किसी व्यक्ति या जीवित व्यक्तियों के पक्ष में नियम के प्रावधानों के अनुसार कोई नामांकन भरा गया हो तो उसकी क्रेडिट की राशि या उसका ऐसा कोई भाग जिससे नामांकन संबंधित हो, नामांकन में विनिर्दिष्ट समानुपात में नामित व्यक्ति या व्यक्तियों को भुगतान योग्य हो जाएगी।

टिप्पणी 1: जब कोई नामित व्यक्ति भविष्य निधि अधिनियम 1925 की धारा 2 के खंड में दी गई परिभाषा के अनुसार अंशदाता का कोई आश्रित हो तो निधि की राशि उस अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली विधि की तरह से ही प्रदान की जाती है।

टिप्पणी 2: जब किसी अभिदाता का परिवार न हो और उसके द्वारा नियम 3 के प्रावधानों के अनुसार कोई नामांकन न भरा गया हो या यदि ऐसा नामांकन निधि में उसकी क्रेडिट की राशि के किसी भाग से संबंधित हो तो भविष्य निधि अधिनियम 1925 की धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के खंड (ख) और उप-खंड (ii) के संबंधित प्रावधान पूरी राशि या उसके किसी ऐसे भाग पर लागू होने हैं जिससे नामांकन संबंधित न हो।

19. *कटौती :* यदि निधि में किसी अभिदाता की जमा धनराशि से पहले निधि से धनराशि भुगतान किए जाए तो इस संबंध में निगम कटौती का निदेश देगा और निगम को निम्नलिखित धनराशि का भुगतान किया जाएगा लेकिन ऐसी कटौती नहीं की जाएगी जिससे नियम 10-11 के अन्तर्गत निगम द्वारा किसी अंशदान के साथ उस पर बनने वाले ब्याज से क्रेडिट की धनराशि कम हो।

(क) कोई राशि, यदि अभिदाता को गंभीर दुराचार के लिए सेवा से बर्खास्त किया जा चुका हो किन्तु यदि बर्खास्तगी बाद में निरस्त हो जाती है तो इस प्रकार से कटौती की गई राशि उसकी बहाली होने पर निधि में उसके क्रेडिट में पुनः दर्ज कर दी जाएगी।

(ख) कोई राशि, यदि स्थायी सेवावाला कोई अभिदाता ऐसी स्थायी सेवा के आरम्भ होने के वर्ष के अन्दर ही निगम की सेवा से त्यागपत्र दे देता है अन्यथा ऐसे किसी अन्य ऐसे कारण से

अधिवर्षिता के कारण से त्यागपत्र देता है कि सक्षम चिकित्सा अधिकारी ने उसे सेवा करने में अयोग्य घोषित कर दिया हो।

- (ग) अभिदाता द्वारा नियम को दी जाने वाली किसी प्रकार की देनदारी की राशि
20. *भुगतान* : जब निधि में अभिदाता के क्रेडिट की राशि या उसका कोई अतिशेष नियम 19 के अन्तर्गत किसी प्रकार की कटौती करने के बाद भुगतान योग्य हो जाती है तो नियमानुसार किसी प्रकार की कटौती न करने संबंधी किसी प्रकार का निर्देश न दिए जाने से स्वयं सन्तुष्ट होने के बाद, लेखा अधिकारी की यह ड्यूटी होगी कि वह भविष्य निधि अधिनियम 1925 की धारा 4 में दिए गए प्रावधान के अनुसार किसी प्रकार की कटौती न करे।
- टिप्पणी* : जब नियम 17 या 18 के अन्तर्गत किसी अभिदाता के क्रेडिट की राशि भुगतान योग्य हो गई हो और ऐसे भुगतान के संबंध में कोई विवाद या सन्देह न रह गया हो तो लेखा अधिकारी अभिदाता की क्रेडिट की राशि को तुरन्त भुगतान करने या किसी प्रकार के समायोजन करने के लिए तुरन्त प्राधिकृत करेगा।
21. *प्रक्रिया* : इन विषयों के अन्तर्गत निधि में भुगतान की गई राशियों को निगम के 'अशदायी भविष्य निधि लेखों' नामक लेखे में क्रेडिट किया जाएगा।
22. अंशदान या लिए गए अग्रिम की किस्तों के भुगतान करते समय अभिदाता अपनी निधि की लेखे की संख्याके संबंध में उल्लेख करेगा। इस संख्या की सूचना लेखा अधिकारी को दी जाएगी। इस लेखा संख्या में होने वाले किसी परिवर्तन की सूचना भी इसी तरह से लेखा अधिकारी को दी जाएगी।
23. अभिदाता के अंशदान और ब्याज सहित निगम द्वारा किए जाने वाले योगदान की राशि को दर्शाते हुए प्रत्येक अभिदाता के लिए अलग-अलग लेखा रखा जाएगा।
24. सदस्यों से प्राप्त किया गया और निगम के अंशदान का सकल अंशदान और इन दोनों अंशदानों पर अनुमत किये गये ब्याज सहित राशि को जहाँ तक संभव हो सके सरकारी राष्ट्रीय वचत पत्र और या ऐसी अन्य किसी लाभ देने योग्य निवेशों में लगाई जाएगी जैसा कि सरकार अनुमोदन करे।

ऐसे निवेशों से प्राप्त हुआ ब्याज निगम की निधि में जाएगा और इसके लिए निगम द्वारा समय समय पर निर्धारित की गई दर से क्रेडिट पर ब्याज दिया जाएगा।

25. जहाँ तक संभव हो सके लेखा अधिकारी प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च के बाद प्रत्येक अभिदाता के पास उसकी निधि के लेखे की एक विवरणी भेजेगा जिसमें वर्ष की 1 अप्रैल को उसके लेखे में आदि और शेष वर्ष के दौरान क्रय क्रेडिट या डेबिट, वर्ष के 31 मार्च को क्रेडिट किया गया ब्याज 31 मार्च को अन्त शेष आदि का व्यौरा दिया जाएगा। लेखा अधिकारी उस लेखा विवरणी के साथ निम्नलिखित की पूछताछ के संबंध में एक प्रश्नावली संलग्न करेगा :
- (क) नियम 5 के अन्तर्गत भरे गए किसी नामांकन मे किसी प्रकार का परिवर्तन करने की इच्छा।
- (ख) क्या अब उसका परिवार है (ऐसे मामले में जहाँ पर अभिदाता ने नियम (5) के उप-नियम (1) के परन्तुक के अन्तर्गत अपने परिवार के किसी सदस्य के पक्ष में कोई भी नामांकन न भरा हो।
26. अभिदाताओ को वार्षिक विवरणी के सत्यता स्वयं सन्तुष्ट होना चाहिए और इसमें किन्ही त्रुटियों के संबंध में विवरणी प्राप्ति की तारीख से छः माह के भीतर लेखा अधिकारी को सूचित करना चाहिए।
27. यदि अभिदाता चाहता है तो लेखा अधिकारी वर्ष में एक बार अभिदाता को उसके लेखे में उस माह के अन्त में उस क्रय राशि की सूचना देगा जिसके लिए उसका लेखा तैयार किया गया है।

प्रथम अनुसूची नियम देखें

नामांकन फ़ॉर्म

(जहाँ पर अभिदाता का परिवार हो और वह एक सदस्य को नामांकित करना चाहता है)

मैं अपनी निधि में अपने नाम जमा राशि के देय होने से पूर्व अथवा ऐसी दशा में जब यह राशि देय हो चुकी हो किन्तु उसका भुगतान न किया गया हो मेरी मृत्यु हो जाने पर निम्नलिखित व्यक्ति जो मेरे परिवार का सदस्य है को अंशदायी भविष्य निधि नियमावली (डी वी सी) के नियम में दी गई परिभाषा के अनुसार अपनी निधि की राशि प्राप्त करने के लिए नामित करता/करती हूँ।

नामित व्यक्ति का नाम और पता	अभिदाता से संबंध	आयु	ऐसी आकस्मिकताएं जिनके होने पर नामांकन अवैध हो जाएगा	ऐसे व्यक्ति का नाम और पता और अभिदाता से संबंध जिसको तब नामांकन का अधिकार मिल जाएगा जब जसकी मृत्यु अभिदाता से पहले हो जाए
1	2	3	4	5

माह की तारीख वर्ष

अभिदाता के हस्ताक्षर

दो सदस्यों के हस्ताक्षर

(1).....

(2).....

(II. जब अभिदाता का परिवार हो और वह एकाधिक व्यक्तियों को नामित करना चाहता है)

मैं अपनी निधि में अपने नाम जमा राशि के देय होने से पूर्व अथवा ऐसी दशा में जब यह राशि देय हो चुकी हो किन्तु उसका भुगतान न किया गया हो मेरी मृत्यु हो जाने पर निम्नलिखित व्यक्तियों, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं को अंशदायी भविष्य निधि नियमावली (डी वी सी) के नियम में दी गई परिभाषा के अनुसार अपनी निधि की राशि प्राप्त करने के लिए नामांकित करता हूँ।

नामित व्यक्ति का नाम और पता	अभिदाता से संबंध	आयु	प्रत्येक नामित व्यक्ति को देय राशि का अंश	ऐसी आकस्मिकताएं जिनके होने पर नामांकन अवैध हो जाएगा	ऐसे व्यक्ति का नाम और पता और अभिदाता से संबंध जिसको तब नामांकन का अधिकार दिया जाएगा जब जसकी मृत्यु अभिदाता से पहले हो जाए
1	2	3	4	5	6

माह की तारीख वर्ष

अभिदाता के हस्ताक्षर

दो सदस्यों के हस्ताक्षर

(1).....

(2).....

टिप्पणी : यह कालम भर दिया जाए ताकि इसमें किसी समय निधि में अभिदाता की क्रेडिट की राशि सम्पूर्ण रूप से आ जाए।

(III. जब अभिदाता का परिवार न हो और वह एक व्यक्ति को नामांकित करना चाहता है मेरा परिवार नहीं है और)

मैंअपनी निधि में अपने नाम जमा राशि के देय होने से पूर्व अथवा ऐसी दशा में जब यह राशि देय हो चुकी हो किन्तु उसका भुगतान न किया गया हो, मेरी मृत्यु हो जाने पर निम्नलिखित व्यक्ति को अंशदायी भविष्य निधि नियमावली (डी वी सी) के नियम में की गई परिभाषा के अनुसार अपनी निधि की राशि प्राप्त करने के लिए नामित करता/करती हूँ।

नामित व्यक्ति का नाम और पता	अभिदाता से संबंध	आयु	ऐसी आकस्मिकताएं जिनके होने पर नामांकन अवैध हो जाएगा	ऐसे व्यक्ति का नाम और पता और अभिदाता से संबंध जिसको तब नामांकन का अधिकार मिल जाएगा जब जसकी मृत्यु अभिदाता से पहले हो जाए
1	2	3	4	5

माह कीतारीख वर्ष
अभिदाता के हस्ताक्षर

दो गवाहों के हस्ताक्षर

(1).....

(2).....

टिप्पणी : जब किसी अभिदाता का परिवार न हो ओर वह नामांकन भरता है तो वह उस कालम में यह उल्लेख करेगा कि बाद में उसका परिवार होने पर यह नामांकन अवैध हो जाएगा

(IV. जब अभिदाता का परिवार न हो और वह एक से अधिक व्यक्तियों को नामित करना चाहता/चाहती है)

अंशदायी भविष्य निधि नियमावली (डी वी सी) के नियम में दी गई परिभाषा के अनुसार मेरा परिवार नहीं है और मैं.....अपनी निधि में जमा राशि के देय होने से पूर्व अथवा ऐसी दशा में जब यह राशि दे चुकी हो किन्तु भुगतान न किया गया हो, मेरी मृत्यु हो जाने पर निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नामों के सामने दर्शाई गई विधि से विभाजित करने के लिए नामित करता/करती हूँ।

नामित व्यक्ति का नाम और पता	अभिदाता से संबंध	आयु	प्रत्येक नामित व्यक्ति को देय राशि का अंश	ऐसी आकस्मिकताएं जिनके होने पर नामांकन अवैध हो जाएगा	ऐसे व्यक्ति का नाम और पता और अभिदाता से संबंध जिसको तब नामांकन का अधिकार मिल जाएगा जब जसकी मृत्यु अभिदाता से पहले हो जाए
1	2	3	4	5	6

माह कीतारीख वर्ष

अभिदाता के हस्ताक्षर

दो सदस्यों के हस्ताक्षर

(1).....

(2).....

टिप्पणी : यह कालम भर दिया जाए ताकि इसमें किसी समय निधि में अभिदाता की क्रेडिट की राशि सम्पूर्ण रूप से आ जाए।

टिप्पणी : जहाँ पर अभिदाता का परिवार नहीं है और वह नामांकन भरता है तो वह इस कालम में इस बात का उल्लेख करेगा कि बाद में उसका परिवार होने की स्थिति में यह नामांकन अवैध हो जाएगा।

दूसरी अनुसूची (नियम देखें)

अंशदायी भविष्य निधि की कटौतियों की अनुसूची

कार्यालय

हेतु अंशदायी भविष्य निधि कटौती अनुसूची

लेखा सं.	नाम	वेतन	अंशदान की दर	प्राप्त की गई राशि	आहरण की वापसी	आहरण की गई राशि	टिप्पणी
		रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	